UPPCS - POLITY

By : Karan Sir

भारत की राजव्यवस्था

- "वह व्यवस्था जिसके द्वारा किसी राज्य (Country) को किस तरह से चलाया जायें, के बारे में अध्ययन **राज व्यवस्था** कहलाती हैं।"
- "एक या एक से अधिक राज्यों (Country) को चलाने की व्यवस्था के बारे में अध्ययन, **राजनैतिक विज्ञान** (Political Science) कहलाता है।"
- यहां **राज्य** (State) का मतलब किसी **देश** से है, ना कि किसी राज्य **(Province– प्रदेश)** विशेष से हो।
- **राजनैतिक विज्ञान** का जनक (पितामाह) **अरस्तू, (यूनानी)** को कहा जाता है।
- **आधुनिक** राजनैतिक विज्ञान का जनक **निकोलो मैकियावेली, इटली** को कहा जाता है।
- राज्य (State) के **चार** मुख्य घटक होते है।
  1. **भू-भाग**
  2. **सरकार**
  3. **जनसंख्या**
  4. **संप्रभुता (Sovereignty)**
- **संप्रभुता (Sovereignty)** – वह राज्य जो अपने **आन्तरिक** तथा **बाह्य मामलों** में निर्णय लेने के लिए सम्पूर्ण रूप से **स्वतंत्र** हो, संप्रभुत्व राज्य कहलाता है। संप्रभुता होने के लिए किसी भी राज्य के पास उपर्युक्त चारों घटकों का होना अति आवश्यक होता है।
- **जैसे**– भारत एक संप्रभुता राज्य है, क्योंकि कोई भी देश अथवा कोई भी विश्व व्यापी संस्था किसी भी बात को मनवाने हेतु भारत पर दबाव नहीं बना सकती है। किन्तु तिब्बत एक संप्रभु राज्य नहीं है, क्योंकि वहां पर **चीन** का प्रभुत्व स्थापित है।

संविधान के मुख्य अंग

1. **कार्यपालिका (Executive)**– इसका कार्य राज्य के लिए विधायिका द्वारा निर्मित विधि को **लागू** कराना।
2. **विधायिका (Legislative)**– इसका कार्य राज्य के लिए आवश्यक विधि का **निर्माण** करना होता है।
3. **न्यायपालिका (Judiciary)**– इसका कार्य विधायिका द्वारा निर्मित विधि की **समीक्षा करना** और यह देखना होता है कि कार्यपालिका निर्मित विधि को सही ढंग से लागू करा पा रही है या नहीं?

   जैसे– मानव शरीर के अंदर **मस्तिष्क** विधायिका, **हाथ** कार्यपालिका व **आँखें** न्यायपालिका का कार्य करती है।

भारत का संवैधानिक इतिहास

प्लासी का युद्ध **(23 जून 1757 ई०)** तथा **बक्सर** का युद्ध **(22 अक्टूबर 1764 ई०)** इन दोनों लड़ाईयों में जीत के साथ ही **ईस्ट इण्डिया कम्पनी** का अधिपत्य लगभग सम्पूर्ण **भारत** पर स्थापित हो चुका था।

1. कम्पनी का शासन (1773 ईजे से 1858 ई० तक)

रेग्यूलेटिंग एक्ट (विनियामक अधिनियम) 1773 ई०

- **कम्पनी** के कार्यों को सीमित व **नियंत्रित** करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिया गया यह **पहला** लिखित कदम था।
- तत्कालीन **ब्रिटिश प्रधानमंत्री नॉर्थ** के द्वारा गठित एक गुप्त समिति के आधार पर इस एक्ट का निर्माण किया गया था।

उद्देश्य

1. **कम्पनी** के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा **रिश्वत / उपहारों** को लेने से रोकने के लिए इस अधिनियम के द्वारा पूर्ण रूप से **प्रतिबन्धित** कराना।
2. अलग-2 प्रेसीडेन्सियों में **कम्पनी** के अधिकारी / कर्मचारियों के **मध्य समन्वय** स्थापित कराना।

प्रावधान

- **कम्पनी** के अधि० / कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार को **बिना लाईसेंस के पूर्णतः बंद** कर दिया गया।
- भारत में **पहली** बार **केन्द्रीय प्रशासन** की नींव पड़ी।
- **कम्पनी** के अधिकारी / कर्मचारियों द्वारा लिये जाने वाले **उपहारों** (रक्त सम्बन्धियों द्वारा दिये गये उपहारों को छोड़कर) तथा **रिश्वत** की पूर्ण रूप से **प्रतिबन्धित** कर दिया गया।
- अलग-अलग प्रेसीडेन्सियों के अधिकारियों / कर्मचारियों के **मध्य समन्वय** स्थापित कराने हेतु **सबसे बड़ी** प्रेसीडेन्सी **बंगाल** के गवर्नर को **"बंगाल का गवर्नर जनरल"** बना दिया गया, तथा शेष दो प्रेसीडेन्सियों **मद्रास** तथा **बम्बई** के गवर्नरों को इसका **अधीनस्थ** बना दिया गया था।
- बंगाल का **प्रथम** गवर्नर जनरल **वारेन हेस्टिंग्स** था।
- **1774 ई०** में भारत में **सुप्रीम कोर्ट** की स्थापना **कलकत्ता** में की गई। जिसके **प्रथम मुख्य** न्यायाधीश **सर एलियाज इम्पे** तथा तीन **अन्य** न्यायाधीश **1. चौम्बर्स 2. लिमॅस्टर 3. हाइड** थे।
- यह भारत के उच्चतम न्यायालय **(सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली)** से बिल्कुल अलग था।

- ☞ भारत का **सर्वोच्च न्यायालय** सबसे बड़ी अपील अदालत है, जबकि 1774 ई० का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अपील अदालत नहीं था। इसके बाद भी **ब्रिटिश क्रॉउन (प्रीवि कौंसिल)** के समक्ष अपील की जा सकती थीं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, भारतीय संविधान के **अनु०– 124** के तहत **28 जनवरी 1950 ई०** को **नई दिल्ली** में की गयी है।
- ☞ **भारत** का सर्वोच्च न्यायालय एक **संघीय न्यायालय** (Federation Court) है। जिसमें भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा **1774 ई०** वाले सुप्रीम कोर्ट को भी मिला दिया गया है।
- ☞ **संघीय न्यायालय** (Federation Court) के अन्तर्गत मुख्यत: तीन मामलों को ही सुना जाता है।
  - **i.** **केन्द्र** तथा **राज्यों** के मध्य विवाद।
  - **ii.** **दो** विभिन्न **राज्यों** के मध्य विवाद।
  - **iii.** **राष्ट्रपति** तथा **उपराष्ट्रपति** के चुनाव सम्बन्धित विवाद।
- ☞ **निदेशक मण्डल** (Court of Director) की स्थापना की गयी, यह नियत कर दिया गया कि इसके सदस्य अब **04 वर्षों** के लिए नियमित रहेंगे तथा ¼ **सदस्य** प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत होते रहेंगे।
- ☞ इस मण्डल में कुल सदस्यों की संख्या **24** थीं।
- ☞ गवर्नर जनरल की सहायता हेतु **चार** सदस्यों वाली **कार्यकारिणी परिषद्** (Council of GovernorGeneral) का गठन किया गया। जिसमें **निर्याणक** मत देने का अधिकार **गवर्नर जनरल** को दिया।
- ☞ **निदेशक मण्डल** (Court of Director) के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कम्पनी पर नियंत्रण **सशक्त** हो गया था। **सेना, प्रशासन** तथा **राजस्व** के मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अब कम्पनी के लिए आवश्यक कर दिया गया था।

संशोधनात्मक अधिनियम, 1781 ई०

- ☞ रेग्यूलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिये यह अधिनियम लाया गया था।

पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 ई०

- ☞ पिट्स इण्डिया एक्ट का शीर्षक **''ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र''** था।
- ☞ भारत में **दुवैध शासन** (Dyarchy) का प्रारम्भ हुआ।
  1. **BOC** तथा 2. **COD** की स्थापना की गयी।
- ☞ **प्रारम्भ**– 1784 ई० में तथा **समाप्ति**– 1858 ई० में (शाही उपाधि अधिनियम 1858 ई० के द्वारा)।
- ☞ **BOC** तथा **COD** का कोई भी institute भारत में स्थित **नहीं** था।

1. **बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स (Board of Controler's)**– कम्पनी के **राजनैतिक** मामलों के लिए **नियंत्रक मण्डल** की स्थापना की गयी। इसके तहत **नागरिक सैन्य** तथा **राजस्व** के मामलों को देखा जाता था। **नियंत्रक मण्डल** में कुल **सदस्यों** की संख्या **6** थीं, जो सभी **लंदन** में बैठे **अंग्रेज** थे।
2. **कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर्स (Control of Director's)**– कम्पनी के **व्यापारिक** मामलों के लिए था।

चार्टर अधिनियम, 1813 ई०

- ☞ इस एक्ट के द्वारा **ईस्ट इण्डिया कम्पनी** का व्यापारिक एकाधिकार **समाप्त** कर दिया गया।
- ☞ **अपवाद**– भारत में चाय का व्यापार तथा **चीन** के साथ सभी तरह के व्यापार (**अफीम** के व्यापार की वजह से) पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अभी भी **एकाधिकार** प्राप्त था।
- ☞ कम्पनी ने ब्रिटिश संसद के अधिकारियों को **रिश्वत** देकर इन अधिकारों को बचा लिया था।
- ☞ **ईसाई धर्म प्रचारकों** (मिस्निरियों) को **भारत** में आने की अनुमति प्रदान कर दी गई थीं।
- ☞ **1 लाख रुपये** प्रति वर्ष भारतीयों की **शिक्षा** पर खर्च कराने का प्रावधान किया गया, परन्तु कभी भी खर्च नहीं किया। (**ट्रिक**– ''तेरे व्यापार के एक लाख धर्म प्रचार में लगा दिये'')
- ☞ **ईस्ट इण्डिया कम्पनी** की स्थापना **31 दिसम्बर 1599 ई०** को लंदन में की गयी थीं।
- ☞ यह कम्पनी **1600 ई०** में **भारत** में व्यापार करने के मंसूबों के साथ आई थी।
- ☞ 31 दिसम्बर 1600 ई० में ब्रिटेन की **महारानी एलिजाबेथ प्रथम** ने कम्पनी को 15 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार **(Trade Monopoly)** प्रदान कर दिया था।
- ☞ 1603 ई० में महारानी एलिजाबिथ प्रथम की मृत्यु के बाद ब्रिटेन के **राजा चार्ल्स प्रथम** ने यह अधिकार **अनिश्चित** काल के लिए बढ़ा दिया।
- ☞ **01 जनवरी** 1884 **ई०** को कम्पनी को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था।

चार्टर अधिनियम, 1833 ई०

- ☞ कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार (Trade Monopoly) बिल्कुल **समाप्त** कर दिया गया था।
- ☞ कम्पनी को **प्रशासनिक** व **राजनैतिक** अधिकार सौंपा गया, यह अब कोई **व्यापार नहीं** कर सकती थी।
- ☞ **बंगाल** तथा **मद्रास** के गवर्नरों को कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया।
- ☞ इस प्रकार भारत में **केन्द्रीयकरण** की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया गया था।
- ☞ **मैकाले** की अध्यक्षता में **प्रथम विधिक आयोग** की स्थापना की गई।
- ☞ किसकी सिफारिशों पर पढ़ाई का माध्यम बदल कर **अंग्रेजी** भी किया जाने लगा था?– **मैकाले**
- ☞ **बंगाल** के गवर्नर जरनल को **''भारत का गवर्नर जनरल''** कहा जाने लगा, जिस कारण बंगाल के **गवर्नर** का पद खाली हो गया था।
- ☞ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल **विलियम बैंटिक** था।
- ☞ कम्पनी में **सेवा/नौकरी** हेतु किसी भी भारतीय के साथ **धर्म, जाति, मूलवंश, जन्म स्थान** तथा **रंग** के आधार पर विभेद नहीं किया जायेगा जो वर्तमान के संविधान में **अनु० 15** में दिखाई पड़ता है।

- भारतीय सिविल सेवा (ICS) में चयन हेतु भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन प्रारम्भ कराने हेतु प्रयास किया गया, लेकिन **बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स** के विरोध के कारण इन खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं को आरम्भ किया जाना सम्भव नहीं हो सका था।
- भारत के **प्रथम** गवर्नर जनरल **विलियम बेंटिक** के द्वारा **1843 ई०** में **''दास प्रथा''** को **गैर-कानूनी** घोषित कर दिया गया था।
- जिसके बाद गवर्नर जनरल **एलनबरो** ने **1843 ई०** में ही **''दास प्रथा''** का उन्मूलन किया था।

चार्टर अधिनियम, 1853 ई०

- बंगाल के गवर्नर का पद खाली होने पर वहां के लिए एक **उप-गवर्नर** का पद सृजित किया गया।
- **COD** में सदस्यों की कुल संख्या को **24** से घटाकर **18** कर दिया गया था।
- **नामजदगी** खत्म करके कम्पनी के महत्वपूर्ण पदों को खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं से भरा जाने लगा।
- **मैकाले समिति** की अनुशंसा पर **भारतीय सिविल सेवा (ICS)** में चयन हेतु भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं को पुन: आरम्भ करा दिया गया था।
- **1853 ई० में भारतीयों** को इस परीक्षा में बैठने का अधिकार नहीं मिला था।
- भारतीयों के लिए इन प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेना **1854 ई०** से आरम्भ किया गया।
- 1854 में **सत्येन्द्रनाथ टैगोर (रविन्द्रनाथ के भाई)** ने भारतीय के रूप में पहली बार परीक्षा पास की।

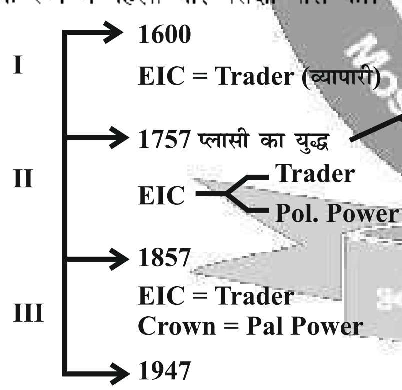

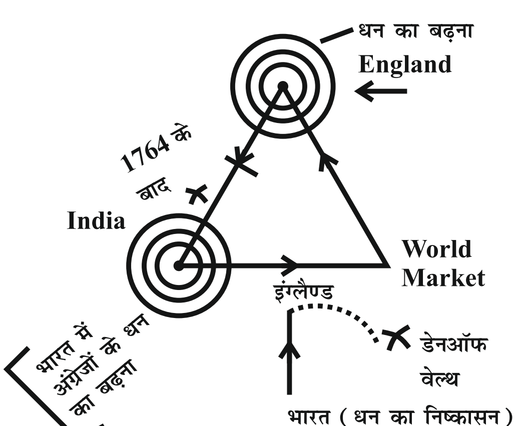

$E_{(a)} \propto E_{(c)}$

भारतीयों का शोषण — कम्पनी का मुनाफा

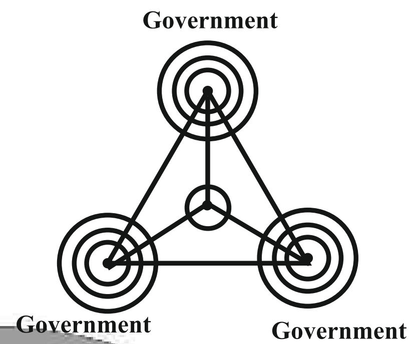

Gov. of Bengal
↓
Gov. Gen. (1773)
↓
Gov. Gen. of India (1833)
↓
वायसराय (1858)

2. ताज का शासन (1858 ई० से 1947 ई० तक)

- **भारत शासन अधिनियम, 1858 ई०** यह ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का एक **घोषणा पत्र** था। इस अधिनियम से ब्रिटेन की संसद का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था।
- **1857 ई०** के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश शासन के द्वारा कुछ ठोस कदम उठाये गये थे।
- भारत पर सत्ता का हस्तांतरण **ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी** से **ब्रिटिश क्रॉउन** के अधीन कर दिया गया।
- भारतीयों के लिए **लंदन में भारत सचिव नाम** से एक पद सृजित किया गया, जो लंदन में रहकर भारत का **ब्रिटिश कॉउन** के प्रति उत्तरदायी होता था।
- भारत **सचिव** की सहायता के लिए एक परिषद् का गठन किया गया, जिसमें कुल **15 सदस्य** थे।
- इस परिषद के सदस्यों का वेतन भारत के राजस्व से दिया जाना सुनिश्चित किया गया।
- इस परिषद् का अध्यक्ष भारत सचिव होता था।
- भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल कर भारत का वायसराय कर दिया गया, जो भारत में रहकर ब्रिटिश कॉउन के प्रति उत्तरदायी होता था। यह भारत में सर्वोच्च सैन्य पद था।
- भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था।
- दोहरे शासन का अन्त कर दिया गया, नियंत्रक मण्डल (BOC तथा COD) भंग हो गया। पील कमीशन की सिफारिशी पर सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात जो पहले 5:1 था, को कम कर 2.1 कर दिया गया। मतलब पहले 5 सैनिक भारत के तथा 1 सैनिक ब्रिटिश का, के अनुपात में थे।

चार्टर अधिनियम, 1861 ई०

- पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया था।
- इस प्रक्रिया में 1. बनारस के राजा 2. पटियाला के राजा 3. सर दिनकर राव को शामिल किया था।
- विकेन्द्रीकरण कर मद्रास तथा बम्बई के गवर्नरों को कानून बनाने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया।

☞ केन्द्रीय कार्यकारणी (वायसराय की परिषद्) में अब 5वें सदस्य के रूप में एक विधिवेत्ता को जोड़ा।

☞ अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को प्रदान की गयी।

☞ प्रान्तों में विधान परिषदों का गठन किया गया।

1. बंगाल 1862 ई०
2. उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रान्त 1866 ई०
3. पंजाब 1897 ई०

☞ **गवर्नर जनरल तथा वायसराय के पदों में क्या अंतर होता था?** जब ब्रिटिश प्रान्त का शासन देखता था, उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था, परन्तु जब किसी Princely State के राजा के साथ ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता था तो उसे वायसराय कहा जाता था। यह एक ही व्यक्ति होता था।

☞ 1883 ई० में वायसराय रिपन ने इल्बर्ट बिल पेश किया। जिसमें प्रावधान किया गया कि भारत में बसे यूरोपियों के मुकदमें सुनने तथा अपराध साबित होने पर उन्हें सजा सुनाने का अधिकार भारतीय जजों को दिया जाता है।

☞ इस बिल का अत्यधिक विरोध होने के कारण वायसराय रिपन को अपने पद से त्याग-पत्र देना पड़ा।

शाही उपाधि अधिनियम, 1876 ई०

☞ 28 अप्रैल 1876 ई० को रानी विक्टोरिया को भारत की सामजी घोषित कर दिया गया था।

☞ केन्द्रीय कार्यकारणी (गवर्नर जनरल की परिषद) में 1876 ई० में 6वाँ सदस्य जोड़ा गया था। जिसे PWD का कार्य सौंपा गया था।

भारत शासन अधिनियम, 1892 ई०

☞ भारतीयों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। परन्तु अनुपूरक प्रश्न (प्रश्न से सम्बन्धित दूसरा प्रश्न पूछने का अधिकार तथा बजट पर मताधिकार नहीं दिया गया था।

☞ इस अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गयी।

भारत शासन अधिनियम, 1909 ई०

☞ इस अधिनियम को मार्ले-मिंटो सुधार भी कहा जाता है। क्योंकि उस समय भारत सचिव मार्ले तथा भारत का वायसराय मिंटो था।

☞ विधान परिषद् का आकार बढ़ा कर 16 से 60 सदस्यों वाली कर दिया गया था।

☞ भारतीयों को बजट पर अनुपूरक प्रश्न (प्रश्न से सम्बन्धित दूसरा प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, परन्तु बजट पर मताधिकार अभी भी नहीं दिया गया था।

☞ गवर्नर जनरल की परिषद् में पहली बार भारतीय सदस्य सतेन्द्र प्रसाद सिन्हा को विधिक सदस्य के रूप में जोड़ा गया।

☞ मुस्लिम उम्मीदवारों हेतु पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही अपने मत का प्रयोग कर सकते थे, यह प्रावधान किया गया।

☞ इन्ही कारणों से भारतीय वायसराय मिंटो को साम्प्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है।

☞ इस एक्ट के तहत पहली बार ''परितंत्र भारत में आरक्षण'' का प्रावधान कर दिया गया था।

☞ जब मुस्लिमों को लगा की अंग्रेज कोई भौतिक लाभ प्रदान नहीं कर रहे है, तो पहली बार मुस्लिम लीग ने 1913 ई० में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी।

☞ पूर्ण स्वराज की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार 1906 ई० में की थीं।

☞ के०एम० मुंशी ने कहा था कि, इस एक्ट से भारत में उभरते प्रजातंत्र का गला घोट दिया गया है।

☞ यह ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम चलने वाला अधिनियम था।

भारत शासन अधिनियम (मॉण्डेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार), 1919 ई०

☞ उस समय मॉण्डेग्यू भारत सचिव तथा चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय के पद पर आसीन था।

☞ सिक्खों, बौद्धों, जैन, ईसाईयों तथा यूरोपियों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने का प्रस्ताव रखा गया।

☞ जिसका सिक्खों द्वारा अत्यधिक विरोध करने के कारण इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा।

☞ भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना इस अधिनियम का उद्देश्य था।

☞ 1858 में भारत सचिव की 15 सदस्यीय परिषद् का वेतन पहले भारतीय राजस्व से दिया जाता था।

☞ इस अधिनियम के बाद इनका वेतन ब्रिटिश राजस्व से दिया जाना सुनिशिचत किया गया, तो इनकी अधिकतम संख्या को 12 तथा कम से कम 08 कर दिया गया था।

☞ भारत में द्विसदनीय प्रणाली की शुरुआत की गयी।

1. Indian Legislative Assembly (भारतीय विधानसभा)- वर्तमान की लोकसभा के समकक्ष।
2. State Legislative Council (राज्य विधान परिषद्)- वर्तमान की विधानसभा के समकक्ष।

☞ प्रान्तों (Provinces) में दुद्वैध शासन प्रणाली को लागू किया, जिसका जनक लियोनस कार्टियस था।

☞ द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1935 ई० के द्वारा कर दी गयी थी।

☞ द्वैध शासन का अर्थ था दीवानी, राजस्व का अधिकार अंग्रेजों के पास तथा प्रशासनिक अधिकार राजा / नवाब के पास होना।

☞ परन्तु, यहाँ द्वैध शासन का अर्थ था- राजा / नवाब के साथ 2 राजनैतिक अधिकारों में भी अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप करना आरम्भ होना। इस एक्ट के अनुसार प्रान्तों पर राजा के शासन के साथ 2 अंग्रेजों ने भी शासन करना आरम्भ कर दिया जिससे प्रान्तों की जनता में असंतोष व्याप्त होने लगा।

☞ कानून बनाने के अधिकारों को 2 पृथक सूचियों में विभक्त कर देना।

1. रिजर्व लिस्ट केवल अंग्रेजों को इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था।

2. ट्रांस्फर लिस्ट (हस्तारित सूची)- इस सूची में शामिल विषयों पर राजा / नवाब को कानून बनाने का अधिकार था।

जैसे- पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग आदि कोई बड़ा विभाग नहीं था।

☞ 01 अक्टूबर 1926 ई० को संघ लोक सेवा आयोग (Central Public Service Commission) की स्थापना की गई।

☞ CAG (Comptroller and Auditor General) के पद को भारत में पहली बार सृजित किया गया, तथा इसकी नियुक्ति भारत सचिव करता था।

☞ इस अधिनियम के तहत केन्द्रीय बजट से राज्यों (प्रान्तों) के बजट को अलग कर दिया गया।

☞ इस एक्ट के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गयी थी। जो सीमित व्यस्क मताधिकार के रूप में शिक्षा (स्नातक), सम्पति (जमीदार), तथा करदाताओं को प्रदान किया गया था।

☞ जिनकी कुल संख्या लगभग 2% थीं।

☞ महिलाओं को भी पहली बार मताधिकार प्रदान किया गया था।

नेहरू रिपोर्ट 1928 ई०

☞ नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का 'ब्लू प्रिंट' भी कहा जाता है।

☞ 1925 ई० में भारत के सचिव बर्कन हेड ने कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दी कि यदि विभिन्न संप्रदायों की आपसी सहमति से वे संविधान का मसौदा तैयार कर लें तो ब्रिटिश सरकार उस पर सहानुभूति ढंग से विचार कर सकती है।

☞ 12 फरवरी 1928 को दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी छोटे बड़े 29 दलों (संगठनों) के साथ संविधान के निर्माण के सम्बन्ध में कोई मसौदा न बन सका।

☞ 10 मई 1928 ई० को दूसरी बैठक बुलाई गई जिसमें 8 सदस्यों की एक समिति को गठित किया।

☞ अध्यक्ष पं० मोतीलाल नेहरू थे। (जो अपने समय के सबसे महगें तथा सबसे प्रसिद्ध वकील थे)

☞ यह रिपोर्ट इस समिति के सदस्य तेज बहादुर सप्रू द्वारा निर्मित की गयी थीं।

☞ इस समिति का महासचिव, पं० जवाहर लाल नेहरू को बनाया गया था।

नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख मांग निम्नलिखित थी।

☞ भारत को एक डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाये। जिसका अर्थ था कि अगर ब्रिटिश सरकार चाहे तो कुछ विशेष अधिकार भारतीयों को प्रदान किये जायें।

जैसे:- Online Class में अध्यापक के मना करने के बाद भी बच्चों का लगातार शरारत करना।

☞ जबकि स्वतंत्र राज्य का अर्थ होता है पूर्ण अधिकार जैसे Offline Class, जहाँ अगर एक बार अध्यापक ने मना कर दिया तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई दोबारा शरारत कर दे।

☞ संसदीय रूप की सरकार स्थापित की जाये जिसमें द्विसदनीय विधायिका (निम्न, उच्च सदन) हो।

☞ भारत में संघीय रूप की सरकार स्थापित की जाये, जिसमें अवशिष्ट शक्तियों केंद्र को प्रदान हो।

☞ अल्पसंख्यकों के लिए पृथक् निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाये। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली स्थापित की जाये। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रीति से कराया जाना चाहिए।

☞ न्यायपालिका, विधायिका से स्वतंत्र होनी चाहिए।

☞ सिंध को बम्बई प्रान्त से अलग किया जाये।

☞ भारत का गवर्नर जनरल केवल एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्यरत रहेगा। (रबर स्टाम्प)

☞ केन्द्र सरकार में एक चौथाई मुस्लिम प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

☞ भारत में प्रातों का गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए।

☞ भारत में उच्चतम न्यायालय, लोक सेवा आयोग और प्रतिरक्षा समिति की स्थापना होनी चाहिए।

☞ नेहरू रिपोर्ट को 1928 ई० में पेश किया था।

☞ कलकता अधिवेशन- 1928 ई० में पं० मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में रावी नदी के किनारे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ।

☞ जिसमे नेताजी सुभाषचन्द्र बोस तथा पं० जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों को नेहरू रिपोर्ट को लागू कराने के लिए अधिक समय देना का विरोध करने पर 31 दिसम्बर 1929 ई० तक का समय दिया।

☞ ब्रितानी सरकार ने इसे अत्यधिक प्रगतिशील कहकर 1930 ई० में मानने से इनकार कर दिया था।

☞ जिसके बाद महात्मा गाँधी ने भारत के वायसराय इरविन के समक्ष अपने 11 सूत्री मांग रखी थी।

☞ तब इरविन ने गाँधी का अत्यधिक अपमान किया, जिसका प्रत्योत्तर सविनय अवज्ञा, 1930 ई० था।

☞ 26 जनवरी 1930 ई० को लाहौर अधिवेशन में प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था।

☞ इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी के दिन भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।

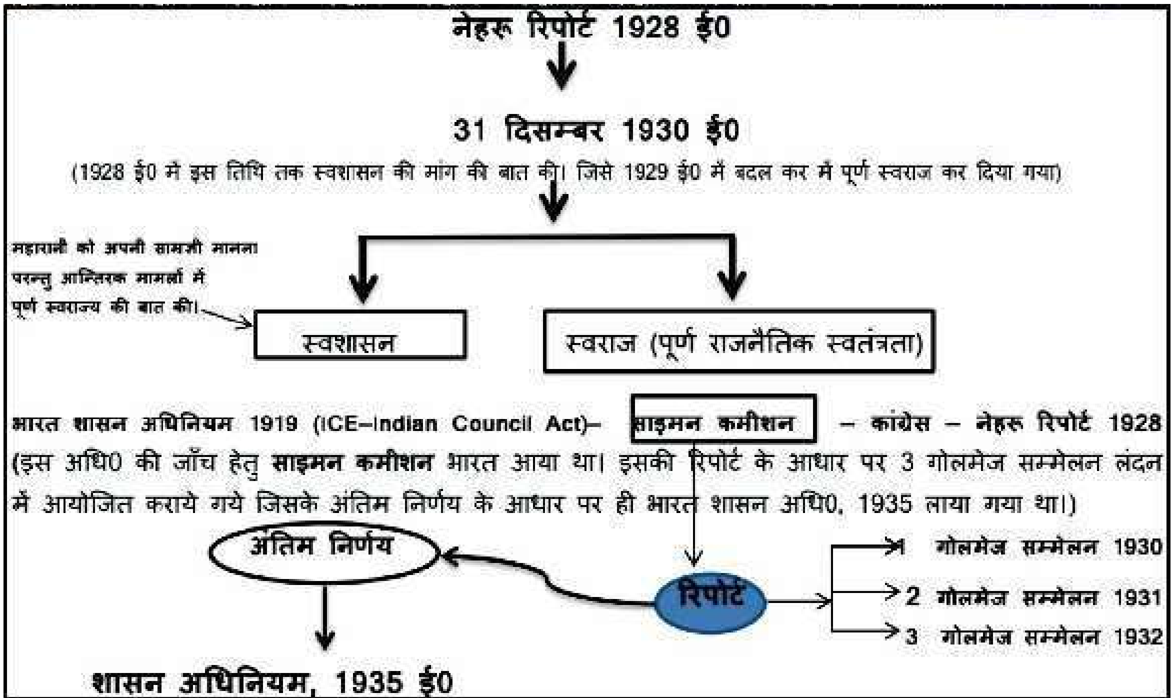

☞ नेहरू रिपोर्ट स्वीकार न किये जाने पर जिन्ना, मुस्लिम लीग के मुहम्मद शफी और आगा खां गुट से जा मिले। जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर, 1929 में अलग से चौदह सूत्री मांगे की।

जिन्ना की चौदह सूत्री मांगे:-

1. संविधान का स्वरूप संघात्मक हो जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ प्रान्तों में निहित हो।
2. सभी प्रांतों को एक समान स्वायतता प्राप्त हो।
3. सभी व्यवस्थापिका सभाओं और निर्वाचित संस्थाओं का गठन अल्पसंख्यकों के पर्याप्त तथा प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व के आधार पर हो।
4. केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम-से-कम एक तिहाई हो।
5. साप्रदायिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हो।
6. किसी भी प्रकार का क्षेत्रीय पुनर्गठन पंजाब, बंगाल और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में मुसलमानों के बहुमत में परिवर्तन न लाए।
7. सभी सम्प्रदायों को विश्वास, पूजा, प्रचार, संघ और शिक्षा की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त हो।
8. किसी भी व्यवस्थापिका सभा या निर्वाचित निकाय में कोई भी ऐसा प्रस्ताव पास हो जिसका विरोध किसी संप्रदाय के 3-4 सदस्य करें।
9. सिन्ध को बम्बई प्रांत से पृथक कर दिया जाये।
10. सीमांत और बलूचिस्तान में अन्य प्रातों की तरह सुधार लाये आएँ।
11. कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए मुसलमानों को सभी सेवाओं में पर्याप्त स्थान दिया जाये।
12. मुस्लिम संस्कृति, शिक्षा, भाषा, धर्म और व्यक्तिगत कानूनों की सुरक्षा और उन्नति के लिए पर्याप्त संरक्षण की व्यवस्था हो।
13. केंद्रीय या प्रांतीय मंत्रिमंडलों में कम से कम एक-तिहाई मुसलमान हो।
14. संविधान में संशोधन लाने के लिए संघ के सभी प्रान्तों की स्वीकृति आवश्यक हो।

☞ जिन्ना की इन 14 सूत्री मांगों को भी अंग्रेजों ने स्वीकार करने से इंकार कर दिया।

भारत शासन अधिनियम, 1935 ई०

☞ भारत शासन अधिनियम 1935 ई० के समय भारत का वायसराय वेलिंग्टन (1931-1936 ई०) था।

☞ इस अधिनियम में कुल 321 अनुच्छेद 10 अनुसूची तथा 14 भाग थे।

☞ यह अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था।

☞ इस एक्ट के द्वारा पहली बार संघात्मक सरकार की स्थापना की शुरुआत की गयी।

☞ इस अधिनियम द्वारा एक अखिल भारतीय संघ (All India Federation) का प्रस्ताव रखा गया।

☞ परन्तु यह फेडरेशन कभी बनाया नहीं जा सका। इसमें 11 ब्रिटिश प्रान्त, 06 चीफ कमिश्नरी प्रान्त तथा रियासतों के शामिल होने का प्रावधान था।

☞ इस एक्ट के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना 01 अक्टूबर 1937 ई० में की गई। इसके पहले प्रमुख जज सर मौरिस ग्वेयर थे।

- भारत सचिव की सदस्यीय परिषद् को 1937 ई० में समाप्त कर दिया गया।
- भारत की आजादी से पहले इस एक्ट को मिनी संविधान कहा जाता है। परन्तु वर्तमान में मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन, 1976 ई० को कहा जाता है।
- वर्तमान भारतीय संविधान का 2/3 भाग (लगभग 250 अनुच्छेद) इसी अधिनियम से ज्यों का त्यों या कुछ फेर-बदल कर लिये गये है। इसे भारत की स्वतंत्रता की नींव भी कहा जाता है।
- इस एक्ट के द्वारा लोक सेवा आयोग (Central Public Service Commission) का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission) कर दिया गया।
- UPSC की तर्ज पर SPSC (State/Province Service Commission) की स्थापना की गयी थीं।
- इस अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की स्थापना की गयी।
- वर्मा (वर्तमान म्यांमार) को 1937 ई० में भारत से पृथक् कर दिया गया।
- संघ सूची (59 विषय), राज्य सूची (54 विषय), समवर्ती सूची (36 विषय) इसी एक्ट की देन थीं।
- प्रान्तों (Provinces) से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
- केन्द्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारम्भ कर दिया गया था।
- भारत में सबसे पहले 1937 ई० में ''विधानसभा'' का चुनाव 11 प्रान्तों में किया गया था।
- जिसमें 7 प्रान्तों में पूर्ण बहुमत तथा 4 प्रान्तों में कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी थीं।
- प्रान्तों (Provinces) को आजादी देकर मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया।
- पं० जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक ऐसी कार बताया था, जिसमे ब्रेक तो है पर इंजन नहीं व दासता का अधिकार पत्र भी कहा था।
- सीमित व्यस्क मताधिकारों में वृद्धि की की गयी, जिनकी संख्या पहले लगभग 2 प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 10 प्रतिशत हो गयी थीं।
- वायसराय को आपातकालीन समय में अध्यादेश जारी करनी की शक्ति प्रदान की गयी थी।

संविधान सभा का इतिहास

- महात्मा गाँधी 9 जनवरी 1915 ई० को दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आये।
- प्रथम विश्व युद्ध (1914-18) के समय भारतीयों द्वारा ब्रिटेन का सहयोग करने के लिए गाँधी जी ने समर्थन किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने युद्ध समाप्ति पर भारत को आजादी का आश्वासन दिया था
- महात्मा गाँधी को ब्रिटेन का समर्थन करने के लिए उन्हें सेना में भर्ती करने वाला सार्जेन्ट कहा गया।
- युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को आजादी नहीं मिलने पर महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ आन्दोलनकारी हो गये। महात्मा गाँधी अपनी जिन्दगी के शुरुआत दौर में एक वकील थे।
- द्वितीय विश्व युद्ध (1 सितम्बर 1939 ई० से 2 सितम्बर 1945 ई० तक) के समय भारत ने ब्रिटेन का सहयोग करने के लिए पूर्ण रूप से मना किया।

I. भारतीयों को मनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम ''अगस्त प्रस्ताव'' भारतीयों के समक्ष रखा था।

अगस्त प्रस्ताव

- यह प्रस्ताव भारतीय के समक्ष 8 अगस्त 1940 ई० वायसराय लिनलिथगो (1936-1944) ने रखा था।

अगस्त प्रस्ताव के उद्देश्य

- ❑ डोमेनियन राज्य के निर्माण को मुख्य उद्देश्य माना था।
- ❑ पहली बार संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को दिया गया था।
- ❑ कांग्रेस के द्वारा 7 राज्यों से इस्तीफा देने के बाद वहाँ राज दोबारा करते रहने का प्रस्ताव रखा। परन्तु किसी भी राज्य की विधानसभा ने इसे स्वीकार नहीं किया था।

- भारतीयों को मनाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने दूसरा कदम क्रिप्स मिशन योजना का प्रस्ताव रखा।
- जिसमें भारतीयों को स्वतंत्रता देने का पूर्ण आश्वासन ब्रिटेन की सरकार ने किया था।
- इन दोनों ही प्रस्तावों को भारतीयों के द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया था।
- 1942 ई० जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी बढ़त पर था, तो ब्रिटेन कि सरकार पर भारतीय को इस युद्ध में शामिल कराने का दबाव बढ़ने लगा था।
- जिसके बाद राज्य की विधानसभाओं ने अपना कार्य दोबारा से स्वीकार कर लिया था।
- द्वितीय विश्व युद्ध में भारी संख्या में भारतीयों के मारे जाने के कारण सभी 7 प्रान्तों की विधान सभाओं से सभी दलों के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था।

मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग / द्वि-राष्ट्रीय सिद्धान्त (23 मार्च 1940 ई०)

- 23 मार्च 1940 को मौहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ।
- जिसमें पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था।
- सबसे पहले मुस्लिमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग मोहम्मद इकबाल ने 1930 ई० की थी।
- ''सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा...'' गीत को अपनी पुस्तक ''तराना-ए-हिन्द'' में मौहम्मद इकबाल (कवि, राजनीतिज्ञ, चिंतक) ने लिखा। जिसे स्वाधीनता के आन्दोलनों में गाया गया था।

- 1933–35 ई०, कैंब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नाम के युवक ने ''पाकिस्तान'' शब्द को गढ़ा 23 मार्च 1943 ई० को मुस्लिम लीग द्वारा पहली बार पाकिस्तान दिवस मनाया गया।
- 1942 ई० में क्रिप्स मिशन का विरोध मुस्लिम लीग ने इसलिए किया, क्योंकि इसके तहत पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के तौर पर नही माना गया था।
- खिलाफत व असहयोग आंदोलन में हिंदू-मुस्लिम एकता का जो दृश्य देखने को मिला वह अब साम्प्रदायिकता में बदल चुका था।

II. क्रिप्स मिशन 1942 ई०

- जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति से उसके प्रतिद्वंद्वी राष्ट्र परेशान हो गए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया (व) चीन आदि देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिये दबाव डालना आरम्भ कर दिया था।
- परिणाम स्वरूप लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नेता क्लीमेंट एटली ने चुनावों से पूर्व ब्रिटेन में घोषणा की कि यदि उनकी पार्टी जीतकर सत्ता में आती है, तो भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया जाएगा।
- क्योंकि अब असहयोग आंदोलन के कारण ब्रिटेन को 85% टैक्ट पिछले तीन वर्षों से प्राप्त नहीं हुआ।
- इसलिए अब अरबों रुपये प्रति वर्ष भारत में ब्रिटेन की सता को चलाने के लिए मंगाने पड़ रहे थे।
- जिस कारण अब ब्रिटेन की जनता खुद भारत को आजाद कराना चाहती थीं। परिणामस्वरूप चर्चिल को चुनाव में जनता ने एक तरफा रूप से वोटिंग करके पराजित कर दिया।
- ''जिसके बाद कहा गया था कि, चर्चिल दुनिया तो जीत गया परन्तु ब्रिटेन हार गया।''
- द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत के बाद भारत की स्वतंत्रता के लिए 11 मार्च 1942 ई० को क्रिप्स मिशन 1942 ई०, भारत भेजने की घोषणा की गयी।
- सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ब्रिटेन की सरकार में कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में 23 मार्च 1942 ई० को एकल प्रतिनिधि, भारत पहुँचा।
- क्रिप्स मिशन की घोषणा में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिये जाने की बात की गई।
- जिसने भारत में आकर स्वशासन की बात भारतीयों के समक्ष रखी और कहा कि हम एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण करेंगे जिसे पूर्ण उपनिवेश कहा जाएगा।
- इसमें सिर्फ भारतीयों को स्वतंत्रता देने का आश्वासन था। जिसको भारतीयों के द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया था।
- महात्मा गांधी ने कहा यह एक ''उत्तर दिनांकित चौक (आगे की तरीख का चौक) है'' तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा ''यह एक ऐसे बैंक का बैंक है, जो जब टूटने वाला है।''
- मौलाना अब्दुल कलाम और पं० नेहरू ने इस मिशन की समीक्षा की।
- क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया।
- मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र की मांग करते हुए अपनी-2 संविधान सभाओं की मांग की।

नोट:- भारत छोड़ो आंदोलन (8 अगस्त 1942 ई०) के परिणाम स्वरूप भारत में कैबिनेट मिशन भेजा गया।

कैबिनेट मिशन योजना, 1946 ई०

- फरवरी 1946 ई० में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की जीत के बाद नवनिर्वाचित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अपने वादे के अनुसार, भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत कर संसदीय दल कैबिनेट मिशन को भारत भेजा।
- कैबिनेट मिशन के सदस्य निम्नलिखित थे।
  1. पैथिंक लॉरेंस, अध्यक्ष
  2. सर स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स
  3. ए०पी० एलेक्जेण्डर
- 24 मार्च 1946 ई० को कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत में आकर सबसे पहले इस दल ने भारतीयों के साथ एक सर्वदलीय बैठक की।

कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य कार्य

1. अन्तरिम सरकार का गठन करना।

- ❑ ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण होना चाहिए। जिसके लिए एक अन्तरिम सरकार का गठन किया जाये जिसे सभी मामलों में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। (जैसे रक्षा संचार, सैन्य आदि)
- ❑ संघ की कार्यपालिका एवं विधान मंडल में ब्रिटिश, भारतीय सिया रियासतों के प्रतिनिधि होंगे।

अन्तरिम सरकार

- ❑ 2 सितम्बर 1946 ई० को अंतरिम सरकार का गठन किया गया।
- ❑ अंतरिम सरकार का अध्यक्ष- माउण्ट बेटन
- ❑ अंतरिम सरकार का उपाध्यक्ष- पं० जवाहर लाल नेहरू
- ❑ शुरुआत में सदस्यों की संख्या कुल 13 थीं, परन्तु 26 अक्टूबर 1946 ई० को मुस्लिम लीग के शामिल होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 सदस्यों को इस्तीफा दिला दिया गया।
- ❑ 5 सदस्य मुस्लिम लीग के मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या अब 15 कर दी गयी थीं।
- ❑ डॉ० अम्बेडकर ने कहा था, कि ष्यह एक देश की सरकार है जिसे दो देश मिलकर चला रहे हैं।''

2. संविधान सभा का निर्माण कराना।

- ❑ मुस्लिम लीग ने पृथक् राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। जिसे कैबिनेट मिशन ने अस्वीकृत कर दिया।
- ❑ 29 जून 1946 ई० को मुस्लिम लीग ने पूर्णतया आच्छादित होकर पाकिस्तान की माँग को बल दिया तथा कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया।

- जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ई० को सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की। जिस कारण हिन्दू-मुस्लिम दंगे पूरे भारत में व्यापक रूप से भड़क गये थे।
- हिंदू बाहुल्य क्षेत्र बिहार में मुसलमानों पर तथा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र (नोआखली और टिप्पड़ाड) में हिंदूओं पर अत्याचार / नरसंहार किये गये।
- महात्मा गाँधी अकेले ही शान्ति व्यवस्था की बहाली हेतु नोआखली गये, जिसे देख माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था।

संविधान सभा

- संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार स्वराज पार्टी ने 1924 ई० में रखा था।
- इसके बाद यह मांग पहली बार एम. एन. रॉय (मानवेन्द्र रॉय) ने 1934 ई० में रखी थीं।
- एम. एन. रॉय (मानवेन्द्र रॉय) ने सीपीआई पार्टी की स्थापना में अहम योगदान दिया था।
- भारत में साम्यवाद का जनक एम. एन. रॉय को कहा जाता है।
- संविधान सभा का गठन 9 दिसम्बर 1946 ई० को किया गया था।
- कैबिनेट मिशन योजना के तहत जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन की व्यवस्था की गई।
- 10 लाख लोगों पर एक सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाएगा।
- इसी के तहत छोटी-छोटी रियासतों को मिलाकर 10 लाख लोगों पर एक सदस्य मनोनित किया गया।
- संविधान सभा के गठन हेतु वयस्क मताधिकार को अस्वीकृत कर दिया गया था।
- उस समय भारत की कुल आबादी लगभग 39 करोड़ थी। इसलिए संविधान सभा के लिए 389 सीट निर्धारित की गयी।

संविधान सभा की सीटों का आवंटन एक नजर

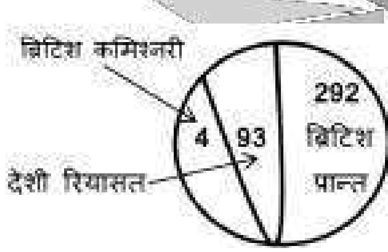

क्रम	स्थान का नाम	सीटों की संख्या	निर्वाचन का तरीका
1.	ब्रिटिश प्रान्त (11)	292	प्रत्यक्ष रूप से।
2.	ब्रिटिश कमिश्नरी	04	अप्रत्यक्ष रूप से।
3.	देशी रियासतें (532)	93	मनोनयन के द्वारा।

- 296 ब्रिटिश भारत प्रान्त 93देशी रियासतें और 04 ब्रिटिश कमिश्नरी (दिल्ली, बलूचिस्तान, अजमेर तथा कर्नाटक) के लिए आवंटित की गयी। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव किया गया।
- कुल सीटों 389 में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73 व निंदलीय 15 सीट पर चुनाव लड़कर निर्वाचित हुये।
- देशी रियासत हैदराबाद को आवंटित सीटें खाली रही, क्योंकि उन्होंने अपने आपको इससे अलग रखा।

एटली की घोषणा (20 फरवरी 1947 ई०)

- ब्रिटेन में लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 ई० को House of Common's में घोषणा की जून 1948 60 से पहले हम भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे।
- क्लीमेंट एटली ने वेवेल के स्थान पर माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त कर भारत भेजा था।

माउंट बेटन योजना (3 जून 1947 ई०)

- 22 मार्च, 1947 को माउंट बेटन तमाम अभूतपूर्व शक्तियाँ लेकर हिंदुस्तान आये वेवेल तब देश में ही था। यह पहला अवसर था, जब निवर्तमान और वर्तमान वायसराय एक ही समय पर भारत में थे।
- ये प्रोटोकॉल माउंट बेटन ने ही तुड़वाया था।
- भारत के अंतिम अंग्रेज वायसराय के रूप में माउंट बेटन (22 मार्च 1947 ई० से 21 जून 1948 ई० तक) रहे थे। माउंट बेटन के बचपन का नाम Dickey Bird
- उनका एकमात्र उद्देश्य था कि जल्द से जल्द भारतीयों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की जाये।
- 02 माह की बातचीत के बाद निष्कर्ष निकला कि भारत का विभाजन ही एकमात्र विकल्प है।
- 20 फरवरी 1947 ई० को एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की।
- 3 जून 1947 ई० को माउंटबेटन योजना के अनुसार पाकिस्तान (14 अगस्त 1947 ई०) को तथा भारत (15 अगस्त 1947 ई० रात 12 बजे) नामक दो स्वतंत्र डोमेनियन राज्यों में बाँट दिया गया।
- 15 अगस्त के दिन भारत को आजाद इसलिए किया, क्योंकि इसी दिन माउंट बेटन ने जापान की सेना का सरेंडर 15 अगस्त 1945 को कराया था। अपनी जिन्दगी का सबसे यादगार दिन बनाने के लिए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का यह दिन चुना।
- कांग्रेस की ओर से विवशता की स्थिति में पं० जवाहर लाल नेहरू एवं सरदार पटेल जी ने विभाजन को स्वीकार कर लिया और गाँधी जी अंत तक विभाजन का विरोध करते रहे।

संविधान सभा पर बंटबारे का प्रभाव

- 3 जून 1947 ई० को 'माउंट बेटन योजना' के द्वारा भारत के बंटबारे के बाद संविधान सभा में 324 सीटें शेष रह गयी थी।
- जिसमे 235 ब्रिटिश भारत प्रान्तों के लिए तथा 89 देशी रियासतों के लिए नियोजित की गई।
- संविधान सभा का पुर्नगठन 31 अक्टूबर 1947 ई० को किया गया, तथा सीटों की संख्या 299 थीं।
- जिसमें से 229 ब्रिटिश भारत प्रान्तों के लिए तथा 70 देशी रियासतों के लिए नियोजित की गई।
- देशी रियासतों को आवंटित सीटें खाली रही, क्योंकि उन्होंने अपने आपको संविधान सभा से अलग रखा

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ई०

- ब्रिटिश संसद में क्लीमेंट एटली द्वारा 04 जुलाई 1947 ई० को भारतीय स्वतंत्रता अधि० लाया गया।
- House of Common's में 15 जुलाई 1947 ई० को भारतीय स्वतंत्रता अधि पारित किया गया था।
- House of Lord's में 16 जुलाई 1947 ई० को भारतीय स्वतंत्रता अधि पारित किया गया था।
- Crown से अनुमति 18 जुलाई 1947 ई० को प्रदान की गयी।
- इस अधिनियम के द्वारा 3 जून की माउंटबेटन योजना को स्वीकृति प्रदान की गयी थी।
- इस अधिनियम के द्वारा भारत को यह शक्ति प्रदान की गयी कि वह चाहे तो किसी भी अधिनियम को अपने अनुसार घटा, बढ़ा या बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। चाहे वह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ई० ही क्यों न हो।
- जब तक दोनों देशों के संविधान का निर्माण होगा तब तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम, 1935 ई० तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 ई० द्वारा किया जाएगा।
- जब तक दोनों देशों के संविधान का निर्माण होगा तब तक दोनों राज्यों का गवर्नर जनरल / वायसराय एक नाम मात्र का प्रमुख (Rubber Stamp) होंगे, जिनकी नियुक्ति इंग्लैण्ड क्राउन द्वारा की जाएगी।
- किसी भी देशी रियासतों को स्वतंत्र रहने का विकल्प नहीं दिया जाएगा, ये जहाँ चाहे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं, और इस तरह 15 अगस्त 1947 ई० को भारतीय इतिहास के एक कालखंड का अंत हुआ।
- माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनाया गया था।
- पं जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया था।
- 14 अगस्त 1947 ई० को मौहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया।

संविधान सभा की महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

❖ **9 दिसम्बर, 1946 ई०**

- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 ई० को नई दिल्ली के कॉन्स्टिटयूशन हॉल में आयोजित हुई। जिसे अब संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है।
- इस हॉल का वर्तमान में संयुक्त बैठक के लिये प्रयोग किया जाता है।
- फ्रेंच (फ्रांस) फैक्टर के आधार पर बैठक में उपस्थित सबसे उम्रदराज सदस्य डॉ० सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। लीग ने इसका बहिष्कार किया।

❖ **11 दिसम्बर, 1946 ई०**

- डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा की दूसरी बैठक में स्थाई अध्यक्ष घोषित किया गया।
- उपाध्यक्ष डॉ० एच. सी. मुखर्जी (हिरिकेश मुखर्जी), टी. टी. कृष्णामचारी
- वी०एन० राव (बेनेगल राव) को संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।

❖ **13 दिसम्बर, 1946 ई०**

- पं० जवाहर लाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया।
- जिसे भारतीय संविधान का दर्शन भी कहा जाता है।

❖ **22 जनवरी, 1947 ई०**

- संविधान सभा के द्वारा बनाये गये, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।
- उद्देश्य प्रस्ताव को कुछ संशोधन के साथ संविधान की प्रस्तावना के रूप में जोड़ा गया है।

❖ **15 अगस्त, 1947 ई०**

- ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ई० को भारत स्वतंत्रता अधिनियम का प्रस्ताव पेश किया गया।
- 18 जुलाई 1947 ई० को प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस अधिनियम में कुल 20 धारायें थी।
- 2 अधिराज्यों का गठन किया गया। भारत को 15 अगस्त 1947 ई० को स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

❖ **29 अगस्त, 1947 ई०**

- VN राव के बनाये प्रारूप पर विचार हेतु 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का प्रस्ताव रखा गया
- प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉ० भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया।
- इस समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही इन्हें भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है।
- जो आजादी से पहले ईस्ट बंगाल (वर्तमान में पाकिस्तान) से चुने गये थे, परन्तु बंटवारे के बाद बम्बई प्रेसीडेन्सी की पूना सीट से निर्वाचित हुए। वहाँ के सदस्य M.R. जयकर से तुरन्त इस्तीफा दिलाया गया था।

❖ प्रारूप समिति में कुल सात सदस्य थे।

1. डॉ० भीमराव अम्बेडकर (अध्यक्ष)
2. एन० गोपाल स्वामी आयंगर
3. अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंगर
4. डॉ० कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी
5. सैय्यद मौहम्मद सादुल्ला
6. एन० माधव राव (बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद उनके स्थान पर)
7. टी० टी० कृष्णामचारी (डीपी खेतान की 1948 ई० में मृत्यु के बाद)

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

❖ **21 फरवरी, 1948 ई०**

- प्रारूप के ऊपर 114 दिन में 141 बैठक करके बहस होने के बाद अध्यक्ष डॉ० भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रारूप समिति की रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 ई० को संविधान सभा के समक्ष पेश की गई।
- इस रिपोर्ट पर बहस की गयी जिसमें संविधान के प्रमुख तीन वाचन हुए।
- **संविधान सभा के वाचन** –
  1. प्रथम वाचन (4 से 9) नवम्बर 1948 ई०
  2. द्वितीय वाचन 15 नवम्बर 1948 ई० से 17 अक्टूबर 1949 ई०
  3. तृतीय वाचन (14 से 26) नवम्बर 1949 ई० 26 नवम्बर, 1949 ई०
- इस दिन कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने उपस्थित रहकर संविधान पर हस्ताक्षर किये।
- 26 नवम्बर 1949 ई० को भारतीय संविधान अगींकृत / प्रवर्तित / स्वीकृत किया गया।
- उस समय भारतीय संविधान में प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद 22 भाग, और 8 अनुसूचियाँ थीं।
- यह सभी अनु– 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 इसी दिन लागू हो गये।
- नागरिकता के सभी प्रावधानों को 26 नवम्बर 1949 ई० को ही लागू कर दिया गया था।

❖ **24 जनवरी, 1950 ई०**

- भारतीय संविधान सभा की अंतिम (12 वीं) बैठक 24 जनवरी 1950 ई० को सम्पन्न हुई।
- संविधान सभा की अंतरिम सरकार (अस्थाई) बनायी गयी।
- सभा ने 1952 तक सम्पन्न हुए चुनावों तक भारतीय संसद के रूप में परिवर्तित होकर कार्य किया।
- कानून बनाने का अधिकार अब संविधान सभा के पास था।
- राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को दिनांक 24 जनवरी, 1950 ई० के ही दिन स्वीकार कर लिया गया था।

❖ **26 जनवरी, 1950 ई०**

- 26 जनवरी 1930 ई० को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन (दिसम्बर 1929 ई०) में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था। इस तारीख को सम्मानित करने के लिये "गणतन्त्र दिवस" के रूप में 26 जनवरी के दिन हर वर्ष मनाया जाता है।
- भारतीय संविधान को इसी वजह से 26 जनवरी 1950 ई० को लागू / अधिनियमित किया था।
- डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया था।

संविधान सभा के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य–

- भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ई० को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
- संविधान निर्माण में लगा कुल समय 2 साल 11 माह 18 दिन
- संविधान के निर्माण में आयी कुल लागत– 63 लाख 96 हजार 729 रुपये
- संविधान सभा में निर्वाचित महिला सदस्य की संख्या तथा संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिला सदस्य की संख्या क्रमशः कितनी थीं?– 15 निर्वाचित, 8 के द्वारा हस्ताक्षर
- संविधान सभा में निर्वाचित SC/ST सदस्यों की संख्या 33
- महात्मा गाँधी व मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- संविधान के निर्माण हेतु कुल 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया।
- जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉ० राजेन्द्र प्रसाद करते, परन्तु जब भी सभा की बैठक बतौर विधायिका होती तो, अध्यक्षता जी०वी० मावलंकर करते थे। (26 नवम्बर 1949 ई० तक)
- संविधान सभा के द्वारा कुल कितनी समितियों का निर्माण किया गया था– 13 समिति

संविधान सभा कि प्रमुख समितियाँ निम्नलिखित है।

क्रम	समिति का नाम	अध्यक्ष
1.	संघ शक्ति समिति	पं० जवाहर लाल नेहरू
2.	प्रातीय संविधान समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
3.	प्रारूप समिति	डॉ० भीम राव अम्बेडकर
4.	मौलिक अधिकार परामर्शदात्री समिति	सरदार वल्लभ भाई पटेल
5.	संचालन समिति	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद
6.	झण्डा समिति	जे० बी० कृपलानी
7.	राष्ट्र ध्वज सम्बन्धी तदर्थ समिति	डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

भारतीय संविधान के विदेशी स्त्रोत

क्रम	देश का नाम	विदेशी स्रोत
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	प्रस्तावना मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति पर महाभियोग, SC, HC के जजों पर महाभियोग, वित्तीय आपातकाल, संविधान की सर्वोच्चता।
2.	ब्रिटेन	संसदात्मक कार्य प्रणाली (भारत में द्वि-सदनात्मक प्रणाली है), राष्ट्रपति की शक्तियों, एकल नागरिकता, कानून के शासन की अवधारणा
3.	आयरलैंड	राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त, राष्ट्रपति निर्वाचन मण्डल (प्रणाली), 12 सदस्यों का राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन
4.	दक्षिण अफ्रीका	संविधान संशोधन प्रक्रिया।
5.	रुस	मौलिक कर्तव्य ।
6.	जर्मनी	आपात काल।
7.	आस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा।
8.	कनाडा	संघीय व्यवस्था (भारत में अधिसंघीय प्रणाली है।)।
9.	फ्रांस	गणराज्य या गणतन्त्र व्यवस्था।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

भारतीय संविधान की विशेषताएँ

1. भारतीय संविधान सबसे विशाल लिखित संविधान है।
   - ❑ विभिन्न जाति, धर्म, पंथ, समुदाय से सम्बन्धित कुछ न कुछ सभी के लिए भारतीय संविधान में होने के कारण यह बहुत विशाल है।
   - ❑ वर्तमान में लगभग 444 अनु०, कुल 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में शामिल हैं।
2. संविधान की सर्वोच्चता का होना।
   - ❑ संसद (लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति) हमेशा भारतीय संविधान के अनुसार ही कार्य करती है।
3. हमारा संविधान कठोरतम एवं नम्यता का मिश्रण है।
   - ❑ किन्ही मामलों में भारतीय संविधान बहुत ही लचीला है।
   - ❑ जैसे राज्य के नाम, सीमा, आदि मामलों में बदलाव करना भारतीय संसद के लिए बहुत आसान काम है ।
   - ❑ परन्तु कुछ मामलों में बहुत ही कठोर माना जाता है। (जैसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री की शक्तियों को कम करके राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा पाना भारतीय संसद के लिए बहुत ही मुश्किल काम है।)
4. यह संघात्मक संविधान है, परन्तु एकात्मक भी है।
   - ❑ संघ की ओर झुका हुआ राज्य से ज्यादा संघ को शक्ति ।
   - ❑ जिस कारण भारत एक विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। मतलब केन्द्र सरकार जब चाहे जो चाहे राज्य में बदलाव कर सकती है (नाम, सीमा, आदि मामलों में)
5. भारत में संसदीय व्यवस्था है।
6. स्वतंत्र न्यायपालिका है। (कोई वित्तीय संकट न्यायपालिका के लिए नहीं होगा क्योंकि इनके वेतन, भत्ते तथा अन्य खर्चे सीधे भारत की संचित निधि पर भारित होते है।
7. संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय का होना एक प्रमुख विशेषता है।
   - ❑ क्योंकि किसी मामले में केन्द्र सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर भारी साबित होती है।
   - ❑ जैसे 1, 24, 25 आदि भारतीय संविधान संशोधन।
   - ❑ किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय केन्द्र सरकार पर भारी साबित होता है।
   - ❑ NJAC के विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
8. भारतीयों के लिए एकल नागरिकता का होना। के आवश्यकता नहीं पड़ती है।
   - ❑ किसी भी भारतीय को अलग से राज्यों की नागरिकता लेने कि आवश्यकता नहीं पड़ती है।
   - ❑ जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता के कारण वहां आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि वहां 51 संविधान एक साथ कार्य करते है। (50 राज्यों के +1 पूरे देश का)
9. भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है।

1. अधित्याग का सिद्धान्तः- इसका अर्थ कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से अपने मूल अधिकारों का त्याग राज्य के हित में कर सकता है। भारत में यह लागू नहीं है, परन्तु अमेरिका में यह लागू है।
   - ❑ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यह प्रक्रिया भारत के संविधान में इंग्लैण्ड से लिया गया है।
     - ● इसके तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून ही सही होगा। कोई भी न्यायालय समीक्षा का अधिकार नहीं रखता है। इस तरह कानून में संसद ही सर्वोपरि है। जैसे- बजट
   - ❑ यथोचित विधि प्रक्रिया यह प्रक्रिया भारत के संविधान में अमेरिका से लिया गया है।
     - ● इसके तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून को ही सही नहीं माना जायेगा। इसकी किसी भी न्यायालय के द्वारा समीक्षा की जा सकेगी। जैसे- कोई साधारण विधेयक।
   - ❑ भारत के संविधान में इन दोनो ही प्रक्रियाओं का समन्वय देखा जा सकता है।

संविधान की रूपरेखा

1. प्रस्तावना (उद्देश्यिका)
   - ❑ उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में 13 दिसम्बर 1946 को पं० जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया।
   - ❑ इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 ई० को संविधान सभा में स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव का ही परिवर्तित रूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। जिसे संविधान की कुंजी कहा जाता है।
   - ❑ भारतीय संविधान की प्रस्तावना (उद्देशियका) निम्नलिखित है।

"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए, तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली, बन्धुत्व बढ़ाने के लिए, दृढ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।"

भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व

1. हम भारत के लोग भारत की जनता संविधान की शक्ति का श्रोत है।
2. राष्ट्र की प्रकृति एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।

3. उद्देश्य- समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समता प्राप्त कराने के लिए।

4. समय- दिनांक 26 नवम्बर 1949 ईस्वी अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था।

❑ संविधान के अंर्तगत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते है?- प्रस्तावना में

❑ प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, आजादी तथा समता प्रदान की गयी है?

- न्याय- (03) सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक
- आजादी- (05) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और धर्म
- समता- (02) प्रतिष्ठा और अवसर

❑ अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंगर ने कहा था कि प्रस्तावना भविष्य के सपना का विचार है।

❑ के०एम० मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को भारत की जन्म कुण्डली कहा था।

❑ प्रस्तावना के अनुसार भारत, एक प्रभुसता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है।

1. समाजवादी-

☞ समाज के सभी संसाधनों का समाज के मध्य विवेकपूर्ण तरीके से वितरण करना।

☞ भारत में नेहरूवादी मिश्रित समाजवादी मॉडल को अपनाया गया है।

2. पंथनिरपेक्ष -

☞ भारत सरकार किसी भी धर्म पंथ का ना ही समर्थन करेगी और ना ही उसका विरोध करेगी।

3. लोकतांत्रिक गणराज्य-

☞ शासनाध्यक्ष को हमेशा जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाएगा। यह लोकतांत्रिक का अर्थ है।

☞ राष्ट्राध्यक्ष को हमेशा जनता द्वारा ही निर्वाचित किया जाएगा। यह गणराज्य का अर्थ है।

☞ गणराज्य होने का सबसे बड़ा लाभ यह है, कि कोई व्यक्ति अभिमान नहीं करेगा कि वह एक विशिष्ट व्यक्ति है अथवा उसका कोई पूर्वज भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अथवा अन्य कोई पदाधिकारी रहा था, तो अब वह उसके बाद उस पद का उत्तराधिकारी होगा।

☞ ''राजा का बेटा राजा नहीं बनाया जाएगा'' केवल वही पदाधिकारी होगा जिसे जनता चुनेगी।

4. संप्रभुता (Sovereignty)-

☞ वह राज्य जो अपने आन्तरिक तथा बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए सम्पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो, संप्रभुत्व राज्य कहलाता है।

5. प्रभुसत्ता से क्या अभिप्राय है-? जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व

6. बंधुत्व- सभी व्यक्ति आपस में मिल-झुल कर रहेंगे। (हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई की आपसी एकता)

☞ संविधान की प्रस्तावना से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण वाद कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं ?

I. री-वेरुबारी यूनियन वाद 1960

☞ इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना।

II. केशवान्द भारती वाद बनाम केरल राज्य 1973,

☞ इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना।

☞ इस वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय की (12+1) न्यायधीशों वाली सबसे बड़ी खण्डपीठ ने 24 अप्रैल 1973 ई० को 7:6 के अनुपात में फैसला सुनाते हुए कहा कि, संसद, भारतीय संविधान के किसी भी भाग में (प्रस्तावना सहित) संशोधन कर सकती है।

☞ इसी निर्णय में टिप्पणी की कि प्रस्तावना के मूल ढाँचे को नुकसान पहुँचाये बगैर संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है।

☞ उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्व मित्रा सीकरी थे।

☞ 42वाँ संविधान संशोधन 1976 ई० के तहत (तीन शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े- समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य)

☞ फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संसद कभी भी संविधान सभा के बराबर नहीं हो सकती है।

III. SR बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया

☞ इस वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना।

☞ मार्च 1994 ई० को इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसले में कहा था कि ''भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है न कि धर्मतान्त्रिक देश है।''

IV. LIC vs Capital of India, 1995

☞ इसमें SC ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना। इसके अनुसार प्रस्तावना के बारे मैं कहा गया कि, यह विधायिका के हाथ की शक्ति नहीं है, और न ही इसे Bounded किया जाएगा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, परन्तु यह न्याय योग्य नहीं होगा।

☞ प्रस्तावना में लिखी हुई किसी भी बात के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी न्यायालय में किसी भी सरकार के ऊपर मुकदमा दायर नहीं कर सकता है।

☞ प्रारंभ में, भारतीय संविधान के 22 भाग थे। बाद में संशोधन के साथ भाग IVA, IXA, IXB और XIV A को इसमें जोड़ा गया। 7वें CAA 1956 ई० में VII भाग को समाप्त कर दिया गया है।

☞ वर्तमान में उप-भागों को मिलाकर कुल भागों की संख्या 25 है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

भारतीय संविधान के भाग

क्रम	भाग	विषय का नाम	अनुच्छेद
1.	भाग I	संघ और उसका क्षेत्र	1 से 4
2.	भाग II	नागरिकता	5 से 11
3.	भाग III	मौलिक अधिकार	12 से 35
4.	भाग IV	राज्य के नीति निर्देशक तत्व	36 से 51
5.	भाग IVA	मौलिक कर्तव्य	51A
6.	भाग V	**संघ** अध्याय I - कार्यकारी शक्ति (अनुच्छेद **52-78**) अध्याय II - संसद (अनुच्छेद **79-122**) अध्याय III - राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ (अनुच्छेद **123**) अध्याय IV - केंद्रीय न्यायपालिका (अनुच्छेद **124-147**) अध्याय V - भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (अनुच्छेद **148 से 151**)	52 से 151
7.	भाग VI	**राज्य** अध्याय I - सामान्य नियम (अनुच्छेद **152**) अध्याय II - कार्यकारी शक्ति (अनुच्छेद **153-167**) अध्याय III - The State Legislature (राज्य विधायिका, अनुच्छेद **152- 237**) अध्याय IV - राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ (अनुच्छेद **213**) अध्याय V - उच्च न्यायालय (अनुच्छेद **214 से 232**) अध्याय VI - अधीनस्थ न्यायाल (अनुच्छेद **233 से 237**)	152 to 237
8.	भाग VII	पहली अनुसूची के B भाग में राज्यों के नियम, जिसे **7वें संविधान संशोधन 1956 ई0** द्वारा निरस्त कर दिया गया है।	
9.	भाग VIII	केंद्र शासित प्रदेश	239 से 242
10.	भाग IX	पंचायत	243 से 243O
11.	भाग IXA	नगरपालिकाएँ	243P से 243ZG
12.	भाग IXB	सहकारी समितियाँ	243H से 243ZT
13.	भाग X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	244 से 244A
14.	भाग XI	**संघ और राज्यों के बीच संबंध** अध्याय I - विधायी संबंध (अनुच्छेद **245 से 255**) अध्याय II - प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद **256 से 263**)	245 से 263
15.	भाग XII	**वित, संपत्ति, अनुबंध और वाद** अध्याय I - वित्त (अनुच्छेद **264 से 291**) अध्याय II - ऋण (अनुच्छेद **292 से 293**) अध्याय III - संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देयताएं, दायित्व और सूट (अनुच्छेद **294 से 300**) अध्याय IV - संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद **300-A**)	264 से 300A
16.	भाग XIII	भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतरराज्यीय सम्बन्ध	301 से 307
17.	भाग XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	308 से 323
18.	भाग XIVA	न्यायाधिकरण	323A से 323B
19.	भाग XV	चुनाव	324 से 329A
20.	भाग XVI	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान	330 से 342
21.	भाग XVII	**आधिकारिक भाषा** अध्याय I - संघ की भाषा (अनुच्छेद **343 से 344**) अध्याय II - क्षेत्रीय भाषाएँ (अनुच्छेद **345 से 347**) अध्याय III- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, आदि की भाषा (अनुच्छेद **348 से 349**) अध्याय IV- विशेष निर्देश (अनुच्छेद **350 से 351**)	343 से 351
22.	भाग XVIII	आपातकाल के प्रावधान	352 से 360
23.	भाग XIX	विविध	361 से 367
24.	भाग XX	संविधान संशोधन	368
25.	भाग XXI	अस्थायी, ट्रांजीशनल और स्पेशल प्रावधान	369 से 392
26.	भाग XXII	लघु उपाधि, कोम्मेंसमेंट, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन	393 से 395

अनुसूचीं

- **प्रथम अनुसूची**- भारत राज्यों का एक संघ (28 राज्य, 9 केन्द्रशासित प्रदेश)
- **द्वित्तीय अनुसूची** - विभिन्न पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन भत्ते व पेंशन आदि, जिसे संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है।
- **तृतीय अनुसूची**- पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप।
- **चौथी अनुसूची**- राज्य सभा में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व (राज्यसभा में सीटों का बंटवारा)
- **पाँचवीं अनुसूची**- अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान।
- **छठवीं अनुसूची**- असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के बारे में।
- **सातवीं अनुसूची**- संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का बटवारा (संघ, समवर्ती, राज्य सूची)
  - i. **संघसूची**- पहले 97 विषय थे। अब 100 है। (पहले मूल संविधान, अब वर्तमान स्थिति)
  - ii. **राज्यसूची**- पहले 66 विषय थे। अब 61 है।
  - iii. **समवर्ती सूची**- पहले 47 विषय थे। अब 52 है।

  नोट:- अनु०-249 के तहत कुछ विषयों पर संघ सरकार भी राज्यों के लिए कानून बना सकती है।
- **आठवीं अनुसूची**- भाषा (मूल संविधान में 14 भाषा थीं, जबकि वर्तमान में कुल 22 भाषा है)
  - ❑ 21वां CAA 1967- सिंधी (15 वीं)
  - ❑ 71वां CAA 1992- कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली (क्रमशः 16, 17, 18)वीं
  - ❑ 92वां CAA 2003- मैथिली (बिहार), संथाली (झारखण्ड), बोडो (असम), डोगरी (J & K) (क्रमशः)
  - ❑ भारतीय संविधान में इन सभी भाषाओं को "Alphabetic Order" में लिखा गया है।
- **नौवीं अनुसूची- न्यायिक प्रतिरक्षा**
  - ❑ पहले भारतीय संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। भूमि सुधार सम्बन्धित सभी कानून इसी में रखे जाते है। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।
  - ❑ **नोट**:- सम्बन्धित वाद केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य, 1973 ई वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 ई० को आदेश किया कि वर्ष 1973 ई० के बाद जो भी वाद इसमें डाले जायेंगे उनकी समीक्षा की जा सकेगी।
  - ❑ परन्तु, इसका फैसला भविष्यलक्षी सिद्धान्त के तहत किया गया। जिसका अर्थ है, जो बाद वर्ष 1973 ई० के पहले के होंगे उनकी समीक्षा आज भी नहीं की जा सकती है।
- दसवीं अनुसूचीं
  - ❑ दलबदल निषेध कानून, 52वाँ संविधान संशोधन 1985
  - ❑ 2000 ई० में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मन ने 5 करोड़ रुपये लिये और कांग्रेस की सरकार में मंत्री पद लेकर दल-बदल लिया था।
  - ❑ लोकतंत्र की निर्मम हत्या (माना किसी दल के उम्मीदवार को 80% मत मिले और चुनाव जीत गया हो, परन्तु जीता हुआ उम्मीदवार पुनः उसी दल में चला जाता है, जिसका प्रत्याशी चुनाव हारा था।
  - ❑ इन सभी कुप्रभावों को रोकने हेतु दल-बदल निषेध कानून लाया गया।
  - ❑ **अपवाद**:- अगर दल के 2/3 सदस्य जीतने के बाद दल बदलना चाहे तो वह दल बदल सकते हैं।
- **ग्यारहवीं अनुसूची**- 73वाँ CAA 1993 पंचायती राज व्यवस्था-(जिला, ग्राम, व क्षेत्रीय पंचायते) इस अनुसूची में कुल 29 विषय दिये गये है, जिस पर पंचायत काम करती है।
- **बारहवीं अनुसूची**- 74वाँ CAA 1993 शहरों में स्थानीय शासन व्यवस्था का उल्लेख है। (नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत) इस अनुसूची में कुल 18 विषय दिये गये है।

भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र
(भाग- 1, अनुच्छेद 1 से 4)

- अनु०- 1 इण्डिया अर्थात् भारत राज्यों का संघ होगा।
  - ❑ इस अनुच्छेद के अनुसार हमारे देश का नाम भारत अर्थात् इंडिया (सभी ब्रिटिश दस्तावेजों में इंडिया लिखा होने के कारण) होगा।
  - ❑ राज्य- 28, केन्द्रशासित प्रदेश 8 विजित क्षेत्र (लक्ष्यद्वीप, पॉण्डिचेरी) भारत में शामिल होगें।
  - ❑ इस अनुच्छेद में दूसरी बात हमारे देश की प्रकृति के बारे में की गयी है।
  - ❑ भारत ने Union (संघ) प्रकृति का लिया है, क्योंकि इसके तहत Merger (विवाह) की बात होती है।
  - ❑ जिसमें कोई भी राज्य कभी भी संघ से अलग होने की आजादी नहीं रखता है। जैसे हिन्दू रीति-रिवाज के साथ विवाह में एक-दूसरे से अलग होना आसान नहीं होता है।
  - ❑ जबकि अमेरिका में Fedration (संघ) प्रकृति का प्रयोग किया है। जिसमें एक Contract (निकाह) की बात की गयी है। जिसमे राज्य, संघ से अलग होने की आजादी रखते है।
- अनु०- 2 नये राज्यों का प्रवेश का अधिकार केवल संसद को होगा।
  - ❑ जैसे 35वाँ CAA 1975 के द्वारा भारतीय संविधान में अनु० 2 (क) जोड़कर सिक्किम को भारत में मिलाकर शुरुआत Associated State (संरक्षित राज्य) का दर्जा दिया था।
  - ❑ परन्तु 36वाँ CAA 1975 के द्वारा 26 अप्रैल 1975 को अनुच्छेद 2 (क) को समाप्त कर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था।

- ☞ अनु०- 3 नये राज्यों का निर्माण, नाम सीमा तथा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार केवल संसद को होगा। केवल वर्तमान समय में संघ में मौजूद राज्यों के लिये ही है। (राज्यों का पुर्नसीमन)
- ☞ नये राज्य निर्माण की प्रक्रिया–
  - ❑ सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद पूरा बिल सम्बन्धित राज्य को भेजा जाता है।
  - ❑ जिसमें बताया जाता है कि, भारतीय संसद आपके राज्य में यह बदलाव करने जा रही है। अपनी राय से संसद को अवगत करायें।
  - ❑ राज्य की दी राय को मानने के लिए भारतीय संसद बाध्य नहीं होती है। (केवल खानापूर्ति)
  - ❑ राज्य की राय मिलने के बाद बिल संसद में आयेगा जहाँ इसे अनु० 131 से पारित कराया जाता है।
- ☞ अनु०- 4 अनु० 2, 3 तहत संसद में लाया गया कोई भी बिल सामान्य प्रक्रिया (सदन में मौजूद सदस्यों के 50% + 1 मतों के साथ) से ही पारित किया जाएगा।
  - ❑ जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम 2019, अनु० 4 के तहत ही 5 अगस्त 2019 को गृहमंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा संसद के उच्च सदन में लाया गया था।

केन्द्रशासित प्रदेश बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- ❑ कुछ जनजातियों के उत्थान हेतु एवं कुछ राज्यों के आपसी झगड़ों को निपटाने हेतु।
- ❑ भारत सरकार की अपनी अधिकतर सरकारी इमारतें (संसद राष्ट्रपति भवन जाँच एजेन्सी के कार्यालय), विदेशी दूतावासों तथा अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों, जो भारत सरकार के अधीन कार्यरत होते हैं, को भारत के किसी अच्छे शहर में स्थापित करने के लिए जगह की आवश्यकता पड़ी।
- ❑ जहां भी ये सभी प्रतिष्ठान स्थापित किये जाते केन्द्र सरकार के साथ उस राज्य के मुख्यमंत्री का समन्वय अच्छी तरह न स्थापित होने की स्थिति में किसी दिन उपर्युक्त किसी भी संस्थान पर उस राज्य के मुख्यमंत्री या उसके किसी मंत्री द्वारा तालाबंदी या अपने राज्य की जमीन का उपयोग न करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर दी जाती, तो एक विकट समस्या केन्द्र सरकार के समक्ष उत्पन्न हो सकती थीं। उपर्युक्त समस्या यदि किसी विदेशी दूतावास के मामले में उत्पन्न हो जाती तो भारत के समक्ष किसी न किसी दिन एक युद्ध की भी स्थिति पैदा हो सकती थीं।
- ❑ इस विकट समस्या के निराकरण हेतु केन्द्रशासित प्रदेशों के निर्माण करना आवश्यक हो गया था।

राज्य पुर्नगठन

- ☞ संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने इलाहाबाद HC के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस०के० घर की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर भाषायी आधार पर राज्य के पुर्नगठन के बारे में रिपोर्ट मांगी।
- ☞ एस०के० पर समिति ने भाषायी आधार पर राज्यों के पुर्नगठन का विरोध किया।
- ☞ एस०के० धर समिति की समीक्षा हेतु जे०बी०पी० समिति (पं० जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभि सीतारमैया) के सदस्यों द्वारा भी भाषार्थी आधार पर राज्यों के पुर्नगठन पर रोक लगाने की अनुशंसा की।
- ☞ तेलगू भाषियों द्वारा पोट्टी श्रीरामुल्लू (कांग्रेसी कार्यकर्ता) के नेतृत्व में आमरण अनशन किया।
- ☞ 56 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसम्बर 1952 ई० को पोट्टी श्रीरामुल्लू का देहान्त हो जाने के कारण आन्दोलन और भड़क गया।
- ☞ इस घटना के बाद दबाव में भारत सरकार को भाषायी आधार पर राज्यों का पुर्नगठन करना पड़ा।

राज्य पुर्नगठन आयोग

- ☞ स्थापना दिवस- 29 दिसम्बर 1953 ई० तथा इसके अध्यक्ष फजल अली थे।
- ☞ राज्य पुर्नगठन आयोग के अन्य सदस्य पं० हृदयनाथ कुंजरू तथा के० एम० पड़कर थे।
- ☞ भाषायीं आधार पर 14 राज्य (State) तथा 6 केन्द्रशासित प्रदेशों (Union Territories) का गठन किया।
- ☞ 14 राज्य (आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, बंबई, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल)
- ☞ 6 केन्द्रशासित प्रदेश (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लकादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा)
- ☞ भाषायी आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आन्ध्र प्रदेश बना।
- ☞ वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य तथा 8 केन्द्रशासित प्रदेश है। (दिनांक 26/12/2020 तक) J&K

क्रम	पुर्नगठित राज्यों के नाम	स्थान	दिनांक
1.	आन्ध्र प्रदेश	पहला	1 अक्टूबर 1953
2.	महाराष्ट्र	चौदहवाँ	1 मई 1960
3.	गुजरात	पन्द्रहवाँ	1 मई 1960
4.	नागालैण्ड	सोलहवाँ	20 दिसम्बर 1963
5.	हरियाणा	सत्रहवाँ	1 नवम्बर 1966
6.	हिमाचल प्रदेश	अठारहवाँ	25 जनवरी 1971
7.	मणिपुर	उन्नीसवाँ	21 जनवरी 1972
8.	त्रिपुरा	बीसवाँ	21 जनवरी 1972
9.	मेघालय	इक्कीसवाँ	21 जनवरी 1972
10.	सिक्किम	बाइसवाँ	26 अप्रैल 1975
11.	मिजोरम	तेईसवाँ	20 फरवरी 1987
12.	अरुणाचल प्रदेश	चौबीसवाँ	20 फरवरी 1987
13.	गोवा	पच्चीसवाँ	30 मई 1987
14.	छत्तीसगढ़	छब्बीसवाँ	1 नवम्बर 2000
15.	उत्तराखण्ड	सत्ताईसवाँ	9 नवम्बर 2000
16.	झारखण्ड	अट्ठाईसवाँ	15 नवम्बर 2000
17.	तेलंगाना	उन्तीसवाँ	02 जून 2014

नागरिकता

(भाग- 2. अनुच्छेद- 5 से 11)

- ☞ भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैण्ड से ली गई है।
- ☞ नागरिकता के सभी प्रावधानों को 26 नवम्बर 1949 ई० को ही लागू कर दिया गया था।
- ☞ दोहरी नागरिकता जैसे कोई व्यक्ति यदि अमेरिका या स्विटजरलैण्ड का नागरिक है, तो वह उस राज्य विशेष का भी नागरिक होगा जहाँ वह निवास करता है।
- ☞ भारतीय नागरिकता को 5 तरह से ग्रहण की जा सकता है। (भारतीय नागरिकता अधि० - 1955)

1. जन्म से-

- ❑ 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति।
- ❑ 1 जुलाई 1947 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता-पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा।
- ❑ **अपवाद**- भारत में पदस्थ राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं प्रदान की जा सकती है।-

2. वंशाकरण द्वारा-

- ❑ 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परन्तु 10 दिसम्बर 1992 से पूर्व भारत के बाहर जन्मा कोई व्यक्ति तभी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, जब उसके जन्म के समय माता-पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता हो।

3. पंजीकरण द्वारा-

- ❑ अवैध प्रवासी न होकर पंजीकरण के आवेदन से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह चुका हो।
- ❑ भारतीय पुरुष से शादी किया हो, (जैसे- सोनिया गाँधी) वह पंजीकरण के आवेदन से पूर्व 7 वर्ष से भारत में आना-जाना हो (आखिर के 365 दिन लगातार भारत में रह रहा हो।)
- ❑ भारतीय नागरिक के नाबालिक बच्चे।
- ❑ PIO– Person Indian Orign (जो बहुत समय पहले भारत को छोड़ गया हो। 90-100 साल)
- ❑ NRI– Non Resident Indian (जो हाल ही में भारत को छोड़ गया हो। 10-20 साल पहले)
- ❑ राष्ट्रमण्डल देशों के सदस्यों के नागरिक हो- (जो देश ब्रिटेन के गुलाम रहे हो।)

4. देशीयकरण द्वारा (प्राकृतिक रूप से)

- ❑ अवैध प्रवासी न होकर पंजीकरण के आवेदन से पूर्व 12 माह की अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह द्य भारत में रहा हो या इनमें से थोड़ा एक में थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम न हो।

5. क्षेत्र समाविष्टि द्वारा (भूमि विस्तार द्वारा)-

- ❑ किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से सम्बन्धित विशेष व्यक्ति को भारत का नागरिक घोषित करती है।

भारतीय नागरिकता का 3 तरह से त्याग किया जा सकता है।

1. **वंचित** करके (जद को भारतीय नागरिक चुपके से भारतीय नागरिकता रखते हुए किसी अन्य देश की नागरिता ग्रहण कर लेता है, तो सरकार की कानूनी कार्यवाही द्वारा उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता को समाप्त कर देती है।) **– अनु०- 6**
2. **स्वैच्छिक** त्याग करके (जब कोई भारतीय नागरिक किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो वह स्वयं भारत सरकार को सूचित कर अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है।)**– अनु०- 9**
3. **बर्खास्तगी** के द्वारा यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किस अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लें तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी।

अनु० 11 संसद के पास यह शक्ति है, कि नागरिकता के प्रावधानों को विनियमित करे।

प्रवासी भारतीय-

- ❑ प्रवासी भारतीय वे भारतीय हैं, बहुत समय पहले भारत को छोड़ कर चले गये परन्तु भारत में अपनी जन्म-भूमि पर कुछ सुविधा भारत सरकार द्वारा उनको प्रदान की जाती है।

मिलने वाली सुविधा-

- ❑ भारत का पासपोर्ट बनवाने की आवश्यकता नहीं है।
- ❑ बिजा बनवाने की आवश्यकता नहीं है।
- ❑ भारत सरकार द्वारा फ्री मार्केट प्रदान की जाती है। जिससे अधिक से अधिक एफडीआई में निवेश किया जा सके।

न मिलने वाली सुविधा-

- ❑ अनु०-326 के तहत वोट डालने का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता है।
- ❑ किसी राजनैतिक पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते है।
- ❑ भारतीय सिविल सेवाओं में आवेदन नहीं कर सकते है।

मूल अधिकार (Fundamenal Right)

(भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35)

- ☞ मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
- ☞ भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्नाकार्टा की संज्ञा दी जाती है।
- ☞ सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग कराँची अधिवेशन 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थीं।
- ☞ भारत के मूल संविधान में कुल मूल अधिकारों की संख्या 7 थीं।
- ☞ 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सम्पति के अधिकार [अनु०- 31 व 19(1) (च) से हटाकर भाग- 12 के अनु०- 300 (क) में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

☞ **मूल अधिकार**- अर्थ, आवश्यकता, विशेषता, वर्गीकरण, संविधान संशोधन, महत्त्व, आलोचना, अनुच्छेद।

अर्थ-

☞ मूल अधिकार वे न्यूनतम अधिकार हैं, जिनके द्वारा किसी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर उसे गरिमामय जीवन जीनने का अधिकार प्राप्त हो सके।

☞ रोटी, कपड़ा और मकान सह सम्मान दिया जा सके।

आवश्यकता

☞ भारत की अधिकतर जनसंख्या (लगभग 80%) अशिक्षित थीं। जिसे जानकारी का अभाव था।

☞ संसदीय व्यवस्था में किसी भी भिन्न सोच वाली पार्टी के आने से जिसका मत दूसरे समुदायों से भिन्न हो तो उस समुदाय को दबाया न जा सके। (जैसे बी० जे०पी० दक्षिण पंथ दल है जिसमे राष्ट्रवाद हमेशा से ही मुद्दा रहा है। अत: इसके द्वारा किसी भी समुदाय विशेष को दबाया न जा सके।)

☞ भारत में विभिन्न संप्रदाय, जाति, धर्म, मूलवंश आदि की अत्यधिक विविधता होने के कारण मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ी।

☞ किसी भी राजा, नवाब, सामन्त, जागीरदार, जमींदार आदि को विशिष्टता महसूस नहीं हो।

विशेषता

☞ कुछ मूल अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त होते हैं जैसे अनु०- 15, 16, 19, 29, 30

☞ किसी भी Legal Person (संस्था, एनजीओ, कम्पनी) को कोई मूल अधिकार नहीं दिया गया है।

☞ क्योंकि ये कभी भी दिवालिया होने का बहाना बनाते और मूल अधिकारों की दुहाई लगाते जिनकी खर्च होता।

☞ बहाली हेतु राज्य का आगे आना मजबूरी हो जाती। जिसमे सरकार का अत्यधिक धन खर्च होता।

☞ यह सभी मूल अधिकार केवल प्राकृत व्यक्तियों के लिए प्रदान किये गये हैं।

☞ मूल अधिकार के हनन होने की स्थिति में यह सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं। अनु०- 226, 32 क्रमश:

वर्गीकरण

☞ आपातकाल की स्थिति में कुछ मूल अधिकारों को छोड़कर इन्हें स्थगित भी किया जा सकता है।

☞ कुछ पूर्ण मूल अधिकार (अनु०- 17, 24) (जिनका कोई अपवाद नहीं होता) तथा कुछ अपूर्ण मूल अधिकार होते हैं।

☞ कुछ मूल अधिकार नागरिकों को सीमित रूप से ही प्रदान किये गये हैं। जैसे- अनु०- 33, 34

संविधान संशोधन

☞ LRZA Act (Land Reallocation and Zarnindari Abolution Act, 1951) के माना कि मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से ऊपर होते हैं।

☞ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए संसद मूल अधिकारों को कम नहीं कर सकती।

☞ भूमि पुर्नवितरण और जमींदार उन्मूलन अधि० 1951 को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि यह 7वें मूल अधिकार सम्पत्ति का अधिकार का हनन कर रहा था।

☞ आजादी के बाद केन्द्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बीच टकराव का यह पहला मामला था।

☞ भारत सरकार ने SC के इस फैसले को बदलने के लिए पहला संविधान संशोधन 1951 किया।

☞ जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची तथा अनु० 31 (ख) को भारतीय संविधान में जोड़ा गया।

☞ इस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत प्रावधान किया कि, 9वीं अनुसूची में जोड़े गये किसी भी विषय की समीक्षा (Judicial Review) कोई भी न्यायालय कभी भी नहीं कर सकता है।

शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, 1951

☞ यह वाद सर्वोच्च न्यायालय में पहले संविधान संशोधन 1951 को अनु०- 13 (2) के आधार पर खारिज कराने के लिए दायर किया गया था।

☞ परन्तु मामला अनु० 13 (2) बनाम अनु० 368 हो गया था। जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में पहले संविधान संशोधन 1951 को संवैधानिक करार दिया है।

अनु० 13(2)-

- ❑ संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती जिससे मूल अधिकारों का हनन किया जा सके।
- ❑ अगर संसद ऐसा करती है, तो वह विधेयक Null and Void घोषित कर दिया जाएगा।
- ❑ इसी अनुच्छेद के द्वारा HC/SC को किसी भी विधेयक की समीक्षा करने की शक्तियों मिलती है।

सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 1965

☞ इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनु० 13 (2) का प्रभाव अनु० 368 पर नहीं होगा।

☞ संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है।

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967

☞ इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय की 11 जजों वाली खण्डपीठ ने फैसला सुनाया कि, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है।

☞ अनु० 13 (2) को अनु० 368 से बड़ा माना गया।

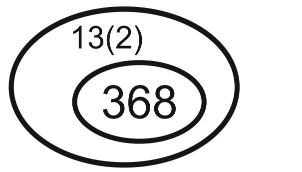

24वां संविधान संशोधन 1971

☞ अनु० 13(4) भारतीय संविधान में जोड़ा, इसमें कहा कि 13(2) की बात अनु० 368 पर लागू नहीं होगी।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform

13(2) 368

- ☞ अनु० 368 (4) जोड़कर इसी बात को दोबारा कहा गया है।

25 वां संविधान संशोधन 1971

- ☞ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी रूप से लागू कराने के लिए संसद कानून बना सकती है।
- ☞ जिसे अनु० 14, 19, 31 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- ☞ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार से ऊपर माना था।
- ☞ इस CAA से संसद ने गोलकनाथ वाद के फैसले से पहले वाली स्थिति दोबारा हासिल कर ली थी।

केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य, 1973

- ☞ इस वाद में माननीय उच्चतम न्यायालय की (12+1) न्यायधीशों वाली आज तक की सबसे बड़ी खण्डपीठ ने 24 अप्रैल 1973 ई० को 7 : 6 के अनुपात में फैसला सुनाते हुए कहा कि, संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में (प्रस्तावना सहित) संशोधन कर सकती है।
- ☞ इस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भी भारतीय संविधान का ही भाग माना था।
- ☞ इसी निर्णय में टिप्पणी की कि प्रस्तावना के मूल ढाँचे को नुकसान पहुँचाये बगैर संसद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है। इस फैसले ने गोलकनाथ वाद के फैसले वाली स्थिति बदल दी थी।
- ☞ इस फैसले में SC ने कहा कि भारतीय संसद कभी भी संविधान सभा के बराबर नहीं हो सकती है।
- ☞ उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश सर्व मित्रा सीकरी थे।
- ☞ वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 तरह के मूल अधिकार प्राप्त है।
  1. समता का अधिकार (अनु० 14 से 18 तक)
  2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनु० 19 से 22 तक)
  3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु०- 23 से 24 तक)
  4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु०- 25 से 28 तक)
  5. सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार (अनु०- 29 से 30 तक)
  6. संवैधानिक उपचारों का उपचार (अनु०- 32)

अनु०-12:-

- ☞ केवल भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा।
- ☞ राज्य का अर्थ वह संस्था होगी, जो किसी को कानूनी रूप से दण्डित कर सकती हो।
- ☞ परन्तु सभी न्यायालयों को इस परिभाषा से बाहर रखा गया है।
- ☞ संसद, केन्द्र व राज्य सरकारे, विधान मण्डल, Local Govt. (बैंक, ONGC, LIC, SBI BSF etc)/ Other Authority, सेना, राज्य सरकार की पुलिस आदि को भाग 3 के लिए राज्य माना गया है।

अनु०-13:-

- ☞ विधि की परिभाषा।
- ☞ संविधान से पहले का कानून संविधान के कानून की जिस मात्रा तक उल्लंघन करता है, उस मात्रा तक विधि शून्य होगी।
- ☞ जैसे- भारत में संविधान निर्माण से पहले भी शादी समारोहों में दहेज, दावत, आदर सत्कार आदि प्रक्रियाँ होती थी और यह सभी कानूनी रूप से मान्य होती थीं।
- ☞ वर्तमान समय में शादी समारोह में दहेज लेना या देना दोनों ही गैर-कानूनी है, तो अब मात्र दहेज लेने देने वाली प्रक्रिया का हिस्सा ही विधि की नजर में शून्य होगा, ना कि पूरे विवाह की प्रक्रिया।

1. समता का अधिकार (अनु०- 14 से 18 तक)

- ☞ **अनु०- 14** विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष संरक्षण का अधिकार।
  - ❑ अपवाद राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजदूत अपने कार्यकाल में किये गये किसी भी कार्य के लिये या किसी मामले में लिये गये निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे।
  - ❑ कोई भी दंडात्मक कार्यवाही इनके विरुद्ध चालू नहीं रखी जा सकती है।- **अनुच्छेद 361**
- ☞ **अनु० 15** धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश (Rare) तथा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का अन्त।
- ☞ **अनु०-15(1)** कोई राज्य इन पाँच आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा।
- ☞ **अनु०- 15(2)** कोई राज्य अथवा व्यक्तिगत कोई नागरिक (दोनों में कोई भी या दोनों ही) उपर्युक्त पाँच आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेंगे।
- ☞ **शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण,** अनुच्छेद- 15(3)- 15 (4)- 15(5)- 15 (6) के द्वारा अनु०- 15(1) और अनु० 15 (2) का अपवाद हैं।
- ☞ **अनु०- 15 (3)**
  - ❑ इस अनुच्छेद में महिला व बच्चों के उत्थान के लिए राज्य कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है।
  - ❑ जैसे सरकारी विभागों में महिलों के लिए दिये जाने वाला 180 दिवस का मातृत्व प्रसूता अवकाश, पिता के लिए चाइल्ड केयर लीव (प्रथम वर्ष 100% तथा दूसरे वर्ष 80% वेतनमान पर) इत्यादि।
- ☞ **अनु०- 15 (4)**
  - ❑ इस अनु० में SC / ST / OBC इत्यादि वर्गों के लिए विशेष प्रावधान।
  - ❑ इसे पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है।

☞ अनु०- 15 (5)

❑ इस अनु० में SC / ST / OBC / PH / MINORITIES/ Ex-Ser./ FFD / इत्यादि वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में विशेष प्रावधान।

❑ इसे 93वाँ संविधान संशोधन 2005 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है।

☞ अनु०- 15 (6)

❑ EWS (Economic Weaker Section) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की बात कही गयी है। 103वाँ CAA 2019 से जोड़ा गया है।

☞ अनु०- 16 (1) लोकनियोजन में अवसर की समता का अधिकार।

☞ अनु०- 16 (2)

❑ कोई राज्य इन सात (धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश (Rare), जन्म स्थान, निवास तथा वंशानुगत) आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ लोकनियोजन में विभेद (Discrimination) नहीं कर सकता।

☞ लोकनियोजन में आरक्षण लिए अनुच्छेद-16(3) & 16(4) & 16 (5) & 16(6) के द्वारा अनु०- 16(1) और अनु०- 16(2) का अपवाद है।

☞ अनु० 16(3)

❑ राज्य किसी भी सेवा के लिए निवास के आधार पर शर्तें लगा सकता है।

❑ राज्य के मूल निवासियों के लिए लोकनियोजन में आरक्षण व्यवस्था।

❑ SC/ST/OBC इत्यादि वर्गों के उम्मीदवार केवल अपने निवासी राज्य केन्द्र सरकार में ही लोकनियोजन के लिए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार माने जाते हैं।

❑ किन्हीं अन्य राज्यों में लोकनियोजन के लिए इन सभी वर्गों के उम्मीदवार, सामान्य उम्मीदवार के रूप में आवेदन करते हैं।

❑ राज्य सरकारें लोकनियोजन के लिए भाषा के आधार पर भी नियुक्ति कर सकती हैं।

☞ अनु०- 16(4)

❑ इस अनु० में SC / ST / OBC / PH / MINORITIES /Ex & Ser. / FFD / इत्यादि वर्गों के लिए लोकनियोजन में विशेष प्रावधान किये गये है।

❑ राज्य किसी सेवा के लिए उस वर्ग को लोकनियोजन में विशेष प्रावधान करेगा।

❑ जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व राज्य की सेवाओं में कम है, या यह वर्ग सेवाओं में पिछड़ा हुआ है।

☞ अनु० 16(5)

❑ राज्य किसी धर्म की सेवाओं के सम्बन्ध में उससे सम्बन्धित समुदाय विशेष के व्यक्ति को ही नियुक्त कर सकता है।

❑ सेना में पुजारी, पादरी, मौलवी आदि धर्म के पदों पर (हवलदार रैंक पर) केवल सम्बन्धित समुदाय विशेष के व्यक्ति को ही नियुक्त किया जा सकता है।

❑ जैसे- पुजारी के लिए केवल हिन्दू, या मौलवी के लिए केवल मुस्लिम को ही नियुक्ति मिलेगी।

❑ क्या पुजारी के लिए किसी SC / ST वर्ग के व्यक्ति को नियुक्ति प्रदान की जा सकती है?- हाँ, क्योंकि वह भी हिन्दू धर्म के ही अनुयायी है।

❑ उदाहरण कुम्भ-मेला प्रयागराज 2020 के प्रथम शाही स्नान से पहले पंचदशनाम जूना अखाड़े के तहत अनुसूचित जाति के पहले महामंडलेश्वर कन्हैया प्रभुनंद गिरि को बनाया गया था।

☞ अनु०- 16 (6)

❑ EWS (Economic Weaker Section) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों के लिए लोकनियोजन में 10% आरक्षण की बात कही गयी है।

❑ इसे 103वाँ संविधान संशोधन 2019 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है।

☞ SC / ST / OBC PH / MINORITIES / Ex-Ser / FFD / इत्यादि वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण- अनुच्छेद 15(4)-15 (5)

☞ EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों) के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण- अनु० 15 (6)

☞ SC / ST / OBC / PH / MINORITIES / Ex &Ser. / FFD/ इत्यादि वर्गों के लिए लोकनियोजन में आरक्षण- अनुच्छेद 16 (4)-16(5)

☞ EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों) के लिए लोकनियोजन में आरक्षण- अनु० 16(6)

☞ अनु०- 17 अस्पृष्यता (Abolishment of Untouchability) का अन्त। (छूआ-छूत का अन्त)

☞ अनु०- 18 राज्य के द्वारा केवल सेना व शिक्षा के क्षेत्र के अतिरिक्ति सभी उपाधियों का अन्त।

❑ अपवाद भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, वीर चक्र, परमवीर चक्र आदि।

❑ भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की अनुमति के कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है।

❑ निम्न शिक्षाओं की योग्यता रखने वाले नागरिक अपना पूरा नाम निम्न प्रकार लिखने का कानूनी रूप से अधिकार रखते हैं। (अपने नाम के साथ अपनी योग्यता को दर्शा सकते हैं।)

❑ (Ph.D– Dr.), (MBBS, MS– Dr.), (Engineer– Er.) की योग्यता रखने वाला कोई भी नागरिक अपना नाम कैसे लिखने का अधिकार रखता है?

"Dr. Amandip Singh (MBBS, MS)"
"Er. Satendra Singh (B.Tech)"

❑ सेना के जनरल रैंक का अधिकारी अपना पूरा नाम कैसे लिखने का अधिकार रखता है?

"General— Vipin Singh Rawat
(S.M, VSM, AVSN, PVSM, VC)"

☞ नोट:- (S.M– Sena Medal, VSM– Vishith Sena Medal, AVSN– Ati Vishith Sena Medal, PVSM, VC– Veer Chakra)" etc और भी जो कोई मैडल उनके पास होगा उसका शीर्षक अपने नाम के साथ जोड़कर लिखे सकते हैं।

2. स्वतंत्रता का अधिकार
(अनु०- 19 से 22 तक)

☞ अनु०- 19 इस अनुच्छेद के तहत मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी।

☞ 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद वर्तमान में केवल 6 तरह की स्वतंत्रता शेष रह गयी हैं।

(i). अनु०-19(1)(क)

- ❑ वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- ❑ प्रेस, भारतीय झण्डा फहराने की स्वतंत्रता (नवीन जिंदल की याचिका पर)
- ❑ बोलने के साथ-साथ चुप रहने की भी स्वतंत्रता है।
- ❑ अक्सर देखने को मिलता है कि किसी पत्रकार आदि के द्वारा कोई प्रश्न पूछे जाने पर नेता, अधिकारी आदि लोग चुप-चाप बिना कुछ बताये निकल जाते हैं। यह इसी का उदाहरण है।
- ❑ अनु० 19 (2) के द्वारा अनु०- 19 (1) (क) में प्रदान की गयी स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध।
  - राज्य की सुरक्षा जहाँ तक बोलने से खतरे में न हो तभी तक बोलने की स्वतंत्रता है।
  - विदेशी राज्यों के साथ मित्रता सम्बन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े तभी तक।
  - लोक व्यवस्था (माहौल खराब न हो तभी तक ही वाक् व अभिव्यक्ति की आजादी है।
  - किसी राज्य की मानहानि न होने पाये तभी तक तभी तक बोलने की स्वतंत्रता है।
  - किसी भी न्यायालय की अवेहलना न होने पाये तभी तक बोलने की स्वतंत्रता है।
  - नैतिकता का पालन (अच्छा व्यवहार करना) होता रहे तभी तक।
  - अपराधों के लिए नहीं उकसाया-जाएगा तभी तक तभी तक बोलने की स्वतंत्रता है।
  - राज्य की अखण्डता और संप्रभुता को खतरा पैदा नहीं होगा।

(ii). अनु० - 19(1)(ख)

- ❑ शांतिपूर्ण, निरायुद्ध (हथियारों के बिना) होकर कहीं भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता।
- ❑ रैली, सभा करना, धरना देना, विरोध करना, हड़ताल करना।
- ❑ विरोध करना कानूनी स्वतंत्रता है, परन्तु बगावत करना गैर-कानूनी है।
- ❑ हड़ताल एक कानूनी स्वतंत्रता है, बंद कराना गैर-कानूनी, क्योंकि इसमें धमकी देना माना जाता है।
- ❑ अनु० 19(3) के द्वारा अनु०- 19(1)(ख) में प्रदान की गयी स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध।
  - लोक व्यवस्था (माहौल खराब न हो तभी तक सम्मेलन करने की आजादी है।
  - लोकपाल बिल धरना (रामलीला मैदान, दिल्ली) 2014 ई० जैसी स्थिति न पैदा होने पाये।
  - राज्य की अखण्डता और संप्रभुता को खतरा पैदा नहीं होगा।

(iii). अनु०-19(1)(ग)

- ❑ संगम, संघ तथा सहकारी समिति बनाने का अधिकार। पार्टी व दल बनाना।
- ❑ अनु० 19(4) के द्वारा अनु०- 19(1)(ग) में प्रदान की गयी स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध।
  - लोक व्यवस्था (माहौल खराब न हो तभी तक ही वाक् व अभिव्यक्ति की आजादी है।
  - नैतिकता का पालन होता रहे तभी तक।
  - राज्य की अखण्डता और संप्रभुता को खतरा पैदा नहीं होगा।
  - जैसे ''अखिल भारतीय जेब कतरा समूह'' आदि जैसा नाम देकर कोई भी गैर-कानूनी संघ नहीं बनाने दिया जा सकता है।

(iv). अनु०- 19 (1) (घ)

- ❑ भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध्य गति से संचरण की स्वतंत्रता।
- ❑ सैर-सपाटा करने की स्वतंत्रता यही से दी गयी है।
- ❑ अनु० 19(5) के द्वारा अनु०- 19(1) (घ) में प्रदान की गयी स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध।
  - अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में घूमने से उनके जीवन पर प्रभाव न पड़ने पाये तभी तक।
  - आम जन का जीवन जहाँ तक खतरे में नहीं पड़ता हो तब तक
  - जैसे हिमालय आदि या अन्य किसी ऊँची इमारत पर बिना जानकारी के चढ़ने की जिद करना, गाड़ी न चलाने की जानकारी होते हुए भी कोई सरकारी वाहन को चलाने की जिद करना।

(v). अनु०-19(1)(ङ)

- ❑ भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता।
- ❑ अनु० 19 (5) के द्वारा अनु० 19 (1) (ङ) में प्रदान की गयी स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध।
  - आम जन का जीवन जहाँ तक खतरे में नहीं पड़ता हो तब तक।
  - कहीं कोई निषेधाज्ञा जैसे धारा 144 CrPC आदि लगी हो वहाँ नहीं आना-जाना की स्वतंत्रता।
  - जैसे किसी विदेशी सीमा पर बसने की जिद करना जहाँ युद्ध का खतरा हर समय बना हुआ हो

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- सेना को यहीं से अधिकार मिलता कि, जब किसी देश के साथ युद्ध की स्थिति पैदा हो तो सीमावर्ती गाँवों को खाली कराया जा सके।

☞ **अनु०-19(1)(च)** सम्पति के अधिकार को 44वें CAA 1978 के द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

(vi). अनु०-19(1)(ख)

- ❑ आजीविका के लिए कोई भी कारोबार / व्यवसाय करने की स्वतंत्रता।
- ❑ अनु० 19(6) के द्वारा अनु०- 19(1)(ख) में प्रदान की गयी स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध।
  - जीविका चलाने के लिए कोई असंवैधानिक कारोबार नहीं कर सकते हैं।
  - जैसे अवैध असलाह, शराब, खाद्य पदार्थ फैक्ट्री आदि से सम्बन्धित कोई कारोबार।
- ❑ **अनु०- 20** अपराधों के लिए दोष सिद्ध के सम्बन्ध में संरक्षण का अधिकार।
- ❑ **अनु०- 20(1)**
  - अपराध कारित करने के समय जो कानून होगा उसी के तहत ही सजा दी जाएगी।- पूर्व पद प्रभावी कानून नहीं। जैसे:- दिल्ली निर्भया काण्ड का एक नावालिक मुजरिम इसी अधिकार के कारण अधिक सजा नहीं पा सका था। क्योंकि उस समय जुबैनाइल कोर्ट में अधिक सजा का प्रावधान नहीं था।
  - संसद द्वारा धारा 377 को 2019 ई० में Decriminalize कर दिया गया है। इसके तहत अब अगर कोई जोड़ा कहीं पकड़ा जाता है, तो अब यह अपराध की श्रेणी में नहीं आयेगा।
  - तो मान लीजिए कि कोई जोड़ा 2018 में इस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया और उसके मुकदमे में वर्ष 2020 में न्यायालय ने फैसला सुनाया तो क्या उस जोड़े को सजा दी जाएगी अथवा नहीं?- नहीं, अनु०-13(2) के प्रभाव के कारण।
  - क्योंकि कोई भी सजा से सम्बन्धित कानून कभी भी भूतलक्षी सिद्धान्त के साथ लागू नहीं किया जा सकता है। परन्तु बिना सजा के कानून अधिकतर भूतलक्षी सिद्धान्त से ही लागू किये जाते हैं। जैसे वेतन आयोग इत्यादि।
  - क्योंकि यह सजा से सम्बन्धित कानून नहीं रहा तो यह भूतलक्षी सिद्धान्त से लागू कराया जायेंगा।
  - अगर उस समय कोई अपराधी इस धारा के अन्तर्गत भारत के किसी भी कारागार में सजायापता होगा, तो उसे तत्काल रिहा कर दिया जाएगा।
  - ऐसी सजा काटने के बावजूद उससे सम्बन्धित व्यक्ति किसी भी सरकारी सेवाओं में सेवा देने वँचित नहीं किया जायेगा। **अनु०- 20 (2)** (आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर)
  - Brain Mapping / Lie - detector / Polygraphy Test से सम्बन्धित एक PIL में 5 मई 2010 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अब इन प्रक्रियाओं को प्रतिबन्धित कर दिया है। इन प्रक्रियाओं में अनु०- 20(3) तथा 21 का हनन होना पाया जाता है।
  - क्योंकि इस प्रक्रिया में दी जाने वाली दवा की मात्रा से किसी भी व्यक्ति के जान जाने का खतरा होता है वह दवा एक बार में 0.25 ml दी जाती है।)
  - स्वेच्छा से कोई भी नागरिक इन प्रक्रियों को आवश्यकतानुसार करा सकता है।
- ❑ **अनु०- 20(2)** एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। दोहरी क्षति नहीं।
- ❑ **अनु०- 20(3)**
  - स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा:- स्व-अभिशंसन नहीं।
  - कोई अपराध कारित होने की स्थिति में कोई भी जाँचाधिकारी / विवेचक मुजरिम को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- ❑ अनु०- 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।

(i) इच्छा मृत्यु का अधिकार (Passive Ethunesia)।

- ❑ Active Ethunesla (इच्छा मृत्यु का अधिकार) प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के द्वारा कानूनी रूप से भारत में लागू नहीं है।
- ❑ क्योंकि किसी भी राज्य के नागिरक के शरीर का निर्माण केवल उसी व्यक्ति के लिए नहीं होता है, और ना ही उसका शरीर केवल उसी के द्वारा निर्मित माना जाता हो।
- ❑ अपितु पुरे समाज एवं राज्य के बहुत से Resources उसके निर्माण में खर्च हुए होते हैं।
- ❑ कोई भी भारत का नागरिक गम्भीर बीमारी से पीड़ित होने पर और आगे अत्यधिक दर्द न सहन कर पा रहा हो तो उसे आराम से मरने का भी मूल अधिकार होता है।
- ❑ भारत में केवल Passive Ethunesia ही केवल उस दशा में है लागू है, जब कोई चिकित्सा चमत्कार (Medical Miracles) को छोड़कर कोई अन्य उम्मीद शेष न बची हो।
- ❑ ऐसी स्थिति में भी कम से कम तीन विशेषज्ञ चिकित्सकों का बोर्ड पीड़ित के लिये लिखकर देगा।
- ❑ तब भी केवल Life Sport System जैसे Ventilator etc को हटाने का आदेश दिया जायेगा, ना कि किसी ऐसी प्रक्रिया जैसे injection मजब देकर जल्दी पीड़ित को मृत्यु प्रदान की जा सके।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- Active Ethunesis दुनिया के बहुत से देशों में लागू है। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है, जिससे Injection etc देकर जल्दी से जल्दी किसी पीड़ित व्यक्ति को मृत्यु प्रदान कर दी जाती है।

(ii) राज्य के प्रत्येक नागरिक को निजता (Privacy) का अधिकार है।
- इसी के तहत किसी भी नागरिक का फोन टॅपिंग एक कानून अपराध की श्रेणी में आता है।

(iii) राज्य के प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार (RTI) है।
- इसी के तहत भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को लागू किया गया है।

(iv) राज्य की प्रत्येक महिला नागरिक को प्राप्त सभी तरह के अधिकार इसी अनुच्छेद के द्वारा प्रदान कराये गये है। जैसे- किसी भी विभाग में समानता का अधिकार अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार (केवल वयस्क होने की स्थिति में), महिला संरक्षण सम्बन्धित कानून इत्यादि।

(v) राज्य को प्रत्येक नागरिक को धन अर्जन (Livelihood) करने का शुद्ध वातावरण में रहने का, खाना खाने (Eating Food) का, सोने (Sleeping) का, बिजली पाने का (जब उस व्यक्ति ने अपना बिल भर दिया हो), सुरक्षित यात्रा करने का, विदेश जाने का अधिकार है।

(vi) सामाजिक सुरक्षा एवं परिवार के संरक्षण का अधिकार इसी अनुच्छेद की देन है।

(vii) जीवन रक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, अकेले कारावास में न रहने का अधिकार, हथकड़ी न लगाने का अधिकार (परन्तु कुछ दुर्दान्त अपराधियों को इसमें छूट नहीं दी गयी है।), त्वरित कार्यवाही का अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, शौर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार, अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, सुनवाई का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, बार कैटर्स के विरुद्ध अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार प्रदान किये गये हैं।

(viii) आपातकाल में अच्छी और निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं पाने का अधिकार। इसी कारण कोरोना महामारी के समय में प्रत्येक नागरिक को अच्छी व निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गयी थीं।

(ix) किसी भी नागरिक को उसके द्वारा कारित एक अपराध में एक बार ही दोषी करार दिया जाएगा।

(x) राज्य के प्रत्येक नागरिक को आश्रय (Shelter) का अधिकार है।
- इसी कानून के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना "25 जून, 2015" को लागू की गयी थी।

☞ **अनु॰- 21 (क)**

i.) राज्य के प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्राप्त करने तथा गरिमामय जीवन जीने का अधिकार।
- 86वाँ CAA 2002 के द्वारा निम्न संशोधन किये गये हैं।
- अनु॰- 21 (क) इसी अनु॰ के तहत 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है।
- अनु॰- 45 माता-पिता अपने 6-14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए बाध्य होगें।
- अनु॰- 51 राज्य 6-14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य शिक्षा देने के लिए बाध्य हैं।
- RTE को लागू करने वाला पहला राज्य हरियाणा 01 अप्रैल 2010 है।
- "सर्व शिक्षा अभियान" के तहत अनुपातिक व्यय 68% केन्द्र व 32% राज्य सरकार देगी।

☞ **अनु॰- 22** कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से निरोध में संरक्षण।

☞ **अनु॰- 22 (i - iii)**
- दंडात्मक निरोध- जब किसी व्यक्ति अथवा राज्य द्वारा कोई अपराध कारित किया जा चुका होगा, उसके बाद की गिरफ्तारी दंडात्मक निरोध कहलाती है।
- गिरफ्तारी का कारण तथा गिरफ्तारकर्ता को अपनी पूरी पहचान बतानी होगी।
- 24 घंटे में सक्षम दण्डाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। रास्ते तथा अवकाश के समय को छोड़कर।
- अपनी पसन्द का वकील करने की स्वतंत्रता।
- सूर्यास्त के बाद तथा सूर्योदय से पहले (रात में) महिला अपराधी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तथा गिरफ्तारी करते समय महिला कर्मचारी / अधिकारी का होना अति आवश्यक होगा।
- जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपराध कारित करने के बाद गिरफ्तारी के समय उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने की दशा में निःशुल्क वकील, न्याय हेतु आवश्यक दस्तावेज मुहिया कराना।

☞ **अनु॰- 22 (iii–vii)**
- **निवारक निरोध**- जब तक कोई अपराध कारित तो नहीं किया गया है, परन्तु किसी अपराध के कारित किये जाने का पूरा अंदेशा हो तब निवारक निरोध की कार्यवाही की जाती है।
- कहीं भी नजरबंद की कार्यवाही इसी निरोध के तहत की जाती है।
- **जैसे**- जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन अधिनियम 2019 के समय उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती मोहम्मद शईद व अन्य अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारियाँ इसकी अनुच्छेद के तहत की गयी थी।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

(अनु०- 23 से 24 तक)

☞ **अनु०- 23**

- ❑ बलात् श्रम प्रतिषेध करना, मानव दुर्व्यापार को रोकना।
- ❑ राज्य का कोई भी नागरिक अपने शरीर तथा दूसरे किसी अन्य नागरिक के किसी भी अंग की खरीद-फरोख्त व्यापार के लिए नहीं कर सकता है।
- ❑ **जैसे**- किडनी, हृदय, आँख आदि महत्वपूर्ण अंग की तस्करी / व्यापार करना।
- ❑ आँख, रक्त आदि कुछ अंगों को राज्य का कोई भी नागरिक स्वैच्छा से दान कर सकता है।
- ❑ किसी भी नागरिक से कोई भी राज्य किसी भी रूप में बेगार नहीं ले सकता है।
- ❑ दास प्रथा अब कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आती है।
- ❑ किराए की कोख (Surrogacy) किसी दूसरी की स्त्री से एक एंग्रीमेंट के तहत गर्भ धारण कराना।
- ❑ जब कोई महिला कभी गर्भ धारण ही न कर सकती हो, जिसे किसी विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा प्रमाणित किया जा चुका हो, ऐसी परिस्थितियों में ही किराए की कोख कानूनी रूप से जुर्म नहीं होगा।
- ❑ अन्यथा अब "किराए की कोख (Surrogacy) संशोधन अधि०, 2019" के द्वारा किसी भी महिला के द्वारा केवल Figure Maintain or Business आदि प्रयोजन से ऐसा कृत्य अब कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में आता है।

☞ **अनु० - 24** जोखिम भरे कार्यों (Hazardous Jobs) में तथा कारखाने मीलों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन के विरुद्ध अधिकार।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

(अनु०- 25 से 28 तक)

☞ **अनु०- 25**

- ❑ **अंत:करण** (स्वयं के अनुसार) की आजादी, धर्म के प्रचार-प्रसार तथा मानने की आजादी।
- ❑ **धर्मतंत्र**- जिस देश में किसी धर्म विशेष का प्रमुख ही उस पूरे देश का प्रमुख पदाधिकारी होता है। उस देश को धर्मतंत्र देश कहा जाता है। जैसे बैटिंकन सिटी में पोप ही राष्ट्राध्यक्ष भी होता है।
- ❑ **धर्म प्रभावित राज्य**- किसी देश में धर्म विशेष के लिए ही सभी सुविधा उस राष्ट्र के द्वारा प्रदान करायी जाती हो उसे धर्म प्रभावित राज्य कहा जाता है। जैसे ईराक, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश।
- ❑ **धर्म विरोधी राज्य**- धर्म का प्रचार राष्ट्राध्यक्ष नहीं करेगा और धार्मिक आचरण भी नहीं करेगा। जैसे- चीन, USSR आदि।
- ❑ **धर्म निरपेक्ष राज्य**- जिस देश में किसी धर्म विशेष का ना विरोध हो, ना प्रचार-प्रसार होगा, ना ही किसी धर्म के साथ भेदभाव किया जाएगा। जैसे- भारत।

☞ **अनु०- 26**

- ❑ धर्म के कार्यों के लिए प्रबंध करने की स्वतंत्रता।
- ❑ जैसे- ट्रस्ट, मदरसा, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी संघ इत्यादि बनाना।
- ❑ परन्तु कुछ दशाओं में इन पर प्रतिबन्ध भी लगाये गये हैं। जिस किसी संघ से लोक व्यवस्था (माहौल खराब न हो उसी संघ का निर्माण करने की आजादी है। जैस कोई संघ बना कर बीच सड़क पर यातायात बाधित करके भण्डारा करना इत्यादि कराने की आजादी नहीं दी जाएगी।
- ❑ संघ कोई ऐसी सम्पति नहीं अर्जित करेगा जिसके अर्जन का तरीका कोई व्यापार के अन्तर्गत आता हो, अगर ऐसा होना पाया जाएगा तो उस सम्पति पर उचित कर देना पड़ेगा।

☞ **अनु०- 27**

- ❑ धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से बाधित न करने की स्वतंत्रता।
- ❑ कोई भी राज्य किसी भी तरह के करों से धार्मिक संस्थानों को बाध्य नहीं करेगा, जिसका प्रयोग धार्मिक प्रयोजनों हेतु किया जाता है। (धार्मिक ट्रस्टों का टैक्स मुक्त होना)
- ❑ जैसे:- जकात किसी भी मुस्लिम परिवार से जबरदस्ती नहीं वसूला जाएगा।
- ❑ TAX राज्य को कोई कर देने के बाद किसी भी Service की कोई गांरटी नहीं होती है।
- ❑ FEE- राज्य को कोई फीस देने के बाद Service की गांरटी निश्चित होती है।

☞ **अनु०- 28**

- ❑ अनु०- 28 (1) राज्य-निधि से (सरकारी, अर्ध सरकारी, पूर्णत: पोषित, अर्ध पोषित शिक्षा संस्था) पोषित संस्थानों में किसी भी धार्मिक शिक्षा को नहीं पढ़ाया जाएगा।
- ❑ अनु०- 28 (2) अगर कोई विद्यालय किसी धार्मिक न्यास या विन्यास के द्वारा बनाया गया है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाएगी चाहे उसे राज्य से ही क्यों ना पोषित किया जा रहा हो।
- ❑ जैसे- मदरसा, वेद विद्यालय, विद्या मंदिर, क्रिस्चियन स्कूल आदि।
- ❑ अनु०- 28 (3) धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु बिना स्वयं की इच्छा के बाध्य नहीं किया जाएगा।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

5. सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार
(अनु०- 29 से 30 तक)

☞ **अनु०- 29**

- ❑ अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण।
- ❑ अनु०- 29 (1) भारत में अपनी बोली भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार।
- ❑ अनु०-29 (2) धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा के आधार पर शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा।

☞ **अनु० 30**

- ❑ **अनु०- 30 (1)** अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना करने तथा प्रशासन का अधिकार।
- ❑ **अनु०- 30 (2)** अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान की स्थापना करने के लिए राज्य सहायता में कोई भेदभाव नहीं करेगा।

6. संवैधानिक उपचारों का उपचार (अनु०-32)

☞ डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के उपचार को ''संविधान की आत्मा'' कहा था।

☞ किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन होता है, तो वह उच्च न्यायालय में अनु०- 226, तथा उच्चतम न्यायालय में अनु०-32 के तहत मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु जाकर रिट जारी करा सकेगा।

☞ जहां से सम्बन्धित कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है।

I. बन्दी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)- शाब्दिक अर्थ है, ''को प्रस्तुत किया जाए''।

- ❑ सशरीर (जिन्दा या मृत) 24 घंटे में सक्षम दण्डाधिकारी के समक्ष पेशी सुनिश्चित कराना।
- ❑ बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट पर कुछ दशाओं प्रतिबन्ध के उपबन्ध हैं।
  - ● किसी भी दंडात्मक निरोध में कोई रिट जारी नहीं होगी। जैसे किसी अपराध के समय गिरफ्तारी
  - ● किसी भी निवारक निरोध में कोई रिट जारी नहीं होगी। जैसे किसी अपराध के होने की सम्भावना के समय गिरफ्तारी।
  - ● अगर किसी सक्षम न्यायाधीश द्वारा जेल में निरूध कराने हेतु आदेशित किया गया हो।
  - ● सैन्य अदालतों की गिरफ्तारी पर लागू नहीं होगा।
  - ● HC / SC की अवमानना पायी गयी हो तो जारी नहीं की जाएगी।

II. परमादेश (Mandamus)– इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ''हम आदेश देते हैं''।

- ❑ यह केवल कार्यपालिका, सार्वजनिक अधिकारियों के विरूद्ध ही जारी की जाती है।
- ❑ सरकारी अध्यापकों अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु स्कूल आ ही नहीं रहा हो, तब यह रिट उसके विरुद्ध जारी की जाती है।
- ❑ इनमें से कोई भी जब अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है।
- ❑ भारत का कोई न्यायाधीश जब किसी प्रशासनिक पद पर कार्यरत हो तो ही उसके विरुद्ध यह रिट जारी की जाएगी, अन्यथा जज के कार्यों के निर्वहन के समय रिट जारी नहीं की जा सकेगी।
- ❑ **प्रशासनिक कार्य**- कौन-सा कोर्ट किस अन्य जज को दिया जाये, कोई मामला कैसे सुविधाजनक तरीके से सुलझाया जाये इत्यादि।

अपवाद

- ● सरकारी अध्यापकों के विरुद्ध जब वह किसी सवाल का उत्तर देने में सक्षम न हो तो कोई रिट जारी नहीं की जाएगी। यह उनका विवेकाधिकार होता है।
- ● कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजदूत इत्यादि के विरुद्ध अनु० 361 के साथ अनु० 14 के अनुपालन में कभी भी कोई रिट जारी नहीं की कर सकता है।
- ● जब कोई जज अपने न्यायिक कार्यों से सम्बन्धित के पद पर कार्यरत हो।
- ● जजों के सम्बन्ध में अनु० 32 की व्याख्या निम्न प्रकार है।

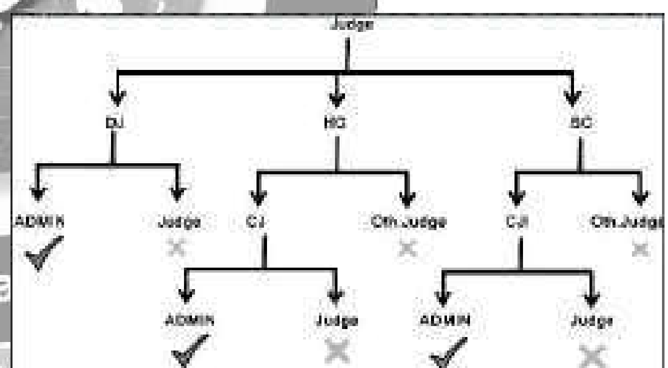

III. **प्रतिषेध-लेख (Prohibition)**- शाब्दिक अर्थ है, ''रोकना''। हम रोकने की स्वीकृति देते हैं।

- ❑ प्रतिषेध-लेख तथा उत्प्रेषण यह दोनों रिट हमेशा उच्च अदालतों द्वारा अपनी अधीनस्थ अदालतों के लिए जारी की जाती है। यह रिट हमेशा केवल न्यायालयों के लिए ही जारी की जाती है।
- ❑ कर्तव्यों को सीमित करने हेतु, अधिकार क्षेत्र से बाहर काम न करने के लिए जारी की जाती है।
- ❑ नोट:- यह रिट प्रक्रिया के दौरान जारी की जाती है।
- ❑ मतलब अगर कोई मामला किसी अधीनस्थ अदालत में विचाराधीन है, तो उसे तत्काल रिट जारीकर्ता न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा।

- ❑ जैसे- 2012 में राष्ट्रपति के चुनाव में मुलायम सिंह ने अपना वोट कभी संगमा को दे कभी प्रणव मुखर्जी को आखिर में SC ने रिट जारी कर उनका वोट कैंन्सिल कर दिया था।

IV. उत्प्रेषण (Certiorari)- शाब्दिक अर्थ है, "हम नियन्त्रण करते हैं"।

- ❑ यह कर्तव्यों को सीमित करने के लिए जारी की जाती है।
- ❑ नोट: यह रिट प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद जारी की जाती है।
- ❑ मतलब अगर कोई मामला किसी अधीनस्थ अदालत में सुना गया हो और उससे सम्बन्धित न्यायाधीश ने जल्दबाजी में बिना सभी कानूनी कार्यवाही पूर्ण किये ही आनन-फानन में फैसला: सुना दिया हो, या याचिकर्ता द्वारा कहा जाये कि उसे अपना पक्ष पूर्ण रूप से रखने नहीं दिया गया है, तब यह रिट उसकी उच्च अदालत के द्वारा जारी की जाएगी।
- ❑ इसके बाद पूरा मामला उस रिट जारीकर्ता न्यायालय के समक्ष तत्काल भेजना होगा।

V. अधिकार पृछा-लेख (Qua–Warranto)-

- ❑ जब कोई व्यक्ति संवैधानिक अधिकारों के बिना या तथ्यों को छुपाकर अपनी योग्यता से बड़े पद का निर्वहन करता है, जिसके लिए वह संवैधानिक रूप से योग्य न हो, तब ये रिट जारी होगी। जैसे

1. वर्ष 2016 में UPPSC के अध्यक्ष पद पर अयोग्य उम्मीदवार अनिल यादव को चयनित करना।
2. चपरासी, प्राधानाचार्य की गैर मौजूदगी में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने लगे।

- ☞ अनु०- 33 आवश्यक सेवाओं में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी के मूल अधिकारों को संसद द्वारा सीमित किया जा सकेगा। जैसे इंटेलीजेंस, पुलिस, सीबीआई, पैरा-मिल्ट्री फोर्स, सेना इत्यादि।
- ☞ अनु०- 34 भारत के संघ क्षेत्र में अगर कहीं भी मार्शल लॉ तथा कोई निषेधाज्ञा लागू हो तो मूल अधिकारों को सीमित किया जा सकेगा। कोई आपातकाल, धारा 144 सीआरपीसी इत्यादि।
- ☞ अनु०- 35 जहाँ भी मूल अधिकारों को लागू कराने की आवश्यकता होगी तो संसद को अधिकार है, वह कानून बनाकर उन्हें लागू करा सकेगा। जैसे- SC / ST अधि०, Civil Life Protection Act इत्यादि।

मूल अधिकारों के बारे में कुछ रोचक तथ्य

2. हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, को किस अनु० के तहत प्रभावी किया गया?- अनु० 21
3. पूर्ण मौलिक अधिकार (जिनका कोई अपवाद न हो) कौन-कौन से हैं?- 17, 24
4. केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार कौन-2 से है?- 15, 16, 19, 29, 30 बाकी सभी गैर-नागरिकों हेतु।
5. सार्वभौमिक मूल अधिकार (जो कभी खत्म न हो) कौन-कौन से है?-20, 21
6. मूल अधिकार स्थायी नहीं है। बगैर मूल ढार्चे को प्रभावित किये हुए क्या इनमें सीधे अध्यादेश लाकर संपन किया जा सकता है? नहीं, केवल सदन में विधेयक लाकर ही संभव है।
7. डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा अथवा हृदयष किसे कहा था?- अनुच्छेद 32
8. क्या किसी मदरसे में कोई गैर-मुस्लिम व्यक्ति दाखिला ले सकता है? नहीं, अनु० 29
9. किसी भी आपातकाल (अनु०- 356, 360, 365) के समय अनु० 19 के अन्तर्गत प्रदान किये गये सभी मूल अधिकार स्वत: ही समाप्त हो जाते है। इनके अतिरिक्त अन्य सभी मूल अधिकार किसी भी आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति की औपचारिक या सार्वजनिक घोषणा (Proclamation) पर निर्भर करते हैं।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व

(भाग- 4, अनुच्छेद- 35 से 51 तक)

- ☞ संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त किस देश के संविधान से प्रेरित है?- आयरलैण्ड
- ☞ राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी एक तरह से मूल अधिकार है, जोकि न्यायालय से प्रवर्तनीय नहीं है।
- ☞ आजादी के समय भारत सरकार की आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थीं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों की तरह न्यायालय में प्रवर्तनीय कराया जा सके।
- ☞ परन्तु अब जब स्थितियाँ सुधर रही है, समय-समय पर आवश्यक विधेयक लाकर इन्हें लागू कराया जा रहा है जैसे 73वाँ संविधान संशोधन 1993 से पंचायती राज व्यवस्थाओं को लागू कराना इत्यादि।
- ☞ अनु० 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए राज्य की परिभाषा।
- ☞ अनु० 37 यह किसी भी राज्य के नैतिक कर्तव्य होते हैं, जिनकी राज्य कभी भी अनदेखी नहीं कर सकता है परन्तु फिर भी यह किसी भी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं।
- ☞ अनु० 38 राज्य, लोक कल्याण निर्माण की अभिवृद्धि के लिए सहायता करेगा।
- ☞ अनु० 38 (ख) प्राइवेट नौकरी में भी महिलाओं के लिए विशेष उपबन्धों का होना। (MML – 180 दिवस)
- ☞ अनु० 39 (क) समान न्याय व नि:शुल्क विधिक सहायता प्रदान कराना।

- ❑ जैसे- किसी भी अपराधी की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की दशा में उसे विधिक सहायता प्रदान कराना राज्य का मौलिक कर्तव्य होता है।
- ☞ अनु० 39 (ख) सार्वजनिक धन का स्वामतिव इस प्रकार हो, कि वह सार्वजनिक सुविधा का सर्वोत्तम साधन बन सके।
- ☞ अनु० 39 (ग) धन का समान वितरण।
- ☞ अनु० 39 (घ) राज्य महिला तथा पुरुष प्रत्येक को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान करेगा।
  - ❑ राज्य किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के कार्य करने पर प्रतिबन्ध नहीं लगायेगा।
  - ❑ राज्य महिलाओं को ऐसे प्रोत्साहित करेगा कि खेल, सेना, ट्रांसपोर्ट, फोर्स आदि क्षेत्र में आगे बढ़े।
- ☞ अनु० 40 ग्राम पंचायतों का गठन इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा लागू किया गया है।
- ☞ अनु० 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, व सार्वजनिक सहायता (छात्रवृति, वृद्धावस्था पेंशन, मनरेगा)
- ☞ अनु० 42 मानवोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान। प्रत्येक महिला कर्मचारी को उसके कार्य क्षेत्र में अच्छा माहौल प्रदान कराया जाएगा।
- ☞ अनु० 43 फैक्ट्रियों में लेबर / कर्मकारों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी (वेतन), उत्थान हेतु Paid Leave, उत्थान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ☞ अनु 43(क) मजदूरी, कुटिर उदयोगों के प्रबन्धन में भाग ले सकेगो, लेबर यूनियन इसी का उदाहरण है।
- ☞ अनु० 43 (ख) सहकारी समितियाँ की अभिवृद्धि करना राज्य का नैतिक कर्तव्य होगा।
- ☞ अनु० 44 सभी नागरिको के लिए एक समान सिविल संहिता।
  - ❑ इसका अर्थ है, कि एक राज्य में सिर्फ एक ही कानून की व्यवस्था की जाएगी।
  - ❑ जैसे वर्तमान समय में यह गोवा में लागू की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत किसी भी अन्य कानून को मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी। अभी किसी अन्य राज्य में यह व्यवस्था लागू नहीं है।
- ☞ **अनु० 45**
  - ❑ (0-6) वर्ष के बच्चों की देख-भाल राज्य का उत्तरदायित्व होगा (टीकाकरण अभियान आदि कराना)
  - ❑ (6-14) वर्ष के बच्चों के लिए राज्य नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करायेगा।
- ☞ अनु० 46 राज्य SC / ST / OBC के उत्थान के लिए आवश्यक कार्य करेगा। इनके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक हितों को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
- ☞ अनु० 47 पोषाहार स्तर एवं जीवन के स्तर को उच्च रखना व लोक स्वास्थ्य के लिए सुविधा देना। नि:शुल्क टीकाकरण, मिड-डे-मील तथा हानिकारक खाद्य पदार्थों से भी समाज का बचाया जाएगा।
- ☞ **अनु० 48**
  - ❑ कृषि एवं पशुपालन संगठन।
  - ❑ कृषि को आगे बढ़ाने हेतु वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग, जिससे किसानों के हितों को उच्च स्तर पर पहुँचाया जा सके। गौ-हत्या को पूर्णत: प्रतिबन्धित किया जाएगा (दुधारू पशुओं का संरक्षण)।
- ☞ **अनु० 48 (क)** पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण।
- ☞ **अनु० 49** स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण
- ☞ **अनु० 50** न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्कीकरण।
- ☞ **अनु० 51** अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु प्रोत्साहन दो देशों के बीच शान्ति हेतु वार्ता / सन्धियों कराना।
- ☞ भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता है?- **अनु० 39**
- ☞ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त किसी बैंक के देय उस चौक की तरह है, जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है?- **के. टी. शाह**

क्रम	DPSP (राज्य के नीति निर्देशक तत्व)	FR (मूल अधिकार)
1.	अधिकतर +ve प्रभाव वाले है, जिस कारण राज्य इन्हें नहीं करेगा।	अधिकतर -ve प्रभाव वाले है, जिस कारण राज्य इन्हें अवश्य करेगा।
2.	न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं।	न्यायालय में प्रवर्तनीय होते हैं।
3.	आर्थिक लोकतंत्र की बहाली करेगा।	सम्मान, आत्मनिर्भर, शिक्षित समाज का निर्माण करेंगे।
4.	इन्हें लागू कराने हेतु ज्यादातर कानून बनाना पड़ेगा।	इन्हें लागू कराने हेतु अलग से कानून नहीं बनाना पड़ेगा।

राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण

इन्हें निम्नलिखित तीन सिद्धान्तों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. **सामाजवादी सिद्धान्त-**
   - ❑ यह समाज के आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक न्याय की बात करता है।
   - ❑ जैसे अनुच्छेद- 38, 39, 39(क), 41, 42, 43, 43(क), 47 आदि।
2. **गाँधीवादी सिद्धान्त-**
   - ❑ यह नैतिकता, मजदूरों के हितों की बात गाँधीवादी विचारधारा पर आधारित होने के कारण करते हैं
   - ❑ जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण क्षेत्र में कुटिर उद्योग को प्रोत्साहन, सहकारी समितियों का गठन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण, मदिरा, ड्रग व शराब पर प्रतिबंध, गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक आदि शामिल थे।
   - ❑ जैसे अनुच्छेद- 40, 43(ख), 46, 47, 48 आदि।
3. **उदार बौद्धिक वादी सिद्धान्त-**
   - ❑ जिस समाज में उदारवाद की बात की जाएगी।
   - ❑ जैसे अनुच्छेद- 44, 45, 48, 48 (क), 49, 50, 51 आदि।

मौलिक कर्तव्य

☞ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।

☞ भाग- 4 (क), अनु० 51 (क) भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है।

☞ मूल संविधान में इनकी संख्या 10 थी, परन्तु वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। (86वें CAA 2002)

1. संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना।
2. स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना।
3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।
4. देश की रक्षा करना और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करना।
5. भारत के लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना।
7. वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणिमात्र के लिए दयाभाव रखना।
8. मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना।
9. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिये प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करें।

☞ 11.6 से 14 वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदाना कराना। (86वें CAA 2002)

☞ कोरोना महामारी के समय राज्य सरकारों द्वारा लेवर लॉं को 03 वर्षों के लिए स्थगति कर देना क्या अनुच्छेद 38(क) (ख) तथा 23 का उल्लंघन है या नहीं? नहीं, क्योंकि कम्पनी का उत्थान भी लेवर को देखना एक दायित्व होता है।

राष्ट्रपति (President)

(भाग- V, अध्याय- 5, अनु० 52-73)

☞ भारत का राष्ट्रपति संसद (1. लोकसभा 2 राज्यसभा 3. राष्ट्रपति) का अभिन्न अंग होता है।

☞ भारत का राष्ट्रपति भारत का सबसे पहला नागरिक होता है।

☞ अनु० 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा।

☞ अनु० 53 संघ की कार्यपालिका (Executive) शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।

- ❑ इसका अर्थ है, कि इनकी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, यदि नियुक्ति नहीं होगी तो कार्य कैसे तथा कौन सम्पन्न करेगा?
- ❑ कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद् तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं।

☞ **अनु० 54 राष्ट्रपति का चुनाव।**

1. निर्वाचक मण्डल में कौन-2 शामिल होता है?
   - (i) संसद के दोनों सदनों (लोकसभा, राज्यसभा) के निर्वाचित सदस्य (सांसद)
   - (ii) सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (केवल MLA, MLC नहीं),
   - (iii) केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वाँ CAA 1992 से)
   - (iv) 103वें संविधान संशोधन 2019 से अब जम्मू कश्मीर भी एक ऐसा केन्द्रशासित प्रदेश बन गया है, जहाँ पर अपनी विधानसभा मौजूद है तो इसके निर्वाचित सदस्य भी अब आगे से राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। (अभी तक राष्ट्रपति द्वारा इसकी अधिसूचना जारी नहीं की है)

2. निर्वाचक मण्डल में कौन-2 शामिल नहीं होगा? (किन-2 सदस्यों को प्रतिबन्धित किया गया है?)

(i) संसद के दोनों सदनों के मानोनित सदस्य (राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य)

(ii) राज्यों की विधायिका के मानोनित सदस्य (राज्यपालों द्वारा विधायिकाओं के मनोनित सदस्य)

(iii) दिल्ली और पाण्डिचेरी केन्द्रशासित प्रदेश कि विधानसभाओं के मानोनित सदस्य। (उप-राज्यपाल या प्रशासक द्वारा मनोनित सदस्य)

(iv) यदि कोई विधानसभा विघटित हो गयी हो तो उस विधानसभा का कोई भी सदस्य इस निर्वाचक मण्डल का हिस्सा नहीं होता है। उस स्थिति में जब विघटित विधानसभा का चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव से पहले न हुआ हो।

☞ अनु० 55 निर्वाचन पद्धति हेक्टर प्रणाली से गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है।

- राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक निर्वाचन पद्धति द्वारा कराया जाता है।
- राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से निम्न कारणों से नहीं कराया जाता है।

(i) शक्तियों का आपस में टकराव न हो। जब दो बड़ी शक्तियों का परस्पर चुनाव कराया जाएगा तो टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। दो मुही सरकार का स्वरूप देखने को मिलेगा।

(ii) राष्ट्रपति तब प्रधानमंत्री की न सलाह को मानेगा और न ही उसके अनुसार कार्य करेगा।

(iii) राष्ट्रपति के पास न तो अत्यधिक कोई कार्य है, और न ही उसके पास कोई वास्तविक शक्ति है। यह नाम मात्र का राष्ट्र प्रमुख (राष्ट्राध्यक्ष) होता है।

(iv) साल 1848 में, लुई नेपोलियन को लोगों के सीधी मत से राज्य के प्रमुख के रूप में चुना गया था, लुई नेपोलियन ने फ्रेंच गणराज्य को उखाड़ फेंका और दावा किया कि उनको जनता ने सीधा चुना है, तो वो ही फ्रांस के राजा है।

(v) इस घटना को ध्यान में रखते हुए, भारत के राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं।

☞ जीत के लिए जरूरी वेटेज का कोटा = {(कुल वैद्य मत / 2) + 1)}

- राष्ट्रपति के चुनाव के समय प्रत्येक मतदाता द्वारा चार उम्मीदवारों को वरीयता के आधार (प्रायोरिटी) पर अपना मत देना होता है।
- सांसद या विधायक वोट देते वक्त अपने मतपत्र पर बताते हैं कि उनकी पहली पसंद वाला कैंडिडेट कौन है? दूसरी पसंद वाला कौन? और तीसरी पसंद वाला कौन?
- पहले चक्र की मतगणना में सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज पहली वरीयता के मत गिने जाते हैं।
- अगर इस तरह किसी की जीत हो गई तो ठीक, अगर ऐसा न हो सका, तो फिर दूसरे चक्र की गणना आरम्भ की जाएगी।
- पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है, जिसे पहली चक्र में सबसे कम वोट मिले।
- लेकिन उसको मिले वोटों में से यह देखा जाता है कि उसके वोट देने वाले मतदाताओं की दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं।
- फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
- यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार के कुल वोट तय संख्या तक पहुंच गए तो वह उम्मीदवार विजयी माना जाएगा।
- अन्यथा तीसरे चक्र की गणना आरम्भ की जाएगी जिसमें दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाला रेस से बाहर हो जाएगा और यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी।
- अगर अंत तक किसी प्रत्याशी व लय कोटा न मिले, तो भी इस प्रक्रिया में उम्मीदवार बारी-बारी से रेस से बाहर होते रहते हैं और आखिर में जो बचेगा, वही विजयी होगा।
- यह प्रक्रिया अधिकतम चार चक्र तक ही दोहराई जा सकती है।
- उदाहरण 1- माना राष्ट्रपति के चुनाव में कुल चार उम्मीदवार A, B, C, D कुल 1400 वैदय मत: डाले गये। जिसमें जीत का कोटा 1400/2+1= 701 वोट का होगा।

कुल मत	A	B	C	D	चक्र की गणना
1400	200	600	300	300	1
200	A सबसे कम वोट प्राप्तकर्ता है इसलिए 2 चक्र की गणना से बाहर कर दिया जाएगा।	120	30	50	2
प्राप्त मत (स्थान)	चौथा	विजेता 720	तीसरा 330	दूसरे 350	2 चक्र की गणना की गयी।

- ❑ उदाहरण 2 कुल 1400 वैद्य मत डाले। जिसमें जीत का कोटा 1400/2+1 = 701 वोट का होगा।

कुल मत	A	B	C	D	चक्र की गणना
1400	250	580	280	290	1
200	इस चरण से पहले सबसे कम वोट प्राप्तकर्ता A है। इसलिए A को दूसरे चक्र की गणना से बाहर कर दिया जाएगा।	100	128	22	2
312		19	193	इस चरण से सबसे कम वोट प्राप्तकर्ता D है। इसलिए तीसरे चक्र की गणना से D को बाहर कर दिया जाएगा। × × × ×	3
1400		699	701		4
कुल प्राप्त मत	250	699	701	312	4 चक्र की गणना की गयी।
परिणाण	चौथा	दूसरे	विजेता	तीसरा	

- ☞ अभी तक एक बार ही दूसरे चक्र तक की प्रक्रिया का इस्तेमाल वी॰ वी॰ गिरि (1960 ई॰) के चुनाव के समय में किया गया था।
- ☞ अनु॰ 56 कार्यकाल, अधिकतम 5 वर्ष, परन्तु राष्ट्रपति कभी भी उपराष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है।
- ☞ अनु॰ 57 राष्ट्रपति हेतु पुर्न चुनाव की योग्यता (जब तक जीवित रहेगा तब तक चुने जाने योग्य होगा)
- ☞ अनु 58 राष्ट्रपति पद हेतु आवश्यक योग्यता।
  - ❑ भारत का नागरिक हो। इ उम्र 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  - ❑ पागल व दिवालिया न हो।
  - ❑ लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो।
  - ❑ प्रस्तावक, अनुमोदक तथा जमानत राशि– क्रमश: 50, 50 तथा RBI में 15000/- रुपये पूर्व में यह क्रमश: 25, 25 तथा 2500/- थीं जिसे 1997 में बढ़ाया गया है।
  - ❑ लाभ के पद पर न हो।
  - (i). किसी भी राज्य के राज्यपाल, सांसद, विधायक का पद लाभ का पद नहीं माना जाता है।
  - (ii). यह अपने पद पर काबिज रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, परन्तु जीतने के तुरन्त बाद जिस पद पर आसीन होंगे उसे त्याग कर खाली करना होगा।
- ☞ **अनु॰ 59 पद की शर्तें**। अर्थात राष्ट्रपति के कार्यालय की दशाएँ।
  - ❑ उम्मीदवार किसी भी राज्यविधायिका अथवा संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए।
  - ❑ उसे बिना किराये का राष्ट्रपति भवन (आधिकारिक निवास) आवंटित होगा।
  - ❑ भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध भारत में कहीं कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है।
  - ❑ भारत का कोई न्यायालय राष्ट्रपति को समन जारी नहीं कर सकता है, परन्तु निजी सिविल मामलों में 02 माह के पूर्व नोटिस के साथ उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया जा सकता है।
  - ❑ यह प्रावधान भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनु॰ 14 के अपवाद के रूप में प्रदान किया है।
  - ❑ वेतन– 5 लाख (टैक्स फ्री) व अन्य भत्ते आदि। (2018 के बाद से बढ़ाया गया है)
- ☞ **अनु॰ 60** राष्ट्रपति के द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथ।
  - ❑ शपथ कौन दिलायेगा?– राष्ट्रपति को पद के गोपनीयता की शपथ SC का मुख्य न्यायाधीश (CJI), SC के CJI की अनुपस्थिति में SC का ही कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलायेगा।

राष्ट्रपति की पदावधि महाभियोग तथा पदरिक्तता

1. राष्ट्रपति की पदावधि

- ☞ अनु॰ 56 के अनुसार राष्ट्रपति के पद धारण करने से 5 वर्ष तक।
- ☞ राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपकर स्वेच्छा से अपने पद को कभी भी त्याग सकता है।
- ☞ राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाकर भी उसे हटाया जा सकता है।
- ☞ राज-अंतराल कि स्थिति न उत्पन्न हो चाहें, 5 वर्षों का कार्यकाल ही पूर्ण क्यों न हो चुका हो।

2. महाभियोग

- ☞ **अनु॰ 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया।**
  - ❑ राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध यह प्रक्रिया अमल में लायी जाती है।
  - ❑ ''संविधान का उल्लंघन'' वाक्यांश को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है।
  - ❑ यह एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि दूसरे सदन की जाँच के बाद जो भी फैसला दिया जाएगा वह राष्ट्रपति के ऊपर लागू होगा। इस प्रक्रिया में कोई जज भाग नहीं लेता है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

☞ **महाभियोग की प्रक्रिया**

- किसी भी सदन के एक-चौथाई सदस्य (जिस सदन में आरोप लगा हो उसके अपने हस्ताक्षरशुदा नोटिस को सदन में दो-तीहाई सदस्य द्वारा पारित कराकर दूसरे सदन में भेजेंगे।
- इस नोटिस पर राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाये गये संविधान के उल्लंघनों का उल्लेख किया जाता है।
- यह नोटिस महाभियोग लाने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को दिया जाएगा।
- नोटिस राष्ट्रपति को मिलने के 14 दिवस बाद दूसरा सदन इसकी जाँच करता या करवाता है, या दूसरे सदन में ही बहस की जा सकती है।
- जब दूसरा सदन इसकी जाँच करे या सदन में बहस होगी तो राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूर्ण हक होता है। वह स्वयं तथा अपने किसी भी प्रतिनिधि को भेज कर अपना पक्ष रखेगा।
- तद्उपरान्त यदि लगाया गया आधार सही पाया गया तो दो-तिहाई सदस्य अपने हस्ताक्षर कर महाभियोग को पारित कर देते है, और उसी समय से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है।
- अन्यथा आधार गलत पाये जाते है, तो महाभियोग वहीं समाप्त हो जाता है।

☞ **नोट:**- इस प्रक्रिया में ध्यान देने वाली बात ये है, कि

1) संसद के दोनों सदनों के नामित सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव का हिस्सा नहीं बने थे, वो सभी नामित सदस्य अब महाभियोग में हिस्सा लेते हैं।
2) जबकि दिल्ली, पाण्डिचेरी है जम्मू और कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य अब महाभियोग में भाग नहीं लेंगे जबकि चुनाव में इन सदस्यों ने भाग लिया था।

- महाभियोग की प्रक्रिया केवल भारत के राष्ट्रपति पर ही लागू होती है किसी अन्य (उपराष्ट्रपति, CJI, CAG) पर महाभियोग नहीं महाभियोग जैसी प्रक्रिया अनु० 124 (4) के तहत की जाती है।
- अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर कभी भी महाभियोग की कार्यवाही नहीं की गयी है।

☞ **नोट:**- यदि किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया जा चुका हो तो क्या वह दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है अथवा नहीं?- इस बात के लिए संविधान मौन है, ''अगर ऐसा हुआ हो तो यह माना जाएगा कि यह व्यक्ति संविधान के प्रति कम आस्था रखता है।''

3. पदरिक्तता

(i) राष्ट्रपति के पद धारण करने से 5 वर्ष पूर्ण होने पर।

(ii) राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपकर अपने पद को त्याग देने पर।

(iii) राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाकर भी उसे हटाया गया हो।

(iv) मृत्यु या बीमारी के कारण तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन, अवैध घोषित कर दिया गया हो।

☞ राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की दशा में कैसे भरा जाएगा?

(i) अनु० 62 राजअंतराल की स्थिति न उत्पन्न होने पाये।

- राजअंतराल न होने के लिए राष्ट्रपति का चुनाव 06 माह से पहले ही करा लिया जाएगा।
- राज-अंतराल कि स्थिति न उत्पन्न हो चाहें, 5 वर्ष का कार्यकाल ही पूर्ण क्यों न हो गया हो, तब भी राष्ट्रपति अपने पद पर तक रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद पर ना आये।
- अब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति 05 वर्ष तक अपने कार्यों का निर्वहन करेगा।

(ii) राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने की स्थिति।

- इस स्थिति में अगले राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करने तक वह अपने पद पर बना रहेगा।
- चाहे उसका 5 वर्ष का कार्यकाल ही पूर्ण क्यों न हो गया हो।
- इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिलता है।

☞ अनु० 65 उपराष्ट्रपति कैसे एक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यरत हो सकता है?

- राष्ट्रपति का पद किसी अन्य कारणों (मृत्यु त्यागपत्र, निष्कासन, बीमारी) से रिक्त हो।
- इन परिस्थितियों में भारत का उपराष्ट्रपति अथवा उसकी भी अनुपस्थिति में SC का मुख्य न्यायाधीश (CJI), अथवा उसकी भी अनुपस्थिति में SC का ही कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश को ''कार्यबाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार सौंपा जाता है।
- कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- इन परिस्थितियों के बाद 06 माह में नये राष्ट्रपति का निर्वाचन कराना अनिवार्य होगा।
- वह उपराष्ट्रपति जो ''कार्यवाहक राष्ट्रपति'' भी रहे- 5 उपराष्ट्रपति (डॉ० जाकिर हुसैन, वी० वी० गिरि, आर० वेंकटरमण, डॉ० शंकर दयाल शर्मा, के० आर० नारायणन)

☞ अनु०- 71 राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धित अगर कोई विवाद होगा, तो भारत का उच्चतम न्यायालय उसका निष्तारण करने के लिए बाध्यकारी होगा।

☞ अनु०- 74 मन्त्रिपरिषद् का राष्ट्रपति को सलाह तथा सहयोग प्रदान कराना।

- ☞ अनु०- 75 मंत्रियों से सम्बन्धित राष्ट्रपति के प्रावधान। जैसे- नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन इत्यादि
- ☞ अनु० 76 भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति ।
- ☞ अनु०- 77 भारत के सभी संवैधानिक कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाते हैं।
- ☞ अनु०- 78 राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के उत्तरदायित्व।

राष्ट्रपति की शक्ति तथा कार्य

- ☞ राष्ट्रपति की शक्तियों को किसी भी न्यायालय द्वारा या विधेयक लाकर कम नहीं किया जा सकता है।
- ☞ भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित शक्तियाँ निहित होती हैं।

1. प्रशासनिक अथवा कार्यकारी शक्तियाँ

- ☞ भारत सरकार के प्रशासन सम्बन्धी सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किये जाते है।
- ☞ प्रशासन सम्बन्धी ये सभी कार्य करने के लिए राष्ट्रपति नियम बनाता है।
- ☞ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केन्द्रशासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है।
- ☞ राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ निम्नलिखित हैं।
  - i. तीनों सेनाओं (जल, थल और वायु) के प्रमुख।
  - ii. भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक।
  - iii. मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त।
  - iv. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य।
  - v. राज्यों के राज्यसाल, प्रशाशक तथा उपराज्यपाल
  - vi. लोकपाल, वित आयोग, SC, ST, OBC, MINROTY के सदस्य व अध्यक्षों।
  - vii. प्रधानमंत्री, अन्य मंत्री, महान्यायवादी।
  - viii. राजदूत तथा उच्चायुक्तों ।

2. सैन्य शक्तियाँ

- ☞ राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च सैन्य अधिकारी (तीनों सेनाओं का प्रमुख) होता है।
- ☞ किसी भी संधि, युद्ध विराम तथा युद्ध के समाप्ति की घोषणा करता है।
- ☞ यह कार्य राष्ट्रपति केवल केन्द्रीय परिषद् की सलाह पर करता है। यह राष्ट्रपति का विवेकाधिकार नहीं होता है।

3. Diplomatic Power

- ☞ अन्य देशों के Diplomate या राजदूत का स्वागत भारत का राष्ट्रपति करेगा।
- ☞ कॉमनवेल्थ देशों के Diplometic को High Commessioner तथा अन्य देशों को Diplometic को Ambesdar कहा जाता है।

राष्ट्रमंडल क्या है?

- ☞ राष्ट्रमंडल 53 सदस्य देश (पूर्व में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल) का एक अंतरसरकारी संगठन है।
- ☞ यह संगठन उन देशों का समूह है जो कि कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। हालांकि रवांडा और मोजाम्बिक कभी भी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहे हैं फिर भी वे राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं।
- ☞ इसके उलट संयुक्त राज्य अमेरिका जोकि कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, परन्तु वह राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है।

4. न्यायिक शक्तियाँ

- ☞ राष्ट्रपति के पास किसी को मौखिक सुनने का अधिकार नहीं है। वह केवल लिखित सूचना पर ही संज्ञान ले सकता है।
- ☞ उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के सभी जजों कि नियुक्ति करता है।
- ☞ अनु०- 143 उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। परन्तु मानने के लिए बाध्य नहीं है।

राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ

- ☞ **अनु०- 72** क्षमादान देने की शक्ति।
- ☞ इस न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिये दोषी करार दिये गए व्यक्ति को निम्न मामलों में राष्ट्रपति क्षमा अर्थात् दंडादेश का निलंबन, प्राणदंड स्थगन, राहत और माफी प्रदान कर सकता है।
  - i. संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्ति के मामले में।
  - ii. सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्ति के मामले में।
  - iii. मृत्यदंड पाए हुए व्यक्ति के मामले में।

1. **लघुकरण (Commutation)**- सजा की प्रकृति को बदलना। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में।
2. **परिहार (Remission)**– सजा की अवधि को बदलना। जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना।
3. **विराम (Respite)**– विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा को कम करना। इसके तहत लघुकरण व परिहार दोनों आते है। जैसे शारीरिक अपंगता या महिलाओं कि गर्भावस्था के कारण।
4. **प्रविलंबन (Reprieve)**- किसी दंड को कुछ समय के लिये टालने की प्रक्रिया। जैसे फाँसी को कुछ समय के लिये टालना।
5. **क्षमा (Pardon)**– पूर्णत: माफ कर देना (इसका तकनीकी मतलब है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं।

- ☞ क्या राष्ट्रपति द्वारा की गयी क्षमा पर उच्चतम न्यायालय समीक्षा कर सकता है?- हाँ,
- ☞ मारू राम बनाम भारत संघ मामले 1980 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 72 के तहत शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार की सलाह पर किया जाना चाहिये।
- ☞ ना कि राष्ट्रपति द्वारा अपने विवेक से राष्ट्रपति के लिये यह SC की सलाह बाध्यकारी है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

5. **विधायी शक्तियाँ**

☞ मन्त्रिपरिषद् की लिखित सूचना पर ही राष्ट्रपति अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है।

☞ अनु०- 80 (1) राज्य सभा में मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर 12 सदस्यों का मनोनियन करता है।

☞ जो साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक कार्य के क्षेत्रों के जानकार व्यक्ति होंगे।

☞ लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष चुन सकता है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा के सभापति तथा उप-सभापति दोनों के पद रिक्त हो तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सभापति चुन सकता है।

☞ वह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यद्वीप, दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप में शान्ति, विकास व सुशासन के लिए विनियम बना सकता है।

☞ राष्ट्रपति पुडुचेरी के लिए भी विनियम बना सकता है, परन्तु जब वहाँ की विधानसभा विघटित हो।

☞ **अनु०- 85**

- ❑ संसद का सत्र बुलाना, सत्रावसान तथा लोकसभा को भंग करना।
- ❑ प्रत्येक नये वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करेगा।
- ❑ प्रत्येक नयी लोकसभा के पहले सत्र को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के द्वारा लिखी गयी संबोधन स्पीच के अनुसार सम्बोधित करता है।
- ❑ किसी ऐसे बिन्दु की ओर संसद का ध्यान आकर्षित करेगा जिस विषय पर संसद को कार्य करने की आवश्यकता होगी।
- ❑ अनु०- 108 संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है।

☞ CAG / FC / UPSC / SC / ST / OBC / MINORITIES आदि की रिपोर्ट को संसद में रखवायेगा।

☞ अनु०- 131 राष्ट्रपति किसी बिल को कैसे पारित करेगा? इसकी व्याख्या यह अनुच्छेद करता है।

☞ निषेधाधिकार के तहत राष्ट्रपति की समस्त VETO POWER प्रदान की जाती है।

1. यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पारित करने की अनुमति देता है, तो विधेयक कानून बन जाएगा।

2. राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।
   - ❑ अगर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, तभी ऐसा कर सकता है अन्यथा नहीं।
   - ❑ दोबारा यदि यही बिल परिवर्तित या अपरिवर्तित उसके पास आता है, तो इस बार राष्ट्रपति को बिल पर हर हाल में हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा।
   - ❑ किसी भी विधेयक को केवल एक बार ही लौटा सकता है।

i. **आत्यंतिक शक्तियाँ (Absolute Veto Power)**

- ❑ जिसमें राष्ट्रपति किसी प्राइवेट बिल को हस्ताक्षर करने से मना करने की शक्ति रखता है।

ii. **निलम्बनकारी शक्तियाँ (Suspensive Veto)**

- ❑ अनु० 111 जब कोई विधेयक पुरानी सरकार द्वारा हस्ताक्षर कराने हेतु राष्ट्रपति के पास भेजा गया हो, और तभी यदि सरकार परिवर्तित हो जाये, तब राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनु० 111 के तहत निर्णय लेने की शक्ति रखता है। यह राष्ट्रापति का विवेकाधिकार होता है।

3. राष्ट्रपति काफी लम्बे समय तक (अनन्त काल तक) किसी विधेयक को कोई जवाब ही ना दे।

ii. **पॉकेट/जेबी शक्तियाँ (Pocket Veto)**

- ❑ जब कोई राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनिश्चित काल तक कोई जबाब ही न दें।
- ❑ जैसे ''भारतीय डॉक विभाग संशोधन अधि०, 1986'' के तहत एक विधेयक लाया गया था।
- ❑ जिसमें प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी को भी पत्र लिखकर डॉक के माध्यम से भारत में किसी स्थान पर भेजेगा, तो भारत सरकार को उसे पढ़ने का अधिकार होगा।
- ❑ अगर उस पत्र में कोई भी असंवैधानिक बातें किसी के खिलाफ लिखी हुई हैं, तो इस पत्र मात्र को ही आधार बनाकर उसके विरुद्ध सम्बन्धित कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
- ❑ यह पत्र जिसने भी लिखा होगा और जिस भी व्यक्ति के खिलाफ ये कार्यवाही की जाएगी उसे अपनी बेगुनाही खुद साबित करनी होगी।
- ❑ स्वयं को न्यायालय में बेगुनाही साबित करना / सूबूत देना उसका खुद का उत्तरदायित्व होगा।
- ❑ 1984 ई० में प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी को उन्हीं के सिक्ख समुदाय के दो गार्डो ने गोली मारकर हत्या कर दिये जाने पर प्रधानमंत्री राजीव गाँधी द्वारा सिक्ख समुदाय से बदला लेने के इरादे से यह बिल संसद में लाया गया था। उस समय लोकसभा में 384 सीटों के एक बड़े समर्थन के साथ यह बिल दोनों सदनों से आसानी से पास भी करा दिया गया।
- ❑ परन्तु जैसे ही यह बिल राष्ट्रपति डॉ० ज्ञानी जैल सिंह जी के पास आया, उन्होंने तत्काल अनु० 143 के तहत CJI से सलाह ली।
- ❑ क्या इस बिल का गलत इस्तेमाल कर सिक्ख समुदाय का नरसंहार किया जा सकता है और क्या मैं इस बिल को किसी भी तरीके से रोक सकता हूँ?

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- ❑ जिसके उत्तर में CJI ने सलाह में कहा था कि इस बात से तो इंकार नहीं किया जा सकता है कि, बिल का गलत इस्तेमाल नहीं होगा, परन्तु भारत का राष्ट्रपति अपनी पॉकेट बीटो का इस्तेमाल करके इस बिल को अनिश्चित समय के लिए टाल सकता है।
- ❑ उस समय राष्ट्रपति डॉ० जानी जैल सिंह ने इस विधेयक पर पॉकेट बीटो का इस्तेमाल किया।
- ❑ आज तक किसी भी राष्ट्रपति द्वारा उस अधिनियम का कोई जवाब नहीं दिया गया है।
- ❑ क्योंकि अगर यह बिल पारित कर दिया जाता तो हो सकता था, कि सिक्ख समुदाय को निशाना बनाकर कुछ बेगुनाह लोगों को सताया जा सकता था।

☞ **अनु०- 123 अध्यादेश पारित करने की शक्ति।**

- ❑ जब कोई भी एक सदन चालू न हो, तब राष्ट्रपति राष्ट्र के हित से जुड़े अप्रत्याशित अथवा अविलंबनीय विषय पर केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है।
- ❑ विधेयक के भाँति कोई अध्यादेश भी पूर्ववर्ती या पूर्वलक्षी सिद्धान्त से लागू किया जा सकता है। यह केवल उन्हीं विषयों पर लाया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है।
- ❑ संविधान संशोधन के लिए अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है, और ना ही किसी अध्यादेश के माध्यम से किसी भी मूल अधिकार को प्रभावित या कम किया जा सकता है।
- ❑ जारी होने के 6 सप्ताह के अन्दर इसे संसद में पास कराना होगा, नहीं तो 6 सप्ताह बाद स्वत: ही समाप्त हो जाएगा।
- ❑ राष्ट्रपति इस अध्यादेश को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् की सलाह पर कभी भी वापस भी लेने का अधिकार रखता है। यह अचानक से पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए लाया जाता है।
- ❑ राज्यपाल निम्न प्रावधानों वाले विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है
- ❑ अब ऐसे विधेयक को स्वीकृति देना या न देना पूर्णत: अब राष्ट्रपति पर निर्भर है।
- ❑ राष्ट्रीय महत्व, अनु० 31 (क) के तहत सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध, अधिकारिता अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध बिल राज्य विधायिका में लाया जाये।
- ❑ अनु० 131 के तहत राष्ट्रपति इस विधेयक पर अब निम्न कदम उठाता है।

i. यदि राष्ट्रपति ऐसे किसी भी विधेयक को पारित करने की अनुमति देता है, तो यह विधेयक सम्बन्धित राज्य के लिए एक कानून बन जाएगा।

ii. राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।

- ❑ अगर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, तभी ऐसा कर सकता है अन्यथा नहीं।
- ❑ दोबारा यदि यही बिल परिवर्तित या अपरिवर्तित उसके पास आता है, तो राष्ट्रपति की बिल पर हस्ताक्षर करना कोई बाध्यता नहीं होगी।

☞ **नोट:**- राष्ट्रपति किसी भी राज्य विधेयक को कितनी भी बार लौटा सकता है। कोई बाध्यता नहीं।

☞ अनु० 331 के तहत लोक सभा में 2 एंग्लो-इण्डियन सदस्य मनोनित करता था। एंग्लो-इण्डियन सदस्यों का पर्याप्त अनुपात होने के चलते इसे अब समाप्त कर दिया गया है। (104वां CAA 2019)

5. वित्तीय शक्तियाँ

☞ कुछ महत्वपूर्ण बिलों को राष्ट्रपति की बिना पूर्वानुमति के संसद में नहीं लाया जा सकता है।

- ❑ अनु० 110 कोई भी धन विधेयक।
- ❑ अनु० 117 कोई भी वित्त विधेयक।
- ❑ अनु०- 3, 4 किसी भी नये राज्य के गठन के सम्बन्ध में विधेयक।

☞ अनु० 112 बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) को लोकसभा में पेश करवायेगा।

☞ अनुदान की कोई भी माँग बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के नहीं की जा सकती है। जिसका भुगतान वह भारत की आकस्मिक निधि से करता है।

6. आपातकालीन शक्तियाँ

i. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)

☞ राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कैबिनेट की लिखित सूचना पर राष्ट्रपति करेगा। (44वाँ CAA)

☞ इसे 30 दिनों में पास कराना होता है। अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात काल लगाया गया है।

(क) (26 अक्टूबर 1962 से जनवरी 1968) अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन युद्ध के समय। नोट:- भारत-पाक युद्ध 1965 के समय अलग से आपात काल की घोषणा नहीं की गयी।

(ख) (1971 से मार्च 1977 तक) भारत-पाक युद्ध के समय दोबारा लगाया गया।

(ग) (25 जून 1975 से मार्च 1977 तक) इंदिरा गांधी ने तीसरी बार आपात की घोषणा की थी।

ii. राष्ट्रपति शासन (अनु0० 356)

iii. वित्तीय आपातकाल (अनु० 360)

7. कूटनीतिक शक्तियाँ (राष्ट्रपति के कुछ विशेधिकारी)

- ❑ लोकसभा में जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो, तथा प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है।

- ❑ उस दल को 1 माह में अपना बहुमत सिद्ध करना होगा नहीं तो सदन का चुनाव होगा।
- ❑ इसका पहली बार प्रयोग 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोरार जी देसाई की सरकार के पतन के बाद प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के चुनने के समय किया था।

☞ राष्ट्रपति का पहला मतदान 1952 ई० में हुआ। इससे पहले डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 से 1952 ई० तक संविधान सभा द्वारा नियुक्ति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया।

भारत में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन-कौन रहे?

i. मुख्य न्यायाधीश एम० हिदायतुल्ला (2 बार पहली बार 1967 ई० में डॉ० जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद तथा दूसरी बार 1982 ई० में जानी जैल सिंह अमेरिका इलाज कराने गए थे)

ii. बी० डी० जत्ति (फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद 1974 में)

भारत के 6 उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भी बने-

1. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1952-62)- 1952 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन और शेख कादिर हुसैन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेशन भरा। उन्हें 25 अप्रैल, 1952 को निर्विरोध उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया। 1962 में राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने।
2. जाकिर हुसैन (1962-67)- राधाकृष्णन के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में जाकिर हुसैन को 1967 में हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। 1969 में राष्ट्रपति रहते हुए इनका निधन हो गया।
3. वीवी गिरि (1967-69)- 1967 में वीवी गिरि भारत के उपराष्ट्रपति बने। 1969 में जाकिर हुसैन की मौत होने के बाद गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने राष्ट्रपति चुनाव में गिरि को नीलम संजीव रेड्डी ने कड़ी टक्कर दी लेकिन दूसरे चक्र की मतगणना के बाद वे जीतने में कामयाब रहे।
4. रामास्वामी वेंकटरमण (1984-87) 1984 को आर. वेंकटरमण भारत के उपराष्ट्रपति बने। 1987 में ज्ञानी जैल सिंह के बाद वैंकटरमण भारत के राष्ट्रपति बने।
5. शंकर दयाल शर्मा (1987-92)- 1987 में वेंकटरमण के राष्ट्रपति बनने के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ। वे उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुने गए। 1992 में शर्मा ने राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में जीजी स्वेल और राम जेठमलानी को हराया।
6. केआर नारायणन (1992-97) 1997 में राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनाव में नारायणन विजयी हुए।

नोट:- 2 बार एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हिदार्थ पुल्ला लेकिन फुलटाइम प्रेसिडेंट नहीं बन पाए पूर्व चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला फरवरी से दिसंबर 1970 उपराष्ट्रपति रहे। जस्टिस हिदायतुल्ला पहली बार 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे इसकी वजह राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन तो था ही, साथ ही प्रेसिडेंट पोस्ट का चुनाव लड़ने के लिए वीवी गिरि ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी बार जस्टिस हिदायतुल्ला 6 अक्टूबर 1982 से 31 दिसंबर 1982 तक एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। इस दौरान ज्ञानी जैल सिंह अमेरिका इलाज कराने गए थे।

क्रम	राष्ट्रपति का नाम	कार्यकाल	
		कब से	कब तक
1.	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद	26 जनवरी 1950	1962
2.	डॉ0 एस0 राधाकृष्णन्	1962	1967
3.	डॉ0 जाकिर हुसैन	1967	1969
4.	वी0 वी0 गिरि (**द्वितीय चक्र**)	1969	1974
5.	फखरुद्दीन अली अहमद	1974	1977
6.	नीलम संजीवन रेड्डी (**निर्विरोध**)	1977	1982
7.	डॉ0 जानी जैल सिंह	1982	1987
8.	आर0 वेंकटरमण	1987	1992
9.	शंकर दयाल शर्मा	1992	1997
10.	के0 आर0 नारायण	1997	2002
11.	डॉ0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम	2002	2007
12.	प्रतिभा देवी सिंह पाटिल	2007	2012
13.	प्रणव मुखर्जी	2012	25 मई 2017
14.	डॉ0 रामनाथ कोविंद	25 मई 2017	**अब तक**

ट्रिकः- राजू (1) की राधा (2), जाकर (3), गिरी (4), फखरुद्दीन (5), रेड्डी (6), की जैन (7), मैं वेकट (8), शंकर (9), नारायण (10) कलम (11) से निकली प्रतिभा (12), प्रणव (13), राम (14) की।

राष्ट्रपति के बारे में कुछ रोचक जानकारी निम्न है।

- भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थीं?
  - प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (2007-12)
- भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे?
  - नीलम संजीव रेड्डी)
- भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई?
  - जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद
- राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धित विवाद कहाँ पर सुना जाता है?
  -सर्वोच्च न्यायलय (अनु०-71)
- 14वें राष्ट्रपति के चुनाव में प्रतिद्वन्दी उम्मीदवार कौन था?
  - मीरा कुमार
- राष्ट्रपति अपनी बीटो पॉवर का इस्तेमाल कितनी बार कर सकता है? **-कोई लिमिट नहीं है।**
- भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध भारत में कहीं भी कोई आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है. और ना ही भारत का कोई न्यायालय राष्ट्रपति को समन जारी कर सकता है, परन्तु निजी सिविल मामलों में 02 माह के पूर्व नोटिस के साथ उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया जा सकता है। यह प्रावधान भारत के राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद के अनुपालन से प्रदान किया गया है? **- अनु० 14**
- यदि मामला अविलम्बनीय लोकहित का होगा तो राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की सलाह पर एक ही अध्यादेश को क्या बार 2 जारी कर सकता है? - **हाँ**
- अगर मामला अविलम्बनीय लोकहित का है, तो कर सकता है। अगर कोई अध्यादेश जो राष्ट्रपति के द्वारा लाया गया हो तो क्या दोनों सदनों से पास होने के बाद यह राष्ट्रपति के पास पुनः जाएगा?- **नहीं,** यह पहले से ही राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है।

उपराष्ट्रपति
(Vice-President)

- राष्ट्रपति के बाद यह भारत का दूसरा सर्वोच्च पद होता है।
- उपराष्ट्रपति का सबसे प्रमुख कार्य केवल भारत के राष्ट्रपति का त्याग पत्र ग्रहण करना होता है।
- जोकि आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नहीं सौंपा गया है।
- आपके अनुसार संविधान में से किस पद को हटाया जाना चाहिए?- **उपराष्ट्रपति**
- अनु०- 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा।
- अनु०- 64 उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है।
- अनु०- 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव।
  - उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली से ही किया जाता है। **(एकल संक्रमणीय मत)**
  - निर्वाचक मण्डल- संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य **(निर्वाचित व मनोनित)**।
  - विधानसभा का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है
  - प्रस्तावक, अनुमोदक तथा जमानत राशि क्या होती है?- **(क्रमशः 50, 50 तथा RBI में 12000/-)**
- **उपराष्ट्रपति के पद हेतु योग्यता।**
  - भारत का नागरिक हो।
  - उम्र- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
  - राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। (V-imp)
  - लाभ के पद पर न हो (इसके लिए जो उपबन्ध राष्ट्रपति के लिए है वहीं मान्य होंगे।)
  - पागल व दिवालिया न हो।
- अनु०- 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष
- अनु०- 69 उपराष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ। राष्ट्रपति द्वारा दिलायी जाती है।
- वेतन- 4 लाख रुपये, उपराष्ट्रपति अपना वेतन राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में लेता है तथा पेंशन उपराष्ट्रपति के रूप में ग्रहण करता है। जो भारत की संचित निधि पर भारित होती है।
- अनु०- 124 (4) उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया।
  - उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाने के लिए कई आधार हो सकते हैं, जो उचित होगा।
  - यह एक अर्द्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इसका अर्थ है कि दूसरे सदन की जाँच के बाद जो भी फैसला दिया जाएगा, वह उपराष्ट्रपति के ऊपर लागू होगा। इस प्रक्रिया में कोई जज भाग नहीं लेता है।
  - यह केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है।
  - राज्यसभा के कम से कम एक-चौथाई (1/4) सदस्य अपने हस्ताक्षरयुक्त नोटिस को सदन के उपाध्यक्ष को सौंप देंगे। जिस पर उसके विरुद्ध लगाये गये आधार को लिखा जाएगा।
  - यह नोटिस महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाने से 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को दिया जाएगा।
  - नोटिस उपराष्ट्रपति को मिलने के 14 दिवस बाद दूसरे सदन में इसकी जाँच या बहस होती है।
  - जब दूसरा सदन इसकी जाँच करता है, या सदन में बहस होती है, तो उपराष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूर्ण हक होता है। स्वयं तथा अपने किसी भी प्रतिनिधि को भेज कर अपना पक्ष रखेगा।

- ❑ तदुपरान्त यदि लगाया गया आधार सही पाया गया तो सामान्य प्रक्रिया के द्वारा (सदन में मौजूद सदस्यों का 50% + 1) महाभियोग जैसी प्रक्रिया को पारित कर देते है, और उसी समय से उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है।
- ❑ आधार गलत पाये जाते हैं, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया वही समाप्त हो जाता है।
- ❑ इस प्रक्रिया में ध्यान देने वाली बात ये है कि प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग जैसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग नहीं लेते थे। (V-Imp)
- ❑ यदि किसी उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को अपनाया जा चुका हो तो ना तो वह अपनी कुर्सी पर बैठेगा, और ना ही उसे मताधिकार करने का अधिकार होगा।
- ❑ उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, परन्तु उसे निर्यणाक वोट डालने का अधिकार सभापति होने के कारण होता है।
- ❑ अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति पर कभी भी महाभियोग की कार्यवाही नहीं की गयी है।

☞ महाभियोग की प्रक्रिया केवल भारत के राष्ट्रपति पर ही लागू होती है।

☞ अन्य किसी (उपराष्ट्रपति, CJI, CAG आदि) पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं अपितु महाभियोग जैसी प्रक्रिया अनु० 124(4) के तहत अपनायी जाती है।

☞ उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यरत होतो राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं संभालेगा उस समय राज्यसभा के सभापति का कार्यभार उप सभापति संभाल रहा होगा।

☞ वह कौन-से उपराष्ट्रपति थे, जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में हो गई थी- कृष्णकान्त

☞ वे कौन-कौन से उपराष्ट्रपति थे जो पहले उच्चायुक्त रहे थे?- डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा वी०वी० गिरि

☞ वह उपराष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति भी रहे? 5 (डॉ0 जाकिर हुसैन, वी०वी० गिरि, आर० वैकटरमण, डा० शंकर दयाल शर्मा, क० आर० नारायणन)

भारत के उपराष्ट्रपति

क्रम	राष्ट्रपति का नाम	कार्यकाल	
		कब से	कब तक
1.	डॉ0 एस0 राधाकृष्णन	1952	1962
2.	डॉ0 जाकिर हुसैन	1962	1967
3.	वी0 वी0 गिरि	1967	1969
4.	जी0 एस0 पाठक	1969	1974
5.	बी0 डी0 जत्ती	1974	1979
6.	एम0 हिदायतुल्ला	1979	1984
7.	आर0 वैंकटरमण	1984	1987
8.	डॉ0 शंकर दयाल शर्मा	1987	1992
9.	के0 आर0 नारायणन	1992	1997
10.	कृष्णकांत	1997	2002
11.	भैरो सिंह शेखावत	2002	2007
12.	मौ0 हामिद अंसारी	2007	2017
13.	वैंकैया नायडू	2017	अब तक

केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्

☞ भारत का प्रधानमंत्री वास्तविकता में भारत का शासनाध्यक्ष होता है।

☞ जबकि भारत का राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष (संवैधानिक प्रमुख) होता है।

☞ अनु० 74 भारत की एक मन्त्रिपरिषद् COM (Council of Ministers) होगी। जो राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देगी। मंत्रिपरिषद् की किसी भी सलाह की जॉच न्यायालय के द्वारा नहीं की जाएगी।

- ❑ मन्त्रिपरिषद् (Council of Ministers)– (प्रधानमंत्री + कैबिनेट मंत्री + राज्य मंत्री उपमंत्री)
- ❑ मन्त्रिमण्डल (Cabinet of Ministers)– (प्रधानमंत्री + कैबिनेट मंत्री)

☞ **अनु० 75**

1. **प्रधानमंत्री का वेतनमान**

- ❑ बेसिक सैलरी रु. 50,000, व्यय भता रु. 3000, रोजाना भत्ता (रु. 2000 × 31 दिन) रु. 62,000, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता रु. 45,000 कुल मासिक वेतन रु. 1,60,000/- तथा रु. 20 लाख प्रतिवर्ष है।

अक्टूबर 2009 में वेतन	अक्टूबर 2010 में वेतन	अक्टूबर 2012 से वेतन
₹100,000	₹135,000	₹160,000

- ❑ भारत के प्रधानमंत्री को मिलने वाले वेतनमान का यह आंकड़ा विश्व में शासनाध्यों को मिलने वाले वेतनमान के आंकड़ों में सबसे कम है।
- ❑ प्रधानमंत्री की सेवानिवृति के पश्चात् रु.20,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
- ❑ सीमित सचिवीय सहायता के साथ, रु. 6,000 का कार्यालय खर्च भी प्रदान किया जाता है।

2. भारत के राष्ट्रपति को कुछ दशाओं में प्रधानमंत्री चुनने का विवेकाधिकार प्राप्त है।

   i. लोकसभा में जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो।

   ii. प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में।

- ❑ इन दोनों ही दशाओं में राष्ट्रपति किसी भी दल के नेता को प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है।
- ❑ उस दल को 1 माह में लोकसभा के अन्दर अपना बहुमत सिद्ध करना होगा नहीं तो लोकसभा का चुनाव होगा।
- ❑ इस अधिकार का पहली बार प्रयोग 1979 में राष्ट्रपति नीलम संजीवन रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार के पतन के बाद PM चौधरी चरण सिंह को चुनने के समय किया।

☞ अनु०- 75 (क) राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत का प्रधानमंत्री चुनता है।

☞ अनु०- 75(ख) राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद् का चुनाव करता है।

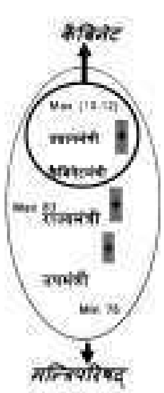

☞ मन्त्रिपरिषद् में अधिकतम मन्त्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिये?-

91वां CAA 2003 के अनुसार अधिकतम 75 से 83 तक, जो सदन के सदस्यों का 15% होंगे।

☞ अनु०- 78 व्यक्तिगत रूप से मन्त्रिपरिषद् किस के प्रति उत्तरदायी होती है?- राष्ट्रपति

☞ अनु०- 75(3) सामूहिक रूप से मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

☞ प्रधानमंत्री की मृत्यु / इस्तीफा का मतलब है कि पूरे मन्त्रिपरिषद् की मृत्यु / इस्तीफा।

☞ अनु०- 85 (1) राष्ट्रपति लोकसभा को मन्त्रिपरिषद् की लिखित सूचना पर भंग करता है।

☞ चूंकि यह प्रावधान पहले नहीं था। पहले मात्र PM की मौखिक सूचना पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता था।

☞ जिसका लाभ उठाकर प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी के द्वारा तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ''आंतरिक अशान्ति'' का कारण बताकर अचानक से 25 जून 1975 ई० को कर दी गयी थीं।

सहकारिया आयोग

☞ सन् 1983 ई० में एक सहकारिया आयोग का गठन किया गया था।

☞ सन् 1988 ई० में इस सहकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपकर निम्न बातों को कहा था।

☞ सहकारिया आयोग की रिपोर्ट में प्रमुख कार्य केन्द्र तथा राज्यों के मध्य चुनाव के बाद उत्पन्न होने वाली निम्न स्थितियों के बारे में सम्भावित विकल्पों की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर सूचना प्रदान करना था।

1. **किसी भी नेता / पार्टी के पास बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो तो-**

- ❑ पिछली बहुमत वाली पार्टी को बुलाना चाहिए।
- ❑ सबसे बड़ी पार्टी को बुलाया जाएगा, कि निर्दलियों को साथ लेकर सरकार बनाओ।
- ❑ Post Election Allanince s को बुलाया जाएगा।
- ❑ राष्ट्रपति शासन या दोबारा चुनाव कराया जाएगा।

2. **अविश्वास प्रस्ताव के समय-**

- ❑ विपक्ष के नेता को सरकार बनाने का न्यौता दिया जाएगा।
- ❑ अधिकतर मौकों पर विपक्ष का नेता ही अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लेकर आता है।
- ❑ बहुमत न मिलने की स्थिति में राज्यपाल शासन लगाया जाएगा या चुनाव कराये जाएगें।

प्रधानमंत्री के प्रमुख उत्तरदायित्व

1. राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व

- अनु० 78 (क) भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को केन्द्र सरकार के सारे कार्यों की जानकारी देता है।
- अनु० 78 (ख)
  - यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विशेष विषय के बारे में कोई जानकारी लेना चाहेगा, तो भारत का PM यह सूचना मुहैया करायेगा। PM सरकार के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत करायेगा।
  - इस तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य होता है।
- अनु०- 78 (ग)
  - यदि प्रधानमंत्री ने किसी विषय पर स्वत: (अकेले) निर्णय लिया हो तो राष्ट्रपति ऐसे विषय को मंत्रिपरिषद् के समक्ष विचारार्थ रख सकता है। यह राष्ट्रपति का विवेकाधिकार होता है।
  - यह प्रधानमंत्री की शक्तियों पर कहीं हद तक एक तरह का प्रतिबन्ध होता है।
  - जैसे माना जाये कि नोटबंदी का मसौदा राष्ट्रपति को भेजा जाता तो वह इस पर मंत्रिपरिषद् की सलाह ले सकता था। जिसके बाद इसके आने की उम्मीद कम हो जाती।
- मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य की स्थिति ठीक न होने की दशा में क्या राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु सलाह दे सकता है? नहीं, वह केवल अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपेगा, जिसके सम्बन्ध में केन्द्र राज्यपाल से रिपोर्ट मांगेगा। राज्यपाल की रिपोर्ट से अनुसार राष्ट्रपति शासन हेतु भारत की मंत्रिपरिषद्, राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है।

2. संसद के प्रति उत्तरदायित्व

- भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ता पक्ष का नेता होता है।
- प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य होने बावजूद किसी भी सदन (L.S, R.S) में बहस कर सकता है।
- संसद सदस्य के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है परन्तु वोट देने का अधिकार अपने ही सदन में होता है।
- यह छूट पूरे मंत्रिपरिषद् को इसलिए है क्योंकि विपक्ष द्वारा संसद में पूछे गये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना सरकार का कार्य होता है।
- सत्र आहूत, सत्रावसान और सत्र का विघटन प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति कराता है।
- दोनों सदनों की प्रशासनिक सुविधा हेतु किसी भी मंत्री को संसदीय कार्य मंत्री का भार दे सकता है।
- वर्तमान- श्री प्रहलाद जोशी (केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्री, भारत सरकार 2020)
- भारत का प्रधानमंत्री संसद में सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करता है।
- ''कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद् साथ में तैरता है और साथ में डूबता है।''

3. मंत्रिपरिषद् के प्रति उत्तरदायित्व

- मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है।
- PM जिसे चाहे उसे जब तक चाहे तब तक मंत्रिपरिषद् में उसे मंत्री के पद पर बना रहने देगा।
- प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति, त्याग पत्र, विभागों का निर्धारण, निस्काषित करना, विभागों में बदलाव तथा विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित कराने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करता है।
- अन्य मन्त्रियों के सापेक्ष प्रधानमंत्री की शक्तियाँ निम्नलिखित होती हैं।
- समकक्षों में प्रथम- पं० जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री।
- अधीनस्थों में प्रधान- इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी, नरेन्द्र दामोदर दास मोदी।
- समकक्षों में अंतिम- डॉ० मनमोहन सिंह।
- राष्ट्रीय सलाहकार समिति- अध्यक्षा सोनिया गाँधी थीं।
- किसी मंत्री का त्याग पत्र उसका अपना व्यक्तिगत त्याग पत्र होगा, जबकि प्रधानमंत्री का त्याग पत्र पूरे मंत्रिपरिषद् का त्याग पत्र होगा। बिना प्रधानमंत्री के सरकार नहीं ठहर सकती है।

4. प्रधानमंत्री के अन्य उत्तरदायित्व

- नीति आयोग (National Institution for Transforming India), राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council) राष्ट्रीय एकता परिषद् (National Integration Council) का पदेन अध्यक्ष होता है।
- अनु० 88 सदन के मंत्रियों के अधिकार सदन में बोलने का अधिकार, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार, संयुक्त बैठक तथा संसदीय समिति जिसमें उसको सदस्य बनाया हो में भाग लेने का अधिकार होगा। परन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा।

भारत के प्रधानमंत्री (एक नजर)

(The Prime Minister of India)

1. पण्डित जवाहर लाल नेहरू- (15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक)

- प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के पद पर सबसे लम्बा कार्यकाल- (16 वर्ष 286 दिन)
- नई मुद्रिक प्रणाली की शुरुआत - 1961
- राज्य पुर्नगठन की स्थापना की आयोग - 1953 (23 दिसम्बर 1953)
- पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत - 1959 (राजस्थान के नागौर में)
- गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में हिस्सा- 1961
- पहला राष्ट्रीय आपात काल - 26 अक्टूबर 1962 (चीन से युद्ध के कारण)
- पंचशील समझौता- 1954

- इनकी मृत्यु के बाद पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था।

2. लाल बहादुर शास्त्री

(1964 से 11 जनवरी 1966 तक)

- इनकी मृत्यु ताशकंद को जाते हुए हवाई जहाज में दिल का दौरा पड़ने से 11 जनवरी 1966 को हुई। इनके बाद दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को ही बनाया गया।
- पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। नारा- जय जवान-जय किसान।
- हरित क्रान्ति को लाया गया - 1966 (परन्तु इनके समय में लागू नहीं किया गया था)
- FCI – 1965

3. इंदिरा गांधी (1966 से 1977 तक)

- इंदिरा गाँधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं।
- हरित क्रान्ति लागू हुई - 1966
- ISRO का गठन - 1969
- दादा साहेब फाल्के पुरस्कार - 1969
- 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण - 1969

भारत का पहला परमाणु परीक्षण

- पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई, 1974 बुद्ध पूर्णिमा की सुबह 8 बजकर 5 मिनट पर राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण में परमाणु विस्फोट के साथ किया गया था।
- परमाणु बम का व्यास 1.25 मीटर और वजन 1400 किलोग्राम था।
- सेना इसको बालू में छिपाकर लाई थीं।
- जानकारी के मुताबिक विस्फोट से 8 से 10 किलोमीटर के इलाके में धरती हिल गई थी।
- पीएम इंदिरा गांधी को परीक्षण सफलतापूर्वक किये जाने की सूचना मिलने पर वह फोन से परीक्षण टीम से बोली थीं- "The Budda has finally smiled."
- तभी से इस परमाणु परीक्षण को **''स्मालिंग बुद्धा''** के नाम से भी जाना जाता है।
- उस समय भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर (BARC) के निदेशक **वैज्ञानिक राजा रमन्ना** की टीम में डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम जी भी एक सदस्य तौर पर कार्यरत थे।

भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपण

- बंगलूरू के पीन्या में तैयार किए गए 360 किलोग्राम वजन के उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 ई० में सोवियत यूनियन की सहायता से ''कॉस्मॉस-3 एच प्रक्षेपण वाहन'' द्वारा कास्पुतिन यान से प्रक्षेपित किया गया था।
- इस उपग्रह का नाम पांचवी सदी के महान खगोलविद और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रखा था।
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 1976 में दो रुपये के नोट के पिछले हिस्से पर इसको छापा था।
- तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल- 25 जून 1975
- भारत-पाक युद्ध - 1971

4. मोरारजी देसाई (1977 से 1979 तक)

- पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने।
- यह त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे।
- यह सबसे अधिक उम्र (82 वर्ष) में बनने वाले प्रधानमंत्री थे।
- यह सबसे ज्यादा बार (10 बार) भारतीय संसद में बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री भी रहे थे।

5. चौधरी चरण सिंह (1979 से 1980 तक)

- प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए कभी भी संसद का मुंह न देखने वाले प्रधानमंत्री थे।
- यह राष्ट्रपति के विवेकाधिकार का प्रयोग कर नियुक्त किये गये पहले प्रधानमंत्री थे।

6. इंदिरा गांधी- (1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक)

- इन्हीं के सुरक्षागार्डो के द्वारा 31 अक्टूबर 1984 को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई।
- इनकी मृत्यु के बाद दोबारा गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया।

7. राजीव गांधी- (1984 से 1989 तक)

- राजीव गाँधी सबसे कम उम्र में (26 वर्ष) प्रधानमंत्री चुने गये थे।
- 61वां CAA 1989 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 से घटाकर 18वर्ष कर दिया गया
- इन्होंने 1985 में भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में शार्क सम्मेलन में हिस्सा लिया था।

8. विश्वनाथ प्रताप सिंह (2 दिसम्बर 1989 से 10 नबम्बर 1990 तक)

- अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। (OBC आरक्षण लागू)

9. चन्द्रशेखर (10 नवम्बर 1990 से 21 जून 1991 तक)

10. पी0 वी0 नरसिम्हाराव (1991 से 1996 तक)

- जब यह प्रधानमंत्री बने तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे बाद में राज्यसभा सदस्य बने।

11. अटल बिहारी बाजपेयी (16 मई 1996 से 01 जून 1996 तक)

- ❑ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 20 मई को बुद्ध-स्थल पहुंचे। वही प्रधानमंत्री ने देश को एक नया नारा दिया 'जय जवान जय- किसान-जय विज्ञान'।
- ❑ यह इनका अब तक के किसी भी प्रधानमंत्री का सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिवस का था।

12. एचडी देवगौडा- (1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक) PM बने, उस समय MLA थे।

13. इन्द्र कुमार गुजराल (21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक)

14. अटल बिहारी बाजपेयी (19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक)

- ❑ स्वर्णीम चतुर्भुज योजना 1998 ई० में लागू कि गयी थीं, जिसके द्वारा चारों महानगरों की सीमाओं को सड़कों की मदद से एक-दूसरे के साथ जोड़ा गया था।
- ❑ इनका यह दूसरा कार्यकाल मात्र 13 माह तक ही चल पाया था।

15. अटल बिहारी बाजपेयी (13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक)

16. डॉ० मनमोहन सिंह (2004 से 25 मई 2014 तक)

17. नरेन्द्र दमोदर दास मोदी- (26 मई 2014 से लगातार)

- ❑ 17वी लोकसभा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 30 मई 2019 से कार्यरत हैं।
- ❑ वह प्रथम प्रधानमंत्री जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था- नरेन्द्र मोदी (17 Sep 1950)
- ❑ 08 नवम्बर 2016 (रात 8:00 बजे) को PM मोदी ने विमुद्रीकरण (नोटबन्दी) की घोषणा की थी
- ❑ 01 जुलाई 2017 को ही GST विधेयक को भारतीय संसद में पारित किया गया था।
- ❑ 06 अगस्त 2019 को PM मोदी के कार्यकाल में ही जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन विधेयक 2019 (अनु० 370 में बदलाव) को संसद से पारित किया गया था।
- ❑ 29 अगस्त 2019 को PM मोदी के कार्यकाल में ही मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 (तीन तलाक) को राज्यसभा में रखकर भारतीय संसद में पास कराकर भूतलक्षी सिद्धान्त द्वारा दिनांक 19 सितम्बर 2018 से प्रभावी कराया गया है।
- ❑ 09 नवम्बर 2019 को SC के द्वारा 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने सर्वसम्मति से अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के पक्ष में बाबरी मस्जिद ढाँचा, 1994 के मुकदमे में फैंसला सुनाया था।
- ❑ भारत के वह प्रधानमंत्री जो राज्यसभा सदस्य के रूप में नियुक्त किये गये थे-

1. इंदिरा गांधी (1966)
2. एच०डी० देवगोंडा (1996)
3. इन्द्र कुमार गुजराल (1997)
4. डॉ० मनमोहन सिंह

☞ भारत में अबतक कुल क्रमानुसार 17 व व्यक्तिगत रूप से 14 प्रधानमंत्री अपने पद पर आसीन हुए हैं।

किचिंन कैबिनेट

☞ मंत्रीपरिषद् के अतिरिक्त व्यवहारिक रूप से इससे भी छोटी संस्था आंतरिक कैबिनेट या किचन कैबिनेट है जो वास्तव में सता का केंद्र बन गई है। इस अनौपचारिक संस्था में प्रधानमंत्री तथा उसके विश्वास पात्र 2-4 प्रभावी सहयोगी होते हैं। जिसके साथ प्रधानमंत्री प्रत्येक समस्याओं पर विचार विमर्श करता है।

☞ किचिन कैबिनेट प्रधानमंत्री को राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देती हैं तथा महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने में प्रधानमंत्री की मदद करती है।

☞ किचिन कैबिनेट में न केवल कैबिनेट मंत्री बल्कि प्रधानमंत्री के मित्र और परिवार के सदस्य भी शामिल होते हैं।

☞ प्रधानमंत्री डॉ० मनमोहन सिंह के समय में किचिन कैबिनेट ने बहुत व्यापक रूप से कार्य किया जिसके समर्थन में एक केन्द्रीय सलाहकार समिति को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास भी किया गया था। परन्तु सफल नहीं हो सका था। इस समिति की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गाँधी थीं।

☞ प्रधानमंत्री नरेन्द्र दमोदर दास मोदी के समय में ऐसी किसी भी कैबिनेट का कोई भी रूप देखने को नहीं मिलता है।

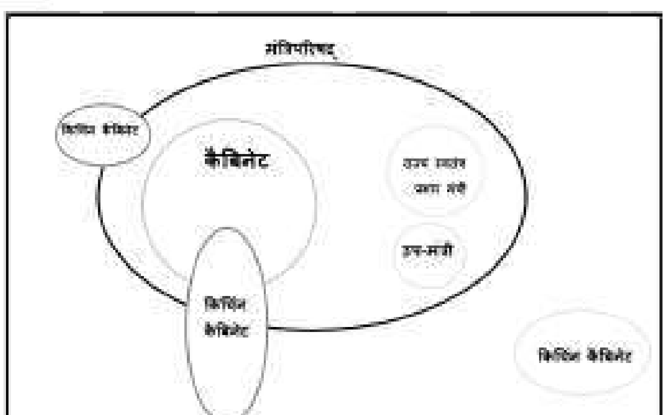

राज्यपाल

(भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 237 तक)

☞ **अनु० 153**

- ❑ देश में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
- ❑ जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति, उसी तरह राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है।
- ❑ इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का वर्णन किया गया है जो राज्य का प्रथम नागरिक होता है।
- ❑ राज्यपाल, राज्य में केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। वह भारतीय राजनीति के संघीय प्रणाली का हिस्सा है तथा संघ एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करता है।

☞ **अनु० 231**

- ❑ एक ही समय में एक व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में 2 या 2 से अधिक राज्यों का कार्यभार हेतु नियुक्त किया जा सकता है। यह प्रावधान 7वां CAA 1956 के द्वारा किया गया था।

☞ अनु० 154 राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद् तथा राज्यों के महाधिवक्ता शामिल होते है, इनकी शक्तियाँ ही कार्यपालिका की शक्तियों होती हैं, जो राज्यपाल में निहित होती हैं।

☞ **अनु० 155**

- ❑ प्रत्येक राज्य का राज्यपाल देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के मोहर लगे आजा पत्र (भारत का राजपत्र) द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल का चुनाव न ही जनता द्वारा और न ही राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
- ❑ यह प्रक्रिया कनाडा से ली गयी है। जबकि अमेरिका में राज्यपाल का चुनाव जनता द्वारा होता है।
- ❑ यह राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है। (V.imp)

☞ **अनु० 157** राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हेतु योग्यता।

- ❑ वह भारतीय नागरिक हो।
- ❑ कम-से-कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- ❑ राज्यपाल हमेशा बाहरी होना चाहिए। उसका नाम उस राज्य की निर्वाचन सूची में नहीं होना चाहिए।
- ❑ राष्ट्रपति जब किसी राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए परन्तु मुख्यमंत्री की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे।

☞ **अनु० 158**

- ❑ राज्यपाल के पद की दशाएँ का वर्णन किया गया है।
- ❑ लाभ के पद पर न हो।

i. किसी भी राज्य के राज्यपाल, सांसद, विधायक का पद लाभ का पद नही माना जाता है।

ii. यह अपने पद पर काबिज रहते हुए भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते है, परन्तु जीतने के तुरन्त बाद जिस पद पर भी आसीन होंगे उसे त्याग कर खाली करना होगा।

iii. राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान संसद में कोई विधेयक लाकर कभी भी इनके वेतन व भतों को कम नहीं किया जा सकता है, बढ़ोत्तरी संभव है।

iv. राज्यों के राज्यपाल को सम्बन्धित राज्य की सीमा में बिना किसी किराये के एक राजभवन या आधिकारिक निगम (राज्यपाल का निवास स्थान न कि कार्यालय) उपलब्ध कराया जाएगा।

v. जिस तरह केन्द्र में राष्ट्रपति का एक कार्यालय राष्ट्रपति भवन के रूप में नई दिल्ली में स्थिति है, उस तरह राज्य में राज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता है, यह अपने राजभवन (आवास) से ही अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

☞ **अनु० 221**

- ❑ राज्यपाल को मिलने वाला वेतन- 350000/- जब एक राज्य का कार्यभार सँभाल रहा हो।
- ❑ अनु० 231, परन्तु जब कोई राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार सँभाल रहा हो तो उसके वेतन को राष्ट्रपति निर्धारित करता है।

☞ **अनु० 159** राज्यपाल को सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय (HC) का मुख्य न्यायाधीश तथा इसकी अनुपस्थिति में HC का वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाता है।

☞ कार्यकाल एक बार में 5 वर्ष तथा राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त तक पद पर बना रहता है (सामान्यत: वह इस अवधि से पूर्व भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपने पद का त्याग कर सकता है।)

☞ **नोट:-** पद रिक्त होने की स्थिति में जो राष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में उपबन्ध लागू होते हैं, वहीं राज्यपाल के लिए भी लागू होते हैं।

☞ **अनु०** 153 से 162 तक राज्यपाल की भूमिका का वर्णन किया गया है।

- ❑ राज्य में राज्यपाल की भूमिका कमोबेश देश में कहीं हद तक राष्ट्रपति के सामान ही होती है।
- ❑ राज्यपाल के कार्यों को मुख्यत: 4 भागों (कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक) में बाँटा गया है।

1. कार्यकारी

☞ यह संवैधानिक/औपचारिक प्रमुख होता है। राज्य की सभी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से होती हैं।

☞ यह बहुमत दल के नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, तथा राज्य के मंत्रिमंडल के गठन में मुख्यमंत्री की सहायता करता है।

☞ अनु० 163 राज्यपाल को विवेकाधिकार की शक्तियाँ प्रदान करता है।

- ❑ राज्यपाल स्वविवेक संबंधी कार्यों में मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है।
- ❑ जैसे आपातकाल के दौरान वह मंत्रिपरिषद् की सलाह मानने के लिये बिल्कुल भी बाध्य नहीं है।
- ❑ वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता हुए राज्य का वास्तविक शासक बन जाता है।
- ❑ राज्यपाल को इस सम्बन्ध में निम्नलिखित विवेकाधीन शक्तियाँ प्रदान की गयी है।

i. किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिले तो CM के चयन में अपने विवेक का प्रयोग कर सकेगा।

ii. दल को बहुमत सिद्ध करने को कितना समय दिया जाये, यह राज्यपाल के विवेकाधिकार है।

☞ **राज्यपाल के द्वारा की जाने वाली नियुक्ति निम्न हैं।**

i. राज्य के मुख्यमंत्री तथा विधान मंत्रिपरिषद् के सदस्य, राज्य निर्वाचन आयुक्त।

ii. अनु० 217 के तहत HC के न्यायाधीश की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को सुझाव देता है।

iii. अनु० 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्त करता है।

iv. अनु० 234 राज्यपाल द्वारा जिला जज को छोड़कर न्यायिक सेवा में नियुक्ति की जाती हैं।

v. राज्य के उच्च न्यायालय के साथ विचार कर महाधिवक्ता, जिला न्यायालय के न्यायधीश के नियुक्ति, स्थानांतरण और पदोन्नति संबंधी निर्णय राज्यपाल लेता है।

vi. राज्य चुनाव आयुक्त तथा राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति करता है।

vii. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति करता है। परन्तु राष्ट्रपति ही इनको हटा सकता है।

viii. राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है।

ix. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के जनजाति प्रभावित जिलों में एक जनजाति कल्याणमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जैसे- छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखण्ड, ओडिसा, नागालैण्ड, मणिपुर राज्य में (बिहार 94वें CAA 2006 द्वारा इससे बाहर कर दिया गया है।)

2. विधायी कार्य

☞ राज्यपाल को विधानसभा की बैठक किसी भी आपात स्थिति में बुलाने और किसी भी समय स्थगित करने का अधिकार होता है।

☞ प्रत्येक नये वर्ष में विधायिका के पहले सत्र को संबोधित करेगा। प्रत्येक नयी विधायिका के पहले सत्र को राज्य विधान मंत्रिपरिषद् के द्वारा लिखी गयी संबोधन स्पीच के अनुसार सम्बोधित करता है।

☞ राज्य FC / राज्य PSC आदि की रिपोर्ट को सम्बन्धित राज्य विधानसभा में रखवायेगा।

☞ **अनु० 200**

- ❑ राज्य विधानमंडल (राज्य की विधायिका) में कोई विधेयक पारित कराने के सम्बन्ध में राज्यपाल के पास 4 तरह की बीटो पॉवर होती है। राज्यपाल अनु० 200 के तहत चार निर्णय ले सकता है।

i. यदि राज्यपाल किसी भी विधेयक को पारित करने की अनुमति देता है, तो यह विधेयक सम्बन्धित राज्य के लिए एक कानून बन जाता है।

ii. राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।

- ❑ अगर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, तभी ऐसा कर सकता है अन्यथा नहीं।
- ❑ दोबारा यदि यही बिल परिवर्तित या अपरिवर्तित उसके पास आता है, तो इस बार राज्यपाल को बिल पर हर हाल में हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा।
- ❑ राज्यपाल किसी भी विधेयक को केवल एक बार ही लौटा सकता है।

iii. राज्यपाल किसी ऐसे विधेयक को हस्ताक्षर करने से साफ मना भी कर सकता है, जो राज्य हित में नहीं है, और ना ही आवश्यक है। कोई जवाब ही ना दे- पॉकेट बीटो।

- ❑ जैसे कोई ऐसा बिल जो मुख्यमंत्री की शक्तियों को संघ से बढ़ाने के सम्बन्ध में हो। राज्यपाल ऐसा इसलिए करता है, क्योंकि केन्द्र व राज्य सरकार में तनाव पैदा न हो सके।

iv. राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार- **अनु० 201**

- ❑ राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है।
- ❑ राष्ट्रीय महत्त्व, अनु० 31(क) के तहत सम्पति के अनिवार्य अधिग्रहण, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध, अधिकारिता अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध विधेयक राज्य विधायिका में लाया जाएगा, उन्हें राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार होता है।
- ❑ राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक को भेजने के बाद राज्यपाल की भूमिका यहीं पर समाप्त हो जाती है। अर्थात् उस विधेयक को स्वीकृति देना या न देना पूर्णत: अब राष्ट्रपति पर निर्भर है।
- ❑ अनु० 111/131 के तहत राष्ट्रपति इस विधेयक पर अब निम्न कदम उठा सकता है।

i. यदि राष्ट्रपति ऐसे किसी भी विधेयक को पारित करने की अनुमति देता है, तो यह विधेयक सम्बन्धित राज्य के लिए एक कानून बन जाएगा।

ii. राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।

- ❑ अगर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, तभी ऐसा कर सकता है अन्यथा नहीं।

- ❑ दोबारा यदि यही बिल परिवर्तित या अपरिवर्तित उसके पास आता है, तो राष्ट्रपति की बिल पर हस्ताक्षर करना कोई बाध्यता नहीं होगी।
    - ● नोट:- राष्ट्रपति किसी भी राज्य विधेयक को कितनी भी बार लौटा सकता है।

iii. राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को हस्ताक्षर करने से साफ मना भी कर सकता है, जो राज्य हित में नहीं है, और ना ही आवश्यक है। कोई जवाब ही ना दे- पॉकेट बीटो।

- ❑ जैसे कोई ऐसा बिल जो CM की शक्तियों को बढ़ाने के सम्बन्ध में लाया जा रहा हो।
- ❑ राष्ट्रपति ऐसा इसलिए करता है, क्योंकि कहीं केन्द्र और राज्य सरकार में किसी मुद्दे को लेकर तनाव पैदा न हो सके।

☞ इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य विधायिका में कोई भी विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता है।

☞ **अनु० 213**

- ❑ किसी भी राज्य में आपात स्थितियों के दौरान राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।
- ❑ ऐसे प्रत्येक अध्यादेश को 6 सप्ताह के अन्दर राज्य विधायिका (अगर द्विसदनीय हो तो दोनों में पृथक-2) से पास कराना आवश्यक है, अन्यथा 6 सप्ताह के बाद स्वत: ही समाप्त हो जाता है।

3. वित्तीय कार्य

☞ राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य का बजट) को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाएगा।

☞ किसी भी धन विधेयक को विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति के बाद प्रस्तुत किया जाता है।

☞ पंचायतों एवं नगरपालिका की वित्तीय स्थिति की हर पाँच वर्षों बाद समीक्षा करने के लिये राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का भी गठन करता है।

☞ अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए के लिए राज्य की आकस्मिता निधि से अग्रिम धन ले सकता है।

4. न्यायिक कार्य

☞ अनु० 161 द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियों प्रदान की गई है।

☞ राज्यपाल राज्य की विधि के विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के संदर्भ में निम्न शक्तियों रखता है।

- ❑ सम्बन्धित राज्य का राज्यपाल उसी राज्य की विधि के विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति के दंड अवधि को कम एवं दंड का स्वरूप बदल सकता है।

राज्य के राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों पर प्रतिबन्ध।

i. राज्यपाल संघ से जुड़े मामलों में क्षमादान की शक्ति नहीं रखता है।

- ❑ कोई मामला राज्य से सम्बन्धित है अथवा नहीं यह सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान में उल्लेखित तीनों सूचियों के आधार पर तय करता है।

ii. राज्यपाल के पास मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं होता है।

iii. राज्यपाल किसी भी सैन्य अदालत से प्राप्त सजायाफ्ता की सजा को क्षमा नहीं कर सकता है।

☞ जबकि राष्ट्रपति को यह सभी शक्तियाँ प्रदान की गयी है।

☞ नोट:- उपरोक्तानुसार राष्ट्रपति को प्राप्त क्षमादान की शक्तियों राज्य के राज्यपाल से भिन्न होती है।

●●●

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

भारत के राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल

क्रम	राष्ट्रपति	अनु0	अनु0	राज्यपाल
1.	राष्ट्रपति का वर्णन **भाग 5** में किया गया है।	52-73	153-237	राज्यपाल का वर्णन **भाग 6** में किया गया है।
2.	भारत का **एक राष्ट्रपति** होगा।	52	153	प्रत्येक राज्य का **एक राज्यपाल** होगा।
3.	संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ (राष्ट्राध्यक्ष के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है) राष्ट्रपति में निहित होती हैं।	53	154	राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ (राज्य के संवैधानिक प्रधान के रूप में राज्यपाल का वर्णन किया गया है) राज्यपाल में निहित होती हैं।
4.	निर्वाचक मण्डल (चुनाव)	54	--	राज्यपाल का चुनाव ही नहीं होता है।
5.	निर्वाचन प्रणाली (हैक्टर प्रणाली– एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा)	55	155	केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् की अनुशंसा पर राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की **नियुक्ति** करता है।
6.	कार्यकाल एक बार में 5 वर्ष।	56	156	एक बार में 5 वर्ष तथा केन्द्र की मंत्रिपरिषद् की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त तक अपने पद बना रहता है।
7.	राष्ट्रपति के पुर्नचुनाव के लिए अर्हता। (भारत का राष्ट्रपति कितनी बार भी चुना जा सकता है)	57	158	एक कार्यकाल पूर्ण करने के बाद पुनः केन्द्र की मंत्रिपरिषद् की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त तक।
8.	राष्ट्रपति के पद की योग्यताओं के बारे में बताया गया है।	58	157	राज्यपाल के पद की योग्यताओं के बारे में बताया गया है।
9.	शपथ SC का **CJI** दिलाता है।	60	159	शपथ HC का **CJ** दिलाता है।
10.	राष्ट्रपति के विरुद्ध **महाभियोग की प्रक्रिया** को अमल में लाया जा सकता है।	61	124(4)	कोई महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं लगाई जाती है। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की अनुशंसा पर सीधे राष्ट्रपति द्वारा **हटाया** जाता है।
11.	राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की दशा में उसकी पूर्ति के लिए चुनाव कराने के लिए समय का वर्णन जिससे कि राजअंतराल की स्थिति उत्पन्न न हो सके।	62	213 7CAA1956	किसी राज्य के राज्यपाल का पद रिक्त होने की स्थिति में किसी दूसरे राज्य के राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।
12.	राष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित कोई विवाद।	71	--	यहाँ ऐसी कोई स्थिति नही उत्पन्न होती है।
13.	किन परिस्थितियों में एक उपराष्टपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है।	65	160	आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कर्तव्यों का वर्णन (ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल राज्य की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है।)
14.	**क्षमादान की शक्तियाँ** i. संघ से जुड़े मामलों में। ii. मृत्युदंड को क्षमादान में परिवर्तित करने के मामलो में। iii. सैन्य अदालत के सजायाफ्ताओं के मामलों में।	72	161	**क्षमादान की शक्तियाँ** i. संघ से जुड़े मामलों में नहीं है। ii. मृत्युदंड को क्षमादान में परिवर्तित करने के मामलो में नहीं। iii. सैन्य अदालत के सजायाफ्ताओं के मामलों में नहीं है।
15.	मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रपति को सलाह तथा सहयोग प्रदान करेगा।	74	**163**	प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री की सलाह से कार्य करता है।
16.	राज्य सभा में मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर 12 सदस्यों का मनोनियन करता है।	80(i)	333	विधान परिषद् में एंग्लो इण्डियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कम होने पर 1 सदस्य को मनोनयन करता था। परन्तु अब **104वाँ CAA 2019** द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया।

17.	भारत के महान्यायवादी का वर्णन।	76	165	राज्यों के महाधिवक्ता का वर्णन।
18.	राष्ट्रपति को सूचना प्रदान कराना तथा प्रधानमंत्री के प्रमुख तीन उत्तरदायित्वों का 78(क), 78(ख), 78(ग) में वर्णन।	78	167	राज्यपाल को सूचना प्रदान कराना तथा मुख्यमंत्री के प्रमुख तीन उत्तरदायित्वों का 167(क), 167(ख), 167(ग) में वर्णन।
19.	संसद के सत्र, सत्रावसान तथा भंग कराना।	85	174	राज्य की विधायिका के सत्र, सत्रावसान तथा भंग कराना।
20.	संसद द्वारा पारित विधेयकों को सहमति प्रदान कर अधिनियम में परिवर्तित करना।	111	200	राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को सहमति देकर अधिनियम में परिवर्तित करना।
21.	संघीय बजट (वर्षिक वितीय विवरण)	112		राज्यों के बजट
22.	SC तथा HC के न्यायधीशों की नियुक्ति।		217	राज्यपाल की HC के न्यायाधीश कि नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देना।
23.	अविलम्बिय जनहित के मामलों में अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ प्रदान की गयी है।	123	213	राज्यपाल राज्य के लिए अविलम्बिय जनहित के मामलों में अध्यादेश ला सकता है।
24.	राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पॉवर है।	131	201	राज्यपाल के पास 4 प्रकार की वीटो पॉवर है।
25.	SC से सलाह ले सकता है।	143	--	SC / HC से कोई सलाह नहीं ले सकता है।
26.	राष्ट्रपति कई तरह के आपातकाल मंत्रिपरिषद् की सलाह पर लागू कर सकते है।	352, 356, 360	356	राज्यपाल केवल राष्ट्रपति शासन हेतु राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, न कि किसी भी प्रकार का आपातकाल लागू कर सकता है।
27.	वेतनमान 5 लाख रुपये टैक्स मुक्त।		221	वेतनमान 3.5 लाख टैक्स मुक्त।
28.	ऐसा कोई अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होता है।			ST क्षेत्रों के जनजाति प्रभावित जिलों में एक ST मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। जैसे– नागालैण्ड, मणिपुर आदि जिले में।
29.	राष्ट्रपति संघ के मंत्रिपरिषद् की शक्तियों को अपने हाथ में नहीं ले सकता है।			राज्यपाल राज्य के मंत्रिपरिषद् की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है।
30.	राष्ट्रपति सैन्य प्रमुख होता है।			राज्यपाल के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
31.	राष्ट्रपति को कई प्रकार की Deplometic Power प्रदान की गई है।			जबकि राज्यपाल को कोई भी Deplometic Power प्रदान नहीं की गयी है।

मुख्यमंत्री

☞ **अनु० 164 (क)**

- मुख्यमंत्री राज्यों में सरकार का प्रमुख तथा मंत्रिपरिषद् का प्रधान होगा।
- संविधान में मुख्यमंत्री के निर्वाचन के लिए विशेष प्रावधान नहीं है।
- संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल, राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।
- किसी भी बड़े दल को चुनाव में बहुमत प्राप्त न होने की दशा में 2 या 2 से अधिक दलों के गठबंधन से विधायक दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।
- जिसे 1 माह या राज्यपाल द्वारा प्रदान समय-सीमा में सम्बन्धित राज्य की विधायिका में अपना बहुमत साबित करना होता है।
- **नोटः**- राज्यपाल के द्वारा प्रदान की गयी समय-सीमा पर SC टिप्पणी कर सकता है।
- राज्यपाल द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री चुना जा सकता है, जो राज्य विधायिका का सदस्य भी न हो, परन्तु उसे 6 माह में राज्य विधायिका की सदस्यता ग्रहण करनी होगी।
- राज्य के मंत्रिपरिषद् की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- परन्तु केन्द्रशासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उप-राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि मंत्रिपरिषद् का आकार मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा।
- लेकिन मंत्री परिषद् की सदस्य संख्या 12 से कम नहीं होगी।
- अपवाद दिल्ली में यह संख्या मानक से कम होने के कारण दिल्लीब्ड केन्द्र सरकार को कोसता है।
- मुख्यमंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत तथा विधायिका में विश्वास मत होने तक पद पर बने रहता है।
- मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है।
- अनु० 164 राज्य मंत्रिपरिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के प्रति होती है।
- राज्य मंत्रिपरिषद् की व्यक्तिगत जिम्मेदारी राज्यपाल के प्रति होगी।
- अनु० 352 (राष्ट्रपति शासन) लागू होने पर मुख्यमंत्री केन्द्र सरकार के निर्देशन पर कार्य करता है।

मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्व

☞ **अनुच्छेद 163(क)**

- वह अपने कर्तव्य उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करें उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी।

☞ **अनुच्छेद 167(क)**

- मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना व संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें।

☞ **अनुच्छेद 167 (ख)**

- राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषय प्रस्थापनाओं संबंधी जानकारी राज्यपाल मांगेगा, तो मुख्यमंत्री यह सूचना देने के लिए बाध्य होगा।
- CM राज्यपाल को राज्य के प्रशासन तथा विधायन सम्बन्धी सभी प्रस्तावों की जानकारी देता है।

☞ **अनुच्छेद 167 (ग)**

- यदि मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य ने किसी विषय पर अकेले निर्णय लिया है, तो राज्यपाल के कहने पर उस निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ रखा जा सकता है।

☞ **मुख्यमंत्री के अन्य उत्तरदायित्व**

- मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद् (NDC) में राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है।
- मुख्यमंत्री परिषद् की बैठक की अध्यक्षता करता है, तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का पालन करता है।
- मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह देता है।
- मुख्यमंत्री, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष है और इस रूप में वह अपने मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के चयन, उनके विभागों के वितरण तथा पदमुक्ति और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों एवं महाधिवक्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देता है।
- राज्य में असैनिक पदाधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश मुख्यमंत्री के आदेश पर जारी किये जाते हैं।
- यदि मंत्रिपरिषद् का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद् की नीतियों से भिन्न मत रखता है, तो मुख्यमंत्री उसे त्यागपत्र देने के लिए कहता है या राज्यपाल से उसे बर्खास्त कराने की सिफारिश कर सकता है।
- राज्य नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। भारत के कुछ राज्यों में नीति आयोग स्थापित हैं।

भारत के प्रधानमंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री में अन्तर:-

क्रम	प्रधानमंत्री	अनु०	अनु०	मुख्यमंत्री
1.	प्रधानमंत्री का वर्णन भाग 3 में किया हुआ है।	74	164	मुख्यमंत्री का वर्णन भाग 4 में किया हुआ है।
2.			163	मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देना।
3.			166	राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही संचालन
4.			167	राज्यपाल को सूचना प्रदान करने से संबंधित मुख्यमंत्री के दायित्व।

भारतीय संसद भवन

स्थापत्य:-

- इसका डिजायन मशहूर वास्तुविद (आर्किटेक्ट) सर एडविन लुटियंस ने 1912-13 में तैयार किया था।
- सर हेबर्ट ब्रेकर के निरीक्षण में संसद का निर्माण कार्य पूर्ण कराने में 6 वर्षों का लंबा समय लगा।
- खंभों तथा गोलाकार बरामदों से निर्मित यह पुर्तगाली स्थापत्यकला का अदभुत नमूना पेश करता है।
- संसद भवन को गोलाकार गलियारों के कारण शुरू में इसे सर्कलुर हाउस भी कहा जाता था।

निर्माण:-

- भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 ई० को ड्यूक आफ कनाट ने किया था।
- उस समय भारत का वायसराय चैम्सफोर्ड (4 अप्रैल 1916 से 2 अप्रैल 1921 तक) था।
- इसका उद्‌घाटन तथा रहने वाले भारतीय वायसराय इरविन ने 18 जनवरी 1927 ई० को किया था।
- संपूर्ण भवन के निर्माण कार्य में कुल 83 लाख रुपये की लागत आई थीं।

आकार:-

- गोलाकार आवृत्ति में निर्मित संसद भवन का व्यास 17069 मीटर तथा इसकी परिधि आधा किलोमीटर से अधिक (536 33 मीटर) है। जो करीब छह एकड़ (24281.16 वर्ग मीटर) भू-भाग पर स्थित है।
- दो अर्धवृत्ताकार भवन केंद्रीय हाल को खूबसूरत गुंबदों से घेरे हुए हैं।
- भवन के पहले तल का गलियारा 144 ग्रेनाइट पत्थर के 27 फीट (8.23 मी.) लम्बे खंभों पर टिका है।
- भारतीय संसद भवन में 12 दरवाजे हैं, जिसमें गेट नम्बर 1 मुख्य द्वार का कार्य करता है।

केंद्रीय हाल:-

- केंद्रीय कक्ष गोलाकार गुंबद, जिसका व्यास 98 फीट (29.87 मीटर) है।
- केंद्रीय हाल का इतिहास में विशेष महत्व है।
  - ❑ 15 अगस्त 1947 ई० को अंग्रेजों से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण इसी कक्ष में हुआ था।
  - ❑ भारतीय संविधान का प्रारूप भी इसी हाल में तैयार किया गया था।
  - ❑ आजादी से पहले केंद्रीय हाल का उपयोग केंद्रीय विधायिका और राज्यों की परिषदों के द्वारा लाइब्रेरी के तौर पर किया जाता था।
  - ❑ 1946 ई० में संविधान सभा के गठन के बाद से इसका स्वरूप बदल दिया गया और अब यहां संविधान सभा की बैठके होने लगी।
  - ❑ 9 दिसम्बर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक के मध्य में कुल 12 बैठकें यहाँ पर सम्पन्न हुई थीं।
  - ❑ वर्तमान में केंद्रीय हाल का उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों के लिए होता है, जिसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। (अनु० 108)

संस्था:-

- संसद भवन देश की सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। इसके प्रमुख रूप से तीन भाग है- लोकसभा, राज्यसभा व केंद्रीय हाल।

संसद
(भाग- 5, अनुच्छेद 79 से 122)

- भारत में द्विसदनात्मक संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से लेकर लागू किया गया है।
- 23 अगस्त, 1954 में राज्य परिषद् तथा जनता का सदन नाम के स्थान पर क्रमश: राज्यसभा तथा लोकसभा शब्द का प्रयोग किया जाना आरम्भ किया गया था।
- राष्ट्रपति न तो किसी भी सदन का सदस्य होता है और न ही किसी सदन में बैठता है, फिर भी संसद का अभिन्न अंग होता है। कोई भी विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बावजूद भी तब तक एक अधिनियम नहीं बन सकता है, जब तक कि उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर न कर दें।
- अनु० 85 राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद् की सलाह पर सत्र आहूत, सत्र विघटित, सत्रावसान तथा दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में संयुक्त सत्र को आयोजित कराता है।
- अनु० 107 संसद के अन्दर किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत करना तथा उसके सम्बन्ध में मतदान कराना इस अनुच्छेद के तहत सम्भव हो पाता है।
- भारतीय संसद के निम्नलिखित तीन अभिन्न अंग होते हैं। (1. राष्ट्रपति 2 राज्यसभा 3 लोकसभा)
- अनु० 50 अविश्वास प्रस्ताव।
- अनु० 79 संसद का गठन।
- अनु० 80 राज्यसभा का गठन।
- अनु० 83 संसद के सदनों की अवधि।
- अनु० 81 लोकसभा का गठन।
- अनु० 84 संसद सदस्यों की योग्यता।
- अनु० 85 संसद का सत्र आहूत सत्रावसान, विघटन (भंग)।
- अनु० 86 राष्ट्रपति का सदनों को सम्बोधन एवं संदेश देने का अधिकार।

☞ अनु० 87 राष्ट्रपति का विशेष सम्बोधन।

☞ अनु० 97 सभापति / उपसभापति तथा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष को मिलने वाले वेतन तथा भत्ते।

☞ अनु० 98 संसद सचिवालय।

☞ अनु० 99 संसद सदस्यों की शपथ।

☞ अनु० 100 सदनों में मतदान, रिक्त, कोरम की पूर्ति के बिना भी सदन को कार्य करने का अधिकार।

☞ अनु० 106 संसद सदस्यों को मिलने वाले वेतन तथा भते।

☞ अनु० 108 संयुक्त बैठक

☞ अनु० 111 किसी भी प्रस्ताव को इस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदन से स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

☞ **95 वाँ CAA 2009**

❑ अनु० 330 लोकसभा में SC / ST की 84 सीटें आरक्षित होती है। (सर्वाधिक मध्य प्रदेश में हैं)

❑ अनु० 332 राज्य की विधानसभाओं में SC / ST की 47 सीटे आरक्षित होती है।

❑ अनु० 335 नौकरी व पदों पर SC/ ST के लिए आरक्षण 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है।

❑ दोनों ही सदनों में गणपूर्ति / कोरम के लिए 10% सदस्यों की आवश्यकता होती है- 25, 55 सदस्य

❑ राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए अब जरुरी नहीं है, कि सदस्य का नाम उस राज्य की किसी निर्वाचन सूची में होना चाहिए। - 88वाँ संविधान संशोधन 2003 (यह पहले आवश्यक होता था)

❑ जब तक संसद सदस्य शपथ नहीं ले लेते, तब तक वह सदन की किसी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, और न ही मत दे सकते हैं। सदन में बैठते हैं तो 500 रु० प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने भरना होगा।

राज्यसभा

पृष्ठभूमि

☞ राज्यसभा के अन्य नाम इस सदन को उच्च सदन (Council of States), स्थाई सदन, दूसरा चेम्बर, बड़ों की सभा अथवा House of Lord's" आदि नामों से भी जाना जाता है।

☞ अनु० 80 के अन्तर्गत राज्यसभा का वर्णन किया गया है।

☞ राज्यसभा की घोषणा सभापीठ द्वारा सभा में 23 अगस्त, 1954 को की गई थीं।

☞ भारत में द्वितीय सदन का प्रारम्भ 'मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन 1919 ई०' से हुआ।

☞ भारत सरकार अधिनियम, 1919 में विधानमंडल के द्वितीय सदन के तौर पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का सृजन करने का उपबंध किया गया, जिसे 1921 में लाया गया।

☞ भारत का गवर्नर-जनरल तत्कालीन ''काउंसिल ऑफ स्टेट्स'' का पदेन अध्यक्ष होता था।

☞ भारत सरकार अधिनियम, 1935 के माध्यम से इसके गठन में शायद ही कोई परिवर्तन किए गए।

भारत में द्विसदनीय प्रणाली को लागू करने की आवश्यकता क्यों पड़ी?-

☞ ऐसे परिसंघीय प्रणाली की अपार विविधता वाले विशाल देश के लिए सबसे सहज स्वरूप की सरकार माना गया था।

☞ एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एकल सभा को स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अपर्याप्त समझा गया।

☞ 'काउंसिल ऑफ स्टेट्स' के रूप में ज्ञात एक ऐसे द्वितीय सदन का सृजन किया गया जिसकी संरचना और निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्षत: निर्वाचित लोक सभा से पूर्णत: भिन्न थीं। जिसका निर्वाचन राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया गया।

☞ जिनमें राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।

☞ इस मामले में भारत अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति पर आधारित है।

☞ जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति विधानमंडल का महत्वपूर्ण अंग नहीं होता है।

☞ अमेरिका में विधानमंडल को 'कांग्रेस' के नाम से जाना जाता है।

☞ कांग्रेस के अन्तर्गत सीनेट ऊपरी सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटिव- निचला सदन होते हैं। चूंकि राष्ट्रपति पद्धति वाली सरकार में विधायी और कार्यकारी अंगों को अलग करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए अमेरिका में राष्ट्रपति को कांग्रेस का अभिन्न अंग नहीं माना जाता है।

राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक उपबंध संरचना / संख्या

☞ राज्यसभा की सदस्य संख्या 250, जोकि लोकसभा की 550 सदस्य संख्या अधितकम होती है।

☞ अनु० 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। जिनमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनित और 218 राज्यों और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं।

☞ राज्यसभा में सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है. 233 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली तथा पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनित व्यक्ति होंगे, जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

सीटों का आवंटन

☞ अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों की भाँति भारत में राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया है।

☞ अनुसूची 4 के अनुसार राज्यसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर होगा।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- जनसंख्या के आधार पर आवंटन होने के कारण राज्यों के प्रतिनिधित्व की संख्या अलग-अलग होती है।
- जैसे उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या 31 तथा त्रिपुरा में 01 सदस्य का चुनाव ही किया जा सकता है।
- 84वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि 2026 तक राज्यसभा तथा लोकसभा की सीटों में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा।
- क्योंकि 1971 की जनगणना में सबसे ज्यादा वृद्धि होने के कारण को आधार बनाया गया है।- 24.76%
- सबसे कम जनसंख्या वृद्धि किस जनगणना के अन्तर्गत रही थीं?- 1931 (-ve)
- जबकि अमेरिका में कुल 50 राज्यों की सीनेट के लिए कुल 100 सीट निर्धारित है और वहाँ समान प्रतिनिधित्व के कारण प्रत्येक राज्य के लिए 2-2 सीटें आवंटित की हुई हैं।

आवंटन की प्रक्रिया

- प्रथम 50 लाख जनसंख्या के लिए किसी भी राज्य में 5 सीट आवंटित की जाएगी।
- द्वितीय 20 लाख जनसंख्या के लिए किसी भी राज्य में 1 सीट आवंटित की जाएगी।
- इसके बाद लगातार दद्वितीय चरण के आवंटन की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक उस राज्य के लिये पूरी जनसंख्या के आधार पर सीटें का आवंटन पूर्ण नहीं हो जाता है।
  - ❑ प्रथम 50 लाख जनसंख्या पर किसी भी राज्य के लिए सीट (सदस्य)= 5 सदस्य
  - ❑ द्वितीय 20 लाख जनसंख्या पर किसी भी राज्य के लिए सीट = 1 सदस्य
  - ❑ अब हर 20 लाख जनसंख्या पर किसी भी राज्य के लिए सीट = 1 सदस्य (upto so on)
- इस प्रक्रिया में ध्यान देने वाली बात यह है कि, इस तरह से सीटों का आवंटन करते- करते यदि आखिर में 20 लाख का कोई पूरा जोड़ा न बने (चाहे 19,99,999 लोग ही क्यों ना हो तो उसे कोई सीट आवंटित नहीं की जाएगी।

प्रश्न:- माना कि किसी राज्य की जनसंख्या (1971 में) 2.80 करोड़ थीं। तो उसके लिए कितनी राज्यसभा की सीटों आवंटित की गयी होंगी?

उत्तर:- 16 सदस्य

- ❑ चूंकि प्रथम 50 लाख जनसंख्या पर किसी भी राज्य के लिए सीटें = 05 सदस्य
- ❑ अब 20-20 लाख के 10 जोड़े पूरे बने तो 20-10 लाख (2 करोड़) के लिए 1.10 = 10 सदस्य
- ❑ शेष बची 30 लाख की जनसंख्या से 20-20 लाख का केवल 1 जोड़ा पूरा बना तो = 01 सदस्य
- ❑ (20 लाख जनसंख्या = 01 सदस्य, परन्तु अगले 10 पर कोई सीट नहीं ।)
- ❑ कुल 16 सदस्य

निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल तथा प्रक्रिया

- प्रत्येक राज्य तथा दो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन निम्न आधारों पर किया जाता है।
  - i. एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली।
  - ii. खुला मतदान द्वारा।
  - iii. समानुपातिक प्रतिनिधित्व
  - iv. निवास संबंधी शर्तें का न होना।
- राज्यसभा सदस्यों का चुनाव उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा संघराज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं।
- 1952 ई० में पहली बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल को "जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951" द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्तियाँ प्रदान की गई थीं कि वह इनका कार्यकाल घटा सके।
- ऐसा इसलिए किया गया था, क्योंकि राज्यसभा के पहले बैंच में से 2 साल बाद 1/3 सदस्यों को सेवानिवृत होना आवश्यक था। इनकी सेवानिवृति लॉटरी व्यवस्था से सम्पूर्ण कराई गयी थीं।
- राष्ट्रपति द्वारा शुरुआत से ही हर 3 वर्ष बाद 12 सदस्यों का मनोनयन होता रहा है।

राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल या द्वि-वार्षिक / उप-चुनाव

- भारतीय संविधान में राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल नहीं बताया था। इसके बारे में संसद के ऊपर छोड़ा गया। इसी कारण संविधान के लागू होते ही "जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951" लाना पड़ा था।
- सबसे महत्त्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि, राज्यसभा का कोई कार्यकाल ही नहीं होता है। क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है।
- इसके निर्वाचित सदस्य का पूर्णकालिक अवधि के लिए 6 वर्ष का कार्यकाल होता है।
- इस सदन में प्रत्येक दो वर्ष बाद राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
- किसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति को छोड़कर अन्यथा उत्पन्न हुई रिक्त को भरने के लिए कराया गया निर्वाचन 'उप-चुनाव' कहलाता है।
- उप चुनाव में निर्वाचित कोई सदस्य उस सदस्य की शेष कार्यावधि तक ही राज्यसभा का सदस्य बना रह सकता है, जिसने त्यागपत्र दे दिया था या जिसकी मृत्यु हो गई थीं, या जो दसवीं अनुसूची के अधीन सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गया था।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

राज्यसभा का सदस्य होने कि लिए पात्रता (अर्हताएं) तथा निरर्हताएँ-

- **अनु० 84** के अनुसार राज्यसभा की सदस्यता के लिए निम्न अर्हताएं होनी चाहिए।
  - उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
  - कम से कम 30 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लिया गया हो।
  - जन प्रतिनिधित्व अधि0 1951 के द्वारा उम्मीदवार का उस राज्य की निर्वाचन सूची में नाम होना पहले आवश्यक था, 88वें CAA 2003 से इस अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। सम्पूर्ण भारत में अब कोई भी सदस्य कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है।
  - इसी का लाभ उठाकर 2003 में डॉ० मनमोहन सिंह को राज्यसभा का चुनाव आसाम से लड़ाया था।
  - आरक्षित सीटों पर केवल आरक्षित वर्ग का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ सकता है, परन्तु ये आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार किसी भी अन्य (सामान्य, ओ०बी०सी० आदि) सीट से निर्वाचन हेतु पात्रता रखते हैं।
- **अनु० 102** के अनुसार राज्यसभा की सदस्यता के लिए निम्न निरर्हताएं रखी गयी हैं।
  - कोई लाभ का पद धारण करता है।
  - उसे विकृतचित या अनुन्मोचित दिवालिया है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है।
  - वह भारत का नागरिक नहीं है या किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है।
  - कुछ प्रावधान जन प्रतिनिधित्व अधि० 1951 के द्वारा भी लागू किये गये हैं।
  - भारतीय संसद द्वारा किसी भी विधि द्वारा निरर्हित कर दिया जाता है।
  - भारत के किसी भी न्यायालय से कम से कम 3.5 वर्षों से अधिक की सजा सुनाई गयी है।
  - दल-बदल पर भी निरर्हता रखी गयी हैं।

सभापति और उपसभापति (पीठासीन अधिकारीगण)

- **अनु० 89** के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वे सभा की कार्यवाही का संचालन करें।
- राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चयन करती है।
- **अनु० 91** राज्यसभा में उप सभाध्यक्षों का एक पैनल भी होता है, जिसके सदस्यों को सभापति (उपराष्ट्रपति), राज्यसभा में से ही मनोनयन द्वारा नियुक्त करता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में, उपसभाध्यक्षों के पैनल से एक सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही का सभापतित्व करता है।

राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ

- राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से एक संकल्प पारित करके कहती है, कि यह ''राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन'' है तब संसद, राज्य सूची में प्रमाणित किसी भी विषय पर विधि बनाए, तो संसद उस विषय पर कानून बनाने के लिये बाध्य होगी।
- राज्यसभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से यह घोषित करती है, कि संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है तो संसद विधि बनाकर इन सेवाओं का सृजन करेंगी।
- जैसे वर्तमान में अखिल भारतीय न्यायिक व्यवस्था, अखिल भारतीय सैन्य व्यवस्था आदि की भारत में आवश्यकता है, अगर राज्यसभा ऐसा कोई संकल्प पारित कर देती है तो भारतीय संसद को इन सेवाओं का सृजन करने हेतु अधिनियम बनाना ही पड़ेगा।
- वर्तमान में तीन अखिल भारतीय सेवाएँ, IAS- भारतीय प्रसाशनिक सेवाऐं, IPS- भारतीय पुलिस सेवाऐं तथा IFoS- भारतीय वन सेवाऐं कार्यरत हैं।
- राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर अथवा वित्तीय आपात की स्थिति में उद्घोषणा जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। (अनुच्छेद 352, 356, 360)
  - राज्यसभा के पास इस संबंध में विशेष शक्तियाँ हैं।
  - S.R. Bambai 1994 के मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि, अनु० 356 लगाये जाने के बाद जब तक दोनों सदन इसकी घोषणा नहीं करते हैं, तब तक लागू नहीं होगा।
  - कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है अथवा लोकसभा का विघटन इसके अनुमोदन के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर हो जाता है और यदि इसे अनुमोदित करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अधीन संविधान में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पारित कर दिया जाता है, तब वह उदघोषणा प्रभावी रहेगी।

वित्तीय मामलों में राज्यसभा

- गैर वित्तीय या गैर राजस्व विधेयकों में राज्यसभा तथा लोकसभा को बराबर की शक्ति होती हैं।
- धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त इसे राज्य सभा को उसकी सहमति अथवा सिफारिश के लिए भेजा जाता है। ऐसे विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति सीमित है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- ☞ राज्यसभा को धन विधेयक की प्राप्ति से 14 दिन के भीतर उसे लोक सभा को लौटाना पड़ेगा।
- ☞ यह विधेयक यदि राज्यसभा के द्वारा 14 दिन के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है तो विधेयक को उक्त अवधि की समाप्ति पर दोनों सदनों से उस रूप में पारित किया माना लिया जाएगा, जिस तरह से लोकसभा में पारित किया गया था।
- ☞ राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती है, यह केवल संशोधनों की सिफारिश कर सकती है।
- ☞ लोकसभा, राज्यसभा की सभी या किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है।

राज्यसभा की अन्य शक्तियाँ

- ☞ अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। (सामूहिक- सभी सदस्य एक दल के रूप में कार्यरत होंगे)
- ☞ राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा को लोकसभा के समकक्ष शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग जैसी प्रक्रिया केवल राज्यसभा में ही आरम्भ हो सकती है। वित्त विधेयक की कतिपय अन्य श्रेणियों को भी राज्यसभा में लाया (पुरःस्थापित) नहीं जा सकता है।

लोकसभा

- ☞ अनु० 81 के तहत लोकसभा के संघटन का वर्णन किया गया है।
- ☞ **लोकसभा** के अन्य नाम- ''निम्न सदन, अस्थाई सदन, लोकप्रिय सदन, पहला चौम्बर, चर्चित सभा, सरकार का सदन या Houses of Comman's" आदि नामों से भी जाना जाता है।
- ☞ लोकसभा वास्तविकता में सम्पूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है क्योंकि प्रत्येक राज्य तथा संघशासित प्रदेश (UT) के सदस्य होते हैं।

सम्पूर्ण भारत में लोकसभा सीटों का आवंटन

- ☞ लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है।
- ☞ 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 के बाद पहली जनगणना 2031 को आधार मानकर दोबारा से निर्धारण किया जाएगा।
- ☞ ऐसा इसलिए किया गया कि, राज्य अपनी आबादी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा स्थान प्राप्त करने का प्रयास नहीं करें। तब तक 1971 ई० की जनगणना को ही परिसीमन का आधार माना जाएगा।
- ☞ 1971 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई थीं इसलिय इसे आधार बनाया है- 24.76%
- ☞ अनु० 331 पहले राष्ट्रपति, आंग्ल भारतीय समुदाय को लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने की स्थिति में उस समुदाय से अधिकतम 02 सदस्यों को नामित करते थे। जिस कारण कुल 552 सीटें थीं।
- ☞ परन्तु 104 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। जिस कारण लोकसभा में अधिकतम संख्या अब मात्र 550 ही बची हैं।

लोकसभा के सदस्यों का चुनाव

- ☞ लोकसभा का निर्वाचन निम्नलिखित चार तरह से कराया जाता है।

1. प्रादेशिक प्रतिनिधित्व

- ❑ कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या राज्यों में इस रीति से की गई है कि प्रत्येक राज्य को आवंटित सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या के मध्य अनुपात, जहाँ तक व्यवहार्य हो, सभी राज्यों के लिए समान रहे। (Doctrine of equal representation)
- ❑ परन्तु यह प्रावधान उन राज्यों पर लागू नहीं होंगे, जहां की जनसंख्या 60 लाख से कम होगी।
- ❑ इसका अर्थ है कि लोकसभा सम्पूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करती है।

2. एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र

- ❑ एक सीट से केवल एक ही प्रत्याशी विजयी हो सकता है।
- ❑ अगर कोई प्रत्याशी 2 या 2 से अधिक सीट पर चुनाव लड़ता है, और सभी सीटों पर विजयी होता है तो उसे केवल एक सीट को छोड़कर सभी सीटों से त्याग पत्र देकर रिक्त करना होगा।
- ❑ जैसे 16वीं लोकसभा 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बड़ोदरा, गुजरात तथा बनारस, उत्तरप्रदेश 2 सीटों पर चुनाव लड़े और दोनों ही सीटों से चुनाव जीत गये थे। उन्होंने बड़ोदरा वाली सीट से त्याग-पत्र देकर उसे तुरन्त खाली कर दिया था।

3. प्रत्यक्ष चुनाव

- ❑ इसका अर्थ है कि, वयस्क मतदान के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से मतदान कराकर चुनाव कराना।
- ❑ प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के समय में 61वाँ CAA 1988 ई० के द्वारा मतदान हेतु उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी थीं।

4. पहले खम्भा छूने की प्रक्रिया

- ❑ एक निश्चित आकड़ा जो कि 273 सीटों पर विजय प्राप्त करने वाली कोई भी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और उसे सरकार बनाने का मौका सबसे पहले दिया जाएगा।
- ❑ भले ही इस पार्टी का मतदान में वोट प्रतिशत कम रहा हो। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात्र 33.53% मतदाताओं ने अपना मत दिया था परन्तु उसने कुल 303 सीटें प्राप्त कर सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद सरकार बनायी थीं।

लोक सभा का कार्यकाल

- ☞ सामान्यत: लोक सभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर अगले पाँच वर्ष तक होता है।

- यदि समय से पहले भंग ना किया जाये तो उसके बाद यह स्वत: भंग हो जाती है।
- लोक सभा के कार्यकाल के दौरान यदि ''आपातकाल की घोषणा'' की जाती है, तो संसद को इसका कार्यकाल एक समय में अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार है।
- जबकि आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में इसे किसी भी परिस्थिति में छ: महीने से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
- तीसरे आपातकाल 25 मई 1975 के समय लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष करके बढ़ाया गया।

लोकसभा की विशेष शक्तियाँ

- मंत्रिपरिषद् केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।
- अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है।
- धन विधेयक पारित करने में यह निर्णायक सदन होता है।
- राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने वाला प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया और पास किया जाएगा।
- अगर कोई बिल लोकसभा में गिरा दिया जाये तो लोकसभा पर इस्तीफा देने का दबाव डाला जाता है। इस तरह का कोई बिल राज्यसभा में गिरता है, तो सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा।

लोकसभा की अन्य शक्तियाँ

- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मण्डल में लोकसभा सदस्यों का शामिल होना।
- राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया में L.S सदस्यों का भाग लेना।
- ''महाभियोग जैसी प्रक्रिया'' से उच्च तथा उच्चतम न्यायालय के किसी भी जज को पद से हटाने के लिए इसमें लोकसभा के सदस्यों का भाग लेना।

लोकसभा के पदाधिकारी

1. लोकसभा अध्यक्ष / लोकसभा स्पीकर

- लोकसभा अध्यक्ष / स्पीकर तथा उपाध्यक्ष दोनों की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 93 में की गयी है।
- लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्यों के एक विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं।
- अध्यक्ष की सहायता हेतु उपाध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव भी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं।
- किसी भी संसदीय मामले पर लोकसभा अध्यक्ष का फैसला अन्तिम होता है।
- इसके वेतन तथा भत्तें भारत की संचित निधि से प्रदान किये जाते हैं।
- जब सदन दो भागों में विभाजित हो जाता है, तब लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग निर्णायक के तौर पर अर्थात सदन के सदस्यों में गतिरोध को समाप्त करने के लिए अपने मत का प्रयोग करता है।
- लोकसभा अध्यक्ष सदस्य के तौर पर नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेता है।

स्पीकर की विशेष शक्तियाँ (अनु० 95)

- धन विधेयक का अन्तिम निर्धारण स्पीकर का होता है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष ही तय करेगा कि कोई बिल धन विधेयक है अथवा नहीं।
- सभी संसदीय समितियाँ उसकी अधीनता में काम करती हैं। उसके किसी समिति का सदस्य चुने जाने पर वह उसका पदेन अध्यक्ष होता है।
- लोकसभा के विघटन होने पर भी स्पीकर पद पर कार्य करता रहता है। नवीन लोकसभा के चुने जाने पर ही वह अपना पद छोड़ता है।
- लोकसभा अध्यक्ष को SC के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के साथ वरीयता क्रम में 6वें क्रम पर रखा गया है।
- लोकसभा परिसर किसी भी आपराधिक विधि के विषय में पूरी तरह से संरक्षित होता है। मतलब बिना लोकसभा स्पीकर की अनुमति के वहाँ के एक माली को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
- दल-बदल कानून पर अंतिम फैसला स्पीकर का ही होता है, जो स्वीकार होगा। 'किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू (Kihoto Hollohan vs Zachilhu) वाद (वर्ष 1992):
  - इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि ''अध्यक्ष या सभापति द्वारा दल बदल विरोधी कानून के तहत अंतिम निर्णय लेने से पहले की गई कार्यवाही की बीच में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती और न ही न्यायपालिका के कार्यवाही के बीच में कोई हस्तक्षेप करना अनुमेय होगा।''
  - इसी वाद में न्यायपालिका ने निर्णय दिया था कि दल बदल विरोधी कानून के तहत विधानसभा अध्यक्ष द्वारा लिये गए निर्णय में त्रुटियों की जाँच का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। स्पीकर के विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी भी न्याया० द्वारा जारी नहीं की जाएगी।
- अगर स्पीकर किसी समय विशेष पर लोकसभा की किसी गुप्त बैठक का ऐलान करता है, तो उस गुप्त बैठक में केवल संसद के सदस्य ही भाग ले सकते हैं। कोई अन्य बाहरी व्यक्ति नहीं (अटानी जनरल या कोई अन्य सरकारी, गैर-सरकारी कर्मचारी भाग नहीं ले सकेगा।)
- अगर स्पीकर द्वारा किसी विधेयक या सदन की कार्यवाही के समय किसी विशेष समय अन्तराल को सदन की कार्यवाही से निष्कास्ति करने का ऐलान कर दिया गया हो तो उस कार्यवाही को किसी के भी द्वारा यदि सार्वजनिक कर दिया जाता है तो उसके विरुद्ध स्पीकर सख्त कार्यवाही कर सकता है।

☞ लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति से किन बातों में भिन्न होता है?-

❑ लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, कि कोई विधेयक धन विधेयक है, या नहीं। धन विधेयक सम्बन्ध में उसके फैसले को किसी न्यायालय, राष्ट्रपति व संसद में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

❑ **अनु० 108**

i. सम्मिलित बुलाने पर स्पीकर ही उसका अध्यक्ष होगा।

ii. उसके अनुपस्थित होने पर उपस्पीकर तथा उसके भी न होने पर राज्यसभा का उपसभापति अथवा सत्र द्वारा नामांकित कोई भी सदस्य सत्र का अध्यक्ष होता है।

❑ लोकसभा के पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वे सभा की कार्यवाही का संचालन करें।

❑ लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक उपाध्यक्ष का भी चयन करती है।

❑ लोकसभा में उपसभाध्यक्षों का एक पैनल भी होता है।

❑ जिसके सदस्यों की संख्या 5-7 सदस्य तक होती है। जिसमें सत्तापक्ष तथा विपक्ष दोनों दल के सदस्यों को अध्यक्ष, लोकसभा में से ही मनोनयन द्वारा नियुक्त करता है।

❑ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपसभाध्यक्षों के पैनल से एक सदस्य राज्यसभा की कार्यवाही का सभापतित्व करता है।

☞ लोकसभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है। लोकसभा अध्यक्ष के दो कार्य है।

i. स्पीकर का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी है, जिसकी किसी न्यायालय द्वारा समीक्षा नहीं की जाएगी।

❑ किस सदस्य को कितना बोलने का समय देना है, यह लोकसभा अध्यक्ष तय करता है।

❑ इसके फैसले की किसी के भी द्वारा आलोचना नहीं की जा सकती है, अगर ऐसा किया जाता है, तो उसके विरुद्ध अध्यक्ष को सख्त कार्यवाही करने की शक्तियाँ प्रदान की गयी है।

❑ जैसे 2020 के मानसून सत्र के दौरान 7 सदस्यों के द्वारा इनके फैसले की आलोचना की और बिल को फाड़कर उनके मुंह पर फेंक दिया। जिसके लिये इन सभी को पूरे सत्र से निष्कास्ति कर दिया।

ii. वह लोकसभा से संलग्न सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। किंतु इस भूमिका के रूप में लोकसभआ अध्यक्ष न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी होता है।

लोकसभा अध्यक्ष के पद रिक्तता की स्थितियाँ-

1. अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को सौंप देता है।
2. स्पीकर का चुनाव ही अवैध घोषित कर दिया जायें। (किसी भी उच्च तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा
3. विशेष समर्थन (सदन के सभी सदस्यों के 50% + 1) से, परन्तु 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा।

☞ अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया के दौरान स्पीकर अपने पद पर आसीन नहीं रहेगा, और उसे न ही स्पीकर के तौर पर निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। वह बैठक में भाग अवश्य लेगा और वह अपना मत केवल एक सदस्य को तौर पर दे सकता है।

लोकसभा स्पीकर की निस्पक्षता

☞ ब्रिटेन में वहाँ का स्पीकर बनते ही वह सबसे पहले अपने सदन की सदस्यता का त्याग करता है।

☞ एक विधेयक पर सोमनाथ चटर्जी ने अपनी पार्टी से हटकर अपने निर्णायक मत का इस्तेमाल अटल जी के पक्ष में कर दिया था। जिस कारण उनकी पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कास्ति कर लोकसभा अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र देने को कहा तो उन्हें साफ शब्दों में कह दिया था, कि अब मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं लोकसभा का सदस्य हूँ और स्पीकर के पद से उन्हें पार्टी नहीं हटा पायी।

2. कार्यवाहक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर)

☞ जब कोई नवीन लोकसभा चुनी जाती है तब राष्ट्रपति उस सदस्य को कार्यवाहक स्पीकर नियुक्त करता है जिसको संसद में सदस्य होने का सबसे लंबा अनुभव होता है।

☞ वह राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करता है। प्रोटेम स्पीकर के मुख्यत: दो कार्य होते हैं।

i. संसद सदस्यों को शपथ दिलवाना।

ii. नवीन स्पीकर चुनाव प्रक्रिया का अध्यक्ष भी वही बनता है।

3. उपाध्यक्ष

☞ लोकसभा के सदस्य अपने समकक्षों में से किसी एक का उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव करते हैं।

☞ वैसे परंपरा के मुताबिक तो लोकसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल को दिया जाता है।

☞ लेकिन यह परंपरा बीच -2 में भंग होती रही है। 24 मार्च 1977 को भारत के पहले गैर कांग्रेसी PM मोरारजी देसाई द्वारा छठी लोकसभा के समय में उनकी सरकार ने यह पहल शुरु करायी गयी थीं।

☞ उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को संबोधित करके सौंपता है।

☞ लोकसभा के उपस्थित सदस्यों के बहुमत से संमत किये हुए प्रस्ताव के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पदच्युत (पद से निकाला जाना) किया जा सकता है।

- वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद रिक्त है, क्योंकि निवर्तमान उपाध्यक्ष एम. थंबीदुरई का कार्यकाल 16वीं लोकसभा के भंग होने से (25 मई 2019) पूर्ण हो गया।

4. विपक्ष का नेता

- संसद के प्रत्येक सदन में एक-एक विपक्ष का नेता होता है।
- इसका काम सरकार के कार्यों की आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है।
- इसको कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन भत्ते, सुविधा आदि दिये जाते हैं।
- 1965 में विपक्ष के नेता को मान्यता दी गयी। यह अमेरिका के ''अल्पसंख्यक नेता'' के समकक्ष है।
- यह सबसे बड़े विपक्षी दल का सदस्य होता है।
- विपक्ष का नेता बनने के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना आवश्यक होता है।
- 1967 से एक परम्परा के तहत विपक्ष का नेता श्लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है।
- 17वीं लोकसभा (वर्तमान) में विपक्ष में किसी भी पार्टी को 10% सीटे नहीं होने के कारण कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी को विपक्ष का नेता घोषित किया गया है।
- हालांकि सदन का नेता, विपक्ष का नेता, व्हिप (सचेतक) कोई भी पद भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। परन्तु संसद के नियम एवं संसदीय संविधी में क्रमश: उल्लेखित किया गया है।
- अटार्नी जनरल संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, बोलने का अधिकार रखता है तथा किसी भी विषय पर मताधिकार नहीं रखता है।
- मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार, बैठकों में भाग लेने का अधिकार तथा मताधिकार केवल अपने सदन में (जिसका वह सदस्य है) होता है। महिलाओं को लिए 33% आरक्षण की बात भारत सरकार द्वारा कहीं गयी थीं परन्तु अभी तक मात्र ओडिसा राज्य में लागू की जा सकी है।
- सदन की किसी बैठक के लिए कोरम अथवा गणपूर्ति, अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति सहित कुल सदस्य संख्या के दसवें भाग की उपस्थिति होना अनिवार्य है।
- वर्तमान स्थिति में 55 सदस्य कोरम के लिए होना आवश्यक होता है।

लोकसभा से सम्बन्धित कुछ याद रखने योग्य बातें-

- सबसे बड़ी लोकसभा आबादी की दृष्टि से बाहरी दिल्ली (2011 की जनगणना से)
- सबसे छोटी लोकसभा आबादी की दृष्टि से लक्ष्यद्वीप (39033) (2011 की जनगणना से अनुसार)
- सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख (2011 की जनगणना से)।
- सबसे छोटी लोकसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से चाँदनी चौक (10. 9KM^2) (2011 जनगणना के अनुसार)
- पहली महिला लोकसभा- अध्यक्ष मीरा कुमार
- लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव- श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव
- अब तक कितनी बार लोकसभा भंग की गयी है?- 8 बार (प्रथम बार 1970 व अन्तिम बार 1999)
- SC / ST के लिए आवंटित सीटों पर आरक्षण 95वें संविधान संशोधन 2009 के द्वारा 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
- महत्त्वपूर्ण विषयों के संबंध में दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं वे इस प्रकार हैं:- राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा महाभियोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित उद्घोषणा और वित्तीय आपातकाल।
- प्रत्येक दिन बैठक के आरंभ में अध्यक्ष के पीठासीन होने के पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि सदन में गणपूर्ति हो। यदि 11 बजे यह देखा जाता है कि गणपूर्ति नहीं है तो गणपूर्ति की घंटी बजाई जाती है और अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है, जबकि गणपूर्ति हो गई हो।

●●●

लोकसभा की अवधियाँ तथा उनसे सम्बन्धित प्रधानमंत्री-

क्रम	प्रधानमंत्री	लोकसभा क्रम	अवधि	विशेष	विघटन
1.	पं0 जवाहरलाल नेहरू	पहली (1952-1957)	पं0 नेहरू का (15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक) प्रधानमंत्री के तौर पर सबसे लम्बा कार्यकाल रहा है। तीसरी लोकसभा में (1962-1964) तक।	कार्यकाल पूर्ण होने से 38 दिन पहले विघटित हो गयी।	I.
2.	पं0 जवाहरलाल नेहरू	दूसरी (1957-1962)		कार्यकाल पूर्ण होने से 40 दिन पहले विघटित हो गयी।	II.
3.	पं0 जवाहरलाल नेहरू	तीसरी (1962-1967)		कार्यकाल पूर्ण होने से 44 दिन पहले विघटित हो गयी।	III. (5 बार में 4 PM बने थे।)
4.	गुलजारी लाल नंदा (कार्यवाहक प्रधानमंत्री)		27 मई 1964 से 09 जून 1964 तक	27 मई 1964 को पं0 नेहरू की मृत्यु होने के बाद 12 दिन तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे।	
5.	लाल बहादुर शास्त्री		09 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक	शास्त्री जी की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को होने के बाद दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने।	
6.	गुलजारी लाल नंदा (कार्यवाहक प्रधानमंत्री)		11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक	11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की मृत्यु होने के बाद 14 दिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे।	
7.	इंदिरा गाँधी		24 जनवरी 1966 -1970	यह प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गाँधी का पहला कार्यकाल था, राज्यसभा का सदस्य बनाया गया	
8.	इंदिरा गाँधी	चौथी (1967-1971)	1967-1971	कार्यकाल पूर्ण होने से 01 वर्ष 79 दिन पहले विघटित हुई	IV.
9.	इंदिरा गाँधी	पांचवी (1971-1977)	1971-1977	कार्यकाल पूर्ण होने से 10 माह 79 दिन पहले विघटित हो गयी। परन्तु आपातकाल के समय 1-1 वर्ष करके दो बार कार्यकाल बढ़ाया गया।	V.
10.	मोरारजी देसाई	छठवी (1977-1980)	1977 - 28 जुलाई 1979 तक	कार्यकाल पूर्ण होने से 02 वर्ष 04 माह 28 दिन पहले विघटित हुई (पहले गैर-कांग्रेसी PM)	VI.
11.	चौधरी चरण सिंह		28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक	प्रधानमंत्री रहते हुए कभी संसद का मुंह तक नहीं देखा। (कार्यकाल लगभग 6 माह)	
12.	इंदिरा गाँधी	सातवी (1980-1984)	1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक	कार्यकाल पूर्ण होने से 20 दिन पहले विघटित हो गयी। (मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी)	VII.
13.	राजीव गाँधी		31 अक्टूबर 1984 से 1985 तक	सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ग्रहण की, उस सयम मात्र 26 वर्ष के थे।	
14.	राजीव गाँधी	आठवी (1984-1989)	1985-1989	कार्यकाल पूर्ण होने से 48 दिन पहले विघटित हो गयी।	VIII.
15.	विश्वनाथ प्रताप सिंह	नौवी (1989-1991)	1989-1990	अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले प्रथम।	IX.
16.	चन्द्रशेखर		1990-1991	01 वर्ष 02 माह एवं 25 दिन बाद विघटित हुई	
17.	पी0वी0 नरसिंह राव	दसवी (1991-1996)	1991-1996	21 जून 1991 को राजीव जी की मृत्यु के बाद चुनाव में सहानभूति मिलने से 232 सीट आई।	-
18.	अटल बिहारी बाजपेयी	ग्यारहवी (1996-1998)	16 मई 1996 से 01 जून 1996 तक	अटल जी ने पहली बार प्रधानमंत्री रहते हुए आज तक का सबसे छोटा कार्यकाल (मात्र 16 दिन) रहा था। लोकसभा में बहुमत न होने के कारण त्याग-पत्र दे दिया था। 01 वर्ष 02 माह एवं 25 दिन बाद विघटित हुई	X.
19.	एच0डी0 देवगौड़ा		1996-1997		
20.	इंद्र कुमार गुजराल		1997-1998		
21.	अटल बिहारी बाजपेयी	बारहवी (1998-1999)	19 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 तक	इस बार में लगभग 19 माह तक PM पद रहे। 01 वर्ष 01 माह 04 दिन तक ही चल सकी।	XI.
22.	अटल बिहारी बाजपेयी	तेरहवी	1999-2004	अपने कार्यकाल पूर्ण होने से 253 दिन पहले विघटित हो गयी थी।	XII.
23.	डॉ0 मनमोहन सिंह	चौदहवी	2004-2009	--------------	
24.	डॉ0 मनमोहन सिंह	पन्द्रहवी	2009-2014	--------------	
25.	नरेन्द्र दामोदर दास मोदी	शोलहवी	2014 से 25 मई 2019 तक	--------------	
26.	नरेन्द्र मोदी	सत्रहवी	30 मई 2019 से लगातार	--------------	

मुख्य तथ्य	राज्यसभा	लोकसभा
अनुच्छेद	अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है।	अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है।
स्थापना	3 अप्रैल 1952 ई0	17 अप्रैल 1952 ई0
पहली बैठक	13 मई 1952 ई0	13 मई 1952 ई0
न्यूनतम आयु	30 वर्ष	25 वर्ष
अधिकतम सदस्यों संख्या	250 (**234 राज्यों से+ 4 UT +12 राष्ट्रपति मनोनित**) 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनित होते हैं।	550 (**530 राज्यों से + 20 UT**) 550 निर्वाचित तथा 00 मनोनित होते हैं।
वर्तमान में सदस्य संख्या	245 (233 निर्वाचित + 12 राष्ट्रपति) 233 निर्वाचित तथा 12 मनोनित होते हैं।	545 (543 निर्वाचित + 2 राष्ट्रपति) 545 निर्वाचित तथा 00 मनोनित होते हैं।
कार्यकाल	6 साल (**सदस्यों** का होता है **न** कि **राज्यसभा** का)	5 साल (यह कार्यकाल **लोकसभा** का होता है)
अन्य नाम	उच्च सदन (क्योंकि सदस्यों की निर्वाचन हेतु न्यूनतम उम्र 30 साल होनी चाहिये), **स्थाई सदन** (क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती परन्तु सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है), **House of Lord, राज्य परिषद्।**	निम्न सदन (क्योंकि इसके सदस्यों की निर्वाचन हेतु न्यूनतम उम्र 25 साल होनी चाहिये), **अस्थाई सदन** (प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कभी भंग कर सकता है), **House of Common, जनता का सदन**
विशेषताएं	1. राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। 2. इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा किया जाता है। जनता इसमें भाग नहीं लेती है। 3. **अनु0– 249** राज्यों के हित से सम्बन्धित कानून बनाने हेतु संकल्प पारित करती है। 4. **अनु0– 312** अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा द्वारा किया जाता है। 5. इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर होते हैं। 6. राज्य सभा का चुनाव हर 2 साल के बाद होता है। 7. राज्य सभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है जिसे पदेन सभापति के रूप में नियुक्त किया जाता है। **अनु0– 64**	1. लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कभी भी भंग कर सकता है। 2. इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा जनता सम्पन्न किया जाता है। 3. **धन विधेयक (अनु0 110), वित विधेयक (अनु0 117)**, तथा **बजट (अनु0 112) हमेशा लोकसभा** में पेश किये जाते हैं। 4. इसके सदस्य तब तक काम करते है जब तक लोकसभा कार्य करती है। इनका कार्यकाल फिक्स नहीं कहा जा सकता है। (एक बार में अधिकतम 5 वर्ष होता है।) – **अनु0 75(3)** 5. लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है। जो लोक सभा अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेता है। **अनु0– 93**
सबसे अधिक सीटें	1.उतरप्रदेश 31 2.महाराष्ट्र 19 3.तमिलनाडु 18 4.बिहार,पश्चिम बंगाल 16 5.कर्नाटक 12	1.उतर प्रदेश 80 2.महाराष्ट्र 48 3.पश्चिम बंगाल 42 4.बिहार 40 5.तमिलनाडु 39
सबसे कम सीटें	1. Seven Sister 1-1 2. पुदुचेरी 1 3. दिल्ली, UT, अरुणाचल प्रदेश 3-3 4. हरियाणा, छतीसगढ 5-5	1.(सिक्किम, नागालैण्ड,मिजोरम) 1-1 2.(त्रिपुरा, मणिपुर, ArP, मेघालय, गोवा) 2-2 3.हिमाचल प्रदेश 4 4.उतराखण्ड 5
सभापति/अध्यक्ष	**सभापति** (भारत के उपराष्ट्रपति) प्रथम - डॉ0 एस0 राधाकृष्णन् **वर्तमान - एम0 वैंकैया नायडू (13वें)**	**स्पीकर** (लोकसभा अध्यक्ष) प्रथम - जी0 वी0 मावलंकर **वर्तमान- ओम बिड़ला** (17वीं लोकसभा के)
उपसभापति/ उपाध्यक्ष	**उपसभापति** प्रथम - एस0वी0 कृष्णमूर्ति राव **वर्तमान - हरिवंश नारायण सिंह**	**उपाध्यक्ष** के.एम.थम्बीदुरै (सेवानि. 25-5-2019 को) प्रथम- एम0 अंनतशयनम् आंयगर **वर्तमान** - रिक्त
अनु0 (अध्यक्ष)	अनु0– 89	अनु0– 93
महासचिव	देश दीपक वर्मा	**उत्पल कुमार सिंह**

राज्यसभा और लोकसभा के प्रमुख (प्रथम व वर्तमान)

क्रम	सदन का नाम		अध्यक्ष / सभापति	उपाध्यक्ष / उप सभापति	महा सचिव	दल का नेता	विपक्ष का नेता	स्थापना	प्रथम बैठक	वर्तमान / कुल सदस्य
1	वर्तमान	राज्य सभा	एम0 वेंकैया नायडू	हरिवंश नारायण सिंह	देश दीपक वर्मा	थावरचंद गहलोत, भाजपा	श्री मल्लिकार्जुन खरगे	03/04/1952	13/05/1952	245 / 250
	प्रथम		डॉ0 एस0 राधा कृष्णन्	S.V. कृष्णमूर्ति राव	S.N. मुखर्जी	N. गोपाल स्वामी आयंगर	श्याम नंद प्रसाद मिश्रा			216
2	वर्तमान (18वीं)	लोक सभा	ओम बिरला	रिक्त	उत्पल कुमार सिंह	नरेन्द्र मोदी	अधीर रंजन चौधरी	17/04/1952	13/05/1952	543 / 550
	प्रथम		गणेश वासुदेव मावलंकर	एम अनंतशयनम अय्यंगर	M.N. कुल	जवाहर लाल नेहरु	A.K. गोपाल कृष्णन्			489

राज्यसभा और लोकसभा के प्रमुख उपाध्यक्ष /(प्रथम व वर्तमान)

- ☞ लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष।
- ☞ यदि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के लिए भी चुन लिया जाता है तो पहले सदन में उसका स्थान उस तिथि से खाली हो जाता है जब वह अन्य सदन के लिए चुन लिया गया हो।
- ☞ इसी प्रकार, यदि वह किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में भी चुन लिया जाता है तो, यदि वह राज्य विधानमंडल में अपने स्थान से, राज्य के राजपत्र में घोषणा के प्रकाशन से 14 दिनों के भीतर, त्यागपत्र नहीं दे देता तो, संसद का सदस्य नहीं रहता है।
- ☞ यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि तक सदन की किसी बैठक में उपस्थित नहीं होता तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है।
- ☞ इसके अलावा किसी सदस्य को सदन में अपना स्थान निम्न स्थितियों में रिक्त करना पड़ता है यदि:-
  - ❑ वह लाभ का कोई पद धारण करता है।
  - ❑ उसे विकृत चित्त वाला व्यक्ति या दिवालिया घोषित कर दिया जाता है।
  - ❑ वह स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है।
  - ❑ उसका निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है।
  - ❑ वह सदन द्वारा निष्कासन का प्रस्ताव स्वीकृत किए जाने पर निष्कासित कर दिया जाता है।
  - ❑ वह राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल चुन लिया जाता है। झ यदि किसी सदस्य को भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंधों के अंतर्गत दल-बदल के आधार पर अयोग्य सिद्ध कर दिया गया हो, उस स्थिति में भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

लोकसभा के सत्र

- ☞ **अनु० 85** संसद के दो सत्रों के मध्य 6 मास से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए।
- ☞ संसद तीन नियमित सत्रों तथा विशेष सत्रों में आयोजित की जाती है।
- ☞ अनु० 85 (क) के अनुसार सत्रों का आयोजन राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है।

लेम डक सत्र (लगड़ी बत्तख सत्र)

- ☞ यह पुरानी लोकसभा का आखिरी सत्र होता है, जो नवनिर्वाचित लोकसभा के पहले सत्र के आरम्भ होने से पहले सम्पन्न कराया जाता है।
- ☞ जिसमें उन सदस्यों को आमंत्रित किया जाता है, जो अगली लोकसभा में नहीं चुने गये है। उदाहरण जो लोकसभा सदस्य 16वीं लोकसभा 2014 में निर्वाचित होकर आये थे, उनमें से कुछ सदस्य निश्चित ही 17वीं लोकसभा 2019 में नहीं चुने होंगे, जैसे मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्णा अडवाणी आदि, जो सदस्य नहीं चुने जाते है, यह सत्र केवल उन्हीं सदस्यों के लिए आयोजित कराया जाता है।

- यह उनके लिए एक आखिरी सत्र (विदाई समारोह) के तौर होता है, जो चुने नहीं जा सके हैं।
- जिसकी अध्यक्षता पुराना स्पीकर ही करता है। इस सत्र में भाग लेना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक होता है।

धन्यवाद प्रस्ताव (Thanking Motion)

- प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है।
- अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का खाका खींचता है। यह संबोधन केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् द्वारा तैयार किया जाता है।
- राष्ट्रपति के इस संबोधन को 'ब्रिटेन के राजा का भाषण' से लिया गया है, दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है इसे ही 'धन्यवाद प्रस्ताव' कहा जाता है।
- बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिये रखा जाएगा कि सरकार विश्वास मत में है या नहीं।
- इस प्रस्ताव का L.S में पारित होना अति आवश्यक है इसके पास नहीं होने पर सरकार गिर जाएगी।
- किसी भी लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल (5 वर्ष) में कम से कम 6 बार धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है।

1. बजट सत्र (अनु० 112)

- बजट एक धन विधेयक है। भारत का वित्तीय वर्ष सामान्यत: 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।
- सत्र के प्रारंभ होने से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। जिसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव आयेगा।
- बजट सत्र वर्ष का सबसे पहला सत्र होता है, जो सामान्यत फरवरी से मई के मध्य चलता है।
- यह सबसे लम्बा तथा महत्वपूर्ण सत्र होता है, इसी सत्र में बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है।
- अनु 112 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखा को संसद के समक्ष रखवायेगा।
- यह वार्षिक वित्तीय लेखा ही बजट होता है। इसे संविधान में कहीं भी बजट नहीं लिखा गया है।

बजट में सामान्यत

i. पिछले वर्ष का वास्तविकता में आय-व्यय का विवरण (पिछले वर्ष कितना आय व्यय किया गया)

ii. यह भावी वर्ष के व्यय के लिये राजस्व उगाहने का वर्णन करता है। (आय के श्रोतों का वर्णन)

iii. राजस्व बढ़ाने के उत्पाद एवं साधन राजस्व एवं पूंजी की अनुमानित प्राप्तियाँ।

iv. अनुमानित आय व्यय भारत सरकार को वर्तमान वर्ष में जो करनी होंगी।

- एक अनुमान कहाँ कितना खर्च होगा, वर्तमान वर्ष में होने वाले सरकारी खर्चे का ब्लूप्रिंट होता है।

v. भावी वर्ष के लिए आर्थिक व वित्तीय नीति, कर प्रणाली तथा खर्चों की नयी परियोजना का विवरण।

- बजट सामान्यत: वित्तमंत्री द्वारा फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारतीय बजट पर चर्चा हेतु उसी समय राज्यसभा में भी बजट के कागजात रखे जाते हैं। एकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1921 ई० में रेल बजट को आम बजट से पृथक् किया गया था।
- परन्तु 2016 में वित्त मंत्रालय की 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जिसके द्वारा वर्ष 2016 में पुन: पहले कि तरह रेल बजट तथा आम बजट को एक कर आम बजट कर दिया गया है।
- यह मोदी सरकार की सुधार नीति का ही एक हिस्सा है।
- बजट कैसे पारित किया जाता है?– बजट मुख्यत: 6 चरणों की प्रक्रिया के बाद पारित होता है।
  1. बजट का प्रस्तुतिकरण।
  2. आम बहस।
  3. विभागीय समितियों द्वारा जाँच।
  4. अनुदान की मांग पर मतदान ।
  5. विनियोग विधेयक का पारित होना।
  6. वित्त विधेयक का पारित होना।

2. मानसून सत्र (जुलाई-अगस्त)

3. शरद सत्र (नवम्बर-दिसम्बर)

- शरद सबसे कम समयावधि का सत्र है इसका सत्रावसान होते ही संसद की छुट्टियाँ शुरू हो जाती है।
- मानसून तथा शरद सत्र में किसी भी विधेयक या संविधान संशोधन के जो भारत के लिए आवश्यक तथा जरूरी हो के बारे में तथा नयी नीतियों के बारे बहस की जाती हैं।
- विशेष सत्र दो तरह के होते हैं।
  i. संसद के विशेष सत्र।
  ii. लोकसभा के विशेष सत्र।

संसद के विशेष सत्र

- प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इनका आयोजन करता है।
- ये किसी नियमित सत्र के मध्य अथवा उससे पृथक् आयोजित किये जाते है।
- एक विशेष सत्र में कोई विशेष कार्य चर्चित तथा पारित किया जाता है।
- यदि सदन चाहे भी तो अन्य कार्य नहीं कर सकता है। केवल उसी विशेष कार्य को करेगा जिसके लिए यह सत्र आयोजित किया गया है।

लोकसभा का विशेष सत्र

☞ अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन है। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा स्थापित किया गया है।

☞ यदि लोकसभा के कम-से-कम 1/10 सदस्य एक प्रस्ताव लाते हैं, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल को जारी न रखने की बात कही गयी है तो नोटिस देने के 14 दिन के भीतर सत्र बुलाया जाएगा।

संसद के कामकाज अथवा कार्यक्रम और प्रक्रिया

☞ प्रत्येक सत्र के समय प्रतिदिन सदन में सामान्यतः बैठक आयोजित की जाती है।

1. **सुबह बैठकः**- सुबह के 11 बजे से दोपहर के 1 बजे
2. **शाम की बैठक** :- दोपहर के 02 बजे से स्थगन तक। (लगभग शाम के 6 बजे तक)

☞ संसदीय कार्य दो मुख्य शीर्षों में बाँटा जा सकता है।

i. सरकारी कार्य

ii. गैर-सरकारी कार्य

☞ सरकारी कार्य को फिर दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

i. ऐसे कार्य जिनकी शुरूआत सरकार द्वारा की जाती है।

ii. ऐसे कार्य जिनकी शुरूआत विपक्ष के सदस्यों द्वारा की जाती है।

☞ जिन कार्यों को सरकारी कार्य के समय में किया जाये।

☞ जैसे प्रश्नकाल स्थगन, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर ध्यान दिलाना, विशेषाधिकार के प्रश्न, अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा, मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव, अनुपूरक प्रश्नों पर आधे घण्टे की चर्चा आदि।

संसद में प्रश्न पूछना

☞ सरकार अपनी प्रत्येक भूल-चूक के लिए संसद के प्रति तथा संसद के द्वारा लोगों के प्रति उत्तरदायी है।

☞ संसद सदस्यों को लोक महत्व के मामलों पर सरकार के मंत्रियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछने का अधिकार होता है।

☞ संसद में सरकार से जनहित के प्रश्न पूछना प्रत्येक गैर-सरकारी सदस्य का संसदीय अधिकार होता है।

☞ संसद सदस्य के लिए लोगों के प्रतिनिधि के रूप में यह आवश्यक होता है कि उसे अपनी जिम्मेदारियों के पालन के लिए भारत सरकार के क्रियाकलापों के बारे में जानकारी हो।

1. प्रश्नकाल

☞ दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में एक घंटे तक (सुबह के 11 बजे से 12 तक) प्रश्न किए जाते हैं, तथा उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है।

☞ प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पर होने वाले कटु तर्क-वितर्क से सदन का वातावरण अनिश्चित होता है।

☞ दोनों ही सदनों के प्रत्येक सत्र के दौरान चार तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं।

i. तारांकित प्रश्न

❑ जिन प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जाता है। इनके अन्तर्गत अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

ii. अतारांकित प्रश्न

❑ इन प्रश्नों का लिखित में उत्तर दिया जाता है। इन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है।

❑ इनके अन्तर्गत अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं।

iii. Short Note Question

❑ इन प्रश्नों का लिखित में उत्तर दिया जाता है। इनके अन्तर्गत अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

❑ यह प्रश्न 15 दिनों के Short Notice के साथ पूछे गये प्रश्न होते हैं।

iii. गैर-सरकारी सांसदों के कार्य

❑ किन्हीं गैर-सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। यह प्रश्न प्राइवेट सदस्यों से तभी पूछा जा सकता है, जब वह कोई बिल लेकर आये, अन्यथा उनसे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है।

2. शून्यकाल

☞ संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का घण्टा (12:00 बजे) का समय आमतौर पर 'शून्यकाल' अथवा जीरो आवर के नाम से जाना जाता है। 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इस नाम ('शून्यकाल') से जाना जाता है, क्योंकि पहले श्शून्यकालश पूरे घंटे तक चलता था।

☞ 12 बजे दोपहर को न तो मध्याहन पूर्व का समय, और न ही मध्याहन पश्चात का समय होता है।

☞ इसे 1962 ई० में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, अतः यह नियमों की दृष्टि से तथाकथित शून्यकाल एक अनियमितता है।

☞ प्रश्नकाल की समाप्ति पर सदस्य ऐसे मामले उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं, जिनके बारे में वे महसूस करते हैं, कि इन विषयों में कार्यवाही करने में देरी नहीं की जा सकती है।

☞ शून्यकाल में पूछे गये सभी प्रश्न हमेशा बिना किसी पूर्व सूचना के पूछे जाते हैं।

3. ढाई घंटे तक चर्चा

☞ जिन प्रश्नों का उत्तर पहले दिया जा चुका है, उनसे कोई प्रर्याप्त लोक महत्व की समस्या उत्पन्न होती हैं तो उसके ऊपर आधे घण्टे की चर्चा होती है।

☞ यह शाम को 5:00 बजे से शाम के 5:30 बजे तक सोमवार, बुधवार, तथा शुक्रवार के दिन होती है। पूर्व में चर्चित प्रश्नों पर दोबारा इसके माध्यम से चर्चा नहीं की जा सकती है।

4. **अल्पकालीन तक चर्चा**

☞ किसी लोकहित के विषय पर तुरन्त चर्चा हेतु नोटिस सचिवालय के मुख्य सचिव को देना होगा।

☞ प्रश्न की अनुमति पीठासीन अधिकारी द्वारा दी जाती है। इसे 2 घण्टे की चर्चा भी कहा जाता है।

☞ इसे 1953 ई० में भारतीय संविधान में जोड़ा है। यह किसी भी सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न होता है।

☞ आजकल, शून्यकाल में उठाये जाने वाले कुछ मामलों को पहले से दी गई सूचना के आधार पर, अध्यक्ष की अनुमति से एक सूची भी बनने लगी हैं।

संसद में लाये जाने वाले प्रस्ताव के प्रकार

1. **विश्वास प्रस्ताव (Confidence Motion)**

☞ लोकसभा नियमों में इस प्रस्ताव का कोई वर्णन नहीं है, यह आवश्यकता अनुसार उत्पन्न हुआ है।

☞ विश्वास प्रस्ताव हमेशा मंत्रिपरिषद् अपनी सत्ता सिद्ध करने के लिए लोकसभा में लाती है।

☞ विश्वास प्रस्ताव के गिर जाने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है।

2. **अविश्वास प्रस्ताव (No-cofidence Motion)**

☞ अधिकतर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध आरोपों लगाकर कम-से-कम 50 सदस्यों के समर्थन से लाता है, प्रस्ताव में सरकार के विरुद्ध लगे आरोपों का वर्णन नहीं होता है।

☞ केवल यह बताता है कि सदन मंत्रिपरिषद् में विश्वास नहीं करता है।

☞ अविश्वास एक बार प्रस्तुत कर देने पर अलावा धन्यवाद के सभी अन्य प्रस्तावों पर प्रभावी होता है।

☞ इस प्रस्ताव हेतु पर्याप्त समय दिया जाता है, इस पर चर्चा करते समय समस्त सरकारी कृत्यों नीतियों की चर्चा हो सकती है।

☞ लोकसभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिये जाने पर मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंप देती है।

☞ संसद के एक सत्र में एक से अधिक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाये जा सकते है।

☞ दो अविश्वास प्रस्तावों के मध्य कम-से-कम 6 माह का अन्तर होना अति आवश्यक होता है।

☞ अविश्वास प्रस्ताव के चलते प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने पहली बार 1989 में अपनी सरकार गवाई थीं।

3. **निंदा प्रस्ताव (Censure Motion)**

☞ लोकसभा में विपक्ष यह प्रस्ताव लाकर मंत्रिपरिषद् या किसी मंत्री विशेष की किसी विशेष नीति का विरोध / निंदा करता है। इसे लाने हेतु कोई पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। यदि यह प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाये तो सरकार पर निर्धारित समय में विश्वास प्रस्ताव लाकर अपने स्थायित्व का परिचय देना होता है, उसके लिये यह अनिवार्य है।

4. **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (Calling Attention Motion)**

☞ यह प्रस्ताव किसी भी सदन में चल रही किसी प्रक्रिया को तत्काल रोकने के लिए लाया जाता है।

☞ जिससे सदस्य केवल अविलम्बनीय लोकमहत्व के मामले पर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है।

☞ इसका जवाब सम्बन्धित मंत्री को तत्काल या कुछ समय लेकर भी दे सकता है। मंत्री उस पर संक्षिप्त वक्तव्य के रूप में देगा, इसके उपरांत सदस्य स्पष्टीकरण मांगते हैं। (स्थगन प्रस्ताव को सीमित करेगा)

☞ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पूर्व अनुमति देने के बाद कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से लाया जाता है।

☞ पूर्व में जिस विषय पर चर्चा हो चुकी होगी, उस विषय पर इस प्रस्ताव के जरिए दोबारा चर्चा नहीं होगी। जैसे कोरोना पर अगर किसी सदन में पहले चर्चा हो चुकी होगी तो इस प्रस्ताव के जरिए कोरोना पर दोबारा चर्चा नहीं की जाएगी। एक बार में केवल एक ही बिन्दु पर चर्चा की जा सकेगी।

☞ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत उस विषय को नहीं उठाया जाता, जिस पर वर्तमान में चर्चा हो रही हो।

5. **समापन प्रस्ताव या कटौती प्रस्ताव (Closer Motion)**

☞ यह प्रस्ताव सदन के समक्ष किसी मामले पर चल रही बहस को कम करने या समाप्त करने के लिए किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है।

☞ यदि सदन द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है, तो बहस तुरंत बंद कर दी जाती है और मामला मतदान के लिए रखा जाता है। विभिन्न प्रकार के कटौती प्रस्तावों पर चर्चा नीचे की गयी है।

i. **साधारण कटौती:-**

❑ जो किसी सदस्य की ओर से रखा जाता है कि इस मामले पर पर्याप्त चर्चा की जा चुकी है और अब इसे मतदान के लिए रखा जाए।

ii. **कंगारू कटौती:-**

❑ इस मामले में, केवल महत्त्वपूर्ण खंडों पर ही बहस होने के पश्चात मतदान होता है और खण्डों को बिना चर्चा के छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है।

iii. **गिलोटिन प्रस्ताव:-**

❑ जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती हैं तो उस पर मतदान से पूर्व चर्चा कराने के इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है।

❑ जब कि चर्चा के लिए आवंटित समय समाप्त हो गया होता है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

(i) सामान समापन प्रस्ताव :- 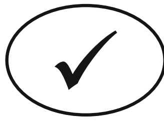 मतदान पूरे पर चर्चा हो चुकी हो तो मतदान

(ii) कंगारू कटौती :- 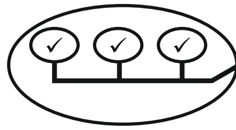 मतदान पूरे पर चर्चा न करके कुछ पर चर्चा बाकी पर मतदान

(iii) घटकों में कटौती :- 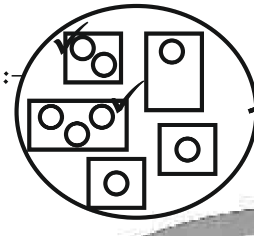 मतदान कुछ भागों के सब-भागों पर चर्चा करके बाकी पर मतदान

(iv) गिलौटिन प्रस्ताव :- कोई चर्चा किये बगैर सीधे मतदान (जैसे बिना किसी से बात किये सीधे किसी का सिर काट दिया गया हो।)

6. धन्यवाद प्रस्ताव (Thanking Motion)

☞ प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र व वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है।

☞ राष्ट्रपति को संबोधन के तुरन्त बाद इस प्रस्ताव को लाया जाना अति आवश्यक होता है। ख किसी भी लोकसभा पूर्ण कार्यकाल (5 वर्ष) में कम से कम 6 बार धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है।

7. स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)

☞ किसी भी दिन सदन की दो बैठक सामान्यत: आयोजित की जाती है। (सुबह, शाम की बैठक)

☞ किसी भी सदन के अध्यक्ष / सभापति द्वारा सदन की बैठक में अस्थायी तौर पर रोक लगाया जाना। जैसे (1 या 2 घण्टे) (1 या 2 दिन), (1 या 2 सप्ताह) के एक निश्चित समय के लिए रोक लगाना स्थगन कहलाता है। यह निम्न स्थितियों में स्पीकर द्वारा लाया जा सकता है।

☞ इसके पारित होने से सत्र समाप्त नहीं हो जाता ना सदन के समक्ष लम्बित कार्य समाप्त हो जाते हैं।

☞ जब कोरम पूर्ण ना होने की स्थिति हो, सदन में विपक्षी दलों द्वारा अत्यधिक हंगामा व किसी संसद सदस्य की मृत्यु के समय (Condolence) की स्थिति में सदन न चलने पर लाया जाता है।

☞ स्थगन के समय विचाराधीन किसी भी विधेयक प्रस्ताव, संविधान संशोधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

स्थगन दो प्रकार का होता है।

i. अनिश्चित कालीन स्थगन (Sign die)- जब अगली मीटिंग का समय न दिया हो।

ii. निश्चित कालीन स्थगन (Adjournment)- जब अगली मीटिंग का समय दे दिया जायें।

8. सत्रावसान प्रस्ताव (Prorogation Motion)

☞ पीठासीन (अध्यक्ष / सभापति) सदन के सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करता है। जब कोई सत्र अनिश्चितकाल की स्थिति से बाहर ही ना आ रहा हो तो, कुछ समय बाद मंत्रिपरिषद् की सलाह पर सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति "अनुच्छेद 85 (2) (क)" के तहत करता है।

☞ इसमें संसद का एक सत्र समाप्त हो जाता है, तथा संसद दोबारा सत्र तभी आयोजित कर सकती है, जब राष्ट्रपति सत्रारंभ का सम्मन (विज्ञप्ति जारी कर देता है। **अनु० 85 (क)**

☞ सत्रावसान के प्रभाव की दशा में संसद के समक्ष लम्बित कार्य समाप्त नहीं हो जाते हैं। परन्तु ब्रिटेन में सत्रावसान होने की दशा में सभी विचाराधीन-कार्य समाप्त हो जाते हैं।

क्रम	स्थगन प्रस्ताव	सत्रावसान प्रस्ताव
1.	यह केवल एक बैठक को समाप्त कर सकता है।	यह पूरे एक सत्र को समाप्त कर सकता है।
2.	यह सभापति द्वारा लाया जाता है।	यह राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद् की सलाह पर लाया जाता है।
3.	इसके बाद किसी भी विधेयक, प्रस्ताव CAA पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।	इसके बाद कुछ विधेयक, प्रस्ताव, CAA समाप्त हो जाते हैं, तथा कुछ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

9. विघटन प्रस्ताव (Dissolution Motion) / लोकसभा का विघटन (Dissolution of L.S.)

☞ राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद् की सलाह पर "अनुच्छेद 85(2)(ख)" के तहत हमेशा लोकसभा का ही विघटन किया जा सकता है। क्योंकि लोकसभा एक अस्थाई तथा राज्यसभा एक स्थाई सदन होता है।

- ☞ विघटन प्रस्ताव से कार्यरत लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाता है। इसके बाद आमचुनाव ही होते हैं।
- ☞ विघटन हमेशा निम्न स्थितियों में ही किया जा सकता है।
  - ❑ लोकसभा ने अपना कार्यकाल पूर्ण (जो भी शेष बचा हो) कर लिया हो।
  - ❑ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा पारित किया जा चुका हो। ऐसी स्थिति में विपक्ष के नेता (LOP Leader of Opposition) को सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा।
  - ❑ प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया हो, 1989 के दौर में हुआ जब भारतीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (1989-90) ने पहली बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना करते हुए इस्तीफा दिया।
  - ❑ सरकार गिरने पर चन्द्रशेखर 1990 में तथा पी० वी० नरसिम्हा राव 1991 की सरकारें बनाई गयी।

लोकसभा के विघटन का विधेयकों पर प्रभाव

1. वे विधेयक प्रस्ताव, संकल्प नोटिस, याचिका, CAA, जो लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं।

- ☞ वह सभी लंबित कार्य जो लोकसभा के समक्ष होते हैं, विघटन के बाद समाप्त हो जाते हैं।
- ☞ अगर कोई बिल लोकसभा में लाया गया हो तो समाप्त होगा, चाहें राज्यसभा से पास हो गया हो।
- ☞ अगर कोई बिल लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में विचाराधीन हो तो भी समाप्त हो जाएगा।
- ☞ जो बिल राज्यसभा में तो लाया गया है, और अब लोकसभा में लंबित है, तो समाप्त हो जाएगा।

2. वे विधेयक प्रस्ताव, संकल्प नोटिस, याचिका, CAA, जो लोकसभा के विघटन से समाप्त नहीं होते हैं।

- ☞ ऐसे बिल जो राज्यसभा में लाये गये हों और वही लंबित होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं।
- ☞ गतिरोध की स्थिति में लोकसभा विघटन से पूर्व यदि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला लेता है, तो भी बिल समाप्त नहीं होगा।
- ☞ दोनों सदनों से पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के पास विचाराधीन हो तो समाप्त नहीं होगा।
  - ❑ अगर ऐसे किसी बिल पर लोकसभा के विघटन के बाद भी यदि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर के साथ संस्तुति कर देता है, तो वह बिल एक अधिनियम बन जाता है।
  - ❑ अगर राष्ट्रपति ऐसे किसी बिल को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है, तो भी समाप्त नहीं होगा।

10. काम रोको प्रस्ताव (Stop Working Motion)

- ☞ लोकसभा में विपक्ष यह प्रस्ताव लाता है।
- ☞ जिसमें सदन की समस्त कार्यवाही रोक कर तात्कालीन जन महत्व के किसी एक मुद्दे को उठाया जाता है। यह प्रस्ताव पारित होने पर सरकार पर निंदा प्रस्ताव के समान प्रभाव छोड़ता है।

संसदीय विशेषाधिकार

- ☞ अनुच्छेद 105 के अनुसार दो प्रकार के विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया है।
- ☞ संसदीय विशेषाधिकार को दो व्यापक वर्गों में बाँटा जा सकता है।
  1. सामूहिक अधिकार
  2. व्यक्तिगत अधिकार

1. जबकि सामूहिक अधिकार संसद या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों को प्राप्त होते हैं।

- ☞ सामूहिक अधिकार के अंतर्गत सदन की रिपोर्ट, नियम / विनियम / कानून बनाने की आजादी होती है।
- ☞ बाद-विवाद कार्यवाहियों आदि मामले में अन्य के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाना है। सदन की कार्यवाही तब भी वैद्य होगी, जब कोई नियम / विनियम / कानून कार्यवाही के दौरान टूट गया हो। इस आधार पर सदन की कार्यवाही को नहीं रोका जा सकता है।
- ☞ कोई भी संसद सदस्य जो किसी समिति का सदस्य है, जब तक इस समिति की रिपोर्ट संसद के पटल पर नहीं रखी जाएगी तब तक उस सम्बन्ध में कोई भी बयान कहीं भी नहीं दे सकता है।
- ☞ इसके अतिरिक्त सदन की अवमानना पर दंडित करने की शक्ति।
- ☞ संसद किसी भी व्यक्ति को सामान्य वारण्ट से अपनी अवमानना के सम्बन्ध में गिरफ्तार कराकर जेल भेज सकती है। इन मामलों में न्यायालयों को संसद की कार्यवाही की जाँच करने का निषेध शामिल हैं।
- ☞ सदन का स्पीकर सदन की किसी भी बैठक को गुप्त बैठक घोषित कर सकता है।
- ☞ विशेष मामलों पर गुप्त बैठक करना। कार्यवाही चलाने का अधिकार।
- ☞ कार्यवाही से बाहरी व्यक्तियों सहित सदस्यों को निष्कासित करना। (केवल संसद सदस्य व अटार्नी जनरल ही भाग ले सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, मॉर्शल, अन्य संसद कर्मचारी / अधिकारी बाहर)
- ☞ सदस्यों के बंदी या मुक्ति व अपराध सिद्धी के संबंध में जानकारी प्राप्त करना।

2. किसी संसद सदस्य (सांसद) को प्राप्त व्यक्तिगत अधिकार

- व्यक्तिगत अधिकारों का उपयोग संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाता है।
- सदन के सत्र के दौरान सत्र आरंभ होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्ति के 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में सदस्यों को गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्रदान की गयी है। यह अनु० 14 का अपवाद है।
- संसद में सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हैं। अर्थात संसद में कही गयी किसी बात / राय / संसद के पटल पर रखी गयी किसी बात के लिए यह किसी भी न्यायालय में विचार्णीय नहीं होते हैं।

विशेषाधिकारों का हनन और सदन की अवमानना

- जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी व्यक्तिगत रूप में संसद के सदस्यों अथवा सामूहिक रूप से सभा के किसी विशेषाधिकार और उन्मुक्ति की अवहेलना करता है या उन्हें चोट पहुँचाता है, तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाएगा। यह कृत्य सदन द्वारा दंडनीय होता है।
- इसके अतिरिक्त सदन के आदेशों की अवज्ञा करना अथवा सदन इसकी समितियों, सदस्यों और पदाधिकारियों के विरुदध अपमानित लेख लिखना भी विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।
- सामान्यत: ऐसा कोई कार्य या भूल जो संसद के किसी सदन के काम में बाधा या अड़चन डालती है।
- संसद के किसी सदस्य या अधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा उत्पन्न करती है।
- जो सदन की गरिमा एवं शक्ति के विरुद्ध हो तो ऐसे कृत्यों को सदन की अवमानना कहा जाएगा।
- उदाहरण सदन उसकी समितियों / सदस्यों पर आक्षेप लगाने वाले भाषण, अध्यक्ष के कर्तव्यों के पालन में उसकी निष्पक्षता / चरित्र पर प्रश्न करना, सदन में सदस्यों के आचरण की निंदा करना, सदन की कार्यवाहियों का झूठा प्रकाशन, संसदीय कार्यवाहियों को प्रभाव डालने के लिये सदस्यों को रिश्वत देना

विशेषाधिकारों की सीमाएँ (उन पर प्रतिबन्ध)

- संसदीय विशेषाधिकार संसद के अनिवार्य अंग के रूप में मौजूद हैं, फिर भी इनके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।
- यदा-कदा मीडिया द्वारा सांसदों की आलोचना करने पर इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है।
- संसद के सदस्यों को विशेषाधिकारों के उल्लंघन करने पर स्वयं के मामले में स्वत: न्याय करने की शक्ति भारतीय संविधान द्वारा प्रदान की गयी हैं।
- इस तरह उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को उचित सुनवाई के अधिकार से वंचित होना पड़ता है। इसके अतिरिक्त किसी संसद सदस्य द्वारा सदन में की गई घोषणा या आश्वासन को विशेषाधिकारों के उल्लंघन या संसद की अवमानना के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है।
- कोई भी सांसद कभी भी उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध जब तक कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है, जब तक किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग जैसी प्रक्रिया प्रचलित न हो।
- भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी कभी नहीं की जा सकती है।

विशेषाधिकारों का महत्त्व

- यह विशेषाधिकार संसद सदस्यों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
- उनके द्वारा संसद में किये जाने वाले कृत्यों के बदले न्यायालयों में कार्यवाहियों से रक्षा करता है। ताकि संसदीय प्रक्रिया निर्बाध रूप से चलती रहे। यह साथ ही यह संसद की गरिमा, अधिकार और सम्मान की रक्षा के लिये भी महत्त्वपूर्ण है।

संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा (अनु० 120 के अनुसार)

- संसद के कार्य संचालन करने की भाषाएं ''राजभाषा अधिनियम 1963'' के द्वारा हिंदी तथा अंग्रेजी हैं।
- किंतु पीठासीन अधिकारी ऐसे सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता हो, अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुमति दे सकते हैं।
- दोनों सदनों में 12 भाषाओं को हिंदी व अंग्रेजी में साथ साथ भाषांतर करने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।
- **अनु० 348**
  - उच्च न्यायालय में सभी कार्य अंग्रेजी में होंगे।
  - उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी हिन्दी में कार्य प्रारम्भ किया है।
  - तमिलनाडु और मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिल भाषा में कार्य करने की अनुमति दे दी है।

संसदीय समितियाँ

- संसदीय समितियाँ का आरम्भ ब्रिटिशों के मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर 1921 से आरम्भ हुई।
- भारतीय संसद के इतना विशाल और भारी-भरकम (विभिन्न विभागों की मौजूदगी) होने के कारण इन समितियों का निर्माण किया जाता है। जिससे किसी भी विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने, विभागों के कार्यों की समीक्षा कराने हेतु तथा उन विभागों की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।
- इन समितियों का गठन विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाये रखने के लिये किया जाता है।
- भारतीय संविधान में समिति का स्थान अनु० 105 (2) (3) (4) संसदीय समिति दो प्रकार की होती हैं।

1. स्थाई समिति

- इन समितियों का कार्य ''शव परीक्षण (Postmortem)'' जैसा है, क्योंकि जब तक धन खर्च हो चुका होता है, तब यह समितियाँ अपना कार्य आरम्भ करती हैं।
- सभी वित्त समिति स्थाई समिति होती हैं जो निरन्तर तथा प्रत्येक वर्ष गठित की जाती हैं।

2. तदर्थ समिति

- यह समिति किसी विशेष कार्य/अर्थ हेतु गठित की जाती हैं, जिसे पूर्ण होते ही इन समितियों का अस्तित्व अपने आप ही खत्म हो जाता है।
- सभी तदर्थ समितियाँ अस्थाई समिति होती हैं।
- इन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है। (जाँच एवं सलाहाकार समिति)

☞ कार्य की प्रकृति के आधार पर स्थाई समितियों को 6 भागों में बाँटा जा सकता है।

1. वित्त समितियाँ।
2. विभागीय स्थायी समितियाँ।
3. जाँच के लिए गठित समितियाँ (जाँच समिति।
4. परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति।
5. सदन के दैनन्दिन कार्यों से सम्बन्धित समितियाँ।
6. सदन समितियाँ या सेवा समितियाँ।

☞ जाँच की प्रकृति के आधार पर अस्थाई समितियों निम्नलिखित होती हैं।

1. याचिका / आवेदन समिति।
2. विशेषाधिकार समिति।
3. आचार रागिति।

☞ जाँच एवं नियंत्रण की प्रकृति के आधार पर अस्थाई समितियों निम्नलिखित होती हैं।

1. सरकारी आश्वासन समिति।
2. अधीनस्थ विधायन समिति।
3. सदन के पटल पुर:स्थापित दस्तावेजों की समितियाँ।
4. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति।
5. महिला सशक्तीकरण समिति।
6. लाभ के पदों पर संयुक्त समिति।

वित्त समितियाँ (स्थाई समिति)

I. लोक लेखा समिति (PAC – Public Accounts Committee)

- इसका पहली बार गठन 1921 ई० में ''भारत शासन अधिनियम 1919'' के द्वारा किया गया था।

☞ इस समिति में 1955 ई० तक केवल 15 सदस्य केवल लोकसभा के हुआ करते थे।

☞ गणेश वासुदेव मावलंकर (प्रथम लोकसभा अध्यक्ष) द्वारा 1955 ई० में पहली बार 07 सदस्यों को राज्यसभा से जोड़कर सदस्यों की कुल संख्या को 22 कर दिया गया। (स्पीकर को अपनी रिपोर्ट देगा)

☞ वर्तमान में इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा से एक वर्ष के लिये पक्ष तथा विपक्ष के सदस्य सदन के अध्यक्ष तथा सभापति द्वारा चुने जाते हैं।

☞ 1967 से लोकलेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता (LOP) को बनाया जाने लगा।

☞ वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी (27 नवम्बर 2019 से)

☞ प्रत्येक साल में इसके सदस्यों को बदल दिया जाता है। कोई भी मंत्री कभी भी इसका सदस्य नहीं बनाया जा सकता है।

☞ लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति की 'जुड़वा बहन' कही जाती है।

☞ लोकसभा सचिवालय इस समिति के कार्यालय की भूमिका निभाता है।

☞ इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति स्पीकर के द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से की जाती है।

लोक लेखा समिति के प्रमुख कार्य

☞ यह समिति भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिये गये लेखा परीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदनों (CAG की रिपोर्ट) की जाँच करती है।

☞ यह सबसे महत्त्वपूर्ण समिति है, क्योंकि सरकार के आय-व्ययों की लेखापरीक्षा (auditing) करती हैं। सेवाओं पर अधिक खर्चे की जाँच करती है। वित्तीय अनियमितता / वित्त लेखा या भ्रष्टाचार की जाँच करती है।

☞ यह समिति पुर्नविनियोग की जाँच करती है। वास्तविक खर्चे के सापेक्ष संसद द्वारा आवंटित धन की जाँच। जैसे किसी वर्ष शिक्षा पर बजट कुछ निश्चित धनराशि रहा हो, तो यह समिति जाँच करेगी कि जिस मद के अंदर जितना धन आवंटित किया गया था, क्या उसी मद में उतना ही धन लगाया गया है या किसी अन्य मद में इसके हिस्से का धन खर्च कर दिया है अथवा आवंटित से कम या अधिक धन खर्च किया है। यह प्रक्रिया पुर्नविनियोग कहलाता है।

II. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)

☞ इसका गठन 1950 में वित्तमंत्री जॉन मथाई की सिफारिश से किया गया।

☞ जिसमें 30 सदस्य जो सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा तथा इसका अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

☞ इस समिति का अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल (Ruling Party) का होता है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कोई भी मंत्री कभी भी इस समिति के सदस्य नहीं लेने का ह।

☞ लोक लेखा समिति की बहन प्राक्कलन समिति को कहा जाता है।

प्राक्कलन समिति के प्रमुख कार्य

☞ इस समिति का कार्य बजट पेश हो जाने के बाद आरम्भ होता है। बजट में कंजूसी कैसे बरती जायें, यह सुझाव देना प्राक्कलन समिति का कार्य होता है।

☞ इस समिति की रिपोर्ट पर संसद के किसी भी सदन में बहस करने का अधिकार किसी को नहीं है।

☞ यह केवल सुझाव प्रदान करने वाली एडवाइजरी होती है। सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होती है।

☞ इसके द्वारा दिये गये सुझाव से वर्तमान बजट पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, परन्तु आगामी वर्षों में आने वाले बजट पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

☞ संसद की वित्तीय करों में सहायता करने हेतु बनी स्थाई समितियों में से एक प्राक्कलन समिति है।

☞ यह समिति सुझाव देती है, कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, सरकारी व्यय को घटाना तथा व्यय कम करने के लिए क्या 2 तरीके अपनायें जा सकते है, दक्षता को कैसे सर्वोच्च स्तर पर लाया जाये?

☞ योजनागत व्यय- यह व्यय पूर्णत: नियोजित योजनाओं में लगाया जाने वाला व्यय होता है।

☞ जिसका सीधा लाभ जनहित में होता है। जैसे उज्ज्वला योजना, मनरेगा योजना, आयुष्मान भारत योजना आदि। इन योजनाओं के अन्तर्गत होने वाला व्यय को घटाया जाने से सीधा प्रभाव आम जन- मानस पर पड़ता है। जो किसी भी हालत में अच्छा सुझाव नहीं हो सकता है।

☞ गैर-योजनागत व्यय- यह व्यय प्रशासनिक कार्यों पर होने वाला व्यय होता है। जैसे प्रशासनिक अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, अन्य मदों पर होने वाले खर्च।

☞ हमेशा ही गैर-योजनागत व्यय को कम से कम किया जाना चाहिए। जिससे प्रशासनिक दक्षता को उच्चतम स्तर पर लाया जा सके। जिससे सर्विस सैक्टर (Production, Manufacturing Sector, Local Factories, MSME etc) को उच्च स्तर पर बढ़ावा दिया जा सके।

☞ जिससे जनता के लिए अपार रोजगार के अवसर उत्पन्न हो । आम जनमानस के पास खर्च करने के लिए पैसा हो। बैंकों को अपने SLR / CRR / IR etc को कम करना चाहिए। जिससे कि कम ब्याज पर लोन लेकर कोई भी व्यक्ति अपना कोई व्यापार आरम्भ कर सके, घर आदि प्रॉपर्टी खरीद सके।

☞ यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच- पड़ताल करती है। इस समिति का कार्य सरकार के व्यय को नियंत्रित करना होता है।

☞ यह स्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में कार्य करती है और इसके आलोचना या सुझाव सरकारी फिजूलखर्ची पर रोक लगाने का काम करते हैं।

III. सार्वजनिक उपक्रम समिति

☞ इसका गठन कृष्णा मेनन समिति की सिफारिशों पर 1964 ई० में किया गया था।

☞ इस समिति में सदस्यों की संख्या 22 (17 लोकसभा +5 राज्यसभा से) होता है।

☞ सभी सार्वजनिक उपक्रमों में होने वाले खर्चों की जाँच करती है। (शव परीक्षण करने वाली समिति है)

☞ जिसके अन्तर्गत सभी बैंकों, FCI, LIC, सभी PSU's (BSNL, BEL, GAIL etc) आदि का ऑडिट तथा इनकी रिपोर्ट का Review करती है।

☞ CAG के द्वारा बनाई सभी PSU's की रिपोर्ट का Review इस समिति के द्वारा किया जाएगा।

☞ इसका कार्य न्यायपूर्ण संचालन विधि सम्मत है अथवा यह लोकसभा द्वारा सौंपे गये किसी भी कार्य को पूर्ण करेगी।

☞ किसी भी सार्वजनिक उपक्रम के दिन दैनन्दिन कार्यों की समीक्षा नहीं करेगी।

IV. विशेषाधिकार समिति

☞ लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 15 सदस्यीय समिति तथा राज्यसभा से इस समिति में 16 सदस्य होते हैं, जिन्हें सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है।

☞ यह कुल 25 सदस्यीय दो अलग-अलग समितियाँ होती हैं जो लोक व राज्यसभा में बनायी जाती हैं।

☞ वर्तमान में बी०जे०पी० की सांसद मीनाक्षी लेखी लोकसभा के विशेषाधिकार समिति की प्रमुख हैं।

☞ इन समितियों का मुख्य कार्य सदन के विशेषाधिकार के हनन के मामलों का परीक्षण किया जाता है।

☞ किसी व्यक्ति द्वारा अगर सदन के विशेषाधिकारों का हनन किया गया है तो यह समिति उसे दण्डित कर सकती है। इस समिति में कोई भी जज मौजूद नहीं होने के कारण इसे एक अर्द्ध न्यायिक समिति कहा जाता है। दोषी को क्या सजा सुनिश्चित करना इस समिति का कार्य होता है।

V. विभागीय स्थाई समितियाँ

☞ इनकी स्थापना 1993 ई० में की गयी थीं।

☞ प्रत्येक विभाग की अपनी स्थाई समिति होती है। जिसमें 48 सदस्य होते हैं। जो 30 लोकसभा + 15 राज्यसभा से चुने जाते हैं। जैसे- रेलवे, वित्त, जल परिवहन इत्यादि।

- इस समिति के सदस्यों की संख्या 48 से कम होती है, तो यह इसी अनुपात (2:1) में होंगे।
- इस समिति में कोई भी मंत्रिपरिषद् का सदस्य समिति सदस्य के रूप में कार्य नहीं करेगा। यदि कोई सदस्य बाद में मंत्रिपरिषद् का सदस्य घोषित किया जाता है तो उसी दिन से उसका सदस्य पद रिक्त समझा जाएगा।
- यह विभागीय समितियाँ किसी भी विभाग के दिन दैनन्दिन कार्यों की समीक्षा नहीं करेगी।

समिति का प्रमुख कार्य

- विभाग द्वारा की गई माँग की जाँच करना विभागीय स्थाई समिति का कार्य होता है।
- यह किसी भी सदन के द्वारा सौंपे गये किसी भी कार्य को पूर्ण करेगी।

VI. याचिका समिति

- लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 15 सदस्यीय समिति तथा राज्यसभा से इस समिति में 16 सदस्य होते हैं, जिन्हें सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह कुल 31 सदस्यीय दो अलग-अलग समितियाँ होती हैं। जो लोकसभा तथा राज्यसभा में अलग-2 बनायी जाती हैं।
- इस समिति का मुख्य कार्य है कि अगर संसद में कोई विधेयक आया, इसके विरुद्ध कोई याचिका प्राप्त होती है तो उस याचिका की जाँच करके अपनी रिपोर्ट उस सदन के पटल पर रखी जाती है।
- संसद की कार्यवाहियाँ को कैसे सुचारू रूप से चलाया जायें? इसके सम्बन्ध में सदनों में सुझाव देगी।

VII. लाभ के पद पर संयुक्त समिति

- इस समिति में सदस्यों की संख्या 15 (10 लोकसभा + 05 राज्यसभा से) है।
- यह समिति निश्चित रूप से यह तय करती है कि कौन-सा पद लाभ का पद है अथवा नहीं?
- लाभ के पद के कारण किसी सदस्य को निर्हर घोषित किया जाएगा, तो उसकी जाँच करना इस समिति का मुख्य कार्य होता है।

निधियाँ (Funds)

1. भारत की संचित निधि (Consolidate Fund of India)

- अनु० 266(1) भारत की संचित निधि में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण व सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋणों की पुर्नभुगतान शामिल हैं।
- वे व्यय जो कि भारत की संचित निधि पर बिना संसदीय स्वीकृति के भारित होते है, ये व्यय या तो संविधान द्वारा स्वीकृत होते है या संसद द्वारा विधि बनाकर इस निधि पर डाल दिए जाते हैं।
- यह भारत की सबसे बड़ी निधि होती है। जोकि संसद के अधीन रखी गयी है कोई भी धन इसमें बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के निकाला / जमा या भारित नहीं किया जा सकता है।
- भारत की संचित निधि से किसी धन की निकासी तब तक नहीं की जा सकती, जब तक दोनों सभाओं द्वारा विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) को पारित नहीं कर दिया जाता है।
- कुछ संवैधानिक पदों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिये यह व्यय प्रयोग में लाए गए हैं।
  i. राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता और अन्य व्यय।
  ii. राज्यसभा सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते।
  iii. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के वेतन, भत्ता तथा पेंशन।
  iv. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ता तथा पेंशन।
  v. ऐसा ऋण-भार, जिनका दायित्व भारत सरकार पर है।
  vi. भारत सरकार पर किसी न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री या पंचाट।
  vii. कोई भी प्रतिभार जो संविधान या संसद विधि बनाकर इस प्रकार भारित घोषित कर दे।

2. भारत का लोक लेखा (Public Account of India)

- अनु० 266 (2) के अंतर्गत भारत का लोक लेखा का वर्णन है, जोकि भारत सरकार की एक निधि है।
- इस निधि के अंतर्गत भारत सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य कर रही है।
- जनता का बैंको आदि में जमा पैसा, भारत सरकार के अधीन है। भारत सरकार या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियाँ (जनता का विभिन्न माध्यमों द्वारा जमा सम्पूर्ण धन) भारत के लोक लेखों में जमा होता हैं।
- इस निधि के दो मुख्य भाग होते हैं।
  (i) ऋण और जमा शीर्ष
  (ii) प्रेषण शीर्ष (Remittance Heads)
- पहले भाग का संबंध समेकित निधि से संबंध रखने वाले 'ऋण शीर्षों को छोड़कर अन्य ऋण की प्राप्तियों और भुगतान से संबंधित है।
- भारत के लोक लेखा को एक इस उदाहरण से समझा जा सकता है, जैसे NPS में जो रकम की कटौती हो रही है वो रकम अभी भारत सरकार के पास है, परन्तु वह जनता का है परन्तु समय आने पर भुगतान करना होगा। उसी प्रकार पी एफ (Provident Fund) की कटौती होती हैं।
- जिसमें धन की अदायगी की देयता भारत सरकार की होती है, और भुगतान की गई राशियों की वसूली का अधिकार भी उसे होता है। जैसे अंशदायी और गैर अंशदायी प्रोविडेंट फण्ड, स्टाफ बेनिफिट फण्ड और रेलवे के फण्ड आदि। (DF, DRF, PPF, GPF, NPS etc.)
- दूसरे भाग का संबंध केवल समायोजन (Adjustment) शीर्षों से है। विभिन्न लेखा शीर्षों के बीच अंतरण (जैसे कि पहले एक लेखा अधिकारी के खाते में दिखाए गए किन्तु अंतिम रूप से दूसरे के खातों में भेज दिया गया)

- ☞ वित्तीय आपात काल (अनु० 360) में सरकार इस खाते के सभी जमाओं को बिना संविधान संशोधन के जब्त कर सकती बचत खातों जमा कितनी धनराशि जमाकर्ता न्यायालय में केवल 5 लाख की धनराशि पर ही Claim कर सकता है।

3. आकस्मिक निधि (Contingency Fund)

- ☞ अनु० 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है।
- ☞ इस फण्ड में आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए एक राशि रखी जाती है। इससे व्यय ऐसे मुद्दों पर किया जाता है जिनको टाला नहीं जा सकता है और उस समय सरकार धन विधेयक लाने की स्थिति में नहीं होती है।
- ☞ अचानक किसी महामारी तथा कोई आकस्मिक समस्या का पैदा हो जाये। जैसे कोरोना के समय 20 लाख करोड़ का पैकेज इसी में से जनहित के उद्धार के लिए प्रदान किया गया था।
- ☞ इस निधि से राष्ट्रपति की अनुमति के बाद मुख्य वित्त सचिव के द्वारा कोई धनराशि निकालता है।
- ☞ विनियोग विधेयक लाकर संसद आरम्भ होते ही, संसद से अनुमति लेकर उतनी ही धनराशि संचित निधि से लेकर इस निधि में डाल दिया जाता है। यह एक तरह से 0% ब्याज का ऋण होता है।
- ☞ भारत की आकस्मिकता निधि से जुड़े महत्त्वपूर्ण तथ्य निम्न हैं।
- ☞ इस पर राज्य के सम्बन्ध में राज्यपाल और केंद्र के सम्बन्ध में राष्ट्रपति का अधिकार रहता है।
- ☞ यह निधि राष्ट्रपति या कार्यपालिका या सरकार के अधीन होती है अर्थात इस निधि से पैसा निकालने के लिए संसद की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इस निधि का गठन संसद ही करती है अर्थात संसद ही तय करती है कि इस निधि में कितना पैसा होगा।
- ☞ यह निधि, 1950 ई० में गठित की गई है। यह निधि कार्यपालिका के व्यवनाधीन है।
- ☞ इस कोष का निर्माण इसलिए किया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर आकस्मिक खर्चों के लिए संसद की स्वीकृति के बिना भी राशि निकाली जा सके।
- ☞ जब तक विधान मंडल अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान द्वारा ऐसे व्यय को प्राधिकृत नहीं करता है, तब तक समय-2 पर अन्वेशित व्यय करने के प्रयोजन के लिए कार्यपालिका इस निधि से अग्रिम धन दे सकती है।

विभिन्न संसदीय समितियाँ का विवरण

क्रम	समिति का नाम	प्रवृत्ति	सदस्यों की संख्या	L.S.	R.S.	स्थापना वर्ष	टिप्पणी
1.	लोक लेखा समिति 1967 से LOP को **अध्यक्ष** बनाया जाने लगा है।	स्थाई	22 (1955 से पहले 15) G.V. मावलकर द्वारा पहली बार 07 सदस्य राज्यसभा से जोड़े थे।	15	07	1921 ई० भारत शासन अधि० 1919 के द्वारा।	**वित्तीय अनियमितता / वित्त लेखा** या **भ्रष्टाचार** तथा CAG की जाँच करती है। प्राक्कलन की जुड़वा बहन होती है
2.	प्राक्कलन समिति	स्थाई	30 (सभी सदस्य लोकसभा से होंगे)	30	00	1950 ई०	इस समिति को **लोक-लेखा समिति** की बहन कहा जाता है।
3.	लोक उपक्रम समिति	स्थाई	22 (1974 से पहले 15 सदस्य होते थे)	15 (10)	07 (05)	1964 ई०	सभी बैंकों, FCI, LIC, सभी PSU's) **BSNL,BEL,GAIL** etc का ऑडिट।
4.	विशेषाधिकार समिति	स्थाई	दोनों सदनों में अलग-2 दो समितियाँ बनती हैं।	15	10		संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों के हनन की जाँचकर आवश्यक कार्य०।
5.	याचिका समिति	स्थाई	दोनों सदनों में अलग-2 दो समितियाँ बनती हैं।	15	10		विधेयकों के विरुद्ध प्राप्त किसी भी याचिका की जाँच करना।
6.	विभागीय स्थाई समिति	स्थाई	48 अधिकतम कम होने पर इसी अनुपात में होंगे।	30	15	1993 ई०	2004 के बाद इनकी कुल संख्या 24 हो गई है, जो पहले 17 थी।
7.	लाभ के पद पर संयुक्त समिति	स्थाई	25	10	05		कौन-2 से पद लाभ के पद होंगे व्याख्या करेगी।
8.	सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	स्थाई	दोनों सदनों में अलग-2 दो समितियाँ बनती हैं।	15	10		सरकारी मंत्रियों द्वारा किये गये वादों की जाँच करती है।
9.	स्त्री सशक्तिकरण समिति	स्थाई	30	20	10	1997	राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रत्यावेदनों की जाँच करती है।
10.	आचरण समिति	स्थाई	कोई संख्या निर्धारित नहीं है।	2000 ई० से	1997 ई० से		दुराचरण के मामलों की जाँच करता है। आचरण संहिता लागू कराना।
11.	अनुपस्थिति पर समिति	स्थाई	15 (सभी लोकसभा से)	15	00		60 दिनों से लगातार अनुपस्थित सदस्यों के ऊपर कार्यवाही करेगी।
12.	SC / ST कल्याण समिति	स्थाई	30	20	10		संवैधानिक तथा वैधानिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रमों का संचालन।
13.	पुस्तकालय समिति	स्थाई	09	06	03		पुस्तकालय की सेवाओं का लाभ तथा उनसे सम्बन्धित सेवाओं के देखेगी।
14.	सदस्यों के वेतन-भत्ते से सम्बन्धित समिति	स्थाई	15	10	05	1954	संसद सदस्यों के वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम 1954 से गठित। इनके वेतन आदि को देखना।

विधेयक

- ☞ किसी विशेष विषय पर कोई बिल संसद में लाया जाये, विधेयक कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं।

1. सामान्य विधेयक (General Bill)

I. गैर सरकारी या निजी विधेयक

- ❑ जब किसी विधेयक को संसद में कोई गैर मंत्री सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। चाहे वह सत्ता दल का सदस्य हो या गैर सत्ता दल का सदस्य हो।
- ❑ अगर कोई गैर-मंत्री बिल लाये और यह बिल लोकसभा में गिर जाता है, अर्थात पारित नहीं हो पाता है, तो सरकार पर त्याग-पत्र देने का कोई दबाव नहीं होता है।
- ❑ कभी-कभी जनता के किसी मुद्दे को लेकर जनता के गुस्से को दबाने के लिए सरकार इन बिलों का प्रयोग करके सदन में बिल को राजनीति के तहत गिरवा देती है. और जनता का गुस्सा भी शांत हो जाता है। सरकार इन बिलों का गलत प्रयोग अत्यधिक करती हैं।

II. सरकारी विधेयक

- ❑ जब किसी विधेयक को संसद में किसी कैबिनेट मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है।
- ❑ सत्ता दल की सरकार संसद में किसी विशेष विषय पर इन्हीं बिलों को पेश करती है।
- ❑ अगर कैबिनेट मंत्री के द्वारा लाया गया कोई बिल लोकसभा में गिर जाता है, तो सरकार पर इस्तीफा देने का दबाव विपक्ष द्वारा बनाया जाता है और इस्तीफा देना भी पड़ सकता है।

2. विशिष्ट विधेयक

धन विधेयक (अनु० 110), वित्त विधेयक (अनु० 117), संविधान संशोधन (अनु० 368)

संविधान संशोधन (CA- Constitution Amendment) पारित कराने हेतु बहुमत के बारे में

- ☞ संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के भाग 20, अनुच्छेद 368 में लिखित हैं।
- ☞ यह विधेयक किसी भी सदन में बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के लाया जा सकता है।
- ☞ भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है।
- ☞ भारतीय संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल भारतीय संसद को प्राप्त है। संसद संविधान के मूल ढाँचे को प्रभावित किये बगैर ही CA कर सकती है। क्योंकि भारतीय संसद को संविधान सभा के बराबर शक्तिशाली नहीं माना जाता है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि, संसद की शक्ति सीमित है।
- ☞ भारतीय संविधान में CA की प्रक्रिया को न तो ब्रिटेन की तरह बहुत ही सरल/लचीला (So Flexible) है और न ही अमेरिका तथा कनाड़ा की तरह बहुत ही कठोर (Rigid) मानी जाती है।
- ☞ केवल भारतीय संसद द्वारा किसी भी विधेयक को तीन प्रकार से पारित किया जा सकता है।

  1. सामान्य बहुमत के द्वारा।
  2. विशेष बहुमत के द्वारा।
  3. विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्यों की अनुमति के साथ।

1. सामान्य / साधारण बहुमत के द्वारा

- ☞ सामान्य / साधारण बहुमत का अर्थ है कि, किसी विधेयक को सदन में मौजूद सदस्यों के (50% + 1) के द्वारा ही पास कर दिया जाए अर्थात् Present and Voting (P-V) का 50%+1 होना चाहिए।
- ☞ जैसे माना लोकसभा में 55 सदस्य (चूंकि कोरमपूर्ति का सबसे कम आंकड़ा है) मौजूद हो तो मात्र 28 सदस्यों का बहुमत यदि लोकसभा में मिल जाता है तो उस बिल को लोकसभा से पारित माना जाएगा।

सामान्य/साधारण प्रक्रिया के द्वारा पारित किये जाने वाले बिल/विधेयक

- ☞ **अनु० 2** (नये राज्यों का प्रवेश), अनु० 3 (राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन), अनु० 169 (विधान परिषद् का सृजन तथा उसका उत्सादन)।
- ☞ **अनुसूची 2** के तहत राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति / उच्च तथा उच्चतम न्यायधीशों के वेतन तथा भर्ती में बढ़ोतरी के सम्बन्ध में संविधान संशोधन की प्रक्रिया।
- ☞ **अनुसूची 1** (संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र) 2 (वेतन तथा भत्तों के प्रावधान) 5 (अनुसूचित जनजाति के प्रावधान), 6 (अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में उनका प्रशासन) तथा 8 (भाषाएँ) के सम्बन्ध में संशोधन

2. विशेष बहुमत के द्वारा

- ☞ वह विधेयक जो सदन के द्वारा कुल उपस्थित सदस्यों की 2/3 संख्या या सदन के कुल बहुमत (मौजूद का 50% 1) में से जो ज्यादा होगा, उसी के द्वारा ही पास कराया जाएगा।
- ☞ जैसे माना लोकसभा में 543 सदस्य मौजूद हो तो (क) उस दिन बहुमत के लिए 362 सदस्यों (543*2/3) के बहुमत की आवश्यकता होगी। (ख) चूंकि लोकसभा में मौजूद सदस्यों की संख्या 543 है। तो Present and Voting (P/V) का 50%+1, बहुमत के लिए 273 सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होगी अर्थात ऐसी स्थिति में किसी विधेयक को पारित कराने हेतु (क), (ख) दशाओं में से जो ज्यादा होगा विधेयक उसी बहुमत के द्वारा ही पारित माना जाएगा। अब बहुमत = 362 सदस्य होगा।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- नोट:- पहले तथा तीसरे प्रकार के बहुमत सभी विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में अगर कोई संविधान संशोधन करना हो तो विशेष बहुमत के द्वारा ही संसद द्वारा पारित किया जा सकता है।

3. विशेष बहुमत आधे से अधिक राज्यों की अनुमति के साथ

- ऐसे विधेयक जो विशेष बहुमत के द्वारा पारित होने के बावजूद भी उस समय मौजूद कुल राज्यों की संख्या के आधे से अधिक राज्यों की विधायिकाओं (विधानसभा और विधान परिषद् दोनों से अलग-2 पारित कर) से पारित होने के बाद ही संसद से पारित माने जाएंगे।
- इस तरह पारित किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति केवल अपनी संस्तुति ही देगा और कोई शक्ति प्रयोग नहीं कर सकता है जबकि अन्य दो प्रक्रियाओं पर अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

इस प्रक्रिया के तहत पारित किये जाने वाले बिल / विधेयक

- अनुच्छेद 54 - राष्ट्रपति के चुनाव सम्बन्धित संशोधन।
- अनुच्छेद 55 - राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया से सम्बन्धित संशोधन।
- अनुच्छेद 73 - संघ की कार्यपालिका से सम्बन्धित संशोधन।
- अनुच्छेद 162 - राज्यों की कार्यपालिका शक्ति से सम्बन्धित संशोधन
- अनुच्छेद 241 - संघशासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय से सम्बन्धित संशोधन।
- भाग 5, अध्याय 4 संघ की कार्यपालिका शक्ति से सम्बन्धित संशोधन।
- भाग 6. अध्याय 5 राज्य की कार्यपालिका शक्ति से सम्बन्धित संशोधन।
- भाग 11, अध्याय केन्द्र और राज्यों के बीच सम्बन्धों से सम्बन्धित संशोधन।
- संविधान की तीनों विषय सूचियों के विषयों में कोई संशोधन करने सम्बन्धित विधेयक।
- अनुसूची 4 में बदलाव हेतु (संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में संशोधन)
- अनुच्छेद 368 में कोई परिवर्तन करना हो तो अर्थात यदि संविधान संशोधन कि प्रक्रिया में कोई संशोधन करना हो तो इसी बहुमत का प्रयोग किया जाता है।
- जैसे- GST विधेयक को एक संविधान संशोधन विधेयक की तरह लाया गया था, न कि धन अथवा वित विधेयक की तरह लाया गया हो। (101वाँ CAA 2016)

विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया

सामान्य

- सामान्य बिल को संसद में पारित कराने हेतु सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है।
- अर्थात भारतीय संसद के किसी भी सदन में मौजूद सदस्यों का (50% + 1) सदस्यों को विधेयक के पक्ष में मतदान करना आवश्यक होगा तब एक सामान्य विधेयक सदन द्वारा पारित माना जाता है।
- सामान्य विधेयक के विषय में अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है।
- सामान्य बिल की निम्नलिखित 6 विशेषताएँ होती हैं।
  1. परिभाषित हो,
  2. राष्ट्रपति की अनुमति हो,
  3. बिल कहाँ प्रस्तावित हो,
  4. सदन की विशेष शक्तियों में आता हो,
  5. कितना बहुमत चाहिए,
  6. गतिवरोध पैदा होना।
- सामान्य बिल के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है।
- इन विधेयकों को पारित करने की दोनों सदनों के पास समान शक्तियाँ होती हैं। (L.S = R.S)
- इन्हें संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यदि बिल अनुच्छेद 3 से जुड़ा हुआ नहीं है तो।
- किसी भी सदन में आने के बाद यह विधेयक 5 चरणों से होकर गुजरता है।

1. प्रथम पाठन

- सामान्य विधेयक जिस सदन में भी लाया जाएगा, इसका उद्देश्य मय शीर्षक के बताना होगा।
- विधेयक के बारे में सदन को पूर्व में सूचना दी जानी निश्चित होती है।
- यह विधेयक अगर गैर मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं, तो गैर सरकारी और अगर किसी मंत्रिपरिषद् के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो सरकारी विधेयक कहलाता है।
- विधेयक का प्रस्तुतीकरण या ''राजपत्र में प्रकाशन'' उस बिल का प्रथम पाठन कहा जाता है।

2. द्वितीय पाठन

- इस चरण में निम्नांकित 3 प्रमुख चरण होते हैं।
- जिसमें बिल के बारे में विस्तृत रूप से सदन के द्वारा सभी चर्चा, संशोधन आदि प्रक्रियाएँ पूर्ण की जाती हैं।
  1. साधारण बहस की अवस्था ।
  2. समिति अवस्था।
  3. विचार-विमर्थ की अवस्था।

3. तृतीय पाठन

- इस चरण में विधेयक के बारे में केवल स्वीकार या अस्वीकार पर सदन के मौजूद सदस्यों में चर्चा होती हैं। अब इसमें कोई भी संशोधन प्रक्रियाएं संभव नहीं हो सकती हैं।

i. स्वीकार कर ले / पास कर दे पारित कर दे।- (दूसरे सदन को भेजा जाएगा)।

ii. अस्वीकार गर है।- (विधेयक यहीं खत्म)

4. दूसरे सदन में विधेयक

- द्वितीय सदन इस विधेयक पर चार प्रतिक्रियाएँ दे सकता है।

i. यह विधेयक को बिना संशोधन के पारित करके प्रथम सदन को भेज दे।- (राष्ट्रपति को प्रेषित)

ii. यह विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है।

iii. विधेयक को अस्वीकार कर दे।- (विधेयक यहीं खत्म)

iv. यह विधेयक पर लम्बे समय तक कोई प्रतिक्रिया ही न दे। संयुक्त बैठक (अनु० 108 के तहत)

- सदन द्वारा लम्बे समय (6 माह तक कोई जवाब ही न देने पर गतिवरोध पैदा हो जाएगा।
- इन विधेयकों के विषय में ज्यादातर राज्यसभा लम्बे समय तक कोई जवाब नहीं देती है।
- तब मंत्रिपरिषद् की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा अनु० 108 के अनुसार संयुक्त बैठक बुलायी जाती हैं।

अनु० 108 संयुक्त बैठक

☞ गतिरोध कब पैदा होता है? माना निम्नलिखित एक सामान्य बिल जनहित के विषय में लाया गया।

"Title"
1. ....
2. ....
3. ...."......................." ....
4. ....
   a. ".."
5. ....

☞ माना किसी सदन में किसी भी बहुमत वाले दल को उक्त बिल का Title, इस बिल का Sec 3 का कुछ भाग और Sec 4(a) न्यायोचित नहीं लगा हो, उस दल ने ऐसी कुछ आपतियाँ लगा दी।

☞ बिल लाने वाला दल भी आपत्तियों लगाने वाले दल की कुछ शर्तों को मानकर उनमें संशोधन करने या न करने को राजी हो गया। परन्तु उसने भी कुछ Sec में बदलाव से साफ मना कर दिया हो।

☞ ऐसी स्थिति में सदन द्वारा लम्बे समय (6 माह) तक कोई जवाब न देने पर गतिरोध पैदा हो जाएगा।

☞ तब मंत्रिपरिषद् की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनु० 108 के अनुसार बुलायी जाती है। इस बैठक में निर्णायक मताधिकार स्पीकर को होता है।

☞ अब तक राष्ट्रपति के द्वारा कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है।

i. दहेज निषेध एक्ट 1961 में।

ii. बैंकिंग सेवा नियोजन संशोधन एक्ट, 1978 में।

iii. पोटा एक्ट, 2002 में।

☞ अनु० 118 (4) के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, लोकसभा अध्यक्ष (उसकी गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष / राज्यसभा उपाध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में / वरीष्ठ सदस्य) करता है।

☞ संयुक्त बैठक हमेशा संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित की जाती है। संयुक्त बैठक लोकसभा के नियमानुसार आयोजित की जाती है।

☞ इसकी अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति नहीं करता क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं होता है।

संयुक्त बैठक के लिए कोरम की गणना कैसे की जाएगी?

☞ अनु० 100 (3) के अनुसार बैठक के आरंभ में अध्यक्ष के पीठासीन होने के पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि बैठक में गणपूर्ति सुनिश्चित हुई है अथवा नहीं?

☞ कोरम या गणपूर्ति संख्या हमेशा दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या (545 + 245 = 800) का 1/10वाँ भाग जो कि 80 सदस्य होगी।

☞ संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति जितने संसद सदस्यों को समन करता है, उन्हें बैठक में हर हाल में मौजूद होना पड़ेगा। (अपवाद- पूर्व अनुमति को छोड़कर)

☞ संयुक्त बैठक में यह जरूरी नहीं है, कि कितने सदस्य किस सदन से लिये जायेंगे। परन्तु दोनों सदनों के कुल कम-से-कम 80 सदस्यों का होना आवश्यक होता है।

☞ उदाहरण के तौर पर निम्नवत तालिका है।

क्रम.	राज्यभा सदस्यों की सं०	लोकसभा सदस्यों की सं०	गणपूर्ति/कोरम हेतु सदस्य सं०
1.	05	75	80
2.	55	25	80
3.	01	79	80
4.	79	01	80

5. राष्ट्रपति की स्वीकृति

- अब सामान्य विधेयक दोनों सदनों और संयुक्त बैठक के परिणाम के बाद (यदि आवश्यकता पड़ी हो तो) राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर (अनुमति) हेतु सदन द्वारा भेजा जाता है।
- राष्ट्रपति यहाँ अपनी तीनों बीटो पॉवर का इस्तेमाल कर सकता है।
- अनु० 111 के तहत राष्ट्रपति इस विधेयक पर अब निम्न कदम उठाता है।

i. राष्ट्रपति की अनुमति के साथ ही यह विधेयक एक अधिनियम बन जाएगा।

ii. राष्ट्रपति इस विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन दोबारा में पास करना पड़ेगा।

iv. राष्ट्रपति इस विधेयक पर लम्बे समय तक कोई जवाब ही न दे पॉकेट बीटो

2. विशिष्ट विधेयक

I. धन विधेयक (Money Bill)

- जो विधेयक वित्तीय विषय, करारोपण, लोक व्यय, धन का विनियोग भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि से सम्बन्धित कोई कार्यवाही करनी हो तो धन विधेयक लाये जाते हैं।
- विधेयक जो पूर्णत: एक या अधिक मामलों जिनका वर्णन अनु० 110 में किया गया हो से जुड़ा हो धन विधेयक कहलाता है ये मामले निम्नलिखित होते हैं।

i. किसी कर को लगाना, हटाना, नियमन करना हो।

ii. धन उधार लेना या कोई वित्तीय जिम्मेदारी जो भारत सरकार ले।

iii. भारत की आपात / संचित निधि से धन की निकासी / जमा करना।

iv. संचित निधि की धन मात्रा का निर्धारण करना।

v. ऐसे व्यय जिन्हें भारत की संचित निधि पे भारित घोषित करना है।

vi. संचित निधि में धन निकालने की स्वीकृति लेना।

vii. ऐसा कोई मामला लेना जो इन सभी से भिन्न हो।

- राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद इन विधेयकों को केवल कैबिनेट मंत्री ही लोकसभा में पेश करते हैं।
- अनु० 109 के तहत धन तथा वित्त विधेयकों पर अन्तिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है।
- इनका फैसला किसी भी न्यायालय / राष्ट्रपति संसद के समक्ष समीक्षा हेतु विद्याणीय नहीं होता है।
- धन विधेयक को पास कराने के लिये सदन के सामान्य बहुमत की आवश्यक होती है।
- जब कोई धन बिल लोकसभा पारित कर देती है तो स्पीकर के प्रमाणन के साथ (कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं) यह बिल राज्यसभा में केवल सहमति / सिफारिशों के लिए भेजा जाता है।

धन विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया

- सर्वप्रथम राष्ट्रपति की अनुमति-लोकसभा (हमेशा इसी सदन में आ सकता है)- राज्यसभा- राष्ट्रपति।
- लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक अब उच्च सदन में लाया जाता है, तो उस विधेयक को पास किये जाने के लिए उच्च सदन निम्न कार्यवाहियों कर सकता है।

i. पास वह बिल कानून / अधिनियम बन जाएगा।

ii. लौटा नहीं सकती, केवल कुछ बदलाव की सिफारिश कर सकती है, जिन्हें L.S मानें या ना मानें।

iii. कोई जवाब 14 दिन तक न दे तो 14 दिन बाद स्वत: लोकसभा की तरह पास माना जाएगा।

- ☞ ऐसे विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्तियाँ सीमित है राज्यसभा से खानापूर्ति करायी जाती है।
- ☞ राज्यसभा कोई संशोधन और अस्वीकृति नहीं कर सकती है। यह केवल संशोधनों की सिफारिश कर सकती है। जिन्हें लोकसभा सभी या किन्हीं को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
- ☞ इस बिल को राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती है। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद दोनों सदनों से उस तरह से पारित किया माना जाएगा, जिस तरह लोकसभा में पारित किया गया था।
- ☞ लोकसभा, राज्यसभा की सिफारिश को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं होती है। धन विधेयक के सम्बन्ध में कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता है।
- ☞ प्रत्येक धन विधेयक, वित्त विधेयक होता है।

II. वित विधेयक (Financial Bill)

- ☞ अनु० 117 के अनुसार वह विधेयक जो एक या एक से अधिक धन विधेयक प्रावधानों से पृथक हो तथा गैर मनी मामलों से भी संबधित हो।
- ☞ एक वित्त विधेयक में धन प्रावधानों के साथ 2 सामान्य विधेयक से जुड़े मामले भी होते हैं।
- ☞ वित विधेयक में त्वरित ऐक्शन की जरूरत होती है। यह विधेयक मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं।

i. वित विधेयक (Type - 1)

- अनु० 117 (1) के अनुसार कोई भी वित्त विधेयक (Type), धन विधेयक के समरूप होता है।
- मतलब एक वित्त विधेयक (Type 1), वह विधेयक है जो अनुच्छेद 110 में उल्लेखित हैं।
- चूंकि अनु० 110 में धन विधेयक उल्लेखित है। अत: धन विधेयक के सभी नियम/प्रावधान वित विधेयक (Type - 1) पर भी लागू होंगे।
- इसलिए तो यह कथन सत्य होता है कि प्रत्येक वित विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। परन्तु प्रत्येक धन विधेयक हमेशा एक वित विधेयक अवश्य होता है।
- वित्त विधेयक (Type 1) के मामलों में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलायी जा सकती है।

II. वित्त विधेयक (Type II) अनु० 117 (3)

- वित्त विधेयक (Type II) में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संबंधी उपबंध होते हैं।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- लेकिन इसमें कोई भी ऐसा विषय सम्मिलित नहीं होगा, जिसका उल्लेख अनु० 110 में किया हो।
- इस विधेयक को साधारण विधेयक की तरह प्रयोग किया जा सकता है। धन, वित्त (Type –1) तथा संविधान संशोधन बिल के विषयों से अलग कोई भी अन्य बिल ''सामान्य विधेयक'' कहलाता है।
- यह भारत की संचित निधि पर भारित किसी भी व्यय के सम्बन्ध में विधेयक होता है।
- वित्त विधेयक (Type II) में जब दोनों सदनों में गतिरोध होता है, संयुक्त बैठक बुलाई जायेगी।

III. संविधान संशोधन विधेयक (CAA – Constitution Amendment Act)

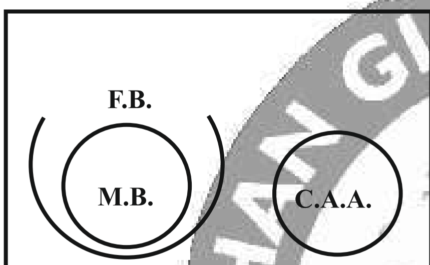

- अनु० 368 के अंतर्गत प्रस्तावित दिल जो कि संविधान के एक या अधिक प्रस्तावों को संशोधित करना चाहता है, संशोधन बिल कहलाता है।
- इसे किसी भी सदन में बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के लाया जा सकता है।
- इस विधेयक को दोनों सदनों के द्वारा पृथक- 2 रूप से कुल उपस्थित सदस्यों की 2/3 संख्या तथा सदन के कुल बहुमत (मौजूद का 50% + 1) में से जो ज्यादा होगा, के द्वारा ही पास कराया जाएगा।
- गतिरोध आने की दशा में जैसा कि धन विधेयक में है, सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुलायी जाती है।
- अनु० 368 (2) में 24वें CAA 1971 से यह अनिवार्य कर दिया गया है, कि राष्ट्रपति अनुमति देगा।
- अगर कोई संविधान संशोधन बिल (CAB– Constitution Amendment Billy) लोकसभा से पास कर राज्यसभा को भेजा गया वहाँ पर वह बिल पास नहीं हो पाता है तो उसे वही समाप्त माना जाता है।
- **नोट:**- किसी भी विधेयक को पारित करने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति सामान्य तथा विशेष बहुमत के विषय में अपनी तीनों वीटों पॉवर का प्रयोग करने का अधिकार होता है, परन्तु तीसरे प्रकार के बहुमत से पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करने के लिए प्रतिबद्ध (Bound) होता है।
- साधारण विधेयक एवं धन विधेयक में निम्नलिखित अंतर होते हैं।

क्रम.	धन विधेयक	साधारण विधेयक
1.	इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है।	इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
2.	इसे लोकसभा में केवल किसी मंत्री के द्वारा ही पेश किया जा सकता है।	इसे किसी मंत्री के अलावा अन्य सदस्यों के द्वारा भी पेश किया जा सकता है।
3.	इसे राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त होने पर ही पेश किया जा सकता है।	इसे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है।
4.	इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। वह कुछ सुझाव या बगैर सुझाव के इसे लोकसभा को भेजता है जिन सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति लोकसभा के पास है।	इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है।
5.	इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोककर रख सकता है।	इसे राज्यसभा अधिकतम 6 महीने तक अपने पास रोककर रख सकता है।
6.	इस विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है।	इस विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक है।
7.	इस विधेयक को केवल लोकसभा से पारित होने के बावजूद भी राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जा सकता है। ऐसे विधेयक के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की आवश्यकता नहीं है।	इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए तभी भेजा जा सकता है जब यह दोनों सदनों में पास हो जाय। यदि संसद के दोनों सदनों में इस विधेयक को लेकर गतिरोध हो तो राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलायी जा सकती है।
8.	यदि यह विधेयक लोकसभा में पास नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है।	अगर इस विधेयक को किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया और यह लोकसभा में पास नहीं हो सका हो तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा

- **संशोधन के विरुद्ध सुरक्षा उपाय (समीक्षा प्रावधान)**
  - संविधान संशोधन की न्यायिक पुनरीक्षा किया जाना संभव है। संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध न हो।
  - संसद की संशोधन शक्ति के भीतर आता हो।
  - संघ के ढाँचे से जुड़ा होने पर आधे राज्यों की विधायिका से स्वीकृति मिलें।
  - संविधान की सर्वोच्चता, विधिका शमन का संतुलन बना रहे।
  - गठबंधन राजनीति भी संविधान संशोधन के विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा उपाय देती है क्योंकि एकदलीय पूर्ण बहुमत के दिन समाप्त हो चुके।

- ☞ अनु० 110 धन विधेयक को पास करने के लिये राज्यसभा के पास अधिकतम समय - 14 दिन
- ☞ अनु० 112 बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) विधेयक को पास करने का अधिकतम समय- 45 दिन
- ☞ अनु० 117 वित्त विधेयक को पास करने के लिये राज्यसभा के पास अधिकतम समय वित्त विधेयक Type – I (धन विधेयक के समतुल्य), धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के विषयों पर कभी भी कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलायी जा सकती हैं।
- ☞ संयुक्त बैठक हमेशा ही वित्त विधेयक Type- II (सामान्य विधेयक के समतुल्य), सामान्य विधेयक के मामलों में बुलायी जाती हैं।
- ☞ यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वित्त विधेयक धन विधेयक तथा सामान्य विधेयक दोनों का मिला-जुला रूप होता है। वित्त विधेयक और सामान्य विधेयक में अन्तर मात्र इतना है कि, वित्त विधेयक में त्वरित एक्शन होता है, और सामान्य में ऐसा कुछ नहीं है।
- ☞ वित्त विधेयक और धन विधेयक में अन्तर मात्र इतना है कि, धन विधेयक में कभी भी संयुक्त बैठक संभव नहीं होती है, परन्तु वित्त विधेयक के कुछ हिस्सों (Type- I) में संभव होती भी है, जबकि कुछ हिस्सों (Type - II) में कभी भी संभव नहीं होती है।

प्रमुख भारतीय संविधान संशोधन

- ☞ पहला संविधान संशोधन 1951- संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़कर राज्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण व सम्पति का अर्जन की व्यवस्था की गई, जो किसी भी न्यायालय में प्रवर्तिनीय नहीं है।
- ☞ **7वाँ संविधान संशोधन 1956**-

i. भाषायी आधार पर राज्यों का पुर्नगठन प्रारम्भ किया गया तथा 1 अक्टूबर 1953 को आन्ध्र प्रदेश पहला भाषार्थी आधार पर गठित राज्य बना।

ii. एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का अधिभार ग्रहण कर सकता है। अनु0 231 एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों को अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है। भारत में कुल ऐसे 6 उच्च न्यायलय है।- अनु० 231

- ☞ **21वाँ संविधान संशोधन 1967**- सिंधी भाषा को 15वी भाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया।
- ☞ **26वाँ संविधान संशोधन 1971**- उपाधियों एवं प्रिवीपर्स का अन्त।
- ☞ **31वाँ संविधान संशोधन 1972**- लोकसभा में सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया। 36वाँ संविधान संशोधन 1975- सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 अप्रैल 1975 को दिया।
- ☞ **42वाँ संविधान संशोधन 1976**- इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है।

i. इस CAA में लोकसभा व विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया।

ii. संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों (समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता व अखण्डता) को जोड़ा गया। जो कि प्रस्तावना में किया गया एक मात्र संशोधन है।

iii. स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के अनुसार नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों अनु० 51(क) व भाग- 4(क) में जोड़ा गया था।

- ☞ **44वाँ संविधान संशोधन 1978**-

i. इस CAA में लोकसभा व विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 से घटाकर 5 वर्ष कर दिया।

ii. सम्पति के अधिकार को मूल अधिकारों अनु० 30, 19 (क) में हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया तथा इसे अनु० 300 (क) में जोड़ दिया गया।

iii. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव से सम्बन्धित विवादों को निपटाना उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में जोड़ा गया।

iv. अनु० 20, 21 द्वारा प्रदत मूल अधिकारों को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाएगा।

- ☞ **52वाँ संविधान संशोधन 1985**- 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा इसमें दल-बदल सम्बन्धी कानून का प्रावधान किया गया।
- ☞ 61वाँ संविधान संशोधन 1989- (अनु० 326 में बदलाव) प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय मतदाता की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया।
- ☞ **71वाँ संविधान संशोधन 1992**- कोकणीं, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा।
- ☞ **73वाँ संविधान संशोधन 1993**- (25 अप्रैल 1993) को 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया तथा इसके तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भाग 9 के अनु० 243 में किया गया।
- ☞ **74वाँ संविधान संशोधन 1993**- (1 जून 1993) को नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन का प्रावधान भाग 9 (क) के अनु० 243 से 243यद में किया गया।
    - i. जिसके तहत नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की व्यवस्था की गयीं।
- ☞ **84वाँ संविधान संशोधन 2001**- विधानसभा व लोकसभा की सीटों की संख्या को 2026 तक नहीं घटाया बढ़ाया जायेगा।
- ☞ **86वाँ संविधान संशोधन 2002**-
    - i. (6-14) वर्ष के बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया।
    - ii. अनु० 21 (क) व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनु0 45 के अनुसार बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा का काम राज्य सरकार (RTE के तहत) करेगी।
- ☞ **88वाँ संविधान संशोधन 2003**-
    - i. सेवाओं पर ''कर'' प्रारम्भ किया गया। अनु० 268 (क)
    - ii. राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए जरुरी हैं कि सदस्य का नाम उस राज्य की किसी निर्वाचन सूची में होना आवश्यक है।

☞ **91वाँ संविधान संशोधन 2003-**

i. केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कुल सदस्यों का 15% ही हो सकती है। अनु०- 75(1क)

ii. राज्य मन्त्रिपरिषद् में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कुल सदस्यों का 15% जबकि न्यूनतम संख्या कुल सदस्यों के 12% ही हो सकती है। अनु०- 164 (क)

iii. अपवाद- सिक्किम में कम से कम 12 मन्त्रियों का प्रावधान किया गया।

☞ **92वाँ संविधान संशोधन 2003-** संथाली (झारखण्ड), मैथिली (बिहार), डोगरी (जम्मू-कश्मीर), बोडी (असम) भाषाओं को अनुसूची 8 में जोड़ा गया और अब भारतीय संविधान में कुल 22 भाषा है।

☞ **97वाँ संविधान संशोधन 2004-** सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थान व संरक्षण देना, तथा समितियाँ बनाना एक मूल अधिकार भी बना दिया गया। अनु०- 19(1)ग

☞ **99वाँ संविधान संशोधन 2014-** NJAC (National Judiacal Appointment Committee) के द्वारा उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था।

☞ **100वाँ संविधान संशोधन 2015-** बांग्लादेश के साथ भूमि व सीमा समझौता।

☞ **101वाँ संविधान संशोधन 2016-** GST (Goods and Service Teñ) बिल लाया गया।

☞ **102वाँ संविधान संशोधन 2019-** राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है।

☞ **103वाँ संविधान संशोधन 2019-**

i. अब जम्मू और कश्मीर भी एक ऐसा केन्द्रशासित प्रदेश बन गया है, जहाँ पर अपनी विधानसभा मौजूद है, तो इसके निर्वाचित सदस्य भी अब आगे से राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे।

ii. अनु०- 15 (6) के द्वारा EWS (Economic Weaker Section) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सवर्णों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण की बात कही गयी है।

☞ **104वाँ संविधान संशोधन 2019-**

i. इस संविधान संशोधन के तहत अनु०- 15(6) व अनु०- 16(6) में बदलाव करके सवर्णों को आर्थिक स्थिति के आधार पर 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है।

ii. राष्ट्रपति से स्वीकृति- 12.04.2019

iii. इस कानून को लोकसभा में पेश करने वाला व्यक्ति रविशंकर प्रसाद (कानून मंत्री) थे।

☞ **122वाँ संविधान संशोधन 2017-** इसी CAA के तहत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया।

राज्य विधान मण्डल
(Legislative Council)

☞ राज्य विधान मण्डल का वर्णन भारतीय संविधान में भाग- 6, अध्याय 3, अनु० 168 से 212 तक किया गया है। राज्य विधान मण्डल के 3 अभिन्न अंग होते हैं।

1. राज्यपाल (अनुच्छेद 153 167) केन्द्र में राष्ट्रपति के समकक्ष।

राज्य विधानमण्डल (अनुच्छेद 168 - 212)

2. विधान परिषद् उच्च सदन, कम शक्तिशाली, स्थाई सदन, राज्यसभा के समकक्ष।
3. विधानसभा निम्न सदन, अधिक शक्तिशाली, अस्थाई सदन, लोकसभा के समकक्ष।

विधान परिषद्

☞ भारतीय संविधान में से किस संस्था को हटाने से कोई अत्यधिक प्रभाव भारत की शासन प्रणाली पर नहीं पड़ेगा? विधान परिषद् ।

☞ विधान परिषद् की अपेक्षाकृत राज्यसभा को हटाया जाना इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि राज्यसभा में प्रत्येक राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व होता है।

☞ जबकि विधान परिषद् तो अभी तक सभी राज्यों में कार्यरत तक नहीं हो पायी हैं।

☞ विधान परिषद् सदस्य (MLC) के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।

☞ **अनु० 169**

- विधान परिषद् का सृजन व उत्पादन कैसे किया जाएगा यह अनु० 169 में उल्लेखित किया है।
- भारतीय संसद को किसी भी राज्य के लिए विधान परिषद् के सृजन एवं उत्पादन का अधिकार है।
- किसी भी राज्य की विधानसभा में (P/V Present Candidate and Voting का 2/3) मौजूद सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करके भारतीय संसद में प्रेषित करेगी।
- इसी संकल्प पर संसद कार्यवाही करते हुए उस राज्य के लिए विधान परिषद् का सृजन/उत्पादन करती है। विधान परिषद् के गठन के लिए किसी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।
- नोट:- संसद से संकल्प पर अनुमति मिलने के बाद उसे सम्बन्धित राज्य अपने राजपत्र में जैसे ही प्रकाशित कर देता है, उस राज्य के लिए विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है।

☞ 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्यप्रदेश के लिए विधान परिषद् का प्रावधान किया गया था। परन्तु अभी तक राष्ट्रपति के द्वारा उस संकल्प के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी नहीं किये जाने के कारण वहाँ आज तक विधान परिषद् का गठन नहीं किया जा सका है।

☞ राज्य कितनी भी बार विधान परिषद् को संसद से गठित और विघटित करा सकते हैं। उदाहरण:-

क्रम	राज्य का नाम	पहली बार गठित	पहली बार समाप्त	दूसरी बार गठित या गठन का प्रयास	टिप्पणी
1.	आन्ध्र प्रदेश	1957	1985	2007	आन्ध्र प्रदेश विधान परिषद् अधि–2005 द्वारा गठन
2.	तमिलनाडु	1956	1986	2010 गठन का प्रयास	2011 में प्रस्ताव द्वारा उन्मूलित कर दिया गया है।
3.	पं0 बंगाल	1956	1969	आज तक वहाँ दोबारा कभी भी दोबारा प्रयास ही नहीं किया गया है।	
4.	पंजाब	1956	1969	आज तक वहाँ दोबारा कभी भी दोबारा प्रयास ही नहीं किया गया है।	
5.	मध्य प्रदेश	7वाँ CAA 1956 से राज्य विधानसभा तथा संसद से पारित होने के बाद भी राष्ट्रपति के द्वारा अधिसूचना जारी नहीं किये जाने से आज तक वहाँ पर विधान परिषद् का गठन संभव नहीं हो सका है।			

☞ कोई भी बिल संसद के दोनों सदन से पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही एक अधिनियम बन जाता है परन्तु जब तक उसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में नहीं होता है, तब तक उसका प्रभाव शून्य ही माना जाता है।

☞ अर्थात जबतक किसी अधिनियम का प्रकाशन नहीं होगा, तब तक उसे प्रभावी कानून नहीं माना जाएगा।

☞ विधान परिषद् किसके प्रति उत्तरदायी होती है? – राज्यपाल

☞ मूल संविधान में 8 विधान परिषदों का उल्लेख किया गया था।

1. आन्ध्रप्रदेश — 2. उत्तर प्रदेश
3. मैसूर (वर्तमान कर्नाटक) — 4. पंजाब
5. तमिलनाडु — 6. पश्चिम बंगाल
7. बम्बई (वर्तमान- महाराष्ट्र) — 8. बिहार

☞ जबकि जम्मू और कश्मीर केन्द्रशासित प्रदेश में यह व्यवस्था वहाँ के संविधान के अनुसार की गयी थीं।

☞ वर्ष 2007 में आन्ध्रप्रदेश की सरकार ने विधानसभा में एक संकल्प पारित करके संसद को भेजा और इसी संकल्प पर संसद ने कार्यवाही कर आन्ध्र प्रदेश में दोबारा विधान परिषद् का गठन कर दिया है।

☞ तमिलनाडु सरकार ने विधान परिषद् को वर्ष 1986 में खत्म कराने हेतु विधानसभा में संकल्प पारित करके संसद में भेजकर विधान परिषद् को खत्म करा दिया था।

☞ दोबारा से वर्ष 2010 में तमिलनाडु में श्रीमती जयललिता उर्फ अम्मा ने विधानसभा में एक संकल्प पारित करके संसद में भेज दिया, संसद द्वारा इस संकल्प को अनुमति प्रदान कर दी गयी थीं।

☞ इसी बीच वहाँ विधानसभा चुनाव के बाद मुत्तुवेल (एम) करुणानिधि उर्फ अप्पा की सरकार ने संकल्प को राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया। जिस कारण अभी तक वहाँ दोबारा विधान परिषद् का गठन नहीं हुआ।

☞ वर्तमान समय में भारत (राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश) में कुल 7 विधान परिषद् कार्यरत हैं।

(1) उत्तर प्रदेश 100 — (2) महाराष्ट्र 78
(3) कर्नाटक- 75 — (4) बिहार- 75
(5) आन्ध्र प्रदेश- 50 — (6) तेलंगाना- 40
(7) जम्मू और कश्मीर (UT)- 36

☞ विधान परिषद् में अधिकतम सीटों की संख्या विधानसभा के 1/3 तथा कम से कम सीटें विधानसभा की सीटों की संख्या का 10% हो सकती हैं। (अपवाद केन्द्रशासित प्रदेश J&K में 36 सीटें आवंटित हैं)

☞ विधान परिषद् का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि यह कभी भी विघटित नहीं होती है, इसीलिए इस सदन को स्थाई सदन कहा जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।

☞ विधान परिषद् के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं।

☞ राजपत्रित एवं गैर-राजपत्रित अधिकारियों में क्या अंतर होता है?

1. जिन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र मात्र एक सादा पेपर द्वारा सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद प्रदान कर दी जाती है। वह गैर-राजपत्रित अधिकारी/कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं।
2. जब किसी अधिकारी को नियुक्ति किसी राजपत्र में उसकी नियुक्ति के बारे में प्रकाशित किये जाने पर प्रदान की जाती है, तो वे सभी राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। जैसे- UPSC स्तर पर राष्ट्रपति व UPPSC स्तर पर राज्यपाल के द्वारा राजपत्र में प्रकाशन के बाद नियुक्ति दी जाती हैं।

☞ अनु० 171(2) विधान परिषद की निर्वाचन पद्धति।

- ❑ 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से (जैसे- नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के सदस्य ही वोटर होते हैं)
- ❑ 1/12 सदस्यों को राज्य में 3 वर्ष से रह रहे स्नातक निर्वाचित करते है।
- ❑ 1/12 सदस्यों को 3 वर्षों से अध्यापन कर रहे अध्यापक चुनते है। अध्यापक माध्यमिक स्कूल से कम स्तर के नहीं होने चाहिए।
- ❑ 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
- ❑ 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है।
- ❑ जो साहित्य, कला, ज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता आंदोलन के क्षेत्रों से सम्बन्धित होंगे।
- ❑ ऐसे आन्दोलन जो ग्रामीण स्तरों पर लघु उद्योगों को अपने सहयोग से स्थापित कराने हेतु चलाये जाते हैं, सहकारिता आंदोलन कहलाता हैं। जैसे ''अमूल''

●●●

राज्य की विधानसभा
(Legislative Assembly)

- अनु० 170 के तहत प्रत्येक राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए 1-1 विधानसभा होंगी।
- अनु० 239 राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए विधानसभा से सम्बन्धित प्रावधान किये जायेंगे।
- राज्य की विधानसभा को निम्न सदन अथवा अस्थाई सदन भी कहते है।
- विधानसभा में कम से कम सीटों की संख्या 60 है, और अधिकतम 500 ही हो सकती हैं।
  - अपवाद (सिक्किम - 32, मिजोरम - 40, नागालैण्ड - 40)
  - केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली (70) और पुडुचेरी (30) में ही अपनी विधानसभा है।
  - ''जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन अधि० 2019'' के बाद अब जम्मू और कश्मीर UT में भी विधानसभा होगी।
- विधानसभा के प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान, वयस्क मताधिकार से किया जाता है।
- विधानसभा में मन्त्रियों की संख्या कम से कम विधानसभा के सदस्यों का 10% होता है।
  - अपवाद सिक्किम में यह आकंड़ा पूरा नहीं हो पाता है। इनकी संख्या कम से कम 12 होनी चाहियें।
- अनु० 332 राज्यों में SC/ST की आरक्षित सीटों का वर्णन किया गया है।
- अनु० 333 एंग्लो-इण्डियन के लिए राज्यों में 1-1 सीट आरक्षित होती थीं, जिसे राज्यपाल के मनोनयन से भरा जाता था। ''104 संविधान संशोधन 2019'' के द्वारा इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
- सामान्यत: विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है।
- विधानसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यता निम्न होती हैं।
  - विधानसभा सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रत्याशी का नाम राज्य की निर्वाचन सूची में होना आवश्यक है।
  - विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूर्ण कर चूका हो।
  - यदि कोई सदस्य बिना पूर्व अनुमति के 60 दिनों तक राज्य के सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है, दोहरी सदस्यता होने पर, त्याग-पत्र आदि मामलों में उसे अपनी सदस्यता गवानी पड़ती है।
- **अनु० 164**
  - सबसे बड़े दल का नेता विधानसभा का प्रधान होता है। जिसे उस राज्य का मुख्यमंत्री कहा जाता है।
  - मुख्यमंत्री को सदस्यों के बहुमत से राज्यपाल नियुक्त करता है।

विधानमण्डल के कार्य व शक्तियाँ तथा पदाधिकारी

राज्य विधानसभा की विशेष शक्तियाँ

- राज्यों में अविश्वास प्रस्ताव राज्य सरकार के विरुद्ध केवल विधानसभा में ही लाया जा सकता है।
- धन विधेयक को पारित कराने में विधानसभा एक निर्णायक सदन होता है।
- अगर कोई बिल राज्य विधानसभा में गिरा दिया जायें तो सरकार पर इस्तीफा देने का दबाव डाला जाता है। इस तरह का कोई बिल राज्य विधान परिषद् में गिरता है, तो सरकार पर कोई दबाव नहीं बनता है।

विधानसभा अध्यक्ष / विधानसभा स्पीकर

- विधानसभा अध्यक्ष / स्पीकर की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 186 में की गयी है।
- विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्यों के एक विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित हैं।
- अध्यक्ष की सहायता हेतु उपाध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव भी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं।
- किसी भी संसदीय मामले पर विधानसभा अध्यक्ष का फैसला अन्तिम होता है।
- इसके वेतन तथा भत्तें राज्य की संचित निधि से प्रदान किये जाते हैं।
- विधानसभा अध्यक्ष, सदस्य के तौर पर नहीं बल्कि विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर शपथ लेता है।

विधानसभा अध्यक्ष /
विधानसभा स्पीकर की विशेष शक्तियाँ

- धन विधेयक का अन्तिम निर्धारण स्पीकर का होता है।
- सभी समितियाँ उसकी अधीनता में काम करती हैं। उसके किसी समिति का सदस्य चुने जाने पर वह उसका पदेन अध्यक्ष होगा।
- ''अध्यक्ष/सभापति'', "दल बदल विरोधी कानूनष के तहत अंतिम निर्णय लेने से पहले की गई कार्यवाही के बीच में न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, न ही न्यायपालिका का कार्यवाही के बीच में कोई हस्तक्षेप अनुमेय होगा।''
- अर्थात राज्य के मामलों में दल-बदल कानून पर अन्तिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष का होता है।
- विधानसभा के विघटन होने पर भी स्पीकर अपने पद पर तब तक कार्य करता रहता है, जब तक कि नवीन लोकसभा का अध्यक्ष नहीं चुना जाता, तब वह अपना पद छोड़ता/त्याग करता है।

- ☞ विधानसभा अध्यक्ष HC के मुख्य न्यायाधीश से वरीयता क्रम में एक पद नीचे 18वें क्रम पर होता है।
- ☞ विधानसभा परिसर किसी भी आपराधिक विधि के विषय में पूरी तरह से संरक्षित होता है। मतलब बिना विधानसभा स्पीकर की अनुमति के वहाँ के एक माली को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।
- ☞ दल-बदल कानून पर अंतिम फैसला ''विधानसभा स्पीकर'' का ही होता है, जो हर हाल में स्वीकार होगा।
- ☞ स्पीकर के विरुद्ध कोई भी रिट (बन्दी प्रत्यक्षीकरण) किसी भी न्यायालय द्वारा जारी नहीं की जाएगी।
- ☞ अगर ''विधानसभा स्पीकर'' किसी समय विशेष पर विधानसभा की किसी गुप्त बैठक का ऐलान करता है, तो उस गुप्त बैठक में केवल विधानसभा के सदस्य ही भाग ले सकते हैं। कोई अन्य बाहरी व्यक्ति नहीं। महाधिवक्ता, कोई अन्य सरकारी अथवा गैर-सरकारी कर्मचारी इस बैठक का हिस्सा नहीं होंगे।
- ☞ अगर ''विधानसभा स्पीकर'' द्वारा किसी विधेयक या सदन की कार्यवाही के समय किसी विशेष समय अन्तराल को सदन की कार्यवाही से निष्कास्ति करने का ऐलान कर दिया गया हो तो उसे किसी के द्वारा यदि सार्वजनिक कर दिया जाता है तो उसके विरुद्ध स्पीकर सख्त कार्यवाही कर सकता है।
- ☞ विधानसभा अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद् के सभापति से किन बातों में भिन्न होता है?
  - ❑ विधानसभा अध्यक्ष तय करता है, कि कोई विधेयक धन विधेयक है, या नहीं। धन विधेयक के सम्बन्ध में उसके फैसले को किसी न्यायालय, राज्यपाल व विधानसभा में चुनौती नहीं दी जाती है।
  - ❑ दोनों सदनों का सम्मिलित सत्र बुलाने का विधानसभा में कोई प्रावधान नहीं होता है।
  - ❑ विधानसभा के पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी है, कि वे सभा की कार्यवाही का संचालन करें।
  - ❑ विधानसभा अपने सदस्यों में ही एक उपाध्यक्ष का भी चयन करती है।
  - ❑ विधानसभा में उपसभाध्यक्षों का एक पैनल भी होता है।
  - ❑ जिसके सदस्यों की संख्या 5-7 सदस्य तक होती जिसमें सत्तापक्ष तथा विपक्ष दोनों दल के सदस्यों को अध्यक्ष, विधानसभा में से ही मनोनयन द्वारा नियुक्त करता है।
  - ❑ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपसभाध्यक्षों के पैनल से एक सदस्य राज्य विधान परिषद् की कार्यवाही का सभापतित्व करता है।
  - ❑ स्पीकर का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी है। जिसकी न्यायालय में समीक्षा नहीं की जा सकती है।
  - ❑ किस सदस्य को कितना बोलने का समय देना है, यह विधानसभा अध्यक्ष तय करता है।
  - ❑ इसके फैसले की किसी के भी द्वारा आलोचना नहीं की जा सकती है, अगर ऐसा किया जाता है, तो उसके विरुद्ध अध्यक्ष को सख्त कार्यवाही करने की शक्तियाँ प्रदान की गयी है।

विधानसभा अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है?

1. अध्यक्ष अपना त्याग-पत्र उपाध्यक्ष को सौंप देता है।
2. ''विधानसभा स्पीकर'' का चुनाव उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया हो।
3. विशेष समर्थन (सदन के सभी सदस्यों के 50% + 1) द्वारा परन्तु 14 दिन का पूर्व नोटिस देता होगा।
4. हटाने की प्रक्रिया के दौरान विधानसभा स्पीकर अपने पद पर आसीन नहीं रहेगा और न ही उसे विधानसभा स्पीकर के तौर पर निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। वह बैठक में अवश्य भाग लेगा और वह अपना मत केवल एक सदस्य को तौर पर दे सकता है।

- ☞ अनु० 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के विशेष अधिकारों से सम्बन्धित था। जिसे राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बिल लाकर 09 अगस्त 2019 राष्ट्रपति की संस्तुति के साथ संशोधित कर दिया है।
- ☞ विधान मण्डल सदस्यों को विशेषाधिकार है सदन चलने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। छूट सिविल मामलों में है, आपराधिक या प्रतिबंधिक निषेध मामलों में नहीं है।
- ☞ राज्यों की संचित तथा आकस्मिक निधि भी भारत की संचित तथा आकस्मिक निधि के समान होती हैं
- ☞ राज्य के मन्त्रिपरिषद् की लिखित सूचना पर ही राज्यपाल अपनी विधायी शक्तियों का प्रयोग करता है।
- ☞ **अनु० राज्यपाल के उत्तरदायित्व**
  - ❑ राज्य विधानसभा का सत्र बुलाना, सत्रावसान तथा विधानसभा को भंग करना।
  - ❑ प्रत्येक नये वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करता है।
  - ❑ प्रत्येक नयी राज्य विधानसभा के पहले सत्र को मंत्रिपरिषद् के द्वारा लिखी गयी संबोधन स्पीच के अनुसार सम्बोधित करता है। राज्य PSC / राज्य SC / ST / OBC / MINORITIES आदि आयोगों की रिपोर्ट को राज्य विधानसभा में रखवायेगा।
- ☞ राज्यपाल विशेष प्रावधानों वाले विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है। (V.Imp)
- ☞ इसके बाद ऐसे विधेयक को स्वीकृति देना या न देना पूर्णत: अब राष्ट्रपति पर निर्भर है। राज्यपाल को निषेधाधिकार के तहत चार VETO POWER प्रदान की जाती है।

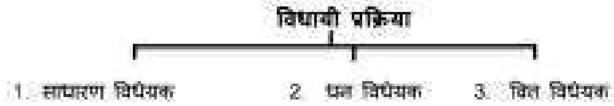

- ☞ राज्य सूची के किसी विशेष विषय पर कोई बिल विधानमण्डल में लाया जाये, विधेयक कहलाता है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

☞ यह राज्यों के सम्बन्ध में मुख्यत: तीन प्रकार के होते हैं।

1. **सामान्य विधेयक (General Bill)**

I. **गैर सरकारी या निजी विधेयक**

- जो विधेयक राज्य की विधानसभा में किसी गैर मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। अगर गैर-मंत्री द्वारा लाया गया कोई भी बिल राज्य विधान सभा में गिर जाता अर्थात् पारित नहीं हो पाता है तो राज्य सरकार पर त्याग-पत्र देने के सम्बन्ध में कोई दबाव नहीं होता है।
- बिल लाने वाला सदस्य चाहें सत्ता दल का हो या गैर सत्ता दल का सदस्य हो।
- कभी-कभी जनता के किसी मुद्दे को लेकर गुस्से को दबाने के लिए सरकारें इनका प्रयोग करके सदन में बिल को राजनीति के तहत गिरवा देती है, और जनता का गुस्सा भी शांत हो जाता है।

II. **सरकारी विधेयक**

- जब किसी विधेयक को राज्य विधानसभा में किसी कैबिनेट मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है।
- सत्ता दल की सरकारें राज्य विधानसभा में किसी विशेष विषय पर इन्हीं बिलों को पेश करती हैं।
- अगर कैबिनेट मंत्री के द्वारा लाया गया कोई बिल विधानसभा में गिर जाता है, तो सरकार पर इस्तीफा देने का दबाव विपक्ष द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद इस्तीफा देना भी पड़ सकता है।

सामान्य विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया

☞ सामान्य बिल के लिए राज्यपाल की अनुशंसा की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है।

☞ इन विधेयकों को पारित करने की दोनों सदनों के पास समान शक्तियाँ होती हैं। (L.A = L.C)

☞ विधानसभा / विधान परिषद् किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह व्यवस्था केवल उन राज्य के लिए होगी जिन राज्यों द्विसदनीय व्यवस्था मौजूद है। अन्यथा विधानसभा में लाया जाएगा।

☞ सामान्य बिल को पारित करने के लिए राज्य विधानसभा में सामान्य बहुमत चाहिए।

सामान्य बिल की निम्न विशेषताएँ होती हैं।

1. परिभाषित हो,
2. राज्यपाल की अनुमति
3. बिल कहाँ प्रस्तावित हो,
4. सदन की विशेष शक्तियों में आता हो,
5. कितना बहुमत चाहिए।

☞ राज्य विधायिका के किसी भी सदन में आने के बाद यह विधेयक 3 चरणों से होकर गुजरता है।

1. **प्रथम पाठन**

- सामान्य विधेयक जिस सदन में भी लाया जाएगा वहाँ इसका उद्देश्य मय शीर्षक के बताना होगा।
- विधेयक के बारे में सदन को पूर्व में सूचना दी जानी निश्चित होती है।
- विधेयक का प्रस्तुतीकरण या राजपत्र में प्रकाशन उस बिल का प्रथम पाठन कहा जाता है।

2. **द्वितीय पाठन**

- इस चरण में निम्नांकित 3 प्रमुख चरण होते हैं।
  i. साधारण बहस की अवस्था।
  ii. समिति अवस्था।
  iii. विचार-विमर्स की अवस्था।
- इन बिन्दुओं के द्वारा बिल के बारे में विस्तृत रूप से सदन के द्वारा सभी बिन्दुओं पर चर्चा संशोधन आदि प्रक्रियाऐं पूर्ण की जाती हैं।

3. **तृतीय पाठन**

- विधेयक के बारें में उस सदन (विधानसभा, जहाँ बिल लाया गया था) केवल स्वीकार या अस्वीकार पर मौजूद सदस्यों में चर्चा होती हैं। अब इसमें कोई भी संशोधन प्रक्रियाऐं संभव नहीं हो सकती हैं।
- सदन में मौजूद सदस्य बिल पर सहमति है तो मेज पीटकर (ध्वनि मत) से बिल को पारित करते हैं।
- ध्वनि मत से पारित न होने की दशा में मतदान किया जाएगा। जिसके तहत सदन (विधानसभा) के सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से कर सकते हैं।

i. स्वीकार कर ले / पास कर दे / पारित कर दे।- (दूसरे सदन भेज जाएगा यदि मौजूद होगा)

ii. अस्वीकार कर दे।- (विधेयक यहीं खत्म)

4. **दूसरे सदन में विधेयक में विभाज्य**

☞ विधान द्वितीय सदन (राज्य परिषद्) इस पर चार प्रतिक्रियाएँ दे सकता है।

i. यह विधेयक को बिना संशोधन के पारित करके राज्यपाल के हस्ताक्षर हेतु भेज देता है।

ii. यह विधेयक को संशोधन के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनर्विचार हेतु भेज सकता है।

- अगर विधान परिषद् (दूसरा सदन, अभी जहाँ बिल है) किसी संशोधन या बिना संशोधन के साथ दोबारा पहले सदन (विधानसभा) में भेजती है।
- राज्य विधान-परिषद् को अब बिल के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
  (क) स्वीकार- राज्यपाल के पास हस्ताक्षर हेतु भेजा जाएगा।
  (ख) अस्वीकार - दोबारा में सहमति देना अनिवार्य होगा।
  (ग) सदन लम्बे समय (01 माह) तक कोई जबाव ही ना दे, तो इस अवधि के बाद माना जाएगा कि बिल दोनों सदनों से पारित हो गया है।
- अगर बिल "राज्य विधान परिषद्" से राज्य की विधानसभा के समक्ष लाया गया हो तो, विधानसभा उस बिल को कभी तक (असीमित समय) भी अपने पास रख सकता है।

iii. सदन ("राज्य विधान परिषद्") बिल पर लम्बे समय (03 माह) तक कोई प्रतिक्रिया न दे।

- राज्य विधायिका के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध की स्थिति (सदन द्वारा लम्बे समय तक कोई जवाब ही न

देने) पैदा होने पर संयुक्त बैठक नहीं बुलायी जाएगी।

iv. सदन (''राज्य विधान परिषद्'') विधेयक को अस्वीकार कर दे।- (विधेयक यहीं खत्म)

☞ अनु० - 200 उपर्युक्त विधेयक पर राज्यपाल के द्वारा बिल पर निर्णय लेना का अधिकार।

☞ बिल को पारित करने के लिए राज्यपाल अनु-200 के तहत 5 तरह की बीटो पॉवर का प्रयोग करता है।

i. यदि राज्यपाल किसी भी विधेयक को पारित करने की अनुमति देता है, तो यह बिल उस सम्बन्धित राज्य के लिए एक कानून बन जाता है।

ii. राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।

- अगर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, तभी ऐसा कर सकता है अन्यथा नहीं।
- दोबारा यदि यही बिल परिवर्तित या अपरिवर्तित होकर उसके पास आता है, तो इस बार राज्यपाल को बिल पर हर हाल में हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा।
- राज्यपाल किसी भी विधेयक को केवल एक बार ही लौटा सकता है।

iii. राज्यपाल किसी ऐसे विधेयक को हस्ताक्षर करने से साफ मना भी कर सकता है, जो राज्य हित में नहीं है, और ना ही आवश्यक है। -पॉकेट बीटो।

iv. राज्यपाल उस बिल के सम्बन्ध में कोई जवाब ही ना दे।

- जैसे:- ऐसा कोई बिल जो मुख्यमंत्री की शक्तियों को संघ से ज्यादा बढ़ाने के सम्बन्ध में हो।
- राज्यपाल ऐसा इसलिए करता है, क्योंकि केन्द्र व राज्य सरकार में कभी भी तनाव पैदा ना हो।

v. अनु० 201 के तहत राज्यपाल निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने का अधिकार रखता है। (जैसे:- राष्ट्रीय महत्त्व, अनु० 31 (क) के तहत सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध, अधिकारिता अर्थात संविधान के उपबंधों के विरुद्ध विधेयक राज्य विधायिका में लाये जाते है तो उन बिलों को)

- ऐसा करने पर उस विधेयक में राज्यपाल की भूमिका यहीं पर समाप्त हो जाती है।
- अर्थात उस विधेयक को स्वीकृति देना या न देना पूर्णत: अब राष्ट्रपति पर निर्भर है।

☞ अनु० 201 के तहत ही अब राष्ट्रपति इस विधेयक पर निम्न कदम उठाता है।

I. यदि राष्ट्रपति ऐसे किसी भी विधेयक को पारित करने की अनुमति देता है, तो यह विधेयक सम्बन्धित राज्य के लिए एक कानून बन जाएगा।

II. राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।

- अगर कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है, तभी ऐसा कर सकता है अन्यथा नहीं।
- दोबारा यदि यही बिल परिवर्तित या अपरिवर्तित होकर राष्ट्रपति के पास आता है, तो राष्ट्रपति इस बिल पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई बाध्य नहीं होगा।
- नोट:- राष्ट्रपति किसी भी राज्य विधेयक को कितनी भी बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है।

III. राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को हस्ताक्षर करने से साफ मना भी कर सकता है, जो बिल राज्य हित में ही नहीं हो, और ना ही आवश्यक है।

IV. राष्ट्रपति किसी बिल का काफी लम्बे समय तक कोई जवाब ही ना दे - पॉकेट बीटो।

☞ अर्थात राज्य विधायिका में कोई विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना पारित नहीं किया जाता है।

क्रम	केन्द्र विधायिका	राज्य विधायिका
	सामान्य विधेयकों के सम्बन्ध में	
1.	स्वीकृति दे सकता है।	स्वीकृति दे सकता है।
2.	अस्वीकार कर सकता है।	अस्वीकार कर सकता है।
3.	वापस कर सकता है।	वापस कर सकता है।
	धन विधेयकों के सम्बन्ध में	
1.	स्वीकृति दे सकता है।	स्वीकृति दे सकता है।
2.	अस्वीकार कर सकता है (परन्तु वापस नहीं कर सकता है।	अस्वीकार कर सकता है (परन्तु वापस नहीं कर सकता है।
	संविधान संशोधन विधेयकों के सम्बन्ध में	
1.	केवल **स्वीकृति दे** सकता है, ना तो अस्वीकार कर सकता है और ना ही वापस कर सकता है।	संविधान संशोधन सम्बन्धित कोई भी बिल राज्य विधायिका में पेश ही नहीं किया जाता है।

☞ नोट:- राष्ट्रपति किसी भी राज्य विधेयक को कितनी भी बार लौटा सकता है, कोई बाध्यता नहीं होगी।

☞ कुछ महत्वपूर्ण बिलों को राज्यपाल की बिना पूर्वानुमति के संसद में नहीं लाया जा सकता है।

- ❑ अनु० 110 कोई भी धन विधेयक।
- ❑ अनु० 117 कोई भी वित्त विधेयक।

☞ अनु० 112 बजट (वार्षिक वित्तीय विवरण) को विधानसभा में पेश करवायेगा।

☞ अनुदान की कोई भी माँग बिना राज्यपाल की सिफारिश के नहीं की जा सकती है। जिसका भुगतान वह राज्य की आकस्मिक निधि से करता है।

☞ राज्य के लिए कानून बनाना, संसद के द्वारा सम्पूर्ण भारत के लिए कानून बनाने के समान है।

☞ धन विधेयक तथा वित्त विधेयक के सम्बन्ध में राज्य के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया संसद के द्वारा भारत के लिए कानून बनाने के लगभग समान है।

☞ सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्य–

क्रम	राज्य का नाम	सीट	क्रम	राज्य का नाम	सीट
1.	उत्तर प्रदेश	403	7.	कर्नाटक	224
2.	पश्चिम बंगाल	294	8.	राजस्थान	200
3.	महाराष्ट्र	288	9.	गुजरात	182
4.	बिहार	243	10.	आन्ध्र प्रदेश	175
5.	तमिलनाडु	234	11.	ओडिशा	147
6.	मध्य प्रदेश	230	12.	केरल	140

☞ न्यूनतम विधानसभा सीटों वाले राज्य–

क्रम	राज्य का नाम	सीट	क्रम	राज्य का नाम	सीट
1.	सिक्किम	32	7.	हरियाणा	90
2.	मिजोरम, गोवा	40	8.	छत्तीसगढ़	90
3.	नागालैण्ड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा	60	9.	पंजाब	117
4.	हिमाचल प्रदेश	68	10.	तेलंगाना	119
5.	उतराखण्ड	70	11.	असम	126
6.	झारखण्ड	81	12.		

☞ उत्तर प्रदेश के विभिन्न पदाधिकारीगण

क्रम	सदन का नाम		अध्यक्ष / सभापति	उपाध्यक्ष / उपसभापति	महा सचिव	दल का नेता	विपक्ष का नेता	स्थापना	वर्तमानकुल सदस्य
1.	वर्तमान	विधान परिषद्	रमेश यादव	श्री कुंवर मानवेन्द्र सिंह	डॉ0 राजेश सिंह	डॉ0 दिनेश शर्मा	श्री अहमद हसन		100
	प्रथम		डॉ0 सीताराम चन्द्रभान	श्री अलहज शेख मसूद उज्जमा	--	श्री बलदेव सिंह आर्य	कुंवर गुरु नारायण		
2.	वर्तमान	विधान सभा	श्री हृदय नारायण दीक्षित	श्री राजेश अग्रवाल	श्री प्रदीप कुमार दुबे	योगी आदित्यनाथ	श्री राम गोविन्द चौधरी	14 मार्च 2017	403
	प्रथम		श्री राजर्षि पुरुषोतम दास टंडन	श्री अब्दुल हकीम	श्री जी0 के0 एस0 हैदरी	पं0 गोविन्द बल्लभ पंत नवाब	डॉ0 सर मोहम्मद अहमद सैय्यद खान (नवाब छतारी)	8 मार्च 1952	431

●●●

न्यायपालिका

- भाग 3 के लिए न्यायपालिका एक राज्य नहीं है।
- भाग 4 के लिए भी न्यायपालिका को राज्य नहीं माना है, परन्तु प्रथम दृष्टया में राज्य भी है कैसे?
  - ❑ जब न्यायाधीश अनु० 45 के तहत कोई आदेश करता है कि, (6-14 वर्ष) के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है। अनु० 51 के सम्बन्ध में अंतर्राष्ट्रीय शांति हेतु राज्यों का आगे आकर पहल करना अनिवार्य है। अनु० 43 के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जाती हैं, इत्यादि कोई आदेश जब न्यायालय आदेश जारी करता है तो यह राज्य की परिभाषा के दायरें में आती है।
- लोकतंत्र के मुख्य चार स्तम्भ होते हैं।
  1. विधायिका (कानून बनाना)
  2. न्यायपालिका (कानून की समीक्षा करना)
  3. कार्यपालिका (कानून को सही से लागू कराना)
  4. प्रेस
- भारतीय न्यायपालिका मुख्यत: तीन स्तरों पर कार्यरत रहती है।
  1. सर्वोच्च न्यायालय
  2. उच्च न्यायालय
  3. जिला / सत्र / निचली अदालतें
- भारत में राज्य की प्रकृति संघीय (Union), जबकि न्यायपालिका की प्रकृति एकात्मक (Intigrated) है।
- भारत में न्याय व्यवस्था इकहरी व एकीकृत है। अर्थात एक देश के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय है।
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सामान्य तौर पर मूल अधिकार क्षेत्र, अपीलीय और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है।
- SC के पास अन्य कई शक्तियाँ हैं। जिसके तहत केन्द्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा करना, मूल अधिकारों का रक्षक, संविधान का अन्तिम व्याख्याता, निचली अदालतों के विरुद्ध अपीलों पर सुनवाई करता है। SC द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिये बाध्यकारी है।
- उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को उच्चतर न्यायपालिका कहा जाता है। जबकि उच्च न्यायालय से निचली सभी अदालतों को निम्नतर न्यायपालिका कहते हैं।

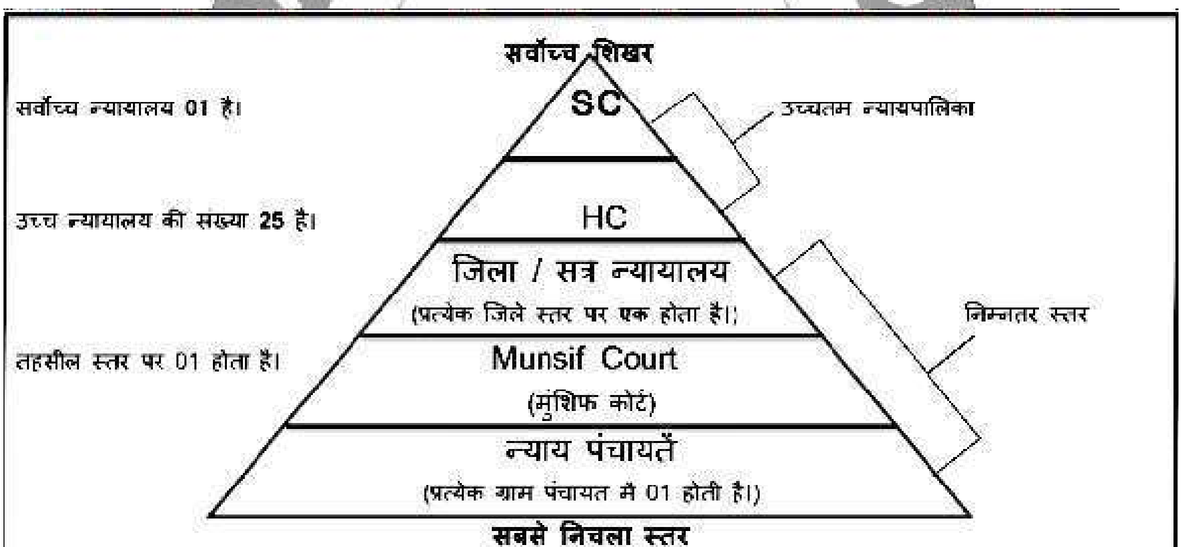

विशेष न्यायिक निकाय (Special Judicial Body / Quasi Judical Court)

1. अधिकरण (Tribunals)- किसी विशेष कार्य अथवा विशेष विभाग से जुड़ा होता है। जैसे- CAT, NGT, Rail, Insurance, Companies, Armed Forces, SAT, NCLT etc.
   - ❑ इन अदालतों में जज, स्पेशलिस्ट, पत्रकार, Legal Personnel शामिल होते हैं। इसी कारण इन अदालतों को इन विशेष कार्यों के लिए ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है।

1. फोरम (Forum)- उपभोग्ता अदालत। (Consumer Forum)
2. आयोग (Commission)- NHRC, SC / ST / Mintories etc.)
3. पारिवारिक न्यायालय- नारी सहायता केन्द्र।
4. बाल एवं किशोर न्यायालय- जुबैनाइल कोर्ट।
5. लोक अदालत
6. मोबाइल अदालत (यह किसका जनमानस है?)- डॉ० ए०पी०जे० कलाम आजाद को कहा जाता है।
7. फॉस्ट ट्रप कोर्ट
8. MP/MLA/MLC के लिए स्पेशल अदालत का प्रावधान किये है। हाल ही में सत्ताधारी दल के विधायक राम वल्लभ यादव, बिहार को 2019 में पॉक्सों एक्ट के मामलें आजीवन कारावास की सजा हुई है।
9. ई-कोर्ट (e- Court)

10. ग्राम अदालत, पॉक्सो, ग्राम पंचायत को खेलना समापति देख लें।

11. कोर्ट मार्शल/ सैन्य अदालतें (इन कोर्ट के खिलाफ Armed Forces Tribunals में अपील की जाती है।

न्यायालयों की कार्यवाही एवं अन्य पक्ष

☞ मुकदमों के प्रकार- मुख्यत: दो प्रकार के होते हैं।

1. फौजदारी का मुकदमा

2. दीवानी का मुकदमा

☞ कानूनों के प्रकार कानून भी मुख्यत: इन्हीं दो प्रकार के मुकदमों से सम्बन्धित दो प्रकार के होते हैं।

1. दीवानी / सिविल कानून (Civil Law)

- ❑ सिविल मामले दो पक्षों के आपसी दावों या विवादों पर आधारित होते है। इन मामलों में न्यायालय केवल इतना निश्चित कर सकती है कि किस पक्ष के कितने, क्या दावे तथा क्या उत्तरदायित्व होंगे?
- ❑ इन मामलों में कभी भी कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता है, इन मामलों में केवल आर्थिक क्षतिपूर्ति (Economic Compensation) का ही प्रावधान होता है।
- ❑ जैसे- जमीन विवाद, वस्तुओं की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से सम्बन्धित विवाद।

2. अपराधिक / फौजदारी कानून (Criminal Law)

- ❑ ऐसा कोई कृत्य जो भारतीय दण्ड संहिता (IPC) तथा किसी अन्य विधि द्वारा एक अपराध की श्रेणी में घोषित किया जा चुका हो। इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन से होता है। जैसे- लूट, हत्या, डकैती, नरसंहार, चोरी आदि।
- ❑ इसमें एफ.आई.आर. दर्ज कराने के बाद पुलिस जाँच कर अदालत में केस फाइल करती है। इन मामलों में चार तरह के दण्डों से दण्डित किया जा सकता है।
  1. अर्थदण्ड
  2. जेल (कारावास)
  3. सम्पत्ति जब्त की जा सकती है।
  4. मृत्युदण्ड (फाँसी)
- ❑ पीड़ित (Victim) — Public Procecutor सरकारी वकील को कहा जाता है, जो पीड़ित पक्ष के मुकदमें की पैरवी करता है। वह अपना प्राइवेट वकील भी हो सकता है। (अभियुक्त, मुल्जिम, Accused)

अपराधों का वर्गीकरण

I. शमनीय अपराध (Compoundable Offernce) :–

- ❑ इस प्रकार के मामलों को दोनों पक्षों के आपसी समझौते से निपटाने की छूट होती है।
- ❑ दोनों पक्ष न्यायालय के बाहर आपस में समझौता कर सकते हैं।

II. गैर-शमनीय अपराध (Non- Compoundable Offence) :–

- ❑ इस प्रकार के मामलों में दोनों पक्ष बिना अदालत की अनुमति के कोई समझौता नहीं कर सकते और न ही इसमें वादी को शिकायत वापस लेने का अधिकार होता है।
- ❑ इन मामलों में केवल न्यायालय के समक्ष उसकी रजामंदी से ही समझौता किया जा सकता है।

III. असंज्ञेय अपराध (Non-Cognizable Offence):– इस प्रकार के अपराध के लिये बिना बारंट के अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।

जैसे- चौरी, मार-पीट, गाली-गलौच आदि ।

IV. संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence):– इस प्रकार के अपराधों में कार्रवाई के संचालन के लिये पुलिस को न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।

- ❑ इस प्रकार के अपराध के लिये बिना वारंट के अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा सकती।
- ❑ जैसे- लूट, डकैती, हत्या, नरसंहार, गम्भीर चोट कारित करना आदि।

V. जमानतीय (Baiiable Offances) :–

- ❑ जिन अपराधों में एक जाँच अधिकारी (Investing Officer) को अधिकार होता है कि वह अभियुक्त (Accused) को गिरफ्तारी के बाद पर्याप्त जमानत (Surety) दे सकता है।
- ❑ इन मामलों में अधिकतर 03 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान होता है।

V. गैर-जमानतीय अपराध (Non-Bailable Offances):–

- ❑ जिन अपराधों में एक जाँच अधिकारी को अधिकार नहीं होता है कि वह अभियुक्त (Accused) को गिरफ्तारी के बाद पर्याप्त जमानत दे सकता हैं।
- ❑ इन मामलों में अधिकतर 03 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान होता है।

दण्ड के प्रकार

☞ ऐसा कोई कृत्य जो भारतीय दण्ड संहिता (IPC) तथा किसी अन्य विधि द्वारा एक अपराध की श्रेणी में घोषित किया जा चुका हो।

☞ संबंधित अभियुक्त (Accused) को सक्षम न्यायाधीश के द्वारा दोष सिद्धी के सम्बन्ध में चार प्रकार के दण्डों से दण्डित किया जा सकता है।

1. मृत्युदण्ड (Death Sentence)

2. कारावास / जेल- यह मुख्यत: दो प्रकार का होता है।

i. कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment)

ii. साधारण कारावास (Simple Imprisonment)

3. सम्पत्ति को जब्त कर लेना। (Forfeit)

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

4. आर्थिक जुर्माना लगाना । (Fines)

- **क्रमिक (Consecutive Sentences)**– सभी दण्डों को एक के बाद एक क्रमानुसार दिया जाता है। जैसे- बाबा राम रहीम के मामलें में देखा जा सकता है। उसे दो अलग-अलग मामलों में 10-10 वर्षों का कारावास सुनाया गया है। अर्थात उसे पहले 10 वर्ष का कारावास पूर्ण करने के बाद दूसरे मामले के 10 वर्षों की सजा का पूर्ण करना होगा। अगर जिंदा रहा तो तब जेल से बाहर आ सकेगा।
- **सहवर्ती दण्ड (Concurrent Sentences)**– परन्तु अगर न्यायाधीश सजा सुनाते समय यदि अपने फैसले में सहवर्ती दण्ड के रूप में सजा देता है, तो इसका अर्थ होगा कि सभी सजाएं में दण्ड को एक साथ पूर्ण किया जाएगा। जैसे- किसी मामले में अभियुक्त (क) को विभिन्न धाराओं में 5 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष की सजा सुनाई गयी हो तो सबसे बड़ी सजा के समय के साथ ही अभियुक्त (क) द्वारा सभी सजाएं स्वत: ही पूर्ण कर ली जायेंगी ।

न्यायधीशों की पीठ

1. **एकल पीठ (Single Bench)**– केवल एक न्यायाधीश ही बैठता है। जिसे चैम्बर जज भी कहा जाता है।
2. **खण्ड पीठ (Division Bench)**– इस पीठ में सामान्यत: दो न्यायाधीश शामिल होते हैं। जो संयुक्त रूप से अपना फैसला सुनाते हैं।
3. **पूर्ण पीठ (Full Bench)**– इस पीठ में दो से अधिक न्यायाधीश शामिल होकर अपना फैसला सुनाते है।
4. **संवैधानिक पीठ (Constitutional Bench)**– इसका सम्बन्ध सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय से होता है।
   - इस पीठ में कम-से-कम 5 जज शामिल होकर किसी विषय पर अपने बहुमत से फैसला सुनाते है।
   - इस पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश का शामिल होना आवश्यक होता है।
   - अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 13 जजों की थीं।

न्यायालयों के अधिवक्ताओं का वर्गीकरण

- भारत के न्यायालयों के अधिवक्ताओं का वर्गीकरण मुख्यत: तीन वर्गों में किया जाता है।

1. **वरिष्ठतम अधिवक्ता (Senior Advocates)**
   - ये सर्वोच्च या उच्च न्यायालय के वकील होते हैं।
   - जिन्हें भारतीय संविधान की विशिष्ट ज्ञान होता है। न्यायालय ऐसे ही कुछ वकीलों को, जो उसकी नजर में पारंगत विधिवेत्ता (Distinguished Jurist) होते हैं। झ ये सभी अधिवक्ता परिषद् के सदस्य भी होते हैं।
2. **ऐड्वोकेट्स ऑन रिकॉर्ड (Advocates on Record)**
   - ये वो वकील होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय (तथा कुछ उच्च न्यायालयों) में कोई याचिका दायर कर सकते हैं, और न्यायालय के समक्ष कोई रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं।
   - सर्वोच्च न्यायालय में उन्हीं वकीलों का नाम दर्ज होता है जो ऐड्वोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होते हैं।
   - ऐड्वोकेट्स ऑन रिकॉर्ड बनने के लिए एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है।
   - यह परीक्षा वहीं वकील दे सकते हैं, जो किसी राज्य की अधिवक्ता परिषद् में कम-से-कम 5 वर्षों से पंजीकृत हो और 1 वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके हो।
3. **अन्य अधिवक्ता (Other Advocates)**
   - ये वे अधिवक्ता होते हैं जिनका नाम किसी न किसी राज्य की अधिवक्ता परिषद् में अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत दर्ज होता है।
   - इन्हें अधिकार होता है, कि यह भारत की किसी भी अदालत में मुकदमों की पैरवी कर सकते हैं।

अन्य वर्गीकरण (Other Classification)

1. एमिकस क्यूरिए (Amicus Curise)
2. प्लीडर (Pleader)
3. काउन्सेल (Counsel)
4. लोक अभियोजक (Public Prosecutor)
5. सोलिस्टर (Solicitor), बैरिस्टर (Barrister)
6. ऐड्वोकेट (Advocate / Lawyer)

●●●

सर्वोच्च न्यायालय

(भाग - 5, अध्याय - 4, अनुच्छेद 124 से 147 तक)

- भारत का सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) भारत की न्यायपालिका के सर्वोच्च शिखर पर है।
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) की शक्ति रखता है। अर्थात् संविधान के प्रावधानों एवं संवैधानिक पद्धति के विपरीत विधायी तथा शासनात्मक कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति मात्र सर्वोच्च न्यायालय के ही पास होती है।
- भारत एक संघीय राज्य है जबकि इसकी न्यायिक प्रणाली एकल तथा एकीकृत (Intigrated) है।
- जिसकी त्रिस्तरीय संरचना, अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- 1773 ई० के रेग्युलेटिंग एक्ट के प्रवर्तन से कलकत्ता में पूर्ण शक्ति एवं अधिकार के साथ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में सर्वोच्च न्यायाधिकरण (Supreme Court of Judicature) अर्थात सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित किया गया था।
- इस सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलियाज इम्पे थे।
- अन्य न्यायाधीश- 1. चैम्बर्स, 2. लिमेस्टर, 3. हाइड तथा बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था।
- इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सभी अपराधों की शिकायतों को सुनना जाता था, तथा उनके निपटान करने के लिये यह स्थापित किया गया था।
- मद्रास एवं बंबई में सुप्रीम कोर्ट जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमश: वर्ष 1800 तथा 1823 में स्थापित किये थे।
- 1774 सुप्रीम कोर्ट वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली से बिल्कुल अलग था, क्यों का सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ी अपीलीय अदालत है जबकि 1774 का सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अपीलीय अदालत नहीं था। इसके बाद भी ब्रिटिश क्रॉउन (प्रीवि कौंसिल) के समक्ष अपील की जा सकती थीं।
- "भारत शासन अधिनियम 1935" के द्वारा सन् 1937 ई0 में एक संघीय न्यायालय (Federation Court), दिल्ली में स्थापित किया गया था। जिसका प्रथम न्यायाधीश मौरिस ग्वैयर था।
- संघीय न्यायालय में 1774 ई० वाले सुप्रीम कोर्ट को भी मिला दिया गया था।
- संघीय न्यायालय (Federation Court) के अन्तर्गत मुख्यत: तीन मामलों को ही सुना जाता है।
  - i. इन संघीय न्यायालय के पास प्रांतों और संघीय राज्यों के बीच विवादों को हल करना था।
  - ii. दो विभिन्न प्रान्तों के मध्य विवाद को हल करना था।
  - iii. उच्च न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार क्षेत्र था।
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय 1937 के संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी माना जाता है।
- इस 1937 ई० के संघीय न्यायालय को 28 जनवरी 1950 ई० को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन के समय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में समाहित कर दिया गया है।

संवैधानिक प्रावधान

- अनु० 124(1) के तहत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश (CJI) तथा आवश्यकतानुसार अन्य न्यायाधीश होंगे।
- अन्य न्यायधीशों की संख्या के सम्बन्ध में संसद कानून बनाकर उनकी संख्या को निर्धारित करती है। जिसे समय-समय पर परिवर्तित किया जाता रहा है।

सर्वोच्च न्यायालय का संगठन (Organisation)

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली बैठक 28 जनवरी, 1950 को सम्पन्न हुई।
- अनुच्छेद 124(1) के अनुसार "भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, "भारत शासन अधिनियम 1935" के तहत 28 जनवरी 1950 ई०, को नई दिल्ली में की गयी थीं।
- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे० कानिया थे।
- भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान (47वें) मुख्य न्यायाधीश श्री शरद अरविंद बोबडे 18 नवम्बर 2019 को नियुक्त किया गया है। वह इससे पूर्व में मुम्बई उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे।
- मूल संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों की संख्या 8 जज (1 मुख्य + 7 अन्य) थीं।
- अन्तिम बार 2019 में बदलाव से जजों की संख्या 34 (33 अन्य + 1 मुख्य), जोकि वर्तमान संख्या है। यह बदलाव "सुप्रीम कोर्ट (न्यायधीशों की संख्या) कानून, 1956 में संशोधन के तहत किया जाता है।
- इस कानून में अब तक कुल 6 बार (सर्वप्रथम 1956-11, 1960-14, 1978-18, 1986-26, 2009-31, 2019-34 अन्तिम) बदलाव किया गया है। संसद उन्हें विनियमित करने के लिये अधिकृत है।
- 27 अगस्त 2018 में वरिष्ठतम महिला अधिवक्ता इंदु मल्होत्रा की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला अधिवक्ता से जज के रूप में हुई। इनके साथ-साथ अन्य महिला जजों की नियुक्ति हुई थी।

न्यायधीशों की नियुक्तियाँ

- अनु० 124 (2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझता है तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की सलाह ले सकता है।

- ☞ जबकि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति मामले में मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करना राष्ट्रपति द्वारा अनिवार्य है।
- ☞ वर्ष 1950 से 1973 तक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की परंपरा रही है।
- ☞ 14वें विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि CJI की नियुक्ति करते समय केवल वरिष्ठतमता को आगे नहीं रखना चाहिए बल्कि योग्यता को भी प्रमुखता देनी चाहिए।
- ☞ उसी समय 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में SC की संवैधानिक पीठ ने 7:6 के बहुमत से फैसला दिया, क्योंकि उसी दिन CJI श्री शर्व मित्रा सीकरी को सेवानिवृत्त होना था।
- ☞ इस फैसले से नाराज इंदिरा गाँधी ने वर्ष 1973 से 1977 तक दो बार इस परंपरा का उल्लंघन किया।
- ☞ जब तीन वरिष्ठतम न्यायाधीश (श्री जे०एम० शेलट, श्री के०एस० हेगड़े तथा श्री ए०एन० ग्रोवर) को छोड़कर श्री ए०एन० रे को भारत का CJI नियुक्त कर दिया गया।
- ☞ वर्ष 1977 में इसका पुन: उल्लंघन किया गया, जब तत्कालीन 10 वरिष्ठतम न्यायधीशों को छोड़कर हमीदुल्ला बेग को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
- ☞ जस्टिस हंसराज खन्ना के बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में दिये फैसले से इंदिरा गाँधी नाराज हो गयी थीं।
- ☞ सरकार की इस स्वायत्तता को सर्वोच्च न्यायालय ने द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) में रद्द कर दिया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यी पीठ ने सर्वसम्मति से अपने फैसले में कहा कि, वरिष्ठतम न्यायाधीश को ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिये।

परामर्श एवं कॉलेजियम प्रणाली (Collegium) पर विवाद

- ☞ प्रथम न्यायाधीश मामले (1982) में न्यायालय ने कहा कि परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है और इसका अर्थ सिर्फ विचारों के आदान-प्रदान से है। राष्ट्रपति यह परामर्श मानने को बाध्य नहीं होगा।
- ☞ इसे एस०पी० गुप्ता बनाम भारत संघ के नाम से भी जाना जाता है।
- ☞ द्वितीय न्यायाधीश मामले (1993) (सुप्रीम कोर्ट ऐडवोकेट्स बनाम भारत संघ) में न्यायालय ने अपने पहले फैसले को पलट दिया और परामर्श शब्द का अर्थ सहमति के रूप में परिवर्तित कर दिया। राष्ट्रपति यह परामर्श मानने को बाध्य होगा।
- ☞ तृतीय न्यायधीशों के मामले (1998) में कहा कि भारत के CJI द्वारा अपनाई जाने वाली परामर्श प्रक्रिया के लिये 'न्यायधीशों के सम्मिलित परामर्श' अर्थात Plurality of Judges की आवश्यकता होगी।

कॉलेजियम प्रणाली (Collegium System)

- ☞ इसकी शुरुआत 'तृतीय न्यायाधीश मामले' के माध्यम से हुई थीं और यह वर्ष 1998 से चलन में है।
- ☞ इसका उपयोग HC और SC में न्यायधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिये किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश की एकमात्र राय परामर्श प्रक्रिया पर ही गठन नहीं करती है।
- ☞ उन्हें उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायधीशों के एक कॉलेजियम से परामर्श करना चाहिये यदि दो न्यायाधीश भी विपरीत राय देते हैं, तो उसे सरकार को नियुक्ति की सिफारिश नहीं भेजनी चाहिये।
- ☞ नियुक्ति - SC के न्यायाधीश की नियुक्ति- SC का मुख्य न्यायाधीश (अगर अन्य न्यायधीशों की नियुक्ति होनी है तो) + SC के 04 वरिष्ठतम न्यायाधीश का पैनल मिलकर लिखित रूप से किसी न्यायाधीश के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को भेजते है तब राष्ट्रपति न्यायाधीश की नियुक्ति करता है।
- ☞ इस सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करने के लिये बाध्य होता है, लेकिन कोई समय सीमा नहीं है।
- ☞ अदालत ने माना कि परामर्श प्रक्रिया के मानदंडों और आवश्यकताओं का अनुपालन किये बिना भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है।
- ☞ यह सिफारिश सभी न्यायधीशों के द्वारा केवल लिखित रूप में ही की जाएगी, मौखिक नहीं होगी।
- ☞ इस सिफारिश पर किसी विशेष बहुमत से सहमति नहीं होगी, सहमति पूर्ण बहुमत से होनी चाहिए।
- ☞ जिसमें CJI की सिफारिश भी सभी न्यायधीशों के समान ही होती है।
- ☞ भारत के मूल संविधान में या अभी तक के किसी भी संशोधन में कॉलेजियक का कोई उल्लेख नहीं है।

NJAC (National Judicial Appointments Commission)की कार्यप्रणाली

- ☞ 99वें CAA 2014 के माध्यम से न्यायधीशों की नियुक्ति के लिये कॉलेजियम प्रणाली को बदलने हेतु राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) की स्थापना की गई थीं।
- ☞ कॉलेजियम केंद्र सरकार को वकीलों या न्यायधीशों के नाम प्रस्तावित करता है। इसी प्रकार केंद्र सरकार भी अपने कुछ प्रस्तावित नामों को कॉलेजियम को भेजती है। कॉलेजियम केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नामों या सुझावों पर विचार करता है एवं अंतिम अनुमोदन के लिये फाइल को सरकार के पास भेज देता है।
- ☞ कोलेजियम फिर से उन्हीं नामों को पुन: भेजता है तो सरकार को उन नामों पर अपनी सहमति देनी होगी, लेकिन जवाब देने के लिये समय सीमा तय नहीं है, तभी इनकी नियुक्ति में लंबा समय लगता है।

- SC ने कॉलेजियम को बरकरार रखकर NJAC को असंवैधानिक बताया न्यायिक नियुक्ति में राजनीतिक कार्यपालिका की भागीदारी ''मूल संरचना के सिद्धांत'' अर्थात ''न्यायपालिका की स्वतंत्रता'' के खिलाफ हैं।

न्यायधीशों का कार्यकाल (Tenure)

- अनु० 124 (2) के अनुसार संविधान ने SC के न्यायधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया है।
- हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित तीन प्रावधान किये गए हैं।
  - i. वह 65 वर्ष की अधिकतम आयु तक पदासीन रह सकता है।
  - ii. वह राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है।
  - iii. संसद की सिफारिश पर महाभियोग की प्रक्रिया से राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिये न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है।

न्यायधीशों की योग्यताएँ

- अनु० 124 (3) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति में निम्न योग्यताएँ होनी चाहिये।
  - ❑ उसे भारत का नागरिक होना चाहिये।
  - ❑ निम्न योग्यताओं में से कोई एक होना अति आवश्यक होता है।
  - i. उसे कम-से-कम पाँच वर्षों के लिये किसी उच्च न्यायालय (या उत्तरोतर एक से अधिक न्यायालय) का न्यायाधीश होना चाहिये, या
  - ii. उसे दस वर्षों के लिये उच्च न्यायालय (या उत्तरोतर एक से अधिक उच्च न्यायालय) का अधिवक्ता / वकील / विधिव्यवशायी होना चाहिये, या
  - iii. उसे दस वर्षों के लिये निचली आदलतों (या उत्तरोतर एक से अधिक निचली अदालतों) का न्यायाधीश होना चाहिये, या
  - iv. उसे राष्ट्रपति के मत में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी (कानून का विशेष ज्ञाता) होना चाहिये।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों को अपदस्थ करना

- अनु० 124 (4) के अनुसार महाभियोग के जैसी प्रक्रिया को संसद से पूर्ण कराने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
- राष्ट्रपति उसे हटाने का आदेश तभी जारी कर सकता है, जब इस प्रकार हटाए जाने हेतु संसद द्वारा एक ही सत्र में ऐसा संबोधन किया गया हो। अर्थात महाभियोग के जैसी प्रक्रिया को संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के विशेष बहुमत (अर्थात् सदन की कुल सदस्यता का बहुमत एवं सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई) से एक ही सत्र में अलग-अलग पारित कर दिया गया हो। उसे हटाने का आधार दुर्व्यवहार या अक्षमता होना चाहिये।
- ''न्यायाधीश जाँच अधिनियम 1968'', सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग के न्यायधीशों के जैसी प्रक्रिया का उपबंध करता है।
- अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। परन्तु यह प्रक्रिया दो न्यायमूर्ति वी0 रामास्वामी (1991-1993) और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा (2017-18) के ऊपर आरम्भ तो की गयी है, महाभियोग के जैसी यह प्रक्रिया संसद में पारित नहीं की जा सकी है।

महाभियोग जैसी प्रक्रिया

- अनु० 124 (4) के अनुसार इस प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
- जो लोकसभा के कम-से-कम 100 तथा राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर करने के बाद ही यह प्रक्रिया आरम्भ हो सकती है। अन्यथा यह प्रक्रिया यही से आरम्भ नहीं हो सकेगी।
- इन सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद यह प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति को सौंप दिया जाता है। जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित सदन का पीठासीन निर्णय करेगा कि प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य है अथवा नहीं।
- अगर स्वीकार करने योग्य है तो एक समिति गठित करेगा, अन्यथा प्रस्ताव खत्म।

तीन सदस्यीय समिति

- i. SC का मुख्य न्यायाधीश (किसी अन्य के विरुद्ध लाने पर) / अन्य जज (CJI के विरुद्ध आने पर)
- ii. किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
- iii. एक ऐसा व्यक्ति जो पारंगत विधिवेत्ता (वरिष्ठतम अधिवक्ता) हो।

- उपर्युक्त समिति के जाँच में अगर न्यायाधीश दोषी पाया जाता है तो यह समिति उस सदन को अपने रिपोर्ट सौंपेगी जहाँ यह प्रस्ताव लाया गया था।
- तब दोनों ही सदनों से एक ही सत्र में अलग-अलग विशेष बहुमत (जो सदन के कुल सदस्य में बहुम मौजूद सदस्यों के 2/3) से पारित कराना होगा।
- जैसे वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है तो 362 सदस्यों का बहुमत चाहिए।
- वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 250 है तो 173 सदस्यों का बहुमत चाहिए।
- माना यदि सदन की कार्यवाही के समय कुल 90 सदस्य मौजूद हो तो क्या इसका 2/3 अर्थात 60 सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव पारित हो सकता है?- नहीं
- इसके सम्बन्ध में स्पीकर सभी सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए एक नोटिस जारी करता है।

- अगर न्यायाधीश इस समिति की जाँच में दोषमुक्त पाया जाता है तो प्रस्ताव यहीं समाप्त हो जाता है।
- अन्यथा यह राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा जिसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति एक आदेश जारी करता है।
- आदेश जारी होने के बाद उस न्यायाधीश को अपने पद से वंचित होना पड़ता है।
- अगर इस प्रक्रिया के मध्य में लोकसभा भंग जाती है तो यह प्रस्ताव खत्म नहीं हो सकता है।
- अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश श्री बी० रामास्वामी तथा दीपक शर्मा के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया को आरम्भ किया गया था, परन्तु लोकसभा में इसे पास नहीं कराया जा सका।

शपथ या प्रतिज्ञान (Oath or Affirmation)

- भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ का प्रारूप वहीं है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए है।
- अनु० 124 (6) के अनुसार SC के लिये नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यभार संभालने से पूर्व राष्ट्रपति या इस कार्य के लिये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष निम्नलिखित शपथ लेनी होगी कि-
  - ❑ मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा;
  - ❑ मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा;
  - ❑ मैं अपनी पूरी योग्यता ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का बिना किसी भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के पालन करूँगा; मैं संविधान एवं विधि की मर्यादा बनाए रखूँगा।

वेतन एवं भत्ते

- अनु० 125 (1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश और पेंशन समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। ये सभी खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
  - ❑ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश - 2.8 लाख रुपये (27 मार्च 2018 से लागू)
  - ❑ सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश - 2.5 लाख रुपये
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया गया है कि न्यायधीशों को प्राप्त होने वाला वेतन करमुक्त नहीं है।
- वित्तीय आपातकाल (अनु० 360) के अतिरिक्त नियुक्ति के बाद इनके वेतन में कटौती नहीं की जाएगी।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice)

- अनु० 126 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है जब:-
  - ❑ मुख्य न्यायाधीश (CJI) का पद रिक्त हो।
  - ❑ अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो।
  - ❑ मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो।
- 1993 में एक वाद में आये फैसले के बाद इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं बचा है क्योंकि अब CJI की अनुपस्थिति में स्वत: ही सबसे बरिष्ठतम न्यायाधीश उसका स्थान पर कार्य करता है।

तदर्थ न्यायाधीश (Ad-hoe Judges)

- अनु० 127 के अनुसार जब सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिये स्थायी न्यायधीशों के कोरम गणपूर्ति की कमी होती है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक अस्थायी अवधि के लिये सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले किसी उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को नियुक्ति कर सकता है, जो पिछले 5 साल से न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हो।
- इसी प्रकार उच्च न्यायालय भी अपने लोअर कोर्ट से तदर्थ न्यायधीशों की नियुक्ति कर सकता है।

तदर्थ न्यायाधीश के नियुक्ति की प्रक्रिया

- संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही तदर्थ न्यायधीशों की नियुक्ति की जाती है।
- जिसे न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखता हो।
- तदर्थ न्यायाधीश का यह दायित्व है कि वह अपने अन्य दायित्वों की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने को अधिक वरीयता दे।
- ऐसा करते समय उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी वेतन, भत्ते, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की गणपूर्ति की संख्या की जानकारी के बारे में भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं प्रदान की गयी है।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश / पदों की रिक्तता होने पर

- अनु० 128 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश (CJI) किसी भी समय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश (जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के योग्य हो) से लिखित अनुरोध कर सकता है, कि वह अस्थायी अवधि के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करें।
- ऐसे नियुक्त किये जाने वाले जज को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही बुलाया जा सकता है।
  i. ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अत्ते प्राप्त करने के योग्य होता है। परन्तु यह निश्चित नहीं है कि वह

वर्तमान न्यायधीशों के बराबर ही वेतन प्राप्त करता है।

ii. वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायधीशों की तरह न्यायनिर्णयन, शक्तियों एवं विशेषाधिकारों को प्राप्त करेगा किंतु वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा।

☞ इन्हीं दो कारण से यह तदर्थ न्यायाधीश से अलग है।

पद की रिक्तता होने की स्थिति

i. कार्यकाल पूर्ण हो गया हो अर्थात 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।

ii. मृत्यु कारित होने के कारण।

iii. महाभियोग जैसी प्रक्रिया पूर्ण होने पर।

iv. अगर कोई भी न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है।

सर्वोच्च न्यायालय का स्थान

☞ अनु० 130 के अनुसार संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करता है।

☞ यह मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करता है।

☞ CJI राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही इस संबंध में निर्णय ले सकता है। यह वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।

न्यायालय की प्रक्रिया

☞ सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ, न्यायालय के संचालन एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिये नियम बना सकता है।

☞ संवैधानिक मामलों या संदर्भों को अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है और कम-से-कम पाँच न्यायधीशों वाली एक खंडपीठ द्वारा तय किया जाता है।

☞ अन्य सभी मामले आमतौर पर तीन न्यायधीशों वाली पीठ द्वारा तय किये जाते हैं। ये निर्णय खुले न्यायालय द्वारा दिये जाते हैं। सभी निर्णय बहुमत से लिये जाते हैं, लेकिन यदि अलग-अलग मत होते हैं, तो न्यायाधीश एक-दूसरे से असहमत निर्णय या राय दे सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता

☞ भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की तरह परिसंघीय न्यायालय (Federal Court), नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर, संविधान का अंति व्याख्याकार (Interpreter) और संविधान का संरक्षक होने के कारण इसकी स्वतंत्रता बहुत आवश्यक हो जाती है।

☞ जबकि इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह न्यायिक समिति की तरह यह देश के सभी सिविल और आपराधिक मामलों में सर्वोच्च अपीली न्यायालय है।

☞ वह राष्ट्रपति को परामर्श देने की शक्ति भी रखता है, जो इसे अमेरिका, इंग्लैण्ड दोनों देशों के न्यायालयों से अलग करती है। संविधान ने SC के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को सुरक्षित रखने एवं सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित प्रावधान किये हैं।

❑ नियुक्ति का तरीका, कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्तें, संचित निधि से व्यय।

❑ न्यायधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती है, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक।

❑ अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति का होना, अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता।

❑ इसके न्यायक्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण होना।

सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार

मूल या आरंभिक अधिकारिता

☞ अनु० 131 के अनुसार एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच मूल अधिकारिता के तहत निम्न तीन मामलों की सुनवाई करके फैसला करता है।

i. केंद्र और एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद होना।

ii. केंद्र एवं 1 या 1 से अधिक राज्यों का एक तरफ तथा 1 या 1 अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना।

iii. दो या अधिक राज्यों के मध्य विवादों का होना।

☞ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र में निम्नलिखित मामले समाहित नहीं हैं।

i. कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा सनद एवं अन्य संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो।

ii. कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि के बाहर उत्पन्न हुआ हो जिसमें यह प्रावधान हो कि संबंधित न्यायक्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है।

iii. अनु० 262 के तहत अंतर्राज्यीय जल आयोग को निर्दिष्ट क्रिया मामला अनु 157 का विषय नहीं है।

iv. वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले।

v. केंद्र एवं राज्यों के मध्य खर्च एवं पेंशन के संबंध में समझौता।

vi. केन्द्र एवं राज्यों के मध्य वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद।

vii. केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई।

न्यायादेश या रिट अधिकारिता (Writ Jurisdiction)

☞ अनु० 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार प्रेच्छा के रूप में पाँच तरह की रिट जारी कर विक्षिप्त नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है।

- ☞ इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र इस अर्थ में है कि एक पीड़ित नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, जरूरी नहीं कि यह कार्य याचिका के माध्यम से ही किया जाए।
- ☞ अनु० 226 के तहत HC को भी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिये रिट जारी करने का अधिकार है।
- ☞ एल० चन्द्रकुमार बनाम भारतीय संघ मामलें में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इस शक्ति को संसद न कम कर सकती है, और न ही बढ़ा सकती है।

अपीलीय क्षेत्राधिकार (Appellate Jurisdiction)

- ☞ अनुच्छेद 132, 133, 134, 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अपीलीय अदालत है और निचली अदालतों के निर्णयों के खिलाफ अपील सुनता है। इसको एक विस्तृत अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
- ☞ जिसे चार शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है।
  - i. अनु० 132 के तहत संवैधानिक मामलों में अपील। (Appeal on Constitutional Matter)
  - ❑ विधि के समक्ष "सारवान प्रश्न (Substantial Question of law)" निहित होने पर लायी जाती हैं।
  - ii. अनु० 133 के तहत दीवानी / सिविल मामलों में अपील (Appeal on Civil Matter)
  - ❑ 20000 रुपये से अधिक की राशि के मामलों में ही यह अपील की जा सकता था।
  - ❑ इसके दुष्प्रयोग को रोकने हेतु 30वें CAA 1972 के द्वारा इसे हटा दिया है।
  - ❑ अब तीन तरह के मामलों में ही इसका प्रयोग किया जा सकता है।
    1. दीवानी के मामलों में विधि के समक्ष "सारवान प्रश्न'' निहित होने पर।
    2. वह प्रश्न सामान्य महत्व का हो अर्थात मामला एक से अधिक लोगों से सम्बन्धित हो।
    3. उच्च न्यायालय की नजर में किसी प्रश्न का उत्तर SC द्वारा दिया जाना उचित
  - iii. अनु० 134 के तहत आपराधिक मामलों में अपील। (Appeal on Criminal Matter)
  - ❑ अनु० 134 (2) के तहत संविधान संसद को शक्ति देता है कि, SC की अधिकारिता को बढ़ा सके।
  - iv. अनु० 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील। (Appeal on Special Leave Matter)
  - ❑ अनु० 136 (2) के तहत आर्ल्ड फोर्स से सम्बन्धित मामलों में गठित न्यायालय द्वारा सुनाये गये फैसले के विरुद्ध कोई अपील दाखिल नहीं की जा सकती है।

सलाहकारी अधिकारिता (Advisory Jurisdiction)

- ☞ अनुच्छेद 143 (1) के तहत संविधान, राष्ट्रपति को दो तरह के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से राय माँगने का अधिकार देता है।
  - i. सार्वजनिक महत्त्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न उठने पर अथवा प्रश्न उठने की संभावना पर।
  - ii. किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा सनद संबंधी मामलों पर कोई विवाद उत्पन्न होने पर।
  - ❑ "1958 केरल शिक्षा विधेयक मामले में स्पष्ट किया गया है कि अनु० 143(1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय सलाह प्रतिपादित कर सकेगा। SC इन सम्बन्धों में सलाह देने के लिए बाध्यकारी नहीं है।
  - ❑ इसी मामले में यह भी स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति SC की सलाह मानने के लिये बाध्यकारी नहीं होगा।
- ☞ अनुच्छेद 143(2) के तहत यदि कोई विषय अनु० 131 के परंतुक में लिखा गया है कि इस संविधान के लागू होने से पहले की किसी संधि, करार, सनद में वर्णित किसी विषय के सम्बन्ध में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह माँग सकता है।

अभिलेख का न्यायालय (Court of Record)

- ☞ अनु० 129 के तहत अभिलेखों के न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास दो शक्तियाँ हैं।

1. इस न्यायलय का आदेश मात्र आदेश नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत के लिए एक कानून होता है।
   - ❑ SC के निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले सार्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज होते हैं।
   - ❑ किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों के दौरान इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।
   - ❑ ये रिकॉर्ड विधिक संदर्भों (Constitutional Referances) की तरह स्वीकार किये जाते हैं।
2. सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायालय की अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार है, यह सजा 6 माह का सामान्य कारावास या 2000 रुपये तक का आर्थिक दंड अथवा दोनों हो सकती है।

न्यायिक समीक्षा की शक्ति (Power of Judicial Review)

- ☞ अनुच्छेद 13 कोई विधि मूल अधिकारों का हनन करती है तो शून्य कर दी जाएगी।
- ☞ अनुच्छेद 32 रिट अधिकारिता के सम्बन्ध में। (अनुच्छेद 132, 133 के विषयों का JR किया जाएगा)
- ☞ अनु० 254 समवर्ती सूची के विषय में अगर राज्य का कानून, केन्द्र के कानून का पालन नहीं करता है।
- ☞ मूल अधिकारों के हनन, विधि का अनुपालन नहीं किये जाने पर न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जाँच करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है।
- ☞ जाँच में यदि वे संविधान (अल्ट्रा-वायर्स) के उल्लंघनकर्त्ता पाए जाते हैं, तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध, असंवैधानिक और अमान्य (''बालित और शून्य- Null and Void") घोषित किया जा सकता है। पुनर्विचार याचिका कोर्ट का फैसला आने के 30 दिन के भीतर ही उसी बैंच में दी जाएगी, जिस बेंच द्वारा फैसला सुनाया गया है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- ☞ पुनर्विचार याचिका (Review Petition) में सुनवाई का मूल अधिकार नहीं होगा। इसकी कार्यवाही केवल लिखित रूप में की जाती है। पुनर्विचार याचिका पर खुली बहस नहीं की जाती है।
- ☞ उपचारात्मक याचिका (Curative Petition) तब दाखिल की जाती है जब Review Petition न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी हो। परन्तु पीड़ित पक्ष किसी साक्ष्य के छोड़े जाने की बात कहे और इस याचिका को सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठतम अधिवक्ता यह प्रमाणित कर दे की इसे स्वीकार किया वक्ता यह प्रमाणित कर दे की जाना चाहिए। यह किसी भी मुकदमें की अंतिम कड़ी होती है। (वाद रूपा अशोक हुए 2002 से शुरुआत)
- ☞ न्यायिक समीक्षा को चार चरणों में देखा जा सकता है।

1. पहला चरण (1950 से 1966 तक)- इस काल खण्ड में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन के मामलों में विनम्र रूप देखने को मिलता है।
2. दूसरा चरण (1967 से 1970 तक)- इस काल खण्ड में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन के मामलों में सक्रिय तथा आक्रमक रूप निम्न मामलों में देखने को मिला है।

- ☞ 1967 के गोलकनाथ मामले में 11 जजों की पीठ ने फैसले में कहा कि संसद मूल अधिकारों में बदलाव नहीं कर सकती है।
- ☞ 1970 में सर्वोच्च न्यायालय का बैंक राष्ट्रीकरण अध्यादेश जो बाद में अधिनियम बन गया था। इसे मूल अधिकारों पर अतिक्रमणों (सम्पत्ति का अधिकार) के आधार पर समाप्त कर दिया गया था।
- ☞ कुछ समय बाद इस अध्यादेश को भी समाप्त कर दिया, जिससे प्रिवीपर्स समाप्त कर दिया गया।
- ☞ तीसरा चरण (1961 से 1976 तक)- इस काल खण्ड में सर्वोच्च न्यायालय तथा केन्द्र सरकार के मध्य संघर्ष की स्थिति लगातार बनी रही थीं। 24वें CAA 1971 के द्वारा संसद को CAA की असीम शक्ति प्रदान की गयी तथा SC की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियों को सीमित कर दिया गया था।
- ☞ 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 13 जजों की पीठ (अब तक की सबसे बड़ी पीठ) ने फैसले में कहा कि संसद संविधान के मूल ढ़ाचें में बदलाव किये बगैर मूल अधिकारों में बदलाव कर सकती है। संसद द्वारा 42वें CAA 1976 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन शक्तियाँ पर तीन महत्त्वपूर्ण प्रतिबंध लगा दिये थे।
    - i. SC केवल संसद के द्वारा बने विधेयकों का ही न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। जबकि HC अपने सम्बन्धित राज्य विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि का ही न्यायिक पुनर्विलोकन करेगा।
    - ii. न्यायिक पुनर्विलोकन करने के लिए SC में कम-से-कम 7 तथा HC में कम-से-कम 5 न्यायधीशों की संवैधानिक पीठ बैठेगी।
    - iii. पीठ के 2/3 सदस्यों के निर्णय से ही किसी विधि को असंवैधानिक घोषित किया जा सकेगा।

3. चौथा चरण (1950 से 1966 तक)- इस काल खण्ड में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन के मामलों में यह निश्चित हो गया था कि यह न्यायिक समीक्षा संविधान के मूल ढाचें में शामिल है।

- ☞ 43वें CAA 1977, जब 1977 ई० में जनता पार्टी की सरकार बनी तो न्यायिक पुनर्विलोकन पर लगाये गये उपर्युक्त तीनों प्रतिबंधों को संसद में बिल लाकर हटा दिया गया।
- ☞ ''मिनर्वा मिल्स मामला 1980'' में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि न्यायिक पुर्नर्विलोकन संविधान के मूल ढांचे में शामिल है।
- ☞ 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद मामले में कहा गया था कि 9वीं अनुसूची में डाले गये किसी मामले की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय नहीं कर सकता है।
- ☞ परन्तु ''वामन राव 1981'' के मामले में स्पष्ट कर दिया गया कि यदि 9वीं अनुसूची में डाले गये किसी विषय द्वारा संविधान के मूल ढ़ाचे को प्रभावित किया जा रहा है तो उसका न्यायिक पुर्नर्विलोकन किया जा सकेगा।
- ☞ ''एल० चन्द्रकुमार 1997'' के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि न्यायिक पुर्नर्विलोकन संविधान का अभिन्न भाग है।
- ☞ अगर कोई भी विधि संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित करेगी तो वह उस सीमा तक शून्य होगी जिस सीमा तक संविधान का पालन नहीं करती है।

सर्वोच्च न्यायालय की अन्य शक्तियाँ तथा अधिकारिताएं-

1. अनु० 135 संघीय न्यायालय की शक्तियाँ ।
2. अनु० 137 SC अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा उस सुधारने की शक्तियाँ रखता है।
3. अनु० 139 (क) मामलों का स्थानांतरण करने की शक्ति।
4. अनु० 141
    - ❑ सर्वोच्च न्यायालय चूंकि एक अभिलेख न्यायालय है, इसलिए इसके दिये फैसले इसके नीचे की सभी अदालतों में लागू कराने की बाध्यता होना।
    - ❑ SC का Verdict (जब कोई 2 या 2 से अधिक जजों की बैंच कोई फैसला सुनाती है) सम्पूर्ण भारत पर लागू होगा।
5. अनु० 142 पूर्ण न्याय कराने की शक्ति।
6. अनु० 144 न्यायिक अधीक्षण की शक्ति।
7. अनु० 145 सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्धित नियम बनाने की शक्ति।

8. निर्वाचन विवाद से जुड़ी शक्ति।

9. आचरण को जाँचने की शक्ति।

☞ संसद द्वारा आवश्यकतानुसार SC की शक्तियों में निम्न अनुच्छेदों के द्वारा बढ़ोत्तरी की जा सकती है।

- ❑ अनु० 134 (2) संसद SC की अपीलीय अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है।
- ❑ अनु० 138 संसद द्वारा संघ सूची के विषय में अधिकारिता में वृद्धि।
- ❑ अनु० 139 रिट अधिकारिता में वृद्धि।
- ❑ अनु० 140 आनुषंगिक अधिकारिता में वृद्धि।

☞ संसद द्वारा किसी भी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता में कमी नहीं कर सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान मामले

☞ मास्टर ऑफ रोस्टर : मामलों की सुनवाई के लिये पीठों का गठन करना मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को संदर्भित करता है।

☞ न्यायिक प्रशासन पर मुख्य न्यायाधीश की पूर्ण शक्ति को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में विवाद खड़ा हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कहा है कि मुख्य न्यायाधीश रोस्टर का मास्टर होता है।

☞ वह अकेले ही न्यायालय की पीठों का गठन करने और गठित की गई पीठों को मामले आवंटित करने का विशेषाधिकार रखता है।

☞ भारत के मुख्य न्यायाधीश हों या किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हों, वे प्रशासनिक पक्ष के प्रमुख हैं। इसमें न्यायाधीश के समक्ष मामलों का आवंटन भी शामिल है।

☞ अत: जब तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मामलों का आवंटन नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी न्यायाधीश स्वत: मामले नहीं ले सकता है।

☞ **अनु० 323**

- ❑ प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT- Central Administrative Tribunal)
- ❑ CAT सरकारी कर्मचारियों के लिए न्याय दिलाने का कार्य करता है।
- ❑ CAT की स्थापना 1 नवंबर, 1985 हुई।

☞ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की सेवानिवृत्त के बाद किसी भी न्यायालय में अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष जाकर बतौर विधि व्यवशायी (वकील), वकालत पर रोक लगा दी जाती है।

☞ अपवाद – अगर सर्वोच्च न्यायालय के कोरम पूर्ति न होने की स्थिति में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से गर सर्वोच्च न्यायालय के कोरम न होने की स्थिति में सेवानिवृत्त न्यायधीशों से आकर बतौर न्यायाधीश सेवा देने हेतु लिखित आग्रह किया जा सकता है। इस तरह कार्य करने वाले न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश (अनुच्छेद 127) कहा जाता है।

☞ पेंशन के तौर पर न्यायाधीश को अपने आखिरी वेतन के 50% के बराबर धनराशि भारत की संचित निधि से सुनिश्चित होती है।

☞ दूरसंचार विवाद समाधान एवं अपील अधिकरण (TDSAT- Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal) के द्वारा दिये गये किसी भी फैसले के विरुद्ध केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है।

●●●

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

क्रम	अनु0	विवरण
1.	32	▪ SC को मूल अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। क्योंकि मूल अधिकारों के हनन पर यह 5 रिट जारी करता है। ▪ जिस कारण **अनुच्छेद 32** को संवैधानिक उपचारों का उपचार कहा जाता है।
2.	124	भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) का गठन तथा स्थापना।
3.	124 (1)	▪ भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय जिसका स्वरूप संघीय, एकात्मक तथा एकीकृत होगा। ▪ भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना **भारत शासन अधिनियम** 1935 के द्वारा 28 **जनवरी** 1950 ई0 को **नई दिल्ली** में की गयी थी।
4.	124 (2)	▪ **नियुक्ति**– SC तथा HC के न्यायधीशों की नियुक्तियाँ करने का तरीका। ▪ **कार्यकाल**– संविधान ने SC के न्यायधीशों का अधिकतम कार्यकाल 65 **वर्ष** तय किया है।
5.	124 (3)	SC के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति हेतु आवश्यक **योग्यताएँ** निश्चित की गयी है।
6.	124 (4)	**राष्ट्रपति** के आदेश से SC के न्यायाधीश को पद से "महाभियोग जैसी प्रक्रिया" द्वारा हटाया जा सकता है। लोकसभा में 100 तथा राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर से ही यह प्रस्ताव 14 दिन पूर्व नोटिस के साथ आरम्भ हो सकेगा।
7.	124 (5)	संसद विधि द्वारा SC के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिये प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है।
8.	124 (6)	SC के लिये नियुक्त न्यायाधीश को **राष्ट्रपति** द्वारा **शपथ** दिलाई जाती है।
9.	125 (1)	SC के न्यायधीशों के वेतन, भत्ते, अवकाश और पेंशन आदि समय-2 पर **भारतीय संसद** द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। जो भारत की संचित निधि पर भारित होते है।
10.	126	राष्ट्रपति भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में SC के किसी कार्यरत न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है।
11.	127	SC में HC से तदर्थ न्यायधीशों की नियुक्ति व HC भी अपने लोअर कोर्ट से तदर्थ न्यायधीशों की नियुक्ति कर सकेगा।
12.	128	CJI किसी भी समय SC या HC के सेवानिवृत न्यायाधीश को SC के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लिखित अनुरोध कर सकता है।
13.	129	▪ SC एक अभिलेख न्यायालय है। (इसका फैसला एक कानून होगा जो सम्पूर्ण भारत पर लागू किया जाएगा) ▪ SC अपनी अवमानना के मामले में 6 माह तथा 2000 रुपये का आर्थिक दण्ड या दोनों दे सकता है।
14.	130	SC का स्थान, संविधान **दिल्ली** को सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित करता है।
15.	131	राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो पॉवर है। एक **संघीय न्यायालय** के रूप में SC भारतीय संघ की विभिन्न इकाइयों के बीच मूल अधिकारिता के तहत **तीन** मामलों (केन्द्र, राज्यों से सम्बन्धित विवादों) की सुनवाई करके फैसला करता है।
16.	132	संवैधानिक मामलों में अपील। (Appeal on Constitutional Matter)
17.	133	दीवानी / सिविल के मामलों में अपील। (Appeal on Civil Matter)
18.	134	आपराधिक / फौजदारी के मामलों में अपील। (Appeal on Criminal Matter)
19.	134 (2)	संविधान **संसद** को शक्ति देता है कि SC की अधिकारिता को **बढ़ा** सके।
20.	135	संघीय न्यायालय की शक्तियाँ। (स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले कार्यरत संघीय न्यायालय की सभी शक्तियाँ **स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय** की स्थापना के साथ ही स्थानांतरित कर दी गई थीं)
21.	136	विशेष अनुमति द्वारा अपील। (Appeal on Special Leave Matter)
22.	136 (2)	**आर्म्ड फोर्सेस** (Armed Forces) से सम्बन्धित मामलों में गठित न्यायालय द्वारा सुनाये गये फैसले के विरुद्ध कोई अपील दाखिल **नहीं** की जा सकती है।
23.	137	SC को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा उन्हें सुधारने की शक्तियाँ होती हैं। (Judicial Review–**न्यायिक समीक्षा**)
24.	138	SC के अधिकारिता की शक्तियों को बढ़ाने की संसद की शक्तियाँ।
25.	139 (1)	मुकदमों के स्थानान्तरण का अधिकार। (एक HC से दूसरे HC में किसी भी मामले को SC स्थानान्तरित कर सकता है।
26.	141	SC के फैसलों का सम्पूर्ण भारत में आबाध्यकारी होना। SC संविधान का सर्वोच्च **व्याख्यता** है।
27.	142	विवेचनात्मक शक्तियाँ तथा अपने फैसलों को मनवाने की शक्तियाँ।
28.	143 (1)	संविधान राष्ट्रपति को **दो श्रेणियों** के मामलों में SC से **राय लेने** की शक्ति देता है।
29.	143 (2)	यदि कोई विषय अनु0 131 के परंतुक में लिखा गया है कि इस संविधान के लागू होने से पहले की किसी संधि, करार, सनद में वर्णित किसी विषय के सम्बन्ध में राष्ट्रपति SC से सलाह माँग सकता है।
30.	144	न्यायिक अधीक्षण की शक्ति। (सभी सिविल अधिकारी तथा सिविल के न्यायालय SC की सहायता करने हेतु बाध्यकारी होंगे)
31.	145	SC को अपने कार्यों के संचालन हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गयी हैं।
32.	146	SC के सभी खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होंगे।
33.	147	SC को अपना समस्त स्टाफ (एक **माली** से लेकर **न्यायाधीश** तक) नियुक्ति करने की शक्तियाँ प्रदान की गयी है।

उच्च न्यायालय

(भाग - 6, अध्याय - 5, अनु० - 214 से 232 तक)

- "भारत HC अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में HC की स्थापना की गई एवं कलकत्ता, मद्रास और बंबई में सर्वोच्च न्यायालयों को तथा प्रेसीडेंसी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया।
- इन उच्च न्यायालयों को "भारत सरकार अधिनियम 1935" के तहत भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना तक सभी मामलों के लिये सर्वोच्च न्यायालय होने का गौरव प्राप्त था।
- अनु० 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय (High Court) स्थापित होगा। परन्तु स्वतंत्रता के कुछ समय बाद 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा पृथक् उच्च न्यायालय की बात को हटा दिया गया है। तथा अनुच्छेद 230, 231, 232 में बदलाव किया गया।
- अनु० 231
  - संसद को यह अधिकार होगा कि, वह किसी भी एक या एक से अधिक राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेश के लिए एक ही शामिल उच्च न्यायालय को अपनी सेवा देने के लिए नियुक्त कर सकता है।
  - राष्ट्रपति जब अनु० 231 के तहत ऐसा करेगा तो उन सभी सम्बन्धित राज्यों से सलाह लेगा, जिनके लिए एक सम्मिलित उच्च न्यायालय द्वारा सेवाएं प्रदान की जायेंगी।
  - भारत में कुल ऐसे कितने न्यायालय है जो एक से अधिक राज्यों को अपनी सेवा प्रदान करते हैं? -7
- अनु० 230 संसद को यह अधिकार है कि, वह किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के लिए आवंटित HC की अधिकारिता को बढ़ा सकेगा तथा उसे किसी अन्य संघ राज्य क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार भी सौंप सकेगा।
- अनु० 216 उच्च न्यायालय का गठन।
  - प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश तथा आवश्यकतानुसार अन्य न्यायाधीश होंगे। न्यायधीशों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या को भारत के राष्ट्पति निश्चित करते हैं।
- अनु० 217 HC के न्यायाधीश की नियुक्ति (कोलेजियम प्रणाली) 1998 के राष्ट्रपतिय संदर्भ सिद्धान्त।
  - SC का मुख्य न्यायाधीश + SC के 02 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश + HC का मुख्य न्यायाधीश
  - HC के 03 वरिष्ठतम न्यायाधीश की समिति मिलकर एक सुझाव गवर्नर को भेजते हैं।
  - तब गवर्नर इस सुझाव को राष्ट्रपति के पास भेजता है। जिसके अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ये एक 09 सदस्यी मण्डल द्वारा नियुक्त होते हैं।
- अनु० 217 (2) HC के न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु योग्यताएँ।
  - भारत का नागरिक हो।
  - कम से कम 10 वर्षो की उच्च न्यायालय में बतौर वकील अपनी सेवाऐं दे चुका हो।
  - कम से कम 10 वर्ष का न्यायियक पद पर रहकर कार्य में अनुभव हो।
  - राष्ट्रपति की नजर में कानून का विशेष ज्ञाता हो।
- अनु० 219 न्यायधीशों द्वारा शपथ ग्रहण।
  - उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश को अपने पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल के समक्ष अपने पद की गोपनीयता, गरिमा, कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी की शपथ लेनी पड़ती है।
- अनु० 221 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को मिलने वाला वेतन, भत्ता।
  - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश - 2.5 लाख रुपये
  - उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश - 2.25 लाख रुपये
  - उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को वेतन राज्य सरकार की संचित निधि तथा पेंशन अन्तिम माह के वेतन का आधा केन्द्र सरकार की संचित निधि से दिया जाता है।
- अनु० 222 न्यायधीशों का स्थानान्तरण।
  - इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति, CJI से परामर्श के बाद एक HC के न्यायधीशों को दूसरे ध्ब में स्थांनातरित कर सकता है। मूल स्थान से स्थानान्तरित होने पर उसका पद रिक्त हो जाता है।
  - कोई न्यायाधीश मूल उच्च न्यायालय से दूसरी जगह स्थानान्तरित किया गया होतो वह जितने समय के लिए दूसरी जगह सेवारत रहेगा उसे क्षतिपूरक भत्ता (Compensatory Allowance) दिया जाएगा।
- कार्यकाल- न्यायाधीश के रुप में अधिकतम 62 वर्ष की उम्र तक कार्यरत रह सकते हैं। (15वाँ CAA 1963 के द्वारा) जबकि न्यूनतम उम्र का कोई बॉउन्डेशन नहीं दिया गया है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice)

- अनु० 223 के अनुसार राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है जब:-
  - मुख्य न्यायाधीश (CJ) का पद रिक्त हो।
  - अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो।
  - मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ हो।
- अब CJ की अनुपस्थिति में स्वत: ही सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश उसका स्थान पर कार्य करता है।

तदर्थ न्यायाधीश (Ad hoe Judges)

- ☞ अनु० 224 के अनुसार जब उच्च न्यायालय में कार्य - वृद्धि होने पर या बहुत ज्यादा कार्य बकाया होने की स्थिति हो तथा राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि कुछ समय के लिए न्यायधीशों की कमी की पूर्ति हेतु एक अस्थायी अवधि के लिये किसी निम्नतर न्यायालय के न्यायाधीश को (जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो) तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उस उच्च न्यायालय में नियुक्ति कर सकता है, जो 2 साल से अधिक अवधि तक कार्यरत नहीं रहेगा।
- ☞ नियुक्ति प्रक्रिया राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बाद ही आरम्भ की जा सकती है।
- ☞ जिसे न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो।
- ☞ तदर्थ न्यायाधीश का यह दायित्व है कि वह अपने अन्य दायित्वों की तुलना में उच्च न्यायालय की बैठकों में भाग लेने को अधिक वरीयता दे। तदर्थ न्यायाधीश के तौर पर उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सभी वेतन, भत्ते, अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं।

सेवानिवृत्त न्यायाधीश / पदों की रिक्तता होने पर

- ☞ अनु० 224(क) के अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश (CJ) किसी भी समय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या निम्नतर न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायधीशों (जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के योग्य है) से लिखित अनुरोध कर सकता है कि वह अस्थायी अवधि के लिये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करें।
- ☞ ऐसा नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति एवं राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होने पर ही किया जा सकता है।
  - i. ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित भत्ते प्राप्त करने के योग्य होता है।
  - ii. परन्तु यह निश्चित नहीं है कि वह वर्तमान न्यायधीशों के बराबर ही वेतन प्राप्त करती है।
- ☞ वह उच्च न्यायालय के अन्य न्यायधीशों की तरह न्यायनिर्णयन, शक्ति एवं विशेषाधिकारों को प्राप्त करेगा किंतु वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। इन्हीं दो कारण से यह तदर्थ न्यायाधीश से अलग है।

पद की रिक्तता होने की स्थिति

- i. कार्यकाल पूर्ण हो गया हो अर्थात 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- ii. मृत्यु कारित होने के कारण।
- iii. महाभियोग जैसी प्रक्रिया पूर्ण होने पर।
- iv. अगर कोई भी न्यायाधीश अपना त्याग-पत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है।

महाभियोग जैसी प्रक्रिया (Process like as Impeachment)

- ☞ अनु० 124 (4) के अनुसार SC के मुख्य न्यायाधीश या किसी अन्य न्यायधीशों के विरुद्ध लायी जाने वाली "महाभियोग के जैसी प्रक्रिया" के ठीक समान ही होती है।
- ☞ अभी तक उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीश श्री सौमित्र सेन तथा श्री पी० डी० दिनाकरन के विरुद्ध महाभियोग के जैसी प्रक्रिया को आरम्भ किया गया था, परन्तु प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व ही दोनों ही जजों द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया था।
- ☞ **अनु० 226**
  - ❑ कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकारों के हनन के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय जा सकता है।
  - ❑ अत: इसे मूल अधिकारों का गारन्टर भी कहा जाता है।
- ☞ संवैधानिक बिधि से सम्बन्धित नियमों की व्याख्या तथा न्यायिक समीक्षा का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है।
- ☞ इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य मामले में, राज्यों से सम्बन्धित मामलों में यदि अधीनस्थ न्यायालय में Question of Law (विधि का सारवान प्रश्न) उत्पन्न होगा, तो HC इसकी व्याख्या कर सकता है। जैसे - MV Act कोई संवैधानिक विधि नहीं थीं। यह एक सांविधिक कानून है, ऐसी स्थिति में

उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं कार्य

- ☞ HC के पास कुछ मामलों में सीधी सुनवाई व फैसले का अधिकार है इसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते है।
- ☞ जब किसी न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सुनवाई HC में होती है उसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कहते है।
- ☞ उच्च न्यायालय अपील करने का न्यायालय है।
- ☞ निचले स्तर के न्यायालयों के फैसले के विरुद्ध सिविल व फौजदारी मामलें HC में लाये जा सकते है।
- ☞ संविधान के अनुच्छेद 225 के अनुसार उच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कर्तव्यो को निम्नांकित बिंदुओ में विभाजित किया जा सकता है।

1. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार

उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में विषयों से संबंधित निम्न विवाद आते हैं।

i. विधि के समक्ष सारवान प्रश्न से संबंधित विवाद-

- ❑ किसी अधीनस्थ अदालत में विधि के समक्ष सारवान प्रश्न आयेगा तो इसकी व्याख्या HC करेगा।

ii. मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद-

- अनुच्छेद 226 द्वारा उच्च न्यायालय को नागरिको के मौलिक अधिकारो की रक्षा के साथ-साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। जबकि SC केवल मूल अधिकारों के हनन के मामलों में ही रिट जारी कर सकता है।

1. बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख
2. परमादेश लेख
3. प्रतिशेध लेख
4. उत्प्रेषण लेख
5. अधिकार पृच्छालेख पाँच रिट जारी करके नागरिको के मौलिक अधिकारो की रक्षा करेगा।

iii. अन्य विषयों से संबंधित विवाद- इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय वसीयत, विवाह विच्छेद, विधि कंपनी कानून व न्यायालय की अवमानना आदि से संबंधित विवादों को सुनता है।

iv. चुनाव याचिकाओं से संबंधित विवाद-

- उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी संसद सदस्य या विधायक के चुनाव विरुद्ध की गयी याचिका पर सुनवाई कर सकता है।
- उच्च न्यायालय यदि पाता है कि उस संसद सदस्य या विधायक ने भ्रष्ट प्रकार से चुनाव जीता है तो वह उस चुनाव को रद्द कर सकता है।
- जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी के चुनाव को इलाहाबाद HC ने अवैध करार देने के दूसरे दिन रात 1:30 बजे तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल ''आंत्रिक अशांति बात करष लगा दिया गया था।

v. चार उच्च न्यायालयों (कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली) के पास उच्च राशि के सिविल मामलों के सम्बन्ध में भी मूल अधिकारिता है।

vi. 1973 से पहले कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली उच्च न्यायालयों के पास आपराधिक मामलों में भी आरम्भिक अधिकारिता थीं, किंतु "आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973'' (CrPC) के द्वारा इसे अधिकारिता को समाप्त कर दिया।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार

☞ उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपीले सुनने का अधिकार है।

i. दीवानी अपील- दीवानी अभियोगों में पाँच हजार रुपये से अधिक और कुछ दशाओं में बीस हजार रुपये । से अधिक की धनराशि से संबंधित अभियोगों में जिला न्यायधीशों द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है।

ii. फौजदारी

क. यदि सत्र न्यायाधीश ने किसी अपराधी को मत्युदंड दिया हो तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए। तब मामला स्वत: ही सम्बन्धित उच्च न्यायालय जाएगा।

ख. यदि निचली न्यायालय ने किसी अपराधी को 4 वर्ष या इससे अधिक की सजा दी हो तो उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। (Optional है।)

ग. किसी प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है।

iii. अन्य अपील- बिक्रीकर, आयकर, शासकीय कर, भूमि प्राप्ति, उत्तराधिकारी, दिवालियापन, पेटेण्ट व डिजाइन आदि विषयों से संबंधित निर्णयों तथा श्रम न्यायालयो, राजस्व न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय को न्यायिक पुर्नाविलोकन की शक्ति प्राप्त है।

3. प्रशासनिक क्षेत्राधिकार या अधीक्षण संबंधी अधिकारिता

☞ संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार HC को न्याय संबंधी अधिकारों के अलावा निम्नाकि प्रशासकीय अधिकार प्राप्त है। जिसके द्वारा वह अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है।

i. वह अपने अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली से संबंधित नियम बना सकता है।

ii. अधीनस्थ न्यायालयों में अभिलेख रखने हेतु नियम बना सकता है।

iii. उनके आवश्यक कागजातों को मँगाकर जाँच कर सकता है।

iv. वह जिला न्यायधीशों की नियुक्ति, पदावनति, पदोन्नति, अवकाश से संबंधित नियम बना सकता है। वह किसी विवाद को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है।

v. अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण कर सकता है।

4. अनु० 215 अभिलेख न्यायालय।

☞ इस न्यायलय का आदेश सम्बन्धित उच्च न्यायालय की अधिकार क्षेत्र के लिए एक कानून होगा। अर्थात उच्च न्यायालयों के फैसलों को भी शाश्वत स्मृति (Enternal Memory) में रखा जाता है। ताकि इनका प्रयोग पूर्व उदाहरणों के रूप में किया जा सके।

☞ उच्च न्यायालय के पास अपनी अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार है, यह सजा 6 माह का सामान्य कारावास या 2000 रुपये तक का आर्थिक दंड अथवा दोनों हो सकती है । अन्तिम बार

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

उच्च न्यायालय की अन्य शक्तियाँ तथा अधिकारिताएँ

1. अनु० 215 उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना पर दण्ड देने की शक्तियाँ।
2. अनु० 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति।
3. न्यायधीशों की नियुक्ति।
4. कार्यकाल की सुरक्षा (अपवाद- पद रिक्तता की स्थितियों को छोड़कर)
5. वेतन आदि का सुरक्षा (अपवाद- वित्तीय आपातकाल की स्थिति को छोड़कर)
6. आचरण पर बहस न करने की शक्ति (अपवाद - महाभियोग जैसी प्रक्रिया को छोड़कर)
7. कार्यपालिका के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता।
8. अनु० 220 के तहत उच्च न्यायालय के स्थाई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी अन्य उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी न्यायालय तथा प्राधिकारी के समक्ष जाकर बतौर विधि व्यवशायी (अधिवक्ता) के रूप में बहस कर सकते है।

☞ 01.01.2019 से तेलंगाना राज्य के लिए आन्ध्र प्रदेश के हैदराबाद उच्च न्यायालय में से अलग करके एक नया HC स्थापित किया गया है। अभी तक हैदराबाद सम्मिलित उच्च न्यायालय था।

☞ अब आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए 01.01.2019 से हैदराबाद के स्थान पर अमराबती में कार्यरत होगा।

☞ HC में सर्वाधिक जजों की संख्या अनिश्चित है। सर्वाधिक जजों की संख्या इलाहाबाद HC में 160 है।

- अतः वर्तमान समय में भारत में कुल निम्नलिखित 25 उच्च न्यायालय कार्यरत है।

क्रम	हाईकोर्ट का नाम	स्थापना	सेवारत राज्यों के नाम	स्थायी जज (Permanent)	अतिरिक्त (Additional)	कुल जज (Total)	खण्डपीठ
1.	कलकत्ता	01.07.1862	पश्चिम बंगाल, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	54	18	72	पोर्टब्लेयर
2.	मुम्बई	14.08.1862	महाराष्ट्र, गोवा, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली	71	23	94	नागपर, पणजी, औरंगाबाद
3.	मद्रास	15.08.1862	तमिलनाडु, पुडुच्चेरी	56	19	75	मदुरै
4.	इलाहाबाद	17.03.1866	उत्तर प्रदेश	120	40	160	लखनऊ
5.	बंगलूरु	1884	कर्नाटक	47	15	62	-
6.	पटना	09.02.1916	बिहार	40	13	53	-
7.	श्रीनगर	26.03.1928	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	13	04	17	जम्मू
8.	भोपाल	02.01.1936	मध्य प्रदेश (01.11.1956)	40	13	53	ग्वालियर, इन्दौर
9.	कटक	26.07.1948	ओडिसा	20	7	27	-
10.	गुवाहटी	05.04.1948	असम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड	18	06	24	कोहिमा, आइजोल, इटानगर
11.	जोधपुर	29.08.1949	राजस्थान	38	12	50	जयपुर
12.	हैदराबाद	05.11.1954	आन्ध्र प्रदेश	28	09	37	-
13.	केरल	01.11.1956	केरल, लक्षद्वीप समूह	35	12	47	-
14.	अहमदाबाद	1960	गुजरात	39	13	52	
15.	दिल्ली	31.10.1966	दिल्ली	45	15	60	-
16.	पंजाब, हरियाणा	01.11.1966	चण्डीगढ़, पंजाब, हरियाणा	64	21	75	-
17.	शिमला	1971	हिमाचल प्रदेश	10	03	13	-
18.	गंगटोक	16.05.1975	सिक्किम	03	00	03	-
19.	बिलासपुर	01.09.2000	छत्तीसगढ़	17	05	22	-
20.	नैनीताल	05.11.2000	उत्तराखण्ड	09	02	11	-
21.	राँची	09.11.2000	झारखण्ड	19	06	25	-
22.	त्रिपुरा	25.03.2103	त्रिपुरा	04	00	04	-
23.	मणिपुर	25.03.2013	मणिपुर	04	01	05	-
24.	मेघालय	25.03.2103	मेघालय	03	01	04	-
25.	तेलंगाना	01.01.2019	तेलंगाना	18	06	24	-

अधीनस्थ न्यायालय (Subordiante Court)

भाग-6, अनु. 233 से 237 तक)

- भारतीय संविधान के भाग-6 में अनु. 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है, जो उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं तथा इनका गठन **राज्य अधिनियम कानून** के द्वारा होता है।
- 1973 में CrPC लागू किया गया था, तब से सभी आपराधिक मामलों की सुनवाई की शुरूआत अब लोअर कोर्ट में की जानी आरम्भ हो गई है। उससे पहले केवल HC में किया जाता था।
- HC के नीचे जिला आदालतें और उसकी अधीनस्थ अदालतें हैं। विभिनन राज्यों में इनके अलग-अलग नाम और अलग-अलग दर्जे हैं लेकिन व्यापक परिप्रेक्ष्य में इनके संगठनात्मक ढांचे में समानता है।
- सभी अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायाल के अधीन एवं उसके निर्देशानुसार जिला और निम्न स्तरों पर कार्य करते हैं। जिलों के न्यायिक प्रशासन में ''जिला एवं सत्र न्यायालय'' की स्थिति शीर्ष पर होती है।
- राष्ट्र की न्यायपालिका में एक उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों का एक सोपानक्रम (Hierachy) होता है। जो निम्नवत होता है।

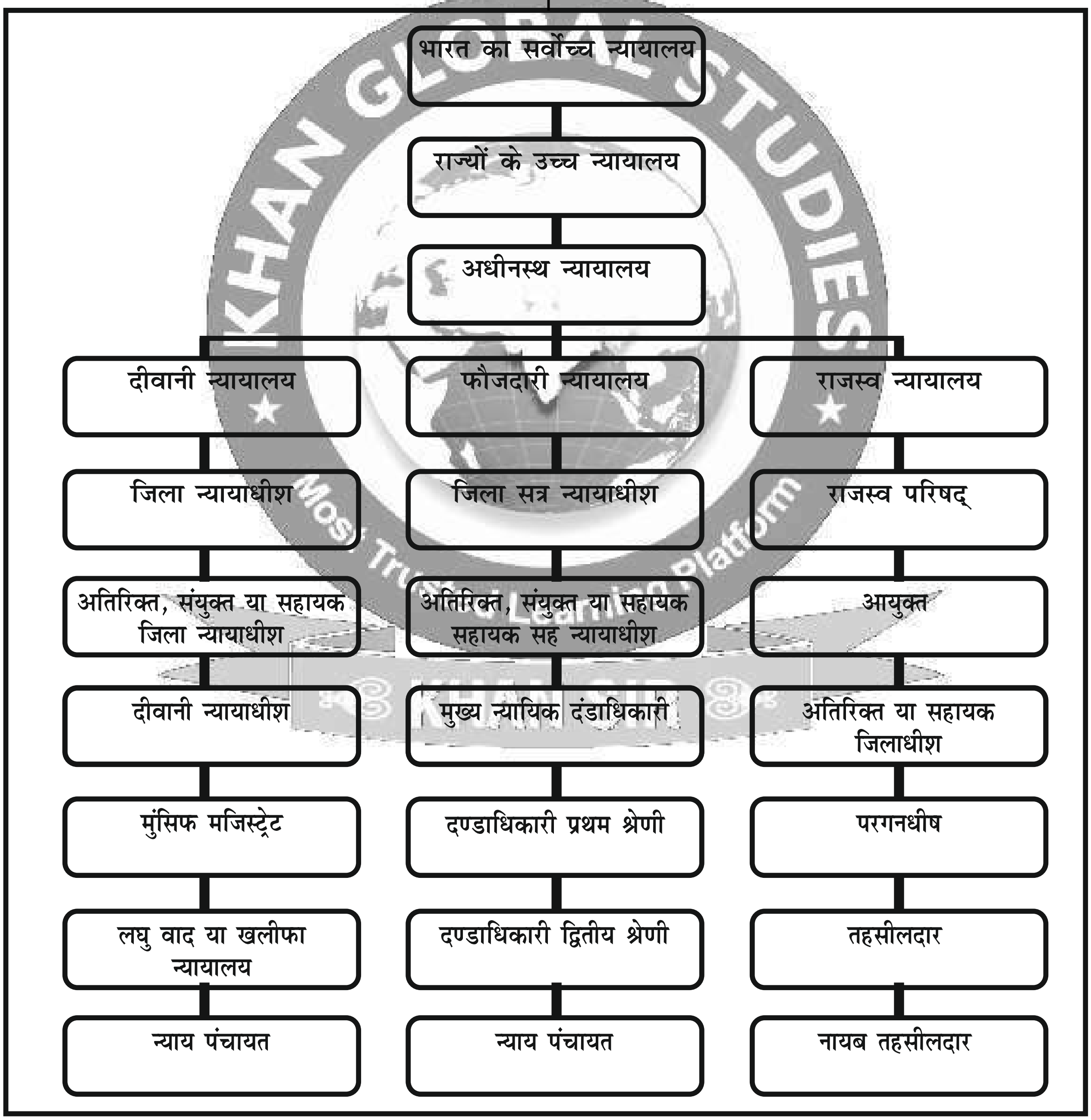

जिला एवं न्यायालय (District or Session Court)			
क्रम.	**विशेषताएँ**	**दीवानी पक्ष (Civil Court)**	**आपराधिक पक्ष (Criminal Court)**
1.	अनुच्छेद	234	235
2.	मुख्य अधिकारिता	केवल दीवानी के मामलों (Civil Cases) में (CPC Civil Procedure Code) के तहत सुनवाई करता है।	केवल आपराधिक मामलों (Criminal Cases) में CrPC (Code of Criminal Procedure) के तहत कानूनी कार्यवाही करता है।
3.	जजों के कार्यों में अंतर	• वरिष्ठतम जज (S.J.) किसी भी व्यक्ति को जेल नहीं भेज सकता है, क्योंकि दीवानी के मामालों में केवल क्षतिपूर्ति (Commpensation) का प्रावधान होता है। • यह CPC पर आधारित किसी भी मामलों की सुनवाई करता है। • (जैसे- जमीनी विवाद/ सम्पत्ति के बंटवारें आदि संबंधित विवाद)	• जबकि CJM / S.M. किसी आपराधिक मामलों में आवश्यक होने की दशा में अधिक मृत्युदण्ड या उम्रकेद तक की सजा देने का अधिकार रखता है। • यह I.P.C. (Indian Penal Code) या अन्य विधि के तहत ममालों की सुनवाई करके दोषसिद्धि के विषयों में अभियुक्त (Accused) को दण्डित करता है। • (जैसे-हत्या, बलात्कार, नरसंहार आदि)
4.	जिले का मुख्य न्यायिक अधिकारी	जिला जज (D.J. - District Judge) अधिकतम सजा-असीमित क्षतिपूर्ति आदेश।	सत्र न्यायाधीश (S.M — Session Magistrate), सजा- उम्रकैद/मृत्युदण्ड या असीमित जुर्माना।
5.	द्वितीय स्तर जज	वरिष्ठतम सिविल जल (Court of Senior Judge) अधिकतम वाद मूल्य-असीमित क्षतिपूर्ति।	मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी (Court of Chief Judicial), अधिकतम सजा- 7 साल या असीमित जुर्माना।
6.	तृतीय स्तर जज	प्रथम श्रेणी सिविल जज (First Class Civil) अधिकतम वाद मूल्य- असीमित।	प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी (First Class Judicial Magistrate) सजा- 3 साल या 5000 रु. तक
7.	चतुर्थ स्तर जज	मुन्सिफ कोर्ट या कनिष्ठ सिविल जज (Junior Civil Judge), अधिकतम वाद मूल्य-3 लाख	द्वितीय श्रेणी दण्डाधिकारी (Second Class Judicial Magistrate), सजा-1 साल या 1000 रुपये जुर्माना।
8.	संख्या	जिले में जिला जज एक तथा SJ कई होते हैं।	जिलें में सत्र न्यायाधीश एक तथा CJM कई होते हैं।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(District of Session Judge)

1. जिला न्यायाधीश की नियुक्ति

- Hierachy में उच्च न्यायालय के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश का स्थान होता है।
- प्रत्येक राज्य के हर जिले में एक जिला एवं सत्र न्यायाधीश होता है।
- जिला जज कितनी भी अधिक धनराशि (असीमित) के ममालों की सुनवाई कर सकता है, क्योंकि यह इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत कम मामला होता है।
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दीवानी (Civil) तथा फौजदारी (Criminal) दोनों ही मामलों में सुनवाई करने की मूल अधि कारिता है। एक एक ही व्यक्ति दो अलग-अलग पदों पर कार्यरत रहता है।
- अनु. 233 जिला न्याााधीश की नियुक्ति व पदोन्नति राज्यपाल, राजय के HC के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है, परन्तु राज्यपाल HC की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, परन्तु जिला जज की नियुक्ति हेतु उसका नाम सिफारिश किये गये में से ही होता है।
- जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए।

(i) वह केन्द्र या राजय सरकार में किसी सेवा में कार्यरत न हो।
(ii) उसे कम से कम सात वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो।
(iii) उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो।

- राज्यपाल, जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है, किन्तु वैसे व्यक्ति को, राज्य लोक सेवा आयोग और HC के परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जा सकेंगा।
- **अनु. 235** HC का जिला एवं सत्र न्यायालयों पर नियंत्रण।
- **अनु. 237** जिला एवं सत्र न्यायालयों के मामलों में राज्यपाल की विशिष्ट शक्तियाँ।

2. वेतन एवं भत्ते- ''राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग'' के अनुसार

- वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 2016 से वेतन निम्नवत होंगे।
  - ❑ जूनियर सिविल जज/फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसका आरंभ वेतन रु. 27,700 रुपए है, अब 77,840 रुपए होगा।
  - ❑ जिले के एक बरिष्ठतम सिविल जज के अगले उच्च पद के लिए वेतन 1,10,000 से शुरू होता है।
  - ❑ एक जिला न्यायाधीश के लिए 1,44,000 रुपए होगा।
  - ❑ एक जिला न्यायाधीश के लिए (एसटीएस-Selection Time Scale) को जो उच्चतम वेतन मिलेगा वह 2,24,100 रुपए है।
  - ❑ पेंशन के तौर पर अंतिम आहरित वेतन का 50% पेंशन की सिफारिश की है, जो एक जनवरी 2016 से प्रभावी होंगी।
  - ❑ नई पेंशन योजना (एनपीएस) को बंद करने की सिफारिश की गई है, जो 2004 के दौरान या उसके बाद सेवा में प्रवेश करने वालों के लिए लागू की जा रही है।

3. न्यायधीशों का कार्यकाल

- अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं।

4. न्यायधीशों को हटाना

- अधनीस्थ न्यायालय के न्यायधीशों को हटाने के लिए महाभियोग के रूप में कोई स्थापित प्रक्रिया नहीं है हालांकि, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा एक जिला न्यायालय के न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीशों को अपने कार्यालय से हटाया जा सकता है।

5. जिला एवं न्यायाधीश के कार्य एवं शक्तियाँ

- जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश (DJ-District Judge) होता है जिसे दीवानी व फौजदारी दोनों ही तरह के मामलों में मूल व अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
- इन दोनों पद पर एक समय में कार्यरत रहने वाला यह एक ही व्यक्ति दो भूमिकाओं में होता है।
- जिला न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं, तथा जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायाधीश (Session Judge) कहते हैं।
- जिला न्यायाधीश को न्यायिक व प्रशासनिक दोनों शक्तियाँ प्राप्त है, वह अपने धीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण भी करता है तथा किसी भी दोषी को उम्रकैद व मृत्यु दंड देने की अधिकारिता प्राप्त है, किन्तु मृत्यु दंड देने के मामलों में उच्च न्यायालय का अनुमोदन आवश्यक है तथा इस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायाल में अपील की जा सकती है।
- जिला न्यायालय कसे नीचे दीवानी मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय तथा सत्र न्यायाधीश से नीचे फौजदारी मामलों के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय होता है।
- अधीनस्थ न्यायालय को दीवानी मामलों के संदर्भ में व्यापक शक्ति प्राप्त है तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फौजदारी मामलों में अधिकतम 7 वर्ष की सजा दे सकता है।
- दीवानी मामलों के लिए सबसे निचले स्तर पर मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय होती हैं।

- मुंसिफ न्यायाधीशों, जिसका सीमित कार्य क्षेत्र होता है तथा छोटे दीवानी मामलों पर निर्णय देता है।
- जबकि फौजदारी मामलों पर सबसे निचले स्तर पर न्यायिक दंडाधिकरी का न्यायालय होता है, जो फौजदारी मामलों में अधिकतम 3 वर्ष की सजा दे सकता है।
- अधीनस्थ न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में किसी भी मामले को सुनने या खत्म करने की कोई भी शक्ति नहीं होती हैं।
- CJM / SJ या इनके निचले जजों की कोर्ट द्वारा सजा के विरुद्ध न्यायिक पुनर्विचार याचिका को सुनने का अधिकार जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश को होता है।

जिला एवं न्यायालय के अतिरिक्त जिलों के अन्य न्यायालय

1. फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC - Fast Track Court)

- एक 'विशेष अदालत' जो विशेष प्रकार के मामलों को एक संक्षिप्त और सरलीकृत प्रक्रिया के तहत निस्तारित करती है।
- 11वें वित्त आयोग ने निचली अदालतों में लंबित मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए जब धन मुहैया कराया तो कुल 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTCs) की स्थापना वर्ष 2000 में पहली बार की गई थी।
- शुरुआत में इन्हें बस 5 वर्षों (2000 - 2005) के लिए स्थापित किया गया था।
- पूर्व निर्धारित किया गया कि FTCs प्रत्येक माह 14 सत्र विचारण मामले तथा 20-25 आपराधिक या सिविल मामलों का निपटारा करेगी।
- करीब 2 लाख लोग जो छोटे-बड़े मामलों में जेल में निरुद्ध थे उनके 38.90 लाख मामलों को FTCs को सौंपा FTCs ने इनमें से करीब 32.34 लाख मुकदमों को 5 वर्षों में समाप्त कर दिया था।
- एक सफल प्रयोग के बावजूद भी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार इन्हें 2005 के बाद समाप्त करने की योजना बना रही थी, क्योंकि यह FTCs पर हो रहे खर्चों से संतुष्टि नहीं थी।
- ''बृजमोहन लाल बनाम भारत संघ 2002" के मामले में SC ने आदेशित किया कि FTCs को एक झटके में बंद करना न्योचित नहीं होगा। जिसके बाद UPA इन्हें 2010 तक बढ़ाने को राजी हो गयी। जिसके बाद इन्हें 2010 के बाद एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था।
- 31 मार्च 2011 की घोषणा के बाद अप्रैल, 2011 में काफी FTCs को बंद कर दिया गया था। कानून और न्याय मंत्रालय के अनुसार, मार्च 2019 के अंत तक देश भर में कुल 581 FTCs कार्यरत थे, जिनमें लगभग 5.9 लाख मामले लंबित थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले लम्बित हैं।
- अब ये FTCs केवल तदर्थ (Ad-hoc) आधार पर चल रही है।
- 56% राज्यों तथा UT जैसे कर्नाटक, मध्यमप्रदेश, गुजरात आदि राज्य हैं, जहाँ एक भी FTC नहीं है।
- अधीनस्थ न्यायालयों में 5000 से अधिक रिक्तियाँ हैं, अदालतों ने 22,036 स्वीकृत पदों में से मौजूदा आंकड़ा 5,133 बताया है।
- ''बृजमोहन लाल बनाम भारत संघ'' के मामले में SC ने 2012 में एक अन्य याचिका पर सुनवायी करते हुए FTCs को बंद करने की सरकार की योजना पर रोक लगान से सफल मना कर दिया ।
- परंतु अपने फैसले में अनु. 142 के तहत ''पूर्ण न्याय'' की शक्ति का प्रयोग करके SC कहा था कि भारत में कार्यरत कुल न्यायधीशों की 10% के बराबर FTCs सुचारू रूप से कार्यरत रहेंगे। (वर्तमान में 18000 जज भारत में कार्यरत है अर्थात लगभग 1800 FTCs चलती रहेंगी।
- नवीनतम 'नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड स्टैटिस्टिक्स' के अनुसार, अप्रैल 2018 तक, HC / SC / अधीनस्थ अदालतों में तीन करोड़ से अधिक मामले लंबित थे। फिर भी राज्य सरकारें कुछ FTCs की स्थापना कर रही हैं। जैसे- दिल्ली सरकार ने 2012 में 5 FTCs यौन उत्पीड़न के मामलों के लिए।
- राजस्थान सरकार ने कुछ FTCs भ्रूण हत्याओं के मामलों के लिए स्थापित की हैं।
- महिला और बाल विकास मंत्री ने राज्यसभा को सूचित किया कि सरकार ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामलों को निपटाने के लिए 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
- कुछ हफ्ते पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने एक सूओ मोटू याचिका में निर्देश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि POCSO अधिनियम के तहत 100 से अधिक मामले लंबित हैं, और इन मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतें गठित करने की जरूरत है।

विशेष आदालत और फास्ट ट्रैक कोर्ट के बीच अंतर-

- FTC लंबित मामलों के त्वरित निराकरण के लिए है। यदि कोई भी मामला अत्यधिक महत्व का है और यह आश्वस्त है कि आरोपी सबूतों को नष्ट कर देगा, या दूसरे पक्ष को परेशान करेगा जैसे दुष्मकर्म का मामला। तब सरकार मामले को किसी फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंप सकती है।
- किसी भी विशेष अदालत में एक निश्चित समय में मामले को स्थगित करने का कोई दबाव नहीं होता है इसलिए संभावना है कि विशेष अदालत में अधिक समय लग सकता है। विशेष अदालत अंतर्राष्ट्रीय विवादों, TADA, POTA, मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, राष्ट्रीय महत्व के आतंकवादी मामलों, सीबीआई अदालतों आदि से जुड़े असामान्य मामलों के लिए हैं।
- यह दोनों न्यायालय **ट्रायल कोर्ट** हैं, और इसके निर्णय की HC / SC में अपील की जा सकती है।

भारत में फास्ट ट्रैक अदालत (FTC) के लिए चुनौतियाँ-

- राज्यों में इन आदलतों द्वारा नियंत्रित मामलों के प्रकार में भारी भिन्नता है।
- इसके अलावा, कई FTC के पास पीड़ितों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए तकनीकी संसाधनों की कमी है और उनमें से कई के पास नियमित कर्मचारी भी नहीं है।
- FTC की माँग पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण दिलाना, न्यायसंगत तरीके से न्याय प्रदान करने और लंबित मामलों को कम करने के लिए FTC को पर्याप्त आधारभूत संरचना प्रदान हो।
- भारी कार्यभार, वित्तीय अड़चनें, निर्णयों को चुनौती देना, FTCs से संबंधित चिंताएँ, मौजूदा तंत्र के अनुकूलन और समस्याओं के समाधान के बिना न्यायधीशों की संख्या बढ़ाने से ऐच्छिक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।
- कुछ राज्यों द्वारा FTCs को बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित मामले सौंपे जाते हैं जबकि कुछ राज्यों द्वारा FTCs को अन्य मामले भी सौंपे जाते हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय की **कोर्ट न्यूज़** से मिले एक डाटा के अनुसार, कर्नाटक में वर्ष 2012 से 2017 के बीच जजों की संख्या में वृद्धि तो हुई किन्तु लंबित मामलों में कोई विशेष कमी देखने को नहीं मिली।

2. लोक अदालत

- लोक अदालत का गठन शीघ्र अथवा नि:शुल्क न्याय व्यवस्था की अवधारणा के अंतर्गत स्थापित किया गया, यदि किसी व्यक्ति द्वारा फीस का भुगतान कर दिया गया है तो लोक अदालत में मामला निपटने के बाद फीस लौटा दी जाएगी।
- लोक आदलत न्याय व्यवस्था का एक पुराना स्वरूप है जो कि प्राचीन भारत में भी प्रचलित था और उसकी वैधता आधुनिक युग में भी समाप्त नहीं हुई।

3. ग्राम न्यायालय

- न्याय को विकेंन्द्रीकृत कर जिससे गाँव तक न्याय आसानी तक पहुँच सके, केन्द्र सरकार द्वारा ''ग्राम न्यायालय अधिनियम-2008'' को मंजूरी से न्याय के विकेन्द्रीकरण की और सकारात्मक प्रयास किए।
- राज्य सरकारों द्वारा संबंधित HC से सलाह के बाद अपने यहाँ ग्राम न्यायालय का गठन कर सकती है, इसका उद्देश्य ग्राम स्तर के छोटे विवादों (दीवानी मामलों) को ग्राम स्तर पर ही सुलझना है।
- ग्राम न्यायालय के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे, इनकी स्थापना जिला व खंड स्तर पर की गयी है। जिससे न्यायाधीश ग्राम में ही अपनी कार्यवाही करेंगे जिसका खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगीं।
- ग्राम न्यायालय किसी अभियुक्त को उम्रकैद/मृत्युदंड या दो वर्ष से अधिक की सजा नहीं दे सकता है।
- Note : प्रथम ग्राम न्यायालय -2010 में **बस्ती** गाँव जयपुर (राजस्थान) में स्थापित किया गया।

4. राष्ट्रीय विधिक (कानूनी) सेवा प्राधिकरण

- भारतीय संविधान के अनु. 39(क) के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का यह दायित्व है कि सभी नागरिकों को समान अवसर के आधार पर न्याय प्राप्त हो इसलिए ''राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण'' स्थापित किए।
- जो अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST), महिलाओं, बच्चों, दिव्यांगों, देह व्यापार व प्राकृतिक आपदा से पीड़ित आदि किसी व्यक्ति को निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है।
- किन्तु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए वार्षिक वेतन 50,000 से कम तथा उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए वार्षिक वेतन 25,000 से कम होना चाहिए।

5. अधिकरण (Tribunals)

- अधिकरण या ट्रिब्यूनल एक अर्द्ध-न्यायिक संस्था (Quasi-Judicial Institution) है।
- जिसे प्रशासनिक या कर-संबंधी विवादों को हल करने के लिए स्थापित किया जाता है।
- यह विवादों के अधिनिर्णयन, संघर्षरत पक्षों के बीच अधिकारों के निर्धारण, प्रशासनिक निर्णयन, किसी विद्मान प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा जैसे विभिन्न कार्य करती है।
- **'ट्रिब्यूनल'** (Tribunal) शब्द **'ट्रिब्यून'** (Tribunes) से व्युत्पन्न हुआ है, जो रोमन राजशाही और गणराज्य के अंतर्गत एक अधिकारी था।
- यह (ट्रिब्यून) कुलीन मजिस्ट्रेटों की मनमानी कार्रवाई से नागरिकों की सुरक्षा करता था।
- सामान्य रूप से ट्रिब्यूनल का आशय ऐसे व्यक्ति या संस्था से हैं जिसके पास दावों व विवादों पर निर्णयन, अधिनिर्णयन या निर्धारण का प्राधिकरण होता है, भले इसके नामकरण में ट्रिब्यूनल शब्द शामिल हो या न हो।

अधिकरण की आवश्यकता क्यों?

- न्यायालयों के कार्यभार को कम करने, निर्णयन में तेजी लाने और एक ऐसे मंच का निर्माण करने हेतु जहाँ अधिक्ताओं और विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाया जा सके।
- अधिकरण न्याय तंत्र में एक महत्पूर्ण और विशिष्ट भूमिका निभाते हैं। वे लंबित मामलों के बोझ से दबे न्यायालयों के बोझ को कम करने हेतु पर्यावरण, सशस्त्र बलों, कराधान और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विवादों की सुनवाई करते हैं।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

संवैधानिक प्रावधान

- अधिकरण संबंधी प्रावधान मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें भारतीय संविधान में 42वें CAA, 1976 द्वारा भाग 14(क) के अनुच्छेद 324(क) तथा 323(ख) को जोड़कर शामिल किया गया।

(i) अनु. 323(क) प्रशासनिक अधिकरणों से संबंधित है। जैसे-CAT, SA, JAT etc

(ii) अनु. 323(ख) अन्य मामलों के लिये अधिकरणों से संबंधित है।

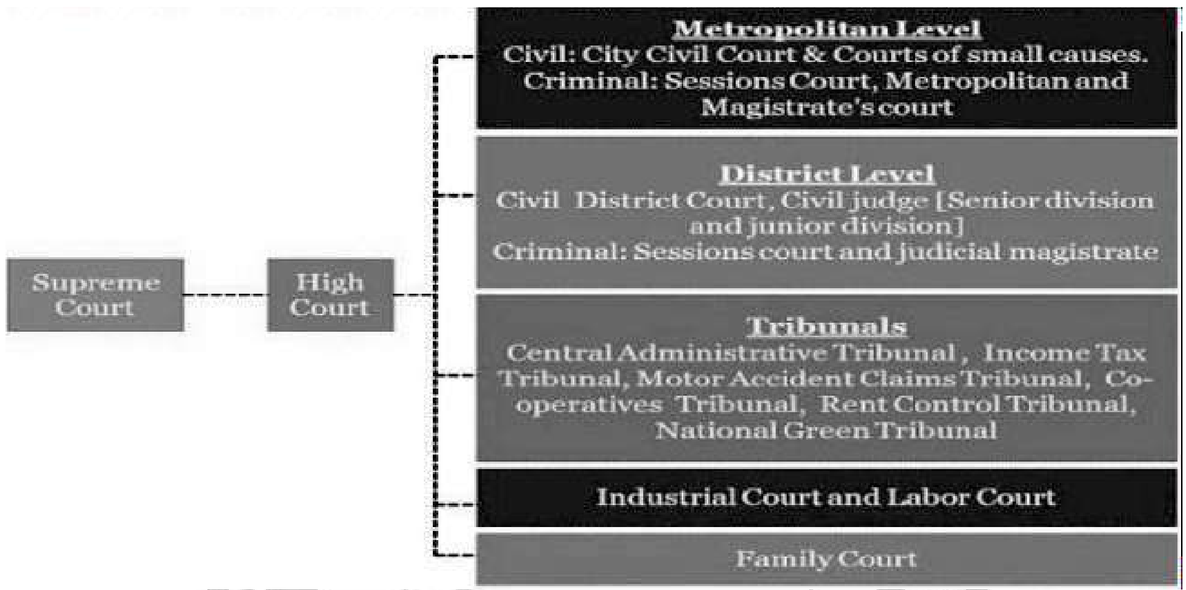

- **अनु. 323(ख)** के तहत संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में से कोई भी निम्नलिखित विषयों से संबंधित विवादों के अधिनिर्णयन के लिये अधिकरणों की स्थापना कर सकते हैं।
  - ❑ कराधान, विदेश मुद्रा, आयात व निर्यात, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, भूमि सुधार।
  - ❑ नगर संपत्ति की अधिकतम सीमा, संसद और राज्य विधानमंडलों के लिये निर्वाचन।
  - ❑ खाद्य सामग्री, किराया और किराएदारी अधिकार।
- अनुच्छेद 323(क) और 323(ख) निम्नलिखित तीन पहलुओं में एक-दूसरे से भिन्न हैं।
  - ❑ अनु. 323(क) केवल लोक सेवाओं से संबंधित विषयों में अधिकरणों की स्थापना का उपबंध करता है, जबकि अनुच्छेद 323(ख) कुछ अन्य विषयों के संबंध में अधिकरणों की स्थापना का उपबंध करता है।
  - ❑ अनु. 323(क) के अंतर्गत केवल संसद द्वारा अधिकरणों की स्थापना की जा सकती है। जबकि अनु. 323(ख) के अंतर्गत शामिल अधिकरण संसद और राज्य विधानमंडलों, दोनों द्वारा उनकी विधायी क्षमता के दायरे में शामिल विषयों के संबंध में स्थापित किये जा सकते हैं।
  - ❑ अनु. 323(क) के अंतर्गत केन्द्र के लिये और प्रत्येक राज्य के लिये या दो या दो अधिक राज्यों के केवल एक अधिकरण की स्थापना की जा सकती है। यहाँ अधिकरणों के पदानुक्रम (Hierachy) की कोई स्थिति नहीं बनती, जबकि अनु. 323(ख) के अंतर्गत अधिकरणों के एक पदानुक्रम का सृजन किया जा सकता।
- **अनु. 262 :** राज्य / क्षेत्रीय सरकारों के बीच अंतर-राज्य नदियों के जल संबंधी विवादों के संबंध में अधिनिर्णयन के लिये भारतीय संविधान के केन्द्र सरकार की एक भूमिका तय कर रखी है।

प्रशासनिक अधिकरण
(Administrative Tribunals)

- प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना संसद के एक अधिनियम प्रशासनिक अधिनियम, 1985 (Administrative Tribunals Act, 1985) द्वारा की गई थी। इसकी उत्पत्ति संविधान के अनु. 323(क) से 1985 ई. में हुई है।
  - ❑ यह संघ और राज्यों के विषयों के संबंध में लोक सेवाओं और सार्वजनिक पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की भर्ती और सेवा शर्तों से संबंधित विवादों और शिकायतों का अधिनिर्णयन करता है।
- प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 तीन प्रकार के अधिकरणों का प्रावधान करता है।
  - ❑ केन्द्र सरकार एक प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करती है जिसे केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (Central Administrative Tribunal-CAT) कहा जाता है।

- केन्द्र सरकार किसी राज्य सरकार के अनुरोध पर उस राज्य के कार्मिक के लिये एक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है।
- दो या दो से अधिक राज्य एक संयुक्त अधिकरण की माँग कर सकते हैं, जिसे संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण (Joint Administrative Tribunal-JAT) कहा जाता है, जो इन राज्यों के लिये प्रशासनिक अधिकरणों की शक्तियाँ का उपयोग करता है।
- विभिन्न प्रशासनिक और कर-संबंधी विवादों के समाधान के लिये कई अधिकरण गठित किये गए हैं जिनमें केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), आयकर अपीलीय अधिकरण (TAT) , सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण (CESTAT), राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), प्रतिस्पर्धा अपीलीय अधिकरण (COMPAT), प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण (SAT) आदि शामिल है।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायधिकरण
(CAT-Central Administative Tribunal)

- इसके क्षेत्राधिकार में केन्द्र सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश या भारत सरकार के अंतर्गत किसी स्थानीय या अन्य सरकार या केन्द्र के स्वामित्व व नियंत्रण वाले निगमों के कार्मिकों के सेवा संबंधी मामले आते हैं।
  - CAT की स्थापना 1 नवम्बर, 1985 ई. को की गई।
  - इसकी 17 नियमित पीठें (Benches) हैं, जिनमें से 15 उच्च न्यायालयों की मुख्य पीठों से और शेष दो जयपुर और लखनऊ से संचालित होती हैं।
  - ये पीठें उच्च न्यायालयों की अन्य सीटों पर भी सर्किट बैठक (Circuit Sittings) का आयोजन करती हैं। अधिकरण में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य (न्यायिक तथा प्रशासनिक) शामिल होते हैं।
- सदस्यों को न्यायिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से चुना जाता है ताकि दोनों क्षेत्रों की विशेषज्ञताओं का लाभ उठाया जा सके।
- **अध्यक्ष** के चुनाव हेतु आवश्यक योग्यताएँ–

(i) ऐसा कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का जज रहा हो।

(ii) कैट (CAT) में 2 वर्षों तक उपाध्यक्ष रहा हो।

(iii) केन्द्र सरकार में सचिव (Secretary) के पद पर रहा हो।

- **उपाध्यक्ष** के चुनाव हेतु आवश्यक योग्यताएँ–

(i) ऐसा कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का जज रहा हो।

(ii) केन्द्र सरकार में 2 वर्ष तक सचिव (Secretary) के पद पर रहा हो।

(iii) केन्द्र सरकार में 05 वर्षों तक अपर सचिव (Add. Secretary) के पद पर रहा हो।

- **न्यायिक सदस्य** के चुनाव हेतु आवश्यक योग्यताएँ–

(i) ऐसा कोई व्यक्ति जो उच्च न्यायालय जज रहा हो।

(ii) केन्द्रीय न्यायिक सेवाओं में कम-से-कम 3 वर्षों तक प्रथम श्रेणी का पदाधिकारी रहा हो।

(iii) केन्द्र सरकार में सचिव (Secretary) के पद पर रहा हो।

- **प्रशासनिक सदस्य** के चुनाव हेतु आवश्यक योग्यताएँ–

(i) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे प्रशासन का पर्याप्त ज्ञान रहा हो।

(ii) केन्द्र सरकार में 2 वर्षों तक अतिरिक्त सचिव (Joint Secretary) के पद पर रहा हो।

- **प्रशासनिक अधिकरण** के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष 05 वर्षों या 65 वर्ष की उम्र तक तथा न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य 5 वर्षों या 62 वर्ष की उम्र (जो पहले जो जाये) अपने पद पर कार्यरत रहेंगे।
- **प्रशासनिक अधिकरण** के आदेशों के विरुद्ध अपील संबंध **उच्च न्यायाल** की खंडपीठ या डिविजन बेंच के समक्ष 24 अप्रैल, 1973 ई. से की जा सकती है।
- ये सभी (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी सदस्य) अपना त्याग-पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं।

राज्य प्रशासनिक अधिकरण
(SAT-State Administrative Tribunal)

- अनु. 323 (ख) राज्य विधानमंडलों को किसी कर के उद्ग्रहण, निर्धारण, संग्रहण एवं प्रवर्तन तथा अनु. 31A के दायरे में शामिल भूमि सुधारों से संबंधित विषयों में अधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। भारत में कुल 5 SAT कार्यरत हैं।

जल विवाद अधिकरण (Water Disputes Tribunal)

- अंतर-राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों पर अधिनिर्णयन के लिये अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (Inter-State River Water Disputes-'ISRWD' अधिनियम 1956 अधिनियमित किया गया था जिसके उपबंधों के तहत विभिन्न जल विवाद अधिकरणों के गठन होते हैं।
  - एकल ट्रिब्यूनल (Standalone Tribunal) : ISRWD अधिनियम, 1956 में संशोधन के लिये अंतर-राज्यीय नदी जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया गया है।
  - जो प्रत्येक जल विवाद के लिये पृथक् अधिकरण स्थापित करने की लंबी प्रक्रिया की समाप्ति कर सभी जल विवदों के लिये एक स्टैंडअलोन ट्रिब्यूनल के गठन का प्रावधान करता है।

सशस्त्र बल अधिकरण (Armed Forces Tribunal-AFT)

- यह भारत का एक सैन्य अधिकरण है। इसकी स्थापना सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 के तहत की गई थी।
- यह सेना अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1957 और वायु सेना अधिनियम 1950 के अध्यधीन व्यक्तियों के बारे में कमीशन, नियुक्तियों, अध्यावेशनों और सेवा की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों का अधिनिर्णययन या सुनवाई एक AFT द्वारा किये जाने का उपबंध करता है।
- नई दिल्ली में प्रधान न्यायपीठ के अलावा चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोच्चि, मुम्बई और जयपुर में AFT की 8 क्षेत्रीय पीठें भी कार्यरत हैं।
- प्रत्येक पीठ या बेंच में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य शामिल होते हैं।
- न्यायिक सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और प्रशासनिक सदस्य के रूप में मेजर जनरल/समकक्ष या इससे ऊपर रैंक के सेवानिवृत्त सैन्य बल अधिकारी शामिल होते हैं।
- जज एडवोकेट जनरल (JAG), जो सेना का विधिक व न्यायिक प्रमुख होता है, भी प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण

(National Green Tribunal -NGT)

- राष्ट्रीय पर्यावरण अधिकरण अधिनियम, 1995 और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम, 1997 अपर्याप्त सिद्ध हुए और एक ऐसे संस्थान की आवश्यकता थी जो पर्यावरणीय विषयों पर अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से कार्रवाई कर सके।
- विधि आयोग ने अपनी 186वीं रिपोर्ट में आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संचालित पर्यावरण न्यायालयों का संदर्भ देते हुए न्यायिक और तकनीकी जानकारी से समपन्न बहुआयामी न्यायालयों हेतु सुझाव दिया था।
- NGT का गठन एक विशेष फास्ट-ट्रैक, अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में किया गया जिसमें मामलों के शीघ्र निपटान के लिये न्यायाधीशों के साथ ही पर्यावरण विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाता है।
- पर्यावरण संरक्षण और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी।
- यह पर्यावरण से संबंधित किसी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन को भी सुनिश्चित करता है और व्यक्तियों एवं संपत्ति को पहुंचती क्षति के लिये राहत और क्षतिपूर्ति प्रदान कराता है।
- अधिकरण को आवेदन या अपील प्राप्त करने के 6 माह के अंदर मामले की सुनवाई पूरी कर लेने का अधिदेश सौंपा गया है। NGT की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है जबकि भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसकी चार क्षेत्रीय पीठे स्थापित की गई है।

आयकर अपीलीय अधिकरण

(Income Tax Appellate Tribunal)

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 में यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्र सरकार अधिनियम में प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उतने न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों से, जितना वह ठीक समझे, एक अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी।
- प्रशासनिक अधिकरण और साधारण न्यायालय दोनों पक्षों के बीच विवादों से निपटते हैं जो संबंध्र व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। किन्तु प्रशासनिक अधिकरण न्यायालय नहीं है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

अधिकरण एवं न्यायालय के बीच अंतर		
क्रम.	न्यायालय	अधिकरण
1.	न्यायालय (कोर्ट ऑफ लॉ) पारंपरिक न्यायिक प्रणाली का अंग है जिसके तहत न्यायिक शक्तियाँ राज्य से प्राप्त होती हैं।	प्रशासनिक अधिकरण एक अभिकरण या एजेंसी है जिसका निर्माण विधि द्वारा किया जाता है और इसे न्यायिक शक्ति सौंपी जाती है।
2.	नागरिक न्यायालयों के पास नागरिक प्रकृति के सभी मुकदमों का परीक्षण करने की शक्ति है जब तक कि संज्ञान स्पष्ट/निहित रूप से वर्जित नहीं है।	अधिकरण को अर्द्धन्यायिक निकाय के रूप में भी जाना-जाता है। अधिकरण में विशेष मामलों के परीक्षण की शक्ति होती है, जो मामले उन्हें विधि द्वारा प्रदत्त किये जाते हैं।
3.	सामान्य न्यायालयों के न्यायाधीश अपने कार्यकाल, सेवा के नियम व शर्तों आदि के संदर्भ में कार्यपालिका में स्वतंत्र होते हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका से स्वतंत्र है।	प्रशासनिक अधिकरण के सदस्यों के कार्यकाल, सेवाओं के नियम व शर्तें पूर्णत: कार्यपालिका (सरकार) के हाथों में होती है।
4.	न्यायालय का पीठासीन अधिकारी विधिशास्त्र में प्रशिक्षित होता है।	अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य का विधि में प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है। वह प्रशासनिक मामलों के क्षेत्र का विशेषज्ञ भी हो सकता है।
5.	न्यायालय के न्यायाधीश का निष्पक्ष होना आवश्यक है जो प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से मामले में दिलचस्पी न रखता हो।	प्रशासनिक अधिकरण उस विवाद का एक पक्षकार हो सकता है जिस पर उसके द्वारा निर्णय लिया जाना है।
6.	न्यायालय साक्ष्य और प्रक्रिया के सभी नियमों का पालन करने हेतु बाध्य है।	प्रशासनिक अधिकरण नियमों के बंधन में नहीं है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का कार्य करते हैं।
7.	न्यायालय को रिकॉर्ड पर रखे गए साक्ष्य और सामग्री के आधार पर सभी प्रश्नों पर वस्तुपरक (Objective) रूप से विचार करना होता है।	यह विभागीय नीति को ध्यान में रखकर प्रश्नों पर विचार कर सकता है; उसका निर्णय वस्तुपरक के बजाय व्यक्तिपरक (Subjective) हो सकता है।
8.	न्यायालय किसी विधान की शक्तियों पर निर्णय ले सकेगा।	प्रशासनिक अधिकरण ऐसा नहीं कर सकता ।

प्रशासनिक अधिकरणों की विशेषताएँ

- प्रशासनिक अधिकरण किसी विधि के अंतर्गत गठित सांविधिक संस्थाएँ हैं।
- प्रशासनिक अधिकरण औचित्य एवं और प्राकृति न्याय के सिद्धांतों पर कार्य करते हैं।
- प्रशासनिक अधिकरण में राज्य की न्यायिक शक्ति निहित होती है और इस प्रकार शुद्ध प्रशासनिक कार्यों से अलग यह अर्द्ध-न्यायिक कार्य करते हैं।
- इनसे न्यायसंगत, पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
- प्रशासनिक अधिकरण नागरिक प्रक्रिया न्यायालय द्वारा निधरित प्रक्रिया व साक्ष्य के कठोर नियमों का पालन करने हेतु बाध्य नहीं होते हैं।

विशेष उद्देश्य न्यायालय

- विशेष उद्देश्य न्यायालय भी उसी तरह कार्य करते हैं, जिस तरह से विभिन्न अधिकरण कार्य करते हैं।
- इनका तात्पर्य उन न्यायालयों या अर्द्ध-न्यायायिक सस्थाओं (Quasi Judicial) से है जो किसी विशेष उद्देश्य से निर्मित किये जाते हैं।

1. बाल व किशोर न्यायालय
(Child and Juvenile Court)

- बाल अराधी से तात्पर्य है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो।
- बाल अधिनियम के तहत संसद ने 1960 में बाल अधिनियम, पारित किया था। जिसके प्रावधानों को व्यापक करने के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 1886 ई. में पारित किया था।
- सिविल अधिकार सम्मेलन में स्वीकार किये गये सिद्धांतों के अनुरूप किशोर किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 पारित किया गया था।
- 2006 तथा 2016 में इसके अन्दर संसद द्वारा व्यापक परिवर्तन किये गये जो आज भी लागू हैं।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

- यह अधिनियम किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 का स्थान लेता है। यह बिल उन बच्चों से संबंधित है जिन्होंने कानून कोई अपराध किया हो और जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता हो।
- यह बिल जघन्य अपराधों में संलिप्त 16 – 18 वर्ष की आयु के बीच के किशोरों (जुवेनाइल) के ऊपर बालिगों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति देता है। साथ ही कोई भी 16–18 वर्षीय जुवेनाइल जिसने कम जघन्य अर्थात् गंभीर अपराध किया हो उसके ऊपर बालिग के समान केवल तभी मुकदमा चलाया जा सकता है जब उसे 21 वर्ष की आयु के बाद पकड़ा गया है।
- इस अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक जिले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (Juvenile Justice Board-JJB) और बाल कल्याण समितियाँ (Child Welfare Committees) के गठन का प्रावधान है।
- इस अधिनियम में बच्चे के विरुद्ध अत्याचार, बच्चे को नशीली पदार्थ देने ओर बच्चे का अपरहण या उसे बेचने के संदर्भ में दंड निर्धारित किया गया है। इस अधिनियम में गोद लेने के लिये माता-पिता की योग्यता और गोद लेने की पद्धति को शामिल किया गया है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सरक्षण) संशेधन विधेयक, 2018

- यह विधेयक जिला मजिस्ट्रेट को बच्चे को गोद लेने के आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है ताकि गोद लेने संबंधी लंबित मामलों की संख्या को कम किया जा सके।
- इस विधेयक में किसी भी अदालत के समक्ष गोद लेने से संबंधित सभी लंबित मामलों को जिला मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित करने का प्रावधान है। इससे माध्यम से मामलों की कार्यवाही में तेजी से लाने का प्रयास किया जा रहा है।

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (Juvenile Justice Board-JJB) के सदस्य

- इस बोर्ड में 3 सदस्य होंगे। उसका अध्यक्ष प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से कम का नहीं होगा। उसके पास बाल मनोविज्ञान (Child Psychology) या बाल कल्याण (Child Welfare) जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण या ज्ञान होगा।
- शेष दो सदस्य सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, जिनमें से एक का महिला सदस्य होना अनिवार्य होगा।
- बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति हेतु योग्यता निम्नलिखित होती है।
- शिक्षा, स्वास्थ्य तथा लोक कल्याण में 7 वर्षों का विशेष ज्ञान होना आवश्यक होता है।
- जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का फैसला हमेशा बहुमत से किया जाता है।
- इस न्यायालय में किशारों (पहले 8 वर्ष से कम था, परन्तु इसे 2015 के बाद से 16 वर्ष कर दिया है) से संबंधित मामलों का विचारण जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (JJB) द्वारा ही किया जाएगा।
- इसके प्रत्येक मामले में जमानत दी जाएगी, केवल तभी जमानत नहीं दी जाएगी जब यह खतरा हो कि वह बच्चा/किशोर छोड़े जाने पर ऐसे लोगों के सम्पर्क में आ सकता है जो उसे मानसिक या शारीरिक नुकसान पहुंचा सकते हैं।
- प्राय: किशोरों के अपराध सिद्धी होने पर भी उन्हें सजा नहीं दी जाएगी। उन्हें माफी देकर छोड़ दिया जाएगा या कुछ दिनों तक विशेष गृहों में रखा जाता है ताकि उनके पुनर्वास की प्रक्रिया सहज हो।
- JJB के खिलाफ सत्र न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- किशोर से संबंधित अपराधों के मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। सत्र न्यायालय के बाद अनुच्छेद 136 के तहत पहले उच्च न्यायालय जाना अनिवार्य होगा।
- JJB की समस्त कार्यवाहियाँ गोपनीय रखी जाती हैं, यदि यह किसी के भी द्वारा सार्वजनिक की जाती हैं तो JJB में 2006 के संशोधनों के द्वारा दंडनीय अपराध की श्रेणी में मानते हुए 25000 रुपये अर्थदण्ड या 6 महीनों की जेल या दोनों दी जा सकती है।

2. पारिवारिक न्यायालय (Family Court)

- शादी विवाह और पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह और समझौते कराने और विवादों को जल्द निपटने के लिए 1984 ई. में फैमिली कोर्ट एक्ट पारित किया गया था।

स्थापना

- इस एक्ट के तहत हर नगर में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई है।
- राज्य सरकारें इस कानून के अनुसार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद पारिवारिक न्यायालय की स्थापना करती है।
- इस कानून के लागू होने के बाद राज्य सरकारें किसी नगर या कस्बे के ऐसे क्षेत्र के लिए जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक है पारिवारिक न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट की स्थापना करती है।

न्यायाधीश

- राज्य सरकारें उच्च न्यायालय की सहमति से एक या एक से अधिक व्यक्तियों को पारिवारिक न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करती हैं।

न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्ता

- पारिवारिक न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए न्यायाधीश को काफी अनुभवी होना चाहिए।

☞ इसलिए ऐसे व्यक्ति पारिवारिक न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, जो कम से कम 7 वर्षों तक भारत में कोई न्यायिक पद या किसी अधिकरण के सदस्य का पद या केन्द्र या राज्य के अधीन कोई ऐसा पद धारण किया हो जिसमें विधि का विशेष ज्ञान जरूरी है।

☞ **कुटुंब न्यायालय** का न्यायाधीश नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी न्यायाधीश बनाया जा सकेगा, जो किसी उच्च न्यायालय का यो दो या अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार कम से म 7 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। न्यायाधीशों की नियुक्ति में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

☞ ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक न्यायालय का न्यायाधीश बनाए जो विवाह संस्था की सुरक्षा करने, बालकों का कल्याण करने और सुलह परामर्श से विवादों का निपटारा करने में अनुभवी हो, विशेषज्ञ हो।

अधिकारिता

(i) विवाह को शून्य घोषित करना
(ii) तालाक
(iii) दाम्पत्य अधिकारों की प्रत्यास्थापना
(iv) न्यायिक पृथक्करण
(v) विवाह की विधिमान्यता आदि।
(vi) किसी व्यक्ति के धर्मजत्व की घोषणा के बारे में वाद
(vii) भरण पोषण से संबंधित वाद
(viii) किसी व्यक्ति की संरक्षता या अभिरक्षा से संबंधित वाद पर क्षेत्राधिकार रखती है।

☞ पारिवारिक न्यायालय **सिविल कोर्ट** की तरह कार्य करती है।

☞ इसका अध्यक्ष **एक सिविल जज** के स्तर का न्यायाधीश होता है।

3. उपभोक्ता कोर्ट (Consumer Court)

☞ इन कानूनों में सिविल सूट दाखिल करना बहुत महंगा पड़ता है और निर्णय आने में समय भी लगता है, इसलिए इस समस्या के समाधान के रूप में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को बनाया गया।

उपभोक्ता वह है :-

☞ जिसने रुपयों का भुगतान कर कुछ खरीदा हो।

☞ एक व्यक्ति जिसने खुद कोई सामान खरीदा नहीं है, लेकिन खरीदार की अनुमति के सामान का उपयोग करता है।

☞ जो व्यक्ति सामान को बेचने के उद्देश्य से खरीदता है।

☞ स्वरोजगार के लिए सामान खरीदने बाला व्यक्ति भी उपभोक्ता है। वह व्यक्ति जो कि वस्तु या सेवा का लाभार्थी हो।

मृत्क उपभोक्ता के कानूनी वारिस

❑ उपभोक्ता के पति या पत्नी
❑ उपभोक्ता के रिश्तेदार

☞ वस्तु या सेवा प्रदाता की दुकान या सेंटर किस क्षेत्र में पड़ता है।

☞ वस्तु या सेवा की कीमत कितनी है। इसके आधार पर उपभोक्ता मंचों का आर्थिक क्षेत्राधिकार बांटे हैं।

❑ **जिला मंच** – 20 लाख रुपये तक का मामले।
❑ **राज्य आयोग**– 20 लाख से 1 करोड़ तक का मामले।
❑ **राष्ट्रीय आयोग**– 1 करोड़ से अधिक का मामले।

☞ आपको अपने केस के अनुसार, जिला फोरम, राज्य फोरम और राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपनी शिकायत के साथ एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

☞ अधिनियम में शिकायत करने की अवधि घटना घटने के बाद से 2 साल तक है। अगर शिकायत दाखिल करने में देरी हो तो इसके साथ देरी होने का कारण भी देना होता है।

☞ शिकायत पंजीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकती है। शिकायत की कम से कम 5 प्रतियों को फोरम में दाखिल करना होता है। इसके अलावा विपरीत पक्ष के लिए अतिरिक्त प्रतियाँ भी जमा करनी होती हैं।

☞ राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत का मुखिया, एक अध्यक्ष किसी SC के जज को ही बनाया जा सकता है।

4. कोर्ट मार्शल (Court Martial)

☞ कोर्ट मार्शल एक तरह का न्यायालय होता है जो सैन्य कर्मचारियों / अधिकारियों के लिए होता है।

☞ इसके तहत सेना में अनुशासन तोड़ने या अन्य अपराध करने वाले सैन्य कर्मचारियों / अधिकारियों पर केस चलाना, उसकी सुनराई करना और सजा सुनाना होता है।

☞ ये ट्रायल मिलिट्री कानून के तहत होता है, इस कानून 70 तरह के अपराधों के लिए सजा का प्रावधान है। थल सेना में कोर्ट मार्शल सेना अधिनियम 1950, वायु सेना में वायु सेना अधिनियम, 1950 जबकि भारतीय नौसेना को नौसेना अधि नियम, 1957 द्वारा शासित किया जाता है।

☞ कोर्ट मार्शल निम्न दशाओं में लिए गए अपराध के लिए किया जाता है।

❑ जब व्यक्ति सेवा में हो।
❑ भारत के बाहर हो।
❑ सीमा पर हो। (सीमा से भाग जाना इत्यादि)

☞ कोर्ट मार्शल मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। लेकिन तीनों सेनाओं में इसे विभिन्न कानूनों के तहत लागू किया जाता है।

1. **जनरल कोर्ट मार्शल (General Court Marshal)**

❑ इसमें जवान से लेकर अफसर तक सभी को दंडित करने का अधिकार होता है।
❑ इसमें जज के अलावा 5 से 7 लोगों का पैनल होता है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform @KHAN SIR

- ❑ ये कोर्ट दोषी को सैन्य सेवा से बर्खास्त, आजीवन प्रतिबंध या फांसी की सजा तक दे सकती है। साथ ही इसमें युद्ध के दौरान अपनी पोस्ट छोड़कर भागने वाले सैन्य कर्मियों को भी फांसी देने का प्रावधान है।

2. **डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल (District Court Marshal) :**

- ❑ यह कोर्ट सिपाही से जेसीओ लेवल के लिए होती है इसमें 2 से 3 मेंबर मिलकर सुनवाई करते हैं। इसमें अधिकतम 2 साल की जा होती है।

3. **समरी जनरल कोर्ट मार्शल (Summary General Marshal)**

- ❑ जम्मू-कश्मीर जैसे प्रमुख फील्ड इलाके में अपराध करने वाले सैन्य कर्मियों के लिए होती है।
- ❑ इसमें बहुत तेजी से निर्णय आता है।

4. **समरी कोर्ट मार्शल (Summary Court Marashal) :**

- ❑ इसमें सबसे निचले तरह की सैन्य अदालत में केस चलता है। इसमें सिपाही से एनसीओ तक के पद वाले लोगों का केस सुना जाता है और अधिकतम 2 साल की सजा देने का प्रावधान है।

☞ कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होती है ?

- ❑ जाँच अदालत का गठन (Constitution of Court of Enquiry)
- ❑ गवाही का सारांश (Summary of Evidence)
- ❑ कोर्ट मार्शल (Court Martial)

☞ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल में सुनाई गई सजा को लेकर सेशन कोर्ट में सुनाए गए फैसले को आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल (AFT) में चुनौती दी जा सकती है। जिसकी प्रधान पीठ नई दिल्ली तथा 08 अन्य पीठ स्थापित हैं। चूंकि अनुच्छेद (136(ख) तथा 227 के तहत उच्चतर न्यायालयों के अंतर्गत सुनवाई पर रोक की बात नहीं गयी है, परन्तु आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट (अनु. 226) उच्चतम न्यायालय में (अनु.32) के तहत चुनौती दी जा सकती है।

☞ कोर्ट मार्शल में कौन-कौन सी सजा दी जाती है। (यह सजा जुर्म के लेवल पर तय होती है)

☞ आरोपी की नौकरी छीनी जा सकती है साथ ही उसे भविष्य में मिलने वाले सभी तरह के लाभ जैसे एक्स सर्विसमैन बेनिफिट, पेंशन, कैंटीन बेनिफिट खत्म किए जा सकते हैं।

☞ जुर्म की संगीनता के आधार पर फांसी, उम्रकैद, एक तय समयावधि के लिए सजा सुनाई जा सकती है।

☞ प्रमोशन रोका जा सकता है, वेतन वृद्धि, पेंशन रोकी जा सकती है आउसेंज खत्म किए जा सकते है और जुर्माना लगाया जा सकता है।

☞ रैंक कम करके लोअर रैंक और ग्रेड की जा सकती है।

न्यायालयों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

☞ न्यायाधीशों को नियुक्ति किस पद्धति के द्वारा की जाती है ?
- कोलेजियम पद्धति

☞ भारत में पहला E-कोर्ट कहाँ खेला गया था ?
- अहमदाबाद (2012)

☞ भारत में पहला पूर्ण महिला न्यायालय कहाँ स्थित है ?
-पश्चिम बंगाल

☞ भारत में दूसरा पूर्ण महिला न्यायालय कहाँ स्थित है ?
-काला घोड़ा

☞ PIL-Public Investigation Latigation की शुरुआत भारत में कब हुई ? **1985 ई. (जनक- पीएन भगवती, कृष्णा आयंगर)**

☞ किसे मोबाइल कोर्ट का मानसपुत्र कहा जाता है ?
-डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम (अबुल पकीर जैनुलाबदीन अब्दुल कलाम)

☞ मोबाइल कोर्ट विभिन्न शहरों, नगरों एवं गाँवों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहती हैं, यह प्रयोग अत्यधिक सफल रहा जिसका दूसरा नाम क्या है ?
-जस्टिस ऑफ व्हील्स

●●●

आपातकाल उपबन्ध

(भाग 18, अनु. 352 से 360 तक)

☞ भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के उपबंध जर्मनी के 'वीमर संविधान' से लिए गये हैं।

☞ भारतीय संविधान के द्वारा तीन प्रकार के आपातकालों का उल्लेख किया गया है।

1. राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency)
2. राष्ट्रपति शासन (State Constitutional Emergency of President Rule)
3. वित्तीय आपातकाल (Financial Emergency)

1. **राष्ट्रीय आपातकाल (National Emrgency)**

☞ 44वाँ CAA 1978 ई. के अनुसार अब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को कैबिनेट की लिखित सूचना पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है।

☞ राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा के 30 दिनों के अंदर इसे संसद के दोनों सदनों से पृथक्-2 रूप में पारित होना आवश्यक होता है।

☞ अगर पारित नहीं किया जाता है तो स्वत: ही समाप्त माना जायेगा।

☞ इन 30 दिनों के अंदर लोकसभा विघटित हो जाये तो नयी लोकसभा का इंतजार किया जायेगा।

- ☞ नयी लोकसभा के बनने के बाद प्रथम सत्र में 30 दिनों के अंदर विशेष बहुमत से पास कराना होगा।
- ☞ भारत में राष्ट्रीय आपातकाल निम्नलिखित परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है।

(i) किसी दूसरे देश के साथ युद्ध के समय। (War)

- ❑ जब दो देशों की सेनाओं के बीच किसी युद्ध की घोषणा कर दी गयी हो।
- ❑ जैसे- 1948, 1961, 1965, 1971 ई. के भारत व अन्य देशों के मध्य लड़े गये प्रमुख युद्ध।

(ii) बाह्य आक्रमण के समय (External Aggession)

(iii) सशस्त्र विद्रोह के समय (Armed Rebellion)

- ❑ जब दो देशों की सेनाओं के बीच कोई संघर्ष हो जाये, बिना किसी घोषणा की स्थिति में।
- ❑ जैसे- 1999 ई. का भारत-पाक कारगिल संघर्ष।

राष्ट्रीय आपातकाल की समय-सीमा

- ☞ 06 माह तक लागू रहेगा यदि संसद के दोनों ही सदनों से पारित कर दिया गया है। 6इ माह बाद यदि दोबारा आवश्यकता पड़ी तो हर 6-6 माह पर संसद के दोनों ही सदनों से पृथक-2 रूप में विशेष ।

राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की वापसी

- ☞ राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा को जब चाहें तब वापस ले सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषण को वापस लेने हेतु कैबिनेट की सिफारिशों की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
- ☞ लोकसभा के 1/10 सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त संकल्प से 14 दिनों के पूर्व नोटिस के द्वारा कभी भी वापस ले सकती है। इस संकल्प से पारित करने के लिए सामान्य बहुमत की आवश्यकता होती है।

राष्ट्रीय आपाकाल की घोषणा

(Proclaimation of Emergency)

- ☞ 44वाँ CAA 1978 से पहले केवल कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता था। जिसका दुष्प्रयोग प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी द्वारा तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल के समय में किया था।
- ☞ 44वां CAA से पहले केवल आंतरिक गड़बड़ी होने की संभावना मात्र पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाना संभव था, जिसका दुष्प्रयोग तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल के समय में हुआ था।
- ☞ जिसे संशोधित कर अब केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही ऐसा किया जना संभव हो सकता है।
- ☞ राष्टणीय आपातकाल की घोषणा के 30 दिनों के अंदर इसे भारतीय संसद के पास कराना आवश्यक है।
- ☞ अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है।

(i) भारत-चीन युद्ध

- ❑ नेफा (वर्तमान-अरुणाचल प्रदेश) राज्य में चीनी सेना द्वारा आक्रमण कर देने के बाद।
- ❑ 26 अक्टूबर 1962 ई. से 10 जनवरी 1968 ई. तक पहली उद्घोषणा लागू रही थी।

  राष्ट्रपति-डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

  प्रधानमंत्री–पंडिज जवाहर लाल नेहरू
- ❑ भारत को इस युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा और अपना लगभग 52000 वर्गकिमी का क्षेत्रफल लगभग पूरा मानसरोबर चीन के पास चला गया था।
- ❑ इस युद्ध में मिली पराजय के गम के कारण ही पं. नेहरू की मृत्यु 27 मई 1964 ई. को हो गई थी। एक मुख्य कारण माना जाता है।
- ❑ 1965 में भारत-पाक युद्ध के समय अलग से किसी अन्य आपातकाल की घोषणा नहीं की गयी।

  राष्ट्रपति-डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन्

  प्रधानमंत्री-लाल बहादुर शास्त्री
- ❑ इस युद्ध में भारत की जीत हुई, और सोवियत संघ (USSR) की मध्यस्थता से इस युद्ध को समाप्त किया जा सकता था।

(ii) भारत-पाक द्वितीय युद्ध

- ❑ 1971 ई. में पाकिस्तान की सेना द्वारा गुजरात बॉर्डर पर आक्रमण करने के बाद।
- ❑ 3 दिसम्बर 1971 से मार्च 1977 तक भारत-पाक युद्ध के समय दोबारा लगाया गया।

  राष्ट्रपति - वी.वी. गिरि

  प्रधानमंत्री- इंदिरा गाँधी
- ❑ इस युद्ध में भारत की जीत हुई, और पाकिस्तान की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक अधिकारी सहित 93000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था।

(iii) आंतरिक गड़बड़ी के समय

- ❑ 25 जून 1975 ई. के दिन (काला दिवस) आंतरिक गड़बड़ी का अंदेशा होने के कारण लागू किया।
- ❑ 25 जून 1975 से मार्च 1977 तक इंदिरा गाँधी ने तीसरी बार आपात की घोषणा की थी।

  राष्ट्रपति-डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद

  प्रधानमंत्री - इंदिरा गांधी

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव (अनु. 353, 354)

- संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी कि वह राज्यपालिका को आदेश दे सके। अर्थात केन्द्र का राज्यों के संबंध में कार्यपालिका पर अधिकार होगा।
- अब केन्द्र सरकार ही राज्यों के लिए सरकार का काम करेगी।
- संसद का विस्तार राज्यसूची के सभी विषयों तक हो जाता है, अर्थात तीनों सूचियों के विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार अब केन्द्र सरकार की हो गा।
- अब केन्द्र सरकार ही राज्यों के लिए सरकार का काम करेगी।
- संसद का विस्तार राज्यसूची के सभी विषयों तक हो जाता है, अर्थात तीनों सूचियों के विषयों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार अब केन्द्र सरकार की होगा।
- राष्ट्रीय आपातकाल सम्पूर्ण भारत, प्रभावित हिस्से पर या कुछ हिस्सों पर लगाया जा सकता है।
- अगर राष्ट्रीय आपाताकाल के समय केन्द्र सरकार राज्यों के संबंध में कोई कानून बनाती है तो यह कानून आपातकाल की समाप्ति की उद्घोषणा के 06 माह बाद स्वत: ही समाप्त हो जाएगा।
- राष्ट्रीय आपातकाल के समय केन्द्र सरकार राज्यों के संबंध में कोई कानून बनाती है तो यह उन राज्यों पर भी लागू होगा जहाँ राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं है।
- राष्ट्रीय आपाकाल के समय केन्द्र सरकार राज्यों के बीच राज्यों के हिस्सों में बदलाव कर सकती है।
- अनु. 358 के अनुसार अनु. 19 के तहत प्रदान सभी मूल अधिकार स्वत: ही समाप्त हो जाते हैं। यह केवल बाह्य आक्रमण, युद्ध पर ही ऐसा संभव है, न की सैनिक विद्रोह की स्थिति में।
- अनु. 359 के अनुसार अनु. 20, 21 छोड़कर सभी मूल अधिकारों को राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा सभी अथवा किन्हीं मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है।
- आपातकाल की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है, परन्तु हर 6 माह पर संसद से पास कराना होगा।
- केन्द्र सरकार का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है।
- 5वीं लोकसभा का कार्यकाल तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल में (1-1) वर्ष करके दो बार बढ़ाया गया।
- जैसे माना 25 जून 1975 ई. का राष्ट्रीय आपाकाल लागू किया गया था, तो यह 25 जून 2021 को समाप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में इसे और 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा कता है।
- सभी बैंक जमाओं को जब्त कर लिया जाता है।
- 44वें CAA 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक बार बढ़ाने के बाद यह अनिश्चित काल तक बढ़ा नहीं रह सकता है।
- सभी जमाओं को जब्त किया जा सकता है, जिसके संबंध में केवल 5 लाख तक ही क्लेम करने संबंधित प्रावधान है।
- सरकार कर्मचारियों के वेतनों में कटौती की जाती है। (अपवाद राष्ट्रपति को छोड़कर)

क्रम.	अनुच्छेद 358	अनुच्छेद 359
1.	अनुच्छेद 19 स्वत: ही समाप्त हो जाता है।	अनुच्छेद के अतिरिक्त सभी FR स्वत: समाप्त नहीं होते हैं।
2.	यह स्वत: प्रभावी हो जाता है।	यह राष्ट्रपति की उद्घोषणा के अनुसार ही प्रभावी हो सकेगा।
3.	यह केवल बाह्य युद्ध और बाह्य आक्रमण के समय ही लागू किया जा सकता है।	यह दोनों (आंतरिक तथा बाह्य आक्रमण) ही स्थितियों में लागू किया जा सकता है।
4.	यह अनु. 19 पर सम्पूर्ण आपातकाल के समय लागू रहेगा।	यह राष्ट्रपति की उद्घोषणा के अनुसार पूरे समय, कुछ समय या जैसा उद्घोषित किया हो के अनुसार ही लागू होगा।
5.	अनु. 368 सम्पूर्ण भारत संघ क्षेत्र पर लागू होता है।	जबकि अनु. 359 कुछ क्षेत्रों या जैसा, राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित होगा कि अनुसार लागू होगा।

2. संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (अनु. 356)

- राष्ट्रपति शासन अनु. 355 के आधारों पर लागू किया जा सकता है।
- यह राज्यपाल के द्वारा सूचना प्राप्त होने बाद केन्द्र सरकार के मंत्रिपरिषद् की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है।
- राष्ट्रपति शासन लागू होने की उद्घोषणा के 60 दिन के अंदर इसका संसदीय अनुमोदन (दोनों सदनों में पृथक-2 सामान्य बहुमत से) कराना आवश्यक होता है। संसदीय अनुमोदन न किये जाने की स्थिति में स्वत: ही समाप्त हो जाता है।
- अगर इन 60 दिनों में लोकसभा भंग हो जाती है तथा राज्यसभा द्वारा 60 दिनों के भीतर इसे पारित नहीं किया गया हो तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा स्वत: ही समाप्त हो जाती है।
- अगर संसदीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है तो यह लगातार 06 माह तक लागू रहेगा।
- 44वें CAA 1978 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपित शासन अब किसी भी राज्य में 01 वर्ष से अधिक के लिए नहीं लागू किया जा सकता है, जो पहले 3 वर्ष तक था।
- अगर 30 दिनों के अंदर अगर राज्यसभा का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है और इसी बीच लोकसभा भंग हो जाती है तो राष्ट्रपति शासन तो लागू ही रहेगा, परन्तु नयी लोकसभा के गठन के बाद उसके प्रथम सत्र में 30 दिनों के भीतर ही अनुमोदित कराना आवश्यक होगा नहीं तो अब 30 दिनों की समाप्ति के बाद स्वत: समाप्त हो जाएगा।
- 01 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन दोबारा बढ़ाने की आवश्यकता पड़े तो केवल दो ही दशाओं में बढ़ेगा।

  1. राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो।

  2. भारतीय चुनाव आयोग कह दे कि अभी चुनाव काराना संभव नहीं है।
- राष्ट्रपति शासन केवल निम्नलिखित दो विषय के संबंध में ही लागू किया जा सकता है।

  1. संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर।

  2. केन्द्र के प्रशासकीय आदेशों का अनुपालन राज्य द्वारा न किये जाने पर।

आपाकाल के प्रभाव

- मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली उस राज्य की मंत्रिपरिषद् तथा विधानमण्डल के राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया जाएगा। जबकि उस समय के लिए राज्य की विधान परिषद् स्थगित (Suspended) रहेगी।
- ऐसी स्थिति में संसद उस राज्य के बजट और विधेयक को पारित करती है।
- राज्य का प्रशासन राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी संस्था (Authority) के द्वारा राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा।
- राज्य विधायिका की शक्तियों को प्रयोग राष्ट्रपति की घोषणा के बाद संसद द्वारा होता है।
- संसद राज्य के लिए संसद का सत्र न चलने पर राष्ट्रपति, ''अनुच्छेद 356 शासित राज्य'' के लिए अध्यादेश जारी कर सकता है।
- सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कांग्रेस में फूट की वजह से 'पंजाब' राज्य में (20 जून 1951 ई. से 17 अप्रैल 1952 ई. तक) राष्ट्रपति शासन लगाया गया।
- 38वें CAA 1975 के कहा गया कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक पुनर्विलोकन के बाहर का विषय है।
- 44वें CAA 1978 के अनुसार प्रावधान कर दिया गया कि राष्ट्रपति शासन न्यायिक पुनर्विलोकन के बाहर का विषय नहीं है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकेगी।
- SR बोम्मई केस, 1994 ई. के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार कहा गया कि–
  - राष्ट्रपति शासन न्यायिक पुनर्विलोकन के बाहर का विषय नहीं है।
  - यदि सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग तर्कसंगत रूप में नहीं किया गया है जो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगता है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग तर्कसंगत रूप में नहीं किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की ऐसी उद्घोषणा को शून्य (Null) घोषित कर देगा।
  - केन्द्र सरकार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के तर्क संगत कारणों को स्पष्ट करेगी।
  - SC प्रक्रिया और तर्क (कारणों) दोनों की जाँच करेगा, यदि कोई एक गलत पाया जाता है तो SC के द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाएगा।
  - अगर SC को लगता है कि गलत तरीके (Misconduct and Malpractice) से इसे लगाया गया है तो SC उस राज्य की विधायिका को बहाल (Review) कर देगा।
  - राष्ट्रपति शासन अगर धार्मिक (Communalism) आधार पर लागू किया गया है तो उसे अवैध घोषित किया जाएगा। कोई राज्य सरकार साम्प्रदायकवाद की राजनीति करेगी, तो वह दण्डनीय होगी।
  - केन्द्र की कोई नयी सरकार जब आयेगी तो अनु. 356 का प्रयोग यदा-कदा ही करेगी।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

☞ राष्ट्रीय आपातकाल के बाद 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 30 अप्रैल 1977 को 9 राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लगा दिया।

☞ अभी तक कुल 139 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। जिसमें सर्वाधिक केरल, उत्तर प्रदेश में 10-10 बार है।

☞ सबसे लम्बा राष्ट्रपति शासन (5 साल 10 माह) तक जम्मू और कश्मीर 1985 में लगाया था।

☞ वह प्रधानमंत्री जिसके शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किये गये थे ?

इंदिरा गांधी (20 बार) तथा सबसे कम प्रधानमंत्री इन्द्रकुमार गुजराल एक भी बार नहीं लागू हुआ।

☞ वह राष्ट्रपति जिसके द्वारा सर्वाधिक राष्ट्रीय आपातकाल लागू किये गये थे?- नीलम संजीव रेड्डी (20 बार) तथा सबसे कम राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी केवल दो बार लागू किया गया था।

क्रम.	अनुच्छेद 352	अनुच्छेद 356
1.	युद्ध बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह ही आधार होंगे।	संवैधानिक तंत्र का विफल हो जाना ही प्रमुख कारण होते है।
2.	राष्ट्रीय आपातकाल	संवैधानिक या राज्यों का आपातकाल
3.	विधायी तथा कार्यपालिका की शक्तियाँ लगातार रहती हैं, उनमें कुछ बढ़ोत्तरी और हो जाती है।	विधायी तथा कार्यपालिका की शक्तियाँ समाप्त हो जाती है।
4.	मूल अधिकारों को प्रभावित करता है।	मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
5.	कोई भी अधिकतम समय-सीमा नहीं है।	पहले 3 वर्ष अधिकतम सीमा थी परन्तु 44वें CAA 1978 के द्वारा इसे घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया।
6.	केन्द्र-राज्य संबंध राज्य संबंध में परिवर्तित हो जाते हैं	जिस राज्य में लागू होता है उसी राज्य व केन्द्र के संबंधों में बदलाव होता है।
7.	लोकसभा संकल्प पारित कर इस कभी भी वापस ले सकती है।	यहाँ मंत्रिपरिषद् और राष्ट्रपति की इच्छा पर आधारित होता है।

अनु 356 के उपर्युक्त और अनुप्रयुक्त मामले

☞ सरकारिया कमीशन (आयोग) और सर्वोच्च न्यायालय ने S.R. बोम्बई मामले में जो निर्णय दिये गये उनके आधार पर हम उपर्युक्त और अनुप्रयुक्त मामलों को निर्धारित कर सकते हैं।

1. उपर्युक्त मामले (Proper Uses)

(i) **त्रिशंकु विधानसभा** (Hung Assembly) : - किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो तो यह त्रिशंकु विधानसभा होगा। तब ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं।

(ii) बहुमत वाला इदल सरकार बनाने में से ही मना कर दे, और किसी और गठबंधन के पास बहुमत न हो तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकेगा।

(iii) राज्य विधायिका के मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा इदे दिया हो और विपक्ष के पास सरकार बनाने हेतु प्राप्त संख्याबल मौजूद न हो तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकेगा।

(iv) राज्य सरकार अगर केन्द्र के प्रशासनिक आदेशों को मानने से इंकार कर दे, तथा अपने मन के अनुसार कार्य करना आरम्भ कर दे, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकेगा।

(v) सरकार जानबूझकर राज्य संघ से अलग होने के लिए कार्य करे और होने का अंदेशा हो तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकेगा।

(vi) राज्य सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने में असमर्थ हो।

(vii) राज्य सरकार के किसी कार्य से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पैदा होने का अंदेशा हो तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकेगा।

2. अनुप्रयुक्त मामले (Unproper Uses)

(i) केन्द्र में अगर कोई नयी सरकार किसी दूसरे दल की बनाती है तो उसके पास किसी भी राज्य की सरकार को गिराने का कोई अधिकार नहीं होता है। जैसे- 1977 ई. के लोकसभा के चुनावों के बाद भरतीय जनता दल की सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में एक साथ नौ राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इसी की पुनरावृत्ति जब 1980 ई. में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी तो उन्होंने जितने भी गैर-कांग्रेसी राज्यों में तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था।

(ii) राज्य विधानसभा में सत्ता पक्ष के विरुद्ध आदि आविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, जिसके कारण सरकार गिर जाएगी, तो राष्ट्रपति पहले विपक्ष के नेता को सरकार बनाने

का मौका देगा या दूसरे विकल्पों के बारे में देखेगा। न कि सीधे ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा।

(iii) गवर्नर किसी भी राज्य सरकार को सदन में अपना बहुमत साबित करने का मौका/समय ही न दे।

3. वित्तीय आपातकाल (अनु. 360)

☞ राष्ट्रपति को ऐसा अंदेशा हो कि देश की अर्थव्यवस्था (वित्तीय हालत) अच्छी नहीं है अर्थात् देश की साख खतरे में हैं। (Creadibility in dengers)

☞ **जैसेः**- 2009 ई. में भारत में वित्तीय संकट उत्पन्न हुए थे, जब वित्तमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दुनिया के सभी देशों घूमकर इस समस्या से निपटारा किया था। तब देश में वित्तीय आपातकाल के से ही हालत हो चुके थे, कोई भी देश भारत को आर्थिक मदद देने को तेयार नहीं था। तब देश को कहीं जाकर अमेरिका की मदद से समस्या से निपटा जा सकता था।

वित्तीय आपातकाल का संसदीय अनुमोदन

☞ यह आपातकाल मंत्रिपरिषद् की लिखित सूचना पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है।

☞ लागू होने के 60 दिनों के भीतर इसे संसद को दोनों ही सदनों में पृथक-2 रूप से सामान्य बहुमत के द्वारा पास कराना होता है।

☞ अगर वित्तीय आपातकाल को राज्यसभा के द्वारा पारित नहीं किया गया हो और 60 दिनों के अंदर ही लोकसभा स्थगित हो जाती है तो वित्तीय आपातकाल यही समाप्त हो जाता है।

☞ अगर वित्तीय आपाताकाल को राज्यसभा के द्वारा पारित किया जा चुका हो और 60 दिनों के अंदर ही लोकसभा स्थगित हो जाती है तो नयी लोकसभा के गठन का इंतजार किया जाता है, और जैसे ही नयी लोकसभा का गठन होगा उसके पहले सत्र के आरम्भ होने के 30 दिनों में पारित कराना होगा।

☞ वित्तीय आपातकाल को बार-बार लागू कराने हेतु अनुमोदन की आवश्यका नहीं होती है। यह लगातार अनिश्चितकाल के लिए लागू किया जा सकेगा। वित्तीय आपतकाल की अधिकतम कोई सीमा नहीं है।

☞ अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया है।

वित्तीय आपातकाल के प्रभाव

☞ केन्द्र की वित्तीय शक्ति या न्यायाधिकार वित्तीय आपतकाल की स्थिति में राज्य के वित्तीय तक पहुँच जाते हैं। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को वित्तीय आदेश दे सकता है।

☞ केन्द्र सरकार अपने अधीन तथा किसी राज्य में नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते में कमी कर सकती है। **अपवाद**- राष्ट्रपति के वेतन छोड़कर।

☞ राज्य की विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए आये सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय बिलों को रिजर्व रखा जा सकता है।

☞ 38वें संविधान संशोधन 1975 ई. के द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किसी भी आपातकाल को किसी भी न्यायालय के द्वारा इसके न्यायिक पुर्नाविलोकन से बहार कर दिया था।

☞ 44वें संविधान संशोधन 1978 ई. के द्वारा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा किसी भी आपातकाल को किसी भी न्यायालय के द्वारा इसके न्यायिक पुर्नाविलोकन से नहीं रखा था। अर्थात् 38वें संविधान संशोधन 1975 ई0 के द्वारा इस संबंध में किये गये प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। वर्तमान में किसी भी आपातकाल की न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी।

☞ क्या एक ही समय पर एक से अधिक आपातकालों को लागू किया जा सकेगा ? - हाँ

☞ किसने कहा था कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल एक धोखा है ? - हृदयनाथ कुंजरू

स्थानीय स्वशासन

(भाग-9, अनुसूची-11, अनु.-243

☞ भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था ?-**रिपन**

☞ आधुनिक भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था ? - **रिपन**

☞ भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कब हुई ?- **चोल** वंश से

☞ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन आजादी के बाद किया गया ?

अनु. 40 जो गाँधीवादी भावना के अनुरुप है।

☞ शासन की वह प्रणाली जिसमें समाज के सबसे निचले स्तर पर भागेदारी को सुनिश्चित की जाती है। स्थानीय स्वशासन कहलाता है।

☞ स्थानीय स्वशासन विकेन्द्रीकरण की वह चाबी / प्रक्रिया है, जिसमें समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को अपनी समस्यों का हल करने के लिए सक्षम बनाया जाता है।

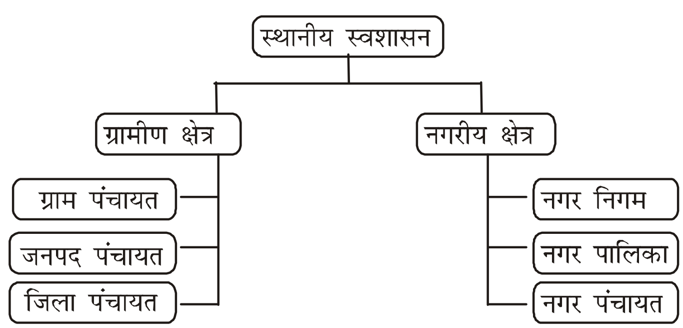

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणराज्य वैशाली था। भारत में मजबूत गणतंत्रों की संकल्पना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से रही है। मौर्यकाल से ही भारत स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का अस्तित्व दिखाई देता है।
- मौर्य काल से लेकर ब्रिटिश काल के पहले प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण दिखाई देता है। इस समय में 'गाँव' समाज की सबसे छोटी राजनैतिक इकाई होता थी।
- अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी गवर्नर जनरल/वायसरायों ने स्थानीय स्वशासन के लिए बेहतर कार्य किया। रिपन को इसका जनक भी कहा जाता है।
- मेरे अनुसार यदि संविधान निर्माण के समय महात्मा गाँधी जी जिन्दा होते तो यह प्रावधान मूल संविधान में ही दिखाई देता।
- आजादी के बाद 2 अक्टूबर 1952 ई. को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 'समुदायिक विकास कार्यक्रम' आरम्भ किया। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक कार्यों में जनता की भागेदारी को बढ़ाना था। लेकिन यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से विफल रहा था।
- इसके पश्चात बहुत सारी समितियाँ का गठन इस संबंध में अपनी राय देने के लिये किया गया।

बलवन्त राय मेहता समिति 1957

- सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के बाद 'पंचायती राज' को मजबूत करने के लिए 1957 ई. में एक समिति गठित की गयी थी।
- इस समिति का अध्यक्ष बलवन्त राय मेहता थे, इसीलिए इस कमेटी को बलवन्त राय मेहता कमेटी के नाम से जाना जाता है। इस समिति ने नवम्बर 1957 ई. को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
- इस रिपोर्ट में इस समिति के द्वारा 'लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण' की सिफारिश की।
- इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर आजाद भारत में पहली 'त्रस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था' पर बल दिया गया था। जिसके निम्नलिखित तीन मुख्य भाग थे।

  1. ग्राम पंचायत 2. पंचायत समिति 3. जिला परिषद्
- 12 जनवरी 1958 ई को NDC - National Development Committee का गठन कर दिया गया था।
- NDC के द्वारा इस कमेटी की सिफारिशों को मान लिया गया और तत्काल इस संबंध में कार्य करने का आदेश जारी कर दिया गया था।
- सबसे पहले 'अगस्त 1958 ई.' को प्रायौगिक तरीके के तौर पर आंध्र प्रदेश में पंचायती राज्य व्यवस्था की शुरूआत की। जिसके बाद 2 अक्टूबर 1959 ई. को राजस्थान के नागौर में त्रिस्तरीय समिति की औपचारिक तौर पर शुरुआत की गयी।
- इसके अनुसार ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा।
- जिला पंचायत समिति को अप्रत्यक्ष रूप से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान से चुना जाता है।

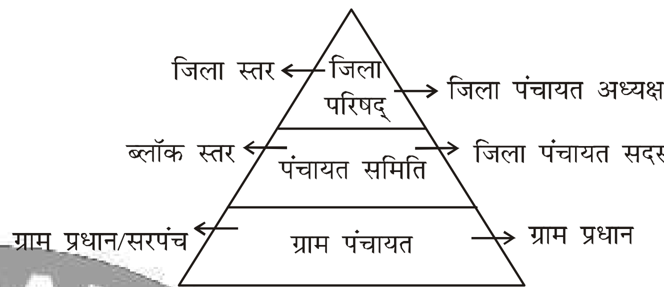

- पंचायत समिति को कार्यवाही निकाय (Executive Body) होना चाहिए।
- जिला परिषद् को सलाहकारी (Advisory), समन्वयकारी (Co-ordinating) और परिवेक्षण (Supervisory) निकाय होना चाहिए।
- जिलाधिकारी, जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। इन निकायों के पास पर्याप्त संशोधन होना चाहिए ताकि यह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

अशोक मेहता कमेटी, 1977

- दिसम्बर, 1977 ई. को जनता पार्टी की सरकार बनी तथा प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को और सशक्त बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गयी, जिसका अध्यक्ष अशोक मेहता को बनाया। जिसके नाम पर इस कमेटी का नाम 'अशोक मेहता कमेटी' के नाम से जाना गया।
- इस समिति के द्वारा 132 सिफारिशें की जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं-
  - अशोक मेहता कमेटी ने 'द्विस्तीय पंचयत समिति' की सिफारिश की। एक जिला स्तर पर जिला परिषद् के रूप में तथा दूसरी ब्लॉक स्तर पर पंचायत कमेटी होगी।
  - पंचायत कमेटी में गाँवों का एक समूह समाहित होगा। जोकि 15-20 हजार की जनसंख्या पर होगा।
  - जिलापरिषद् कार्यकारी निकाय होगा, जो राज्य स्तर पर योजना एवं विकास के लिए जिम्मेदार होगा।
  - पंचायत स्तर पर राजनैतिक दलों की भाग लेने की छूट दी जाए।
- पुरानी व्यवस्था अर्थात् त्रिस्तरीय व्यवस्था को हटाकर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर द्विस्तरीय व्यवस्था लागू की गयी। यह व्यवस्था पूर्व से विफल रही।
- 1933 में कर्नाटक में पहली बार चुनाव हुआ।

- राज्यपाल प्रत्येक राज्य के लिए अलग-अलग राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष के गठित करेगा।
- राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट को गवर्नर के समक्ष ग्राम पंचायतों के उत्थान हेतु रखेगा।
- राज्य वित्त आयोग गाँवों की उन्नति / सुधारों के लिए कौन-कौन से कदम उठाये जाना जरूरी है, यह राज्य वित्त आयोग सुनिश्चित करेगा।

पंचायती राज व्यवस्था की विशेषताएँ :-

ग्राम सभा

1. ग्रामसभा पंचायती राज व्यवस्था का बुनियादी स्तर होता है।
2. यह गाँवों के निर्वाचकों की एक सभा है, जो गाँव के विकास के लिए कार्य करेगी।
3. राज के विधानमण्डल के द्वारा प्रदान किये गये सभी विकास कार्यों का क्रियान्वयन करेगी।
4. त्रिस्तरीय प्रणाली - **ग्रामसभा** (ग्राम स्तर पर)- **पंचायत समिति** (ब्लॉक स्तर पर) - **जिला परिषद** (जिला स्तर पर) यह तीन प्रमुख स्तर इस व्यवस्था के अंतर्ग होते हैं।
5. जिस राज्य में आबादी 20 लाख से कम होगी, वहाँ मध्य वाला भाग अर्थात पंचायत समिति नहीं होगी।
6. ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष तथा पंचायत समिति (BDC-क्षेत्रीय पंचायत सदस्य) और जिला परिषद् (दोनों) के अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (दोनों को जनसंख्या में अनुपात के आधार पर आरक्षण देय होगा) तथा (महिलाओं-एक-तिहाई) के लिए पद आरक्षित होंगे।
8. ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पाँच वर्ष के पूर्व भी यह भंग हो सकती है किन्तु 6 माह के अंदर पुन: निर्वाचन होना आवश्यक है।
9. इनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले इनका चुनाव जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
10. इन सभी पदों पर चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा।
11. इसके लिएके आवंटन हेतु पंचायत कुछ कर (पक्षपाकर, मेला कर आदि) लगा सकेगी। जिसे राज्यों के द्वारा संकलित कर (एकत्रित कर) पंचायतों को दे दिया जएगा।
12. इन्हें राज्यों की संचित निधि (Consolidate Fund of State) से अनुदान दिया जाएगा।
13. राज्य सरकारें कुछ ऐसी निधियों का गठन करेगा, जिसमें ग्राम पंचायतों को मिलने वाला पैसा उनमें जमा हो सकेगा।

राज्य वित्त आयोग के अनविार्य तथा स्वैच्छिक कार्य

अनिवार्य कार्य

- एक गाँव या गाँवों का समूह होगा जिसे ग्रामपंचायत कहा जाएगा। जिनका त्रिस्तरीय प्रणाली से- ग्रामसभा (ग्राम)-पंचायत समिति (ब्लॉक स्तर पर)-जिला परिषद् (जिला स्तर पर) निर्धारित होगा।
- ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम के लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान के द्वारा चुना जाएगा।
- जिला पंचायत समिति को अप्रत्यक्ष रूप से मतदान के द्वारा चुना जाता है।
- इनके उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी।
- इन तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिए एक-तिहाई (1/3) पद आरक्षित होंगे।
- इन तीनों स्तरों पर चुने गये सदस्य तथा अध्यक्षों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। इनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले इनका चुनाव कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
- प्रत्येक गाँव के लिए राज्य वित्त आयोग होगा।
- इन सभी पदों पर चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा।

स्वैच्छिक कार्य

- प्रत्येक पंचायत में MP / MLA को प्रतिनिधित के तौर पर शामिल किया जाए।
- पंचायतों को न्याय, कानून व्यवस्था, रोजगार मुहैया कराने हेतु तथा शांति सौहार्द (Autonomous Body) बनाये रखने हेतु सार्मथवान बनाया की ओर कदम उठाना चाहिए।
- पंचायतों को इतनी शक्ति प्रदान की जाए कि वो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय कर सकें।
- पंचायतों को अधिकतम वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाने चाहिए जिससे कि वह गाँवों का विकास सुनिश्चित करा सकें। जैसे कर लगाना, कर की वसूली करना आदि।

शहरी स्थानीय शासन

- शहरी स्थानीय शासन मुख्यत: तीन प्रमुख मंत्रालयों के अधीन कार्य करता है।

1. नगर निगम, नगर विकास मंत्रालय (Urban Deveopment Department)
2. छावनी स्थानीय परिषद्, रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry)
3. संघ शासित प्रदेशों हेतु, गृह मंत्रालय (Home Ministry) के अधीन कार्य करता है।

- नगरीय (शहरी) स्वशासन व्यवस्था के संबंध में मूल संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- लेकिन सातवीं अनुसूची की राज्य सूची में शामिल करके यह स्पष्ट कर दिया था कि इस संबंध में कानून केवल राज्य द्वारा ही बनाया सकता है।

शहरी इकाईयों की अवधारणा का विकास

- सबसे पहले भारत में नगर निगम की स्थापना कब और कहाँ-
- 1687-88 में मद्रास। उस समय भारत पर औरंगजेब का शासन था।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- 1726 ई. में मुम्बई तथा कलकत्ता में नगर निगम की व्यवस्था लागू की गयी।
- इस संदर्भ में वर्ष 1882 को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी वर्ष भारत के तत्कालीन वायसराय रिपन (Rippon) ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय के गठन की पहल की।
- रिपन के समय इन्हें मुकामी बोर्ड (Local Board) कहा जाता था।
- जिसके बाद भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत कई प्रांतों में ग्राम पंचयतों की स्थापना हुई और यह सिलसिला 1935 के गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी जारी रहा ।
- स्वतंत्रता संघर्ष के समय गांधी जी ने भी सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर काफी जोर दिया था, उनका कहना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण साध न है।
- जब संविधान तैयार किया गया था तो स्थानीय सरकार का विषय राज्यों को सौंपा गया। इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों में भी शामिल किया गया।
- 1987 के बाद स्थानीय सरकारी संस्थानों के कामकाज की गहन समीक्षा शुरू की गई और 1989 में पी.के. थुंगन समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की।
- अंततः वर्ष 1992 में संसद द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन पारित किये गए।

(क) 73वाँ संवैधानिक संशाधेन 1992

- 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है। यह तत्कालीन PM पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हुआ।
- 24 अप्रैल, 1993 से 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, अतः 24 अप्रैल को 'राष्ट्रीय पंचायत दिवस' के रूप में मनाया जाता है। (राष्ट्रपति-आर. वेंकटरम थे)
- इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग-9 जोड़ा गया था।
- 73वें CAA से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों को शामिल किया।

(ख) 74वाँ संवैधानिक संशोधन 1993

- 74वाँ संविधान संशोधन शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, इसके के द्वारा नगरीय स्व-शासन के प्रावधानों के तहत संसद 1 जून 1993 ई. में 12वीं अनुसूची में जोड़कर 'स्थानीय नगरीय शासन' को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने किया गया है।
- 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगरपालिकाओं को 18 विषयों की सूची विनिर्दिष्ट की गई है।
- भारतीय संविधान के 'भाग 9क' में अनुच्छेद 334P से अनुच्छेद 234ZG तक मिलता है।
- नगरपालिकाओं का गठन अनुच्छेद 243Q में नगरपालिकाओं के तीन स्तरों के बारे में उपबंध हैं। जिन्हें नगर पंचायत / नगरपालिका / नगर निगम भी कहा जाता है।
- उल्लेखनीय है कि 74वें संविधान संशोधन में भी 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान जैसे-प्रत्यक्ष चुनाव और आरक्षण आदि शामिल हैं।
- नगरीय (शहरी) स्थानीय स्वशासी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित स्थानों की संख्या, नगर में उनकी जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित है।
- नगरीय संस्थाओं की अवधि 5 वर्ष होगी, लेकिन इन संस्थाओं का 5 वर्ष के पहले भी विघटन किया जा सकता है। और विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यकता होगा।
- नगरीय स्वायत्तशासी संस्थाओं में एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित स्थानों की जा संख्या होगी। उनमें भी एक जिताइर स्थान उन जातियों की महिलाओं के लिये आरक्षित होगी।
- नगर निगम 10 लाख से अधिक नगर पालिका 10 लाख से कम, नगर पंचायत होता है।
- वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 707 नगरीय स्थानीय निकायें हैं, जिनमें 17 नगर निगम (शाहजहाँपुर को 17वाँ नगर निगम बनाया गया है), 200 नगर पालिका परिषद एवं 490 नगर पंचायत हैं।
- शहरी स्थानीय शासन मुख्यतः निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।

1. जनगर निगम	5. नगरीय क्षेत्र समिति
2. नगर पालिका	6. छावनी परिषद्
3. नगर पंचायत	7. बन्दरगाह न्यास
4. अधिसूचित क्षेत्र समिति	8. विशेष उद्देश्य एजेन्सी

1. नगर निगम

- बड़े नगरों में स्थानीय स्व-शासन संस्थाओं को नगर निगम कहते हैं।
- नगर निगम की स्थापना राज्य शासन विशेष अधिनियम द्वारा करती है। नगर निगम की संरचना निर्वाचित पार्षदों राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, क्षेत्रीय संसद व विधायकों से होती है।
- किन्तु निर्वाचन पार्षदों के निर्वाचन पार्षदों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का सामान्य परिषद् में मत देने का अधिकार नहीं होता है। नगर निगम का कार्य संचालन तीन प्राधिकरणों के अधीन होता है।

(i) सामान्य परिषद्

(ii) स्थानीय समिति,

(iii) निगम आयुक्त

☞ सामान्य परिषद् को नगर निगम की विधायिका कहा जाता हैं, इसके सदस्यों को जनता वयस्क मताधिकार के आधार 5 वर्ष के लिये निर्वाचित करती है। जिसे नगर पार्षद कहा जाता है।

☞ नगर निगम को बार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या का निधारण राज्यपाल के अधिकार में होता है।

☞ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग व महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था होती है।

☞ नगर निगम का अध्यक्ष महापौर (मेयर) होगा, जिससे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है।

☞ उसका कार्य निगम की बैठकों की अध्यक्षता करना और उसका संचालन करना है।

☞ नगर निगम के महापौर का कार्यकाल 5 वर्ष है, नगर निगम के पार्षद, महापौर का अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटा सकते हैं।

☞ ये प्रस्ताव कुल पार्षदों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है।

नगर निगम के कार्य

☞ नगर निगम एक व्यवस्थापिका तरह कार्य करती है। इसके कार्य को अनिवार्य और ऐच्छिक में बांट सकते हैं। कार्य है-

(i) भूमि उपयोग एवं भवन निर्माण करना। गंदी बस्तियों में सुधार करना।

(ii) स्वच्छ जल, सड़क, प्रकाश, एवं स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना।

(iii) जल निकासी एवं सफाई व्यवस्था।

(iv) शैक्षिक एवं उद्यान, खेल का मैदान की व्यवस्था कराना।

(v) जन्म मृत्यु पंजीयन एवं शवदाह गृह व्यवस्था।

(vi) अग्निशमन सेवाएँ इत्यादि।

आय के स्रोत

☞ निगम अपने स्तर पर संसाधनों से आय जुटाती है जैसे सम्पत्ति कर, जलकर, अग्निकर, सम्पत्ति हस्तांतरण कर, बाजारकर, दुकान कर, चुंगीकर विज्ञापन कर, आदि।

☞ इसके अतिरिक्त ये निकाय सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं।

2. नगरपालिका

☞ छोटे शहरी स्थानीय स्वशासन संस्थायें नगरपालिका कहलाती है।

☞ नगरपालिका का गठन एवं उसकी कार्य शक्ति के लिए राज्य सरकार अधिनियम बनाती है।

☞ गठन–नगर पालिका के सदस्यों की संख्या नगर की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होता है।

☞ नगर को वार्ड में बांट दिया जाता है। जिसमें कुछ वार्ड अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए सुरक्षित होते हैं। इनके सदस्य चुने जाने की योग्यताएँ निम्न हैं-

(i) आयु 21 वर्ष से कम न हो।

(ii) उसका नाम उस नगर के मतदाता सूची में हो।

(iii) किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित न किया गया हो।

(iv) केन्द्र या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद न हो।

☞ नगर पालिका की **'अध्यक्ष'** का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से **यस्क जनता** द्वारा किया जाता है। नगरपालिका की एक 'परिषद्' होती है जिसकी बैठक 1 माह में एक बार होना आवश्यक है बैठक की अध्यक्षता 'अध्यक्ष' करता है।

☞ इसी प्रकार प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता पार्षदों का भी निर्वाचन करते हैं। नगरपालिका के पार्षद अपने में से गुप्त मतदान द्वारा एक **'उपाध्यक्ष'** चुनते है।।

☞ नगरपालिका के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पार्षद **अविश्वास प्रस्ताव** द्वारा हटा भी सकते हैं।

नगर पालिका परिषद् प्रशासन-

☞ प्रशासनिक व्यवस्था हेतु प्रत्येक पालिका अधिकार (CMO) की व्यवस्था की गई है।

☞ ये विभिन्न परिषदों व समितियों द्वारा लिये गये का कार्यान्वित करते हैं।

☞ नगरपालिका अपने विभिन्न कार्यों सम्पादन हेतु समितियों, उपसमितियाँ, गठन करती है।

☞ इस समिति में निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कुछ स्थायी सदस्य भी होते हैं। जैसे- कार्यपालन अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई अधिकारी, म्यूनिसीपल इंजीनियर, ओवरसियर, चुंगी अधिकारी, शिक्षा विशेषज्ञ आदि । नगरपालिकाओं की चार श्रेणियाँ हैं।

(i) प्रथम श्रेणी- 50 हजार जनसंख्या वाले नगरों में।

(ii) द्वितीय श्रेणी - 50 हजार से कम, बीस हजार से अधिक जनसंख्या वाले नगर।

(iii) तृतीय श्रेणी- 10 हजार से अधिक, बीस हजार से कम जनसंख्या वाले नगर।

(iv) चतुर्थ श्रेणी - 10 हजार से कम जनसंख्या वाले नगर।

नगर पालिका के कार्य

☞ सामान्यतः नगर निगम और नगरपालिका के कार्य लगभग समान है।

☞ सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुविधाएँ सार्वजनिक शिक्षा आदि क्षेत्र में इसके महत्वपूर्ण कार्य है।

☞ **इसके कार्य निम्नलिखित हैं।**

(i) सार्वजनिक सड़कों, भवनों पर प्रकाश की व्यवस्था कराना।

(ii) अग्निशमन (आग बुझाने) की व्यवस्था करना।

(iii) नगर की सफाई कराना।

(iv) काँजी हाऊस खोलना।

(v) जन्म-मृत्यु का पंजीयन।

(vi) संक्रमाक रोगों से बचाव करना आदि कार्य नगरपालिका द्वारा किये जाते हैं।

3. नगर पंचायत

- नगर पंचायत नगरीय क्षेत्र की पहली स्वायत्त संस्था है। 'नगर पंचायत' की व्यवस्था वहाँ की जाती है। जो संक्रमाणशील क्षेत्र हों, अर्थात् ऐसे क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं।
- ग्रामीण क्ष्सोत्र और नगरीय के बीच की श्रेणी वाले क्षेत्र के लिए नगर पंचायतों की व्यवस्था की गई है।
- नगर पंचायत के सदस्यों का पार्षद कहा जाता है। नगर पंचायत के प्रधान को अध्यक्ष कहा जाता है।
- पार्षद् व अध्यक्ष का निर्वाचन, उस नगर की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। पार्षद अने में से एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं।
- नगर पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष होता है पाँच वर्ष के पूर्व भी यह भंग हो सकती है, किन्तु 6 माह के अंदर पुन: निर्वाचन होना आवश्यक है।

नगर पंचायत के कार्य-

(i) सड़क, नाली, गली आदि की सफाई करना।

(ii) सार्वजनिक स्थानों व सड़कों, गली आदि में बिजली की व्यवस्था करना।

(iii) जल प्रदान करना।

(iv) सार्वजनिक शौचालय स्नानागार की व्यवस्था करना।

(v) सार्वजनिक बाजारों की व्यवस्था करना।

(vi) आग लग जाने पर बुझाने के लिए अग्निशमन की व्यवस्था करना।

(vii) श्मशान घाट (स्थल) की व्यवस्था करना।

(viii) जन्म व मृत्यु का पंजीयन करना।

(ix) गंदगी सुधार, पार्क विकसित करना, वाचानलय की व्यवस्था इत्यादि।

आय के स्रोत

- राज्य की व्यवस्थापिका इन संस्थाओं को कर, शुल्क पथकर, बाजार एवं दुकान पर टैक्स निर्धारित करने, संग्रति करने एवं व्यय करने का अधिकार देती है।
- राज्य सरकार की ओर से इन्हें अनुदान प्रदान किया जाता है।

4. अधिसूचित क्षेत्र समिति (Notified Area Committee)

- औद्योगिकीकरण, ऐतिहासिक संदर्भ, विशेष व्यवसायिक गतिविधि आदि के कारण जो नगर विशेष महत्व रखते हैं लेकिन नगर पालिका के लिये आवश्यक शर्त्तें को पूरा नहीं करते, वहाँ अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन राज्यपाल करता है। यह **निर्वाचित** संस्था नहीं होती है।

5. छावनी परिषद (Cantonment Board)

- जहाँ सैन्य बल और उनकी टुकड़ियाँ स्थायी रूप से तैनात हैं, इसे छावनी क्षेत्रों में नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए स्थापित किया जाता है।
- केन्द्र सरकार के कैंटोनमेंट एक्ट, 2006 द्वारा छावनी परिषद की स्थापना वर्ष 2006 में की गयी।
- यह केन्द्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती हैं। यह आंशिक रूप से निर्वाचित तथा आंशिक रूप से नामित निकाय है तथा उस स्टेशन की कमान संभालने वाला सैन्य अधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। छावनी परिषद् का कार्यकारी अधिकारी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में से उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है।

6. नगर क्षेत्र समिति (Twon Area Committee)

- लघुत्तर शहरों में समिति नगरीय कार्यों, जैसे-सड़क, जल निकासी, प्रकाश, पर्यावरण संरक्षण आदि के लिए "नगर क्षेत्र समिति" की स्थापना राज्य सरकार अधिनियम के द्वारा करती है।

7. टाऊनशीप (Twonship)

- यह सार्वजनिक उपक्रमों की कालोनियों में कार्यरत स्थानीय का रूप है।
- उपक्रम अपनी कालोनी के निवासियों की मूलभूत नागरिक जरूरतों को पूरा करने के लिये "टाऊनशीप प्रशासन" स्थापित करता है।
- इसमें कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होता है।

8. पोर्ट ट्रस्ट (Port Trust)

- संसदीय अधिनियम द्वारा पोर्ट ट्रस्ट का गठन "बंदरगाह प्रशासन" के लिये किया जाता है।
- इसके दो प्रमुख कार्य दायित्व हैं।
  (i) बंदरगाहों का प्रबंधन और सुरक्षा
  (ii) बंदरगाह की आबादी को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- पोर्ट ट्रस्ट में निर्वाचित (स्थानीय आबादी द्वारा) तथा नामित (केन्द्र द्वारा) दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष नामित अधिकारी होता है।

9. विशेष उद्देश्यात्क अभिकरण (Special Purpose Agencies)

- नगरीय क्षेत्रों में विशेष कार्य के सीमाबद्ध संपादन हेतु विशेष उद्देश्यात्मक अभिकरण गठित किये जाते हैं। इनका क्षेत्र और संबंधित नगरीय निकाय का क्षेत्र एक ही होता है लेकिन कार्य भिन्न होता है। जैसे-इन्दौर में नगर निगम और विकास

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

प्राधिकरण दोनों है लेकिन पहले का काम शहर में नागरिक सुविधाओं की देखभाल है जबकि दूसरे का काम कालोनी विकास है।

- अत: पहला (नगर निगम) स्थानीय शासन की नियमित संस्था हैं, जबकि दूसरा (प्राधिकरण) क्षेत्र विकास का विशेष संस्था है। इन विशेष अभिकरणों का प्रचलन देश में विभिन्न भागों से है। यहाँ तक की एक ही राज्य में एक से अधिक स्वरूप प्रचलित हो सकते हैं।
- यह **सात शहरी इकाईयों** का अधिकरणों अथवा निकाय है। जो निम्नलिखित हैं।

(i) शहरी विकास प्राधिकरण या क्षेत्र विकास प्राधिकरण
(ii) नगर सुधार न्यास (Town Improvement Trust)
(iii) यह निर्माण मण्डल (Housing Board)
(iv) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Pollution Control Board)
(v) यातायात बोर्ड (Transport Board)
(vi) पेयजल आपूर्ति एवं जलमल निकासी मण्डल (Water Supply & Sewerage Board)
(vii) विद्युत आपूर्ति मण्डल (Electricity Supply Board)

संवैधानिक निकाय-स्थायी व स्वतंत्र निकाय है।

1. निर्वाचन आयोग
2. संघ लोक सेवा आयोग
3. राज्य लोक सेवा आयोग
4. वित्त आयोग
5. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग
6. अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग
7. भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी
8. भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक
9. भारत का महान्यायवादी।
10. राज्य का महाधिवक्ता

गैर-संवैधानिक निकाय-

1. नीति आयोग,
2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
3. राज्य मानवाधिकार आयोग
4. केन्द्रीय सूचना आयोग
5. राज्य सूचना आयोग
6. केन्द्रीय सतर्कता आयोग,
7. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
8. लोकपाल एवं लोकायुक्त।

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

(CAG-Comptroller & Auditor General of India)

(अनु. 148 से 151 तक)

- वर्तमान- श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू,
- वेतन- 2.5 लाख
- नियुक्ति / शपथ / त्याग पत्र- राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

"भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (CAG) संभवत: भारत के संविधान को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वहाँ ऐसा व्यक्ति है, जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च न होने पाए या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए।"

-डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है।
- यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (Indian Audit & Accounts Department) का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है।
- इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिये सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों (सार्वजनिक धन खर्च करने वाले) की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है।

पृष्ठभूमि

- महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था।
- 1860 में **सर एडवर्ड ड्रमंड** को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखापरीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा।
- वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रण महालेखा परीक्षक कर दिया गया और वर्ष 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया।
- भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत महालेखापरीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था।
- भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघीय ढाँचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिये प्रावधान करके महालेखापरीक्षक के पद को और शक्ति दी।
- वर्ष 1958 में CAG के क्षेत्राधिकार में जम्मू और कश्मीर को शामिल किया गया।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- वर्ष 1971 में केन्द्र सरकार ने नियंत्रण और महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 लागू किया। अधिनियम ने CAG का केन्द्र और राज्य सरकारों के लिये लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी दी।
- वर्ष 1976 में CAG को केन्द्र के लेखांकन (Account) के कार्यों से मुक्त कर दिया गया, परन्तु राज्य के लेखांकन (Account) के मामले में स्थिति पूर्वत ही है।

वैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 148 CAG की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखापरीक्षक नियुक्त किये जाने का प्रावधान किया गया।
- अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षाक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है।
- अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों की खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार (CAG की सलाह पर) रखना।
- अनुच्छेद 151 संघ के खातों से संबंधित CAG की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी।
- अनुच्छेद 279 'शुद्ध आय' की गणना CAG द्वारा प्रमाणित होती है जिसका प्रमाणपत्र अंतिम होता है।
- **तीसरी अनुसूची**-भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा IV भारत के CAG और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है।
- छठी अनुसूची के अनुसार, जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति और CAG द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए।
- इन निकायों के खाते का लेखा-जोखा इस तरह से करना होगा जिस प्रकार CAG उचित समझता है और ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट **राज्यपाल** को प्रस्तुत की जाएगी, जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है।

CAG की स्वायत्तता

- इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 की आयु तक होता है। (दोनों में से जो भी पहले हो)
- CAG को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। (महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा)
- एक बार CAG के पद से सेवानिवृत्त होने / इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता ।
- CAG का वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद भिन्न (कम) नहीं की जा सकतीं।
- CAG के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शमिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित (Charged) होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता।
- CAG की प्रशासनिक शक्तियाँ और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती हैं।

CAG के कार्य और शक्तियाँ

- CAG भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य, केन्द्रशासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है, कि संचित निधि ये संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चो का परीक्षण करता है।
- भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के सथ-साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चो का परीक्षण करता है।
- केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ-हानि खातों बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करता हैं
- संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केन्द्र या राज्यों के राजस्व से वित्तपोषित होने वाले सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कम्पनियों, निगमों और निकायों की आय-व्यय का परीक्षण करता हैं।
- राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किये जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है, जैसे- कोई स्थानीय निकाय।
- केन्द्र के खातों से संबंधित आनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है।
- किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है।
- संसद की लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee) के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है।

CAG और लोक लेखा समिति
(Public Accounts Committee - PAC)

- लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत गठित एक स्थायी संसदीय समिति है।
- CAG की ऑडिट रिपोर्ट केन्द्र और राज्य में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है।

- विनियोग खातों, वित्त खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट की जाँच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है।
- केन्द्रीय स्तर पर इन रिपोर्टों को CAG द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, जो संसद में दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है।
- CAG सबसे जरूरी मामलों की एक सूची तैयार करके लेखा लेखा समिति को सौंपता है।
- CAG कभी-कभी राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के विचारों की व्याख्या और अनुवाद भी करता है।
- CAG यह देखता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित सुधारत्मक कार्रवाई की गई है या नहीं। यदि नहीं तो वह मामले को लोक लेखा समिति के पास भेज देता है जो मामले पर आवश्यक कार्रवाई करती है।

महान्यायवादी तथा महाधिवक्ता

विशेषताएँ	महान्यायवादी	महाधिवक्ता
अनु.	76	165
प्रथम व वर्तमान	MMC सीतावाद (13 साल) K.K. वेणुगोपाल राव	CK धपर्ती व (यू. पी. - राघवेन्द्र सिंह)
कार्यकाल	राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त पर बना रहता है।	राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त पर बना रहता है।
विशेष अधिकार	अनु. 88 के तहत सदन की बैठक में भाग लेने का अधिकार है परन्तु मतदान का अधिकार नहीं होता है।	राज्य विधान बैठक में हिस्सा लेता है परंतु मतदान नहीं कर सकता है।
स्थान	भारत में कानून की दृष्टि से सर्वोच्च नागरिकता होता है।	राज्य में कानून की दृष्टि से सबसे पहला नागरिक है।
कार्यवाही क्षेत्र	सम्पूर्ण भारत में कही भी न्याय संबंधित कार्यवाही कर सकता है	सम्पूर्ण राज्य में कहीं भी न्याय संबंधित कार्यवाही कर सकता है।
मददगार	इनकी मदद के लिए 2 सॉलीस्टर होते हैं।	इनकी मदद के लिए 2 सहायक होते हैं।

वित्त आयोग

- अनु. 280 के तहत अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है।
- प्रथम अध्यक्ष - के. सी. नियोगी
  वर्तमान अध्यक्ष - नंद किशोर सिंह)
- वित्त आयोग में 5 सदस्य (1 अध्यक्ष + 4 सदस्य) होते हैं।
- सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल (1 अप्रैल 1951 से 30 मार्च 1956) तक था।

वित्त आयोग के कार्य दायित्व

- भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों को कैसे वितरित किया जाए एवं राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन।
- अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को अनुदान/सहायता दी जानी चाहिए।
- राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संसाधनों की आपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि में संवर्द्धन के लिये आवश्यक कदमों की सिफारिश करना।
- राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त अन्य कोई विशिष्ट निर्देश, जो देश के सदृढ़ वित्त के हित में हों।
- आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में रखवाया जाता है। प्रस्तुत सिफारिशों के साथ स्पष्टीकरण ज्ञापन भी रखवाया जाता है ताकि प्रत्येक सिफारिश के संबंध में हुई कार्यवाही की जानकारी हो सके।

- वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें **सलाहकारी प्रवृत्ति** की होती हैं, इसे मानना या न मानना सरकार पर निर्भर करता है।
- इसका कार्य केन्द्र तथा राज्यों के मध्य वित्त की समस्यों (वित्त बंटवारा) का हल निकाला है।
- **वर्तमान में 15वां** वित्त आयोग चल रहा है- (2021-2025) तक।
- वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहाकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद व जार्जआउन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अनूप सिंह आयोग के सदस्य बनाए गए हैं।

निर्वाचन आयोग

(भाग-15, तथा अनु. 324 से 329 तक)

- अनु. 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग स्थापना-25 जनवरी 1950 को हुई।
- मतदाता दिवस- 25 जनवरी
- प्रथम आम चुनाव - 1951 में
- निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य (1 अध्यक्ष + 2 सदस्य) होते हैं। 16 अक्टूबर 1989 से।
- भारतीय निर्वाचन आयोग के सभी सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति है।
- कार्यकाल - 6 वर्ष या 65 वर्ष (अध्यक्ष) अन्य सदस्यों का 5 वर्ष या 62 वर्ष।
- प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी- सुकुमार सेन।
- वर्तमान - .... -सुनील अरोड़ा (2021)
- वेतनमान सदस्य तथा अध्यक्ष- 250000/- (उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश के बराबर)
- EVM (Electronic Voting Machine) इसका सर्वप्रथम प्रयोग केरल में 1980 में प्रारुर के 50 बूथों पर किया गया था।
- ईवीएम से पूरा चुनाव कराने वाल राज्य- गोवा (1999)
- सम्पूर्ण आम चुनाव इसके द्वारा 2004, 2009 में किया गया।
- VVPAT - Voter Verifiable Paper Audit Trail नोक्सन, नागालैण्ड विधान सभा चुनाव सितम्बर 2013 में पहली बार प्रयोग किया था।
- भारत में कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या-7

क्रम.	पार्टी का नाम	स्थापना	चुनाव चिन्ह	राष्ट्रीय अध्यक्ष
1.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	1885	हाथ	मल्लिकार्जुन खड़गे
2.	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	1924	बाल और हँसिया	सुवावरम सुधाकर रेड्डी
3.	भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी)	1964	हथौड़ा हँसिया व सितारा	सीताराम सेचुरी
4.	भारतीय जनता पार्टी	1970	कमल का फूल	जय प्रकाश नड्डा
5.	बहुजन समाजवादी पार्टी	1984	हाथी (असम को छोड़कर)	मायावती
6.	सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी	1998	फूल और घास	ममता बनर्जी
7.	राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	1999	घड़ी	शरद पवार

संघ लोक सेवा आयोग

(भाग-14, तथा अनु०-315 से 323 तक)

- **UPSC के अध्यक्ष-** प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी (12 मई, 2021 तक)
- **अनु०-** 315 संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की स्थापना 1919 भारत शासन अधिनियम (मांटेग-चैम्सफोर्ड सुधार) के अन्तर्गत 1 अक्टूबर, 1926 की गई।
- **UPSC-** Union Public Selection Commission
- UPSC के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
- UPSC के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष उम्र तक जो पहले पूरा हो।
- वेतन- 250000/-
- **कार्य-** UPSC अखिल भारतीय सेवाओं, केन्द्रीय सेवाओं व केन्द्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन कराते हैं।
- UPSC के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना **त्याग पत्र राष्ट्रपति** को सौंपते हैं।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- UPSC के अध्यक्ष तथा सदस्य **सेवानिवृति** के बाद किसी भी सरकारी तथा अन्य संस्था में कार्य करने के लिए पात्र नहीं होते हैं।
- **अनु॰–** 315 के अन्तर्गत ही **राज्य लोक सेवा आयोग** (PSC) की स्थापना की जाती है।
- PSC के सदस्यों तथा अध्यक्ष का कार्यकाल– 5 वर्ष या 62 वर्ष उम्र तक जो पहले पूरा हो।
- राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति **राज्यपाल** करता है।
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को की गई।
- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष–

सीबीआई (केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो)

(CBI– Central Bureau of Investigestion)

- मुख्यालय- नई दिल्ली
- **आदर्श वाक्य**- उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी।
- भारत की प्रमुख जाँच एजेन्सी है।
- **स्थापना**- 1941 स्पेशल **पुलिस स्टेबिस्मेन्ट** के नाम से स्थापना हुई।
- 01.04.1963 से इसे सीबीआई के नाम से जाना जाने लगा।
- **डायरेक्टर** का वेतनमान– 250000/-
- **नियुक्ति–** प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली **3 सदस्यों चयन समिति** द्वारा किया जाता है।
  1. प्रधानमंत्री
  2. सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनका प्रतिनिधि
  3. लोकसभा में विपक्ष का नेता

नोट: 10 जनवरी, 2019 सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच मीट व्यापारी मोइन कुरैशी से जुड़े केस की जाँच को प्रभावित करने व 2 करोड़ रिश्वत लेने के विवाद के चलते इतिहास में पहली बार किसी सीबीआई निदेशक के खिलाफ चयन समिति ने 2-1 के बहुमत से उसके निदेशक पद से हटाया गया हो।

●●●

लोकपाल

- भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु दो विशेष प्रधाकारियों **लोकपाल** व **लोकायुक्त** की नियुक्ति की गई।
- लोकपाल व लोकायुक्त की स्थापना **स्कैण्डनेवियन देशों** के **इंस्टीट्यूट ऑफ ओमबुडसमैन और न्यूजीलैंड** के **पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन** की तर्ज पर की गई है।
- सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश **पिनाकी घोष** देश के **प्रथम लोकपाल** बनाये गये।
  - पिनाकी घोष 27 मई 2017 को **सुप्रीम कोर्ट** के **न्यायाधीश** के पद से सेवानिवृत हुए हैं।
  - वर्तमान में **राष्ट्रीय मानवाकिधार आयोग** के सदस्य भी हैं।
- **तमिलनाडु** की **मुख्यमंत्री शशिकला** को आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में सजा सुनाकर चर्चित हुए।
- कार्यकाल- 5 वर्ष
- **लोकपाल** की **नियुक्ति समिति** के सदस्यों की सिफारिश पर– **राष्ट्रपति** द्वारा
  - प्रधानमंत्री – **श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी**
  - सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश – **रंजन गोगई**
  - लोकसभा अध्यक्ष – **सुमित्रा महाजन**
  - वरिष्ठ अध्यक्ष – **मुकुल रोहतगी**
  - नेता प्रतिपक्ष – **मल्लिकार्जुन खड़गे** मौजूद नहीं रहे।
- **कार्य क्षेत्र –** किसी भी जाँच एजेन्सी की जाँच करना, प्रधनमंत्री के साथ-2 किसी भी कैबिनेट के मंत्री, सांसद, विधायक और किसी भी संवैधानिक अधिकारी की जाँच कर सकेगा।
- **न्यूज़ीलैण्ड** की तरह **न्यायालयों** को लोकयुक्त व लोकपाल के दायरे से **बाहर** रखा है।

1. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति** तथा **अनुसूचित जनजाति आयोग–** इसका प्रमुख आयुक्त होता है।

नोट: **लोकसभा** व राज्यों की **विधानसभा** में SC/ST **आरक्षण** तथा **1 आंग्ल-भारतीय** को **राज्यपाल** के द्वारा नामित करने के **प्रावधान** को क्रमश: निम्न CAA के द्वारा बढ़ाया गया है।

08वां CAA 190- (1970 तक), 23वां CAA 1969- (1980 तक), 45 वां CAA 1980- (1990 तक), 62वां CAA 1989- (2000 तक), 79वां CAA 1999- (2010 तक), 95वां CAA 2009- (2020 तक)।

क्रम	अनुच्छेद	विवरण
1.	330	लोकसभा में SC/ST की 84 सीटें आरक्षित होती है। (95वाँ CAA 2009)
2.	332	राज्य की विधानसभाओं में SC/ST की 47 सीटें आरक्षित होती है।
3.	335	केन्द्र व राज्य की नौकरी व सेवाओं / प्रोन्नति में SC/ST के लिए अंक एवं योग्यता में आरक्षण (82वाँ CAA 2000)
4.	331	लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधितव का होना।
5.	333	राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल-भातरीय समुदाय का प्रतिनिधित्व (1 सीट) का होना।
6.	338	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (65वाँ CAA 1990)
7.	338 ए	अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (65वाँ CAA 1990)
8.	341	अनुसूचित जातियाँ (SC)
9.	342	अनुसूचित जनजातियाँ (ST)
10.	334	सीटों के आरक्षण एवं विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था 70 साल बाद समाप्त हो जाना।

2. **भाषायी अल्पसंख्यक** वर्गों के लिए विशेष अधिकारी–

- ☞ भाग-17, अनु॰ – 350 ख
- ☞ स्थापना 7वाँ CAA 1956 **प्रमुख**-आयुक्त (कमीशनर)।
- ☞ इसके 4 में से 1 मुख्यालय **इलाहाबाद (उ॰प्र॰)** में भी है।

3. **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग–**

- ☞ यह एक **सांविधिक निकाय** है। इसका गठन एक संसद के पारित अधिनियम **"मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993"** के आधार पर हुआ है।
- ☞ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष-**सेवानिवृत नयायाधीश** एच॰ एल॰ दत्तू
- ☞ आयोग की संरचना-1 अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं।
- ➢ आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए।
- ➢ एक सदस्य- उच्चतम न्यायालय में कार्यरत तथा सेवानिवृत न्यायाधीश होगा।
- ➢ एक सदस्य- उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश होगा।
- ➢ दो सदस्य- अन्य व्यक्तियों को **मानवाधिकार** से **संबंधित ज्ञान** होना चाहिए।
- ➢ आयोग में **चार** अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं।
  1. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष
  2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष
  3. राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष
- ☞ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति समिति सदस्यों की सिफारिश पर- राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- ☞ इस आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष की नियुक्ति हेतु 6 सदस्यों वाली समिति–
  1. प्रधानमंत्री
  2. लोकसभा अध्यक्ष
  3. राज्यसभा के उप-सभापति
  4. लोकसभा तथा राज्यसभा में मुख्य विपक्षी दल के नेता
  5. केन्द्रीय गृहमंत्री
- ☞ **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** के अध्यक्ष का **कार्यकाल**- 5 वर्ष या 70 वर्ष उम्र जो पहले हो।
- ☞ इस पद से सेवानिवृत्त के बाद में अध्यक्ष व सदस्य किसी भी विभाग (सरकारी और गैर-सरकारी) में नियोजन का पात्र नहीं रहता है।
- ☞ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्य मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना, जिसकी वह अवहेलना कर रहा है।
- ☞ **जेलों** तथा **बन्दीगृहों** में जाकर औचक निरीक्षण करना।

4. **नीति आयोग–**

- ☞ NITI Aayog–National Institution for Transforming India (दूसरा नाम-**"थिंक टैंक"**)
- ☞ इसकी स्थापना 1 जनवरी, 2015 को **योजना आयोग** के उत्तराधिकारी के रूप में की गई।
- ☞ **नीति** आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ? – **प्रधानमंत्री**
- ☞ **नीति** आयोग एक न **तो संवैधानिक, न ही वैधानिक** निकाय तथा दूसरे शब्दों में गैर-संवैधानिक (संसद के **किसी अधिनियम** द्वारा **अधिनियमित नहीं** है।) निकाय है।

भारत के विभिन्न पदाधिकारी तथा उनके बारे में अन्य जानकारी

क्रम	पद	वर्तमान	शपथ	वेतन	कार्यकाल	त्यागपत्र
1.	राष्ट्रपति 14वें	श्री रामनाथ कोविन्द	CJI	500000	5 वर्ष	उपराष्ट्रपति
2.	उपराष्ट्रपति 13	एम॰ वैंकेया नायडू	राष्ट्रपति	400000	5 वर्ष	राष्ट्रपति
3.	प्रधानमंत्री 15वें	नरेन्द्र दामोदर दास मोदी	राष्ट्रपति	165000	जब तक लोकसभा रहे, 5 वर्ष	राष्ट्रपति
4.	राज्यपाल	आनंदीबेन पटेल (उ॰प्र॰)	राज्य का CJ	350000	राष्ट्रपति चाहे जब तक, 5 वर्ष	राष्ट्रपति
5.	भारत के मुख्य न्यायाधीश 47	न्यायमूर्ति श्री रशद अरविंद बोबडे	राष्ट्रपति	280000	5 वर्ष या, 65 वर्ष उम्र तक	राष्ट्रपति
6.	SC के अन्य जज	–	राष्ट्रपति	250000	5 वर्ष या, 65 वर्ष उम्र तक	राष्ट्रपति
7.	HC मुख्य जज	गोविन्द माथुर (उ॰प्र॰)	राज्यपाल	250000	5 वर्ष या, 62 वर्ष उम्र तक	राष्ट्रपति
8.	HC के अन्य जज	–	राज्यपाल	225000	5 वर्ष या, 62 वर्ष उम्र तक	राष्ट्रपति
9.	CAG 14वाँ	श्री गिरीश चन्द्र मुर्मू	राष्ट्रपति	250000	6 वर्ष या, 65 वर्ष उम्र तक	राष्ट्रपति
10.	UPSC 29वाँ	प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी	राष्ट्रपति	250000	6 वर्ष या, 65 वर्ष उम्र तक	राष्ट्रपति
11.	कमहान्यायवादी 15वाँ	K.K. वेणूगोपाल राय	राष्ट्रपति	250000	राष्ट्रपति चाहे जब तक	राष्ट्रपति
12.	मुख्य चुनाव अधिकारी 22वें	सुनील अरोड़ा	राष्ट्रपति	250000	6 साल या, 65 वर्ष	राष्ट्रपति
13.	प्रुमख सचिव केन्द्र (PMO)	प्रवीण कुमार मिश्र	राष्ट्रपति	250000	5 वर्ष	सेवानिवृत्त
14.	उप-राज्यपाल	–	राज्य का CJ	110000	5 वर्ष या, 65 वर्ष उम्र तक	राष्ट्रपति
15.	थल सेनाध्यक्ष	जनरल मनोज मुकुन्द नरवाणे	राष्ट्रपति	250000	65 वर्ष की आयु तक	राष्ट्रपति
16.	वायु सेना प्रमुख एस॰ भदौरिया	एयर-चीफ मार्शल आर॰के॰	राष्ट्रपति	250000	65 वर्ष की आयु तक	राष्ट्रपति
17.	नौसेना प्रमुख	एडमिरल कर्मवीर सिंह	राष्ट्रपति	250000	65 वर्ष की आयु तक	राष्ट्रपति
18.	प्रमुख सचिव राज्य	–	राष्ट्रपति	225000	65 वर्ष की आयु तक	राष्ट्रपति
19.	लोकसभा अध्यक्ष (17वें)	ओम बिड़ला	लोकसभा सदस्य	50000	जब तक लोकसभा चले। 5 वर्ष	लोकसभा उपाध्यक्ष
20.	लोक सभा सदस्य	– जनता	भारतीय	50000 5 वर्ष	तब तक लोकसभा चले। उपाध्यक्ष	लोकसभा
21.	लोकपाल (पहला)	पिनाकी चन्द्र घोष	चयन समिति		5 वर्ष	राष्ट्रपति

भारतीय संविधान के अनुसार विभिन्न पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम–

1. राष्ट्रपति।
2. उप–राष्ट्रपति।
3. प्रधानमंत्री।
4. राज्यों के राज्यपाल।
5. भूतपूर्व राष्ट्रपति।
5. (क) उप–प्रधानमंत्री
6. भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष।
7. केंद्रीय मंत्रिमण्डल के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष नीति आयोग, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष में नेता।
7. (क) भारत–रत्न से सम्मानित व्यक्ति।
8. राजदूत, उच्चायुक्त।
9. उच्चतम नयायालय के न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कैग।
10. राज्यसभा के उप–सभापति, राज्यों के उप–मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सदस्य, केन्द्र व राज्यमंत्री।
11. भारत का महान्यायवादी, मंत्रिमण्डल सचिव, उप–राज्यपाल केन्द्र शासित प्रदेशों के।
12. जनरल तथा उसके समान रैंक के सेनाध्यक्ष।
13. भारत में स्थित विदेश के असाधारण दूत।
14. राज्यों के विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने–अपने राज्य में उच्च नयायालयों के मुख्य न्यायाधीश।
15. राज्यों के मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्री, केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री।
16. लेफ्टिनेंट जनरल अथवा उसके रैंक वाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष।
17. केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश।
21. संसद के सदस्य।
23. आर्मी कमांडर, उप–थलसेना अध्यक्ष तथा उनके समकक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति के सदस्य, भारत सरकार के सचिव, सचिव रैंक के समकक्ष, सॉलिसिटर जनरल।
25. राज्यों के महाधिवक्ता, पुलिस बलों के महानिदेशक, CBI आदिक के प्रमुख, सदस्य UPSC.

भारत के निम्न **गणमान्य व्यक्तियों** के **निधन** पर भारतीय झंडे के कहाँ–2 झुकाया जाता है।

- ☞ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री– **समस्त भारत में**
- ☞ लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश– **दिल्ली में**
- ☞ केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री– **दिल्ली** तथा **राज्यों की राजधानी** में
- ☞ संघ के राज्य मंत्री आिवा उपमंत्री– **दिल्ली**
- ☞ राज्यपाल, उप–राज्यपाल, किसी राज्य के मुख्यमंत्री, संघ शासित क्षेत्र के मुख्यमंत्री, किसी राज्य के कैबिनेट के मंत्री– **संबंधित राज्य की राजधानी** में।

दिल्ली के लिये विशेष उपबंध– (अनु॰– 239 ए ए)

- ☞ 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा **केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली** को विशेष हैसियत प्रदान की गई और इसे **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली** का दर्जा दिया गया।
- ☞ **दिल्ली** के लिए **विधानसभा** तथा **मंत्रिमण्डल** की व्यवस्था की गई।
- ☞ **विधानसभा** की क्षमता **70 सदस्यों** की गयी, तथा **मंत्रिमण्डल** में कुल **7 मंत्रियों** की व्यवस्था की गई।
- ☞ यहाँ **राज्यपाल न होने** के कारण दिल्ली में **राष्ट्रपति** द्वारा **मुख्यमंत्री** को नियुक्त किया जाता है।
- ☞ दिल्ली में **उप–राज्यपाल** राज्यपाल के तौर पर कार्य करता है।
- ☞ **राज्य सूची** के **तीन** विषय **(लोक व्यवस्था, पुलिस** तथा **भूमि)** को छोड़कर विधानसभा को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया।

GST (Goods and Srvice Tax)

- ☞ जीएटी किस प्रकार का कर है ? – **अप्रत्यक्ष कर**
- ☞ भारत में जीएसटी कब और किस CAA के तहत लागू किया ? **–22वाँ CAA 2017 (1 जुलाई 2017)**
- ☞ जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश ?– **फ्रांस (1954)**
- ☞ दुनिया के कितने देशों में जीएसटी लागू किया जा चुका है ? – **165 देशों**
- ☞ भारत में लागू की गयी जीएसटी का मॉडल कहां से लिया गया है ? – **कनाडा**
- ☞ जीएसटी में कितनी प्रकार की दरें लागू की गयी है ? – **5 (0, 5, 12, 18, 28 प्रतिशत)**
- ☞ जीएसटी में अब 28% की दर में कुल कितने आइटम बचे हैं ? **– 28**
- ☞ जीएसटी बिल को संसद में पेश करने वाला व्यक्ति कौन–था ? – **अरुण जेटली**
- ☞ जीएसटी का सुझाव देना वाला व्यक्ति कौन–था ? – **विजय केलकर**
- ☞ राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली ? **– 8 सितम्बर, 2017**
- ☞ जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य था ? – **असम, बिहार**

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform © KHAN SIR

☞ जीएसटी के ब्रांड एम्बेस्डर कौन है?

– **अमिताभ बच्चन**

☞ जीएसटी कितनी वस्तुओं पर लागू किया गया है ?

– **1022**

☞ जीएसटी के पक्ष में कितने वोट पड़े ?

– **336 व 11 वोट विपक्ष में पड़े।**

☞ जीएसटी पंजीकरण में कितने अंकों का पंजीकरण संख्या मिलती है –**11**

☞ जीएसटी की चोरी करने वाले व्यक्ति को कितने वर्ष का कारावास दिया जायेगा ? – **5 वर्ष**

☞ जीएसटी की भारतीय संविधान में स्थिति क्या है ?

– **अनु॰ 246 (क), 279**

☞ उत्तर प्रदेश विधानसभा में जीएसटी बिल कब पास हुआ ?

– **16 मई, 2017**

अनुच्छेद 35ए तथा अनुच्छेद 370
(जम्मू और कश्मीर: एक नजर)

☞ बिल का नाम– जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन विधेयक–**2019**

☞ अनु॰–370 जब राजा **हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 ई॰** को भारत के साथ **विलय** पत्र हस्ताक्षर किये तो 17 अक्टूबर, 1949 ई॰ से अनु॰–370 लागू किया गया था।

☞ कश्मीर का संविधान जो 17 नवम्बर, 1956 ई॰ को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।

क्या प्रभाव पड़ेगा ?

☞ जम्मू-कश्मीर के अनु॰–35ए तथा अनु॰–370 के तहत प्रदान विशेषाधिकार को समाप्त किया गया है।

☞ अनु॰–370 में राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान की गई थी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक जम्मू-कश्मीर को यह विशेषाधिकार मिले रहेंगे।

☞ राष्ट्रपति ने इसी प्रावधान के तहत आदेश कर खत्म कर दिया। ऐसे में अनु॰–(3)370 ही खत्म हो गया तो अनु॰–35ए अपने आप समाप्त हो जायेगा।

☞ कश्मीर का संविधान पूर्णत: समाप्त हो गया। अब सम्पूर्ण भारत का ही संविधान लागू होगा।

☞ अब कोई अलग राज्य का झण्डा मान्य नहीं होगा। भारत राष्ट्रीय ध्वज को अपमान राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में किये गये अपराध के बराबर होगा।

☞ विधान सभा का कार्यकाल सभी अन्य विधासभाओं की तरह मात्र साल 5 का ही होगा।

☞ अगर कोई कश्मीरी महिला किसी भी भातरीय से विवाह करेगी तो उसके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानियों को मिलने वाली विवाह के तहत नागरिकता समाप्त हो जायेगी।

☞ महिलाओं पर शरियत कानून समाप्त हो जायेगा।

☞ कश्मीर की दोहरी नागरिकता समाप्त हो जायेगी।

☞ अनु॰–356 राष्ट्रपति शासन अब पूर्ण रूप से लागू होगा।

☞ अब जम्मू और कश्मीर एक केन्द्रशासित प्रदेश होगा। तथा लद्दाख एक बिना विधानसभावाला केन्द्रशासित प्रदेश होगा जैसे चण्डीगढ़।

☞ राज्यपाल का पद समाप्त होगा। अब उपराज्यपाल का पद सृजित किया जायेगा।

☞ अब भारत को कोई भी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में जमीन या सम्पत्ति खरीद सकेगा। चुनाव भी लड़ सकेगा तथा वोट दे सकेंगे। (अनु॰–19ड़ में जो अपवाद था अब समाप्त किया गया है।)

☞ RTI और CAG भी अब लागू होगी उच्चतम न्यायालय के सभी आदेश अब मान्य होंगे।

☞ प्रशासनिक कार्यों के लिए उपराज्यपाल की अनुमति की आवश्यकता होगी।

☞ साल 72 बाद कन्याकुमारी से कश्मीर तक अब एक निशान एक संविधान तक एक भारत होगा लागू।

☞ बिल राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा दिनांक अगस्त 2019 05 को पेश किया गया था पक्ष में 125 तथा विपक्ष में वोट 61 पड़े।

☞ दिनांक अगसत, 2019 06 को लोकसभा में बिल पास किया गया।

☞ दिनांक 09 अगस्त, 2019 को राष्ट्रपति ने अनुमति प्रदान की।

☞ अब भारत में कुल केन्द्रशासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। जिसमें जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख को भी जोड़ा गया है। तथा कुल राज्यों की संख्या अब 28 रह गयी है।

☞ भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर होगा। पहले दिल्ली था।

☞ भारतीय संविधान के सभी संशोधन अब पूर्ण रूप से लागू होंगे। जैसे–73, 74 पंचायत, नगर पालिका आदि अब पूर्ण रूप से लागू होंगे।

सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद

☞ अनु॰–371– हिमाचल प्रदेश के लिए बना है। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है।

☞ अनु॰–371ए नागालैण्ड के लिए बना है। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है।

☞ अनु॰–371एफ यह सिक्किम के लिए बना है। यहाँ कोई पूरी जमीन पर राज्य सरकार का अधिकार है।

☞ अनु॰–371जी यह मिजोरम के लिए बना है। यहाँ जमीन पर केवल जनजातियाँ का ही अधिकार है।

☞ जम्मू और कश्मीर वर्तमान स्थिति में सबसे ज्यादा बेरोजगारी % 15 तथा राष्ट्रीय निवेश की हिस्सेदारी वर्ष 2019 में मात्र % 0.02 है।

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

विविध

1. विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है ? **–भारत**
2. भारतीय संविधान में संघीय (Fedral) शब्द कितने बार लिखा गया है ? **–एक बार भी नहीं।**
3. किस देश का संविधान अलिखित रूप में है ? **–ब्रिटेन (यू॰के॰)**
4. भारतीय संविधान सभा में लगभग सभी बड़े नेता मोजूद थे सिवाय एक नेता के ? **–महात्मा गांधी**
5. साबमन कमीशन भारत कब आया था ? **–1927**
6. भारत की स्वतन्त्रता के समय इंग्लैण्ड का शासक कौन था ? **–लार्ड क्लीमेंट पटली**
7. अन्तिम अंग्रेज गर्वनर जनरल कौन था ? **–लार्ड लुईस माउट बेंटन (21 जून, 1948)**
8. अन्तिम गर्वनर जनरल/प्रथम भारतीय गर्वनर जनरल कौन था ? **–सी. जरागोपालाचारी (21 जून 1948-26 जनवरी, 1950)**
9. शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? **–दृढ़ राज्य**
10. जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे ? **–विभिन्न प्रान्तों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य।**
11. भारत की अंतकालीन संसद (संविधान सभा) में कितने सदस्य थे? **–296**
12. प्रथम केन्द्रीय विधान सभा का गठन कब किया गया ?**–1921**
13. भारतीय संविधान सभा किसेक कहने पर बनायी गयी ? **–कैबिनेट मिशन (1942)**
14. CAG का सुझाव की अधिनियम में दिया गया था ? –1919 का अधिनियम
15. भारत कब पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना ? **–26 नवम्बर, 1949**
16. संविधान कब अंगीकृत / प्रवर्तित / स्वीकृत / प्रारूपण पूर्ण / अपनाया हुआ? –26 नवम्बर, **1949**
17. संविधान कब लागू / अधिनियमित / समग्र रूप से लागू हुआ? **–26 जनवरी, 1950**
18. 26 जनवरी, 1950 को संविधान– (22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची)
19. अब संविधान–(22 भाग, 395 अनु॰ <445 अनु॰ है कुल संविधान संशोधनों संहित >, 12 अनुसूची)
20. संविधान सभा की मुहर का प्रतीक क्या था ? **–हाथी का प्रतीक**
21. संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे ? **–बी.एन. राव (वेनेगल नाथ राव)**
22. संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार किसे नियुक्त किया गया था ? **–एल.एन. मुखर्जी**
23. भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक (Calligrapher) कौन थे ? –प्रेम बिहारी नारायण रायजादा।
24. मूल संविधान एक प्रवाहमय शैली (Ittelic) में उनके हस्तलिखित किया गया था।
25. मूल संविधान संसकरण का सौन्दर्यीकरण किसने किया ? **–शांति निकेतन के कलाकारों ने जिसमें मंदलाल बोस और बिडडर राममनोहर सिन्हा प्रमुख थे।**
26. मूल संविधान का हिन्दी सुलेखन किसने किया ? **–वसंत कृष्ण**
27. संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्यों कीसंख्या की भारतीय प्रान्त से थी ? **–मद्रास (49 सदस्य)**
28. संविधान सभाक ी सीटों का आवटन किस आधार पर किया गया था ? **–10 लाख लोगों पर एक सीट**
29. सर्वप्रामि किस देश के संविधान में प्रस्तावना को अपनाया गया था ? **–अमेरिका**
30. भारत की सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में है ? **–भारतीय जनता**
31. 'संविधान की कुंजी' किसे कहा जाता है ? **–संविधान की प्रस्तावना**
32. प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्रबिंदु अथवा स्त्रोत किसे कहा जाता है ?**–भारत के लोग**
33. प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा: "हम भारत के लोग ...... इस संविधान को" अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माप्रित करते हैं" भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं।
34. मूल प्रस्तावना किसके द्धारा हस्तलिखित व सौन्दर्यीकृत थी ? **–प्रेम बिहारी नारायण रामजादा और बिउडर राममनोहर सिन्हा**
35. स्वातंन्त्रतावाद किसका धोतक हे ? **–सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता का**
36. संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है ? **–राज्यों का संघ**
37. भारतीय संविधान के पिता तथा आधुनिक मनु के रूप में किसे जाना जाता है ? **–डॉ॰ भीमराव अम्बेडकर**
38. स्वतन्त्रता के समय कुल कितने देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी ? **–552**

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

39. कुल 549 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में शामिल हो गयी, हैदराबाद–पुलिस कार्यवाही से, जूनागढ़–जनमत के द्वारा और जम्मू–कश्मीर–विलय पत्र के द्वारा भारत में मिला लिया गया।

40. लकादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप का नाम बदलकर कब लक्ष्यद्वीप रखा गया ? **–1973**

41. 1956 में राजयों का पुर्नगठन करने पर भारत में क्या स्थिति थी। **–14 राज्य तथा 7 केन्द्र शासित प्रदेश**

42. मौलिक कर्तव्य संविधान में कब शामिल किये गये?**–1976**

43. सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है ? **–संघीय प्रणाली**

44. दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है ?**–संघीय सरकार की**

45. "मिनी संविधान" किस संविधान संशोधन को कहा जाता है ? **–42वाँ संविधान संशोधन (1976)**

46. भारतीय संघवाद निकटतम है ? **–कनाडा**

47. भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी ? **–कनाडा**

48. विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है ? **–ब्रिटेन**

49. हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है ? **–यू.एस.ए.**

50. किस राज्य के मामले में संघीय सूची में दिये गये विषयों पर भी केवल राजय से परामर्श करके ही विधि–निर्माण कर सकती है ?**–जम्मू और कश्मीर** (जब राज्य का दर्जा प्राप्त था तब लागू था अब नहीं)

51. संविधान का अनुच्छेद 370 तथा 35 ए किस राज्य पर लागू होते थे ? **–जम्मू और कश्मीर**

52. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों कीअधिकारिता के अधीन आता है ?**–संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण**

53. मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे ? **–7**

54. राज्यों के पुनर्सीमन किस अनुच्छेद के अन्तर्गत आता है ? **–अनुच्छेद 3**

55. पाकिस्तान से आने वाले व्यकित को किस अनु॰ के तहत भारतीय नागरिकता दी जाती है ? **–अनु॰ 11**

56. हथकड़ी लगाना के विरुद्ध अधिकार, सूचना का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, किस अनु॰ के तहत प्रभावी किया गया ? **– अनु॰–21**

57. पूर्ण मौलिक अधिकार (जिनका कोई अपवाद न हो) कौन–कौन से हैं ? **–17, 19(ङ), 24**

58. केवल भारतीयों को प्रापत अधिकार कौन–कौन हैं ? **–15, 16, 19, 29, 30**

59. सार्वभौमिक मूल अधिकार (जो कभी खत्म न हो) कौन–कौन है ? **–20, 21**

60. युद्ध या विदेश आक्रमण के समय आपातकाल घोषित होने पर निलम्बित नहीं होने वाले मूल अधिकार कौन–कौन है ? **–20, 21**

61. क्या सशस्त्र विद्रोह के समय मूल अधिकारों को निलम्बित किया जा सकता है ? **–नहीं**

62. मूल अधिकार स्थयी नहीं होते हैं। बगैर मूल ढ़ाचें को प्रभावित किये हुए। इनमें संशोधन अधिनियम के तहत बदलाव किया जा सकता है, न कि सीधे विधेयक लाकर।

63. डॉ॰ भीम राव अम्बेडकर ने संविधान की "आत्मा अथवा हृदय" कहा था ? **–अनुच्छेद 32**

64. लेकिन सामान्यत: प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या संविध ान की कुंजी कहा जाता है ?

65. सशस्त्र बलों, अर्द्ध सैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से सम्बन्धित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध कर सकती है ? **–अनुच्छेद 33**

66. सैन्य शासन की जगह पर भी क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध लगा सकती है ? **–अनुच्छेद 34**

67. 1950 से पहले केवल तीन उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था ? **–कलकत्ता, मद्रास, बम्बई उच्च न्यायालय**

68. किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है, जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है ? **–अधिकार–पृच्छा रिट**

69. उच्चतम न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जा सकती है ?**–5**

70. सम्पत्ति के अधिकार को मौकि अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था ? **–मोरारजी देसाई की सरकार में**

71. अन्तिम बार सर्वोच्च न्यायाल में चार अन्य न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस (CJ झारखण्ड हाईकोर्ट), न्यायाधीश एएस बोपन्ना (CJ गुवाहाटी हाईकोर्ट), न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (CJ बम्बई हाईकोर्ट), न्यायाधीश सूर्यकांत (CJ हिमाचल हाईकोर्ट), की नियुक्ति 24 मई, 2019 को की गई है।

72. 24 मई, 2019 को सर्वोच्च नयायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 11 साल (2008) बाद पूर्ण (30+1=31) हो गई है।

73. 17वीं लोकसभा (2019 में) निर्वाचित महिला लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है ? **–78**

74. 17वीं लोकसभा में निर्वाचित मुस्लिम लोकसभा सदसयों की संख्या कितनी है? **–25**

75. भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शमिल किए गए हैं? **–11 (अनुच्छेद-51 क)**

76. मौलिक अधिकारों पर कौन प्रतिबन्ध लगा सकता है ? **–संसद**

77. भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है ? **–धर्म**

78. मूल अधिकारों से सम्बन्धित मामला कौन-सा है ? **–गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य**

79. कतिपय (कुछ) मौलिक अधिकार नहीं दिये जाते हैं ? **–विदेशियों को**

80. संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है ? **–लोकसभा अध्यक्ष**

81. धन विधेयक व वित्त विधेयक को पास करने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। **–अनु-109**

82. अगर सदन चालू है, तो राष्ट्रपति के द्वारा पारित अध्यादेश मान्य होगा या नहीं ? **–नहीं**

83. राष्ट्रपति के विरुद्ध दो महाभियोगों के बीच में कम-से-कम कितना अन्तर होना चाहिए ? **–6 माह**

84. उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कितने प्रस्तावक, अनुमोदक तथा जमानत राशि हीं है ?–**(क्रमश: 50, 50 तथा RBI में 12000/ - रुपये) 1/6 भाग मत न प्राप्त होने पर जामनत राशि जब्त कर ली जाती है।**

85. उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है ? **–राज्यसभा**

86. वह उपराष्ट्रपति जिसने अपने दो कार्यकालों को पूरा किया ? **–डॉ॰ एस॰ राधाकृष्णन्**

87. लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है ? **–उपाध्यक्ष को**

88. भारतीय संविधान के अनुसार केन्द्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद पर रहते हैं ? **–राष्ट्रपति**

89. राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है ? **–14**

90. पहले वित आयोग का गठन कब किया गया था ? **–1951 ई॰ में**

91. एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है ?–**उतने विकलप जितने चुनाव में मतदाता है।**

92. तीसरी बार किस व्यक्ति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गयी थी ? **–फखरुद्दीन अली अहमद**

93. क्या राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष / स्पीकर की नियुक्ति करता है ? **–नहीं**

94. भारत का पहला अराजनैतिक राष्ट्रपति कौन था ? **–डॉ॰ ए॰ पी॰ जे॰ अब्दुल कलाम**

95. राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है ? **–U.S.A.**

96. भारत में राष्ट्रपति अपने पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है ? **–जितनी बार चाहे**

97. CAG की रिपोर्ट की संवीक्षा करने वाली संसदीय समिति है ? **–लोक लेखा समिति**

98. संसद की स्थाई समिति कौन-सी है ?**–लोक लेख समिति**

99. राज्यसभा का चुनाव कितने समय बाद होता है ? **–2 वर्ष**

100. संसद के दोनों सदनों की 'संयुक्त बैठक'को भेजे गए विधेयक को पारित किया जाता है ? **–उपस्थिति सदस्यों के साधारण बहुमत से**

101. विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्य है ? **–नियमों (कानूनों) को अधिनियमित करना।**

102. लोकसभा में किसी धन विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है ? **–राष्ट्रपति**

103. भारतीय संविधान के अनुसार, संसद के दोनों सदनों का अधि वेशन एक वर्ष में कम-से-कम कितनी बार बुलाना जरूरी है ? **–दो बार (6 माह के अन्तर पर)**

104. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहां प्रस्तुत किया जा सकता है ? **–केवल लोकसभा में**

105. किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है ? **–राज्य सभा**

106. संसद में विपक्षी दल के रूप में मान्यता के लिए आवश्यक होता है ? **–कुल सदस्यों का 1/10 वाँ भाग**

107. राज्यसभा का कार्यकाल मूल संविधान में था ? **–5 वर्ष (42वें CAA 1976 में बढ़ाकर 6 वर्ष किया)**

108. शून्यकाल का अर्थ है ? **–सत्र का पहला घंटा**

109. इसके दौरान अधिक्य बजट की संस्तुति की जाती है ? **–मंदी के दौरान**

110. संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा यदि वह सत्रों में निरंतर अनुपस्थित रहे **–60 दिन**

111. ऐसे कौन से संसद सदस्य होते हैं, जो दोनों सदनों में बोल सकते हैं? **–वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं।**

112. लोकसभा को आयोजित करने के लिए गणपूर्ति (कोरम) क्या है ? **–1/10**

113. पहले तथा दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के मध्य कितना अन्तर होने अति आवश्यक होता है ? **–6 माह**

114. किस वर्ष में "हाउस ऑफ द पीपुल" को लोकसभा का नाम

दिया गया ? —1954

115. राज्य सभा का उपसभापति किसे चुना जाता है ?

—किसी भी सदस्य को जो उस समय राज्य सभा का सदस्य हो।

116. भातरीय संघ में नये राज्य की स्वीकृति कौन देता है ? **—संसद**

117. मन्त्रिपरिषद "सामूहिक रूप" से किसके प्रति उत्तरदायी है ? **—लोकसभा**

118. मन्त्रिपरिषद "व्यक्तिगत रूप" से किसके प्रति उत्तरदायी है ? **—मन्त्रिमण्डल**

119. राजयपरिषद एवं जनता क सदन के स्थान पर कब क्रमशः राज्यसभा तथा लोकसभा किया ? **—1954**

120. संसद में बैठक का समय क्या होता है ?**—सुबह 11 से 1 बजे तक खाने के बाद 2 से 6 बजे तक।**

121. **साधारण विधेयक—** वितीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों से संबद्ध विधेयक

122. **धन विधेयक—** ये विधेयक वितीय विषयों, यथाकरारोपण, लोक व्यय से संबंधित होते हैं।

123. **वित विधेयक—** ये विधेयक भी वितीय विषयों से ही संबंधित है। (परन्तु धन विधेयकों से भिन्न)

124. भारतीय संविशन के प्रवृत्ति कैसी है ?**—बहुत ही लचीला और बहुत ही कठोर**

125. भारतीय संविधान में "बजट" शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है ?**—एक बार भी नहीं।** बजट का नाम "वार्षिक वितीय विवरण" अनुच्छेद 112 के अनुसार

126. भारतीय संविधान हस्त-लिखित है, जिसें शान्तिनिकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को सजाया गया है। जिसमें बेहर राममनोहर सिन्हा और नन्दलाल बोल शामिल है।

127. इसकी सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजाद थे।

128. संविधान को देहरादून में प्रकाशित किया गया था। भारत के सर्वेक्षण द्वारा फोटोलिथोग्राफ किया था।

129. 99वाँ CAA 2014 के द्वारा NJAC (national Judiacal Appointment Committee) के द्वारा उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय में जजों की नियुक्ति का प्रावधान किया गाय था। 2015 के बाद से यह व्यवस्था असंवैधानिक घोषित कर समाप्त कर दी गई। **—अनु॰ 124A**

130. कुल अनुच्छेद-448, कुल भाग-25, अनुसूची-12, कुल संविधान संशोधन- 124 11.1.19 तक

131. मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है ?

—प्रधानमंत्री (बराबर वालों में पहला)

132. प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए ?

—25 वर्ष (लोकसभा सदस्य के योग्य)

133. भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है ? **—केन्द्रीय सरकार में**

134. प्रधानमंत्रीका कार्यकाल कितना होता है ?

—जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासित रहता है।

135. वह प्रधानमंत्री कौन थे जिनको संसद में मतदान के द्वारा पदस्थ किया गया ? —वी॰पी॰ सिंह

136. भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया से बनाया जाता है ? **—नियुक्ति होता है।**

137. भारत के प्रथम उपप्रधानमंत्री कौन थे ? **—सरदार बल्लभ भाई पटेल**

138. उच्च न्यायालयों के नयायाधीशों को पेंशन कि निधि से प्रदान की जाती है ? **—भातरी की संचित निधि**

139. राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन होता है ? **—सभी राज्यों के मुख्यमंत्री**

140. राष्ट्रीय एकता परिषद (एन॰ आई॰ सी॰) का अध्यक्ष कौन होता है ? **—प्रधानमंत्री**

141. किस भारतीय ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? **—के॰ एस॰ हेगड़े**

142. संविधान की व्याख्या कौन करता है ? **—न्यायपालिका**

143. भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है ? **—भारत का उच्चतम न्यायालय**

144. सबसे पहले किस उच्च न्यायालय के घोषित किया था कि "बन्द" असंवैधानिक है ? **—केरल**

145. न्यायिक पुनरीक्षण से क्या अभिप्राय है ? **—कानूनों की सांवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण**

146. भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है ? **—विधि द्वारा आधारित प्रक्रिया पर**

147. किस अनुच्छेद के अनुसार केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है ? **—324 ए**

148. कैग किसे लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है ? **—लोक लेखा समिति**

149. केन्द्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है ? **—मंत्रिमण्डल सचिव**

150. नीति आयोग कैसा आयोग है ?**—संविधानेतर और असंविधिक**

151. भारत में सिविल सेवाओं की एक विशिष्टता है ? **—तटस्थता एवं निष्पक्षता**

152. कोई नई अखिल-भारतीय सेवा किस प्रकार शुरु की जाती है ?

—संविधान के अनु॰-312 अंतर्गत संकल्प पारित करके।

153. संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है ? **—महान्यावादी को**

154. महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है? **–भारत का कोई भी विधि न्यायालय**

155. भारतीय अखिल सेवाएँ हैं ?**–भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय बन सेवा।**

156. किस समिति की रिपोर्ट पर लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई? **–प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति।**

157. भारत में आम चुनाव किस सिद्धानत पर आधारित है ? **–प्रादेशिक प्रतिनिधित्व**

158. लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में किस विधि को प्रयुक्त किया जाता है ? **–आनुपातिक प्रतिनिधित्व**

159. मूल संविधान में मताधिकार की आयु थी ? **–21 वर्ष** (वर्तमान में 18 वर्ष, 61वाँ CAA 1989)

160. कौन-सा प्रतिनिधिक सरकार उपबंधित करता है ? **–अप्रत्यक्ष लोकतंत्र**

161. 2019 में चुनी गई लोकसभा कौन-सी लोकसभा है ?**–17वीं**

162. लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन पद व्यय की अधिकतम सीमा फरवरी 2011 में बढत्रकर कर दी गई है ? **–16 लाख रुपये**

163. लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है ? **–जब वह कुल मतदान का 1/6 मत भी प्राप्त नहीं करता है।**

164. किस दल ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिये थे ?**–जनता दल**

165. भरतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लम्बी सेवा की ? **–ज्योति बसु**

166. राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है ? **–मुख्यमंत्री**

167. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन किया गाय है ? **–अनु॰-167**

168. भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी ? **–महाराष्ट्र**

169. किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है ? **–महाधिवक्ता**

170. वह राज्य कौन-सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया ? **–कर्नाटक**

171. राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है ? **–राज्य विधानमंडल**

172. संविधान में किसके विरुद्ध महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है ? **–राज्यपाल**

173. राज्य विधान सभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है ? **–राज्यपाल**

174. समवर्ती सूची किसके संविधान की अवधारणा है ? **–आस्ट्रेलिया**

175. क्या अंग्रेजी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है ? **–नहीं**

176. पंचायती राज्यव्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला ? **–अनु॰-40 में 73वां CAA 1993**

177. अभिव्यक्ति 'ग्राम सभा' सही रूप में निरूपित करती है ? **–पंचायत के लिए निर्वाचक मण्डल को**

178. अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष गठित किया गया ? **–1992**

179. महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई ? **–2001**

180. भारत में "सूचना का अधिकार अधिनियम" कब अधिनियमित हुआ ? **–15 जून 2005**

181. किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं ? **–अल्पतंत्र**

182. पंचायत समिति किसके प्रति जवाबदेह है ?**–जिला परिषद**

183. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें निर्वाचन चिह्न आवंटित करना किस का काम होता है ?**–भारतीय निर्वाचन आयोग**

184. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें निर्वाचन चिह्न आवंटित करने के विवाद का निपटारा करने के काम में कोन एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है ? **–भारतीय निर्वाचन आयोग।**

185. निर्वाचन व्यवस्था से संबंधी विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त कौन करता है ? **–भारतीय निर्वाचन आयोग**

186. अन्य निर्वाचन आयुक्तों को किस की सिफारिश पर हटाया जा सकता है ? **–भारतीय निर्वाचन आयोग**

187. संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी किसे सौंपी है ? **–सुरक्षा परिषद**

188. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी है ? **–2 वर्ष**

189. सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य देश कौन से हैं ? **–चीन, फ्रांस, रुस, यू॰के॰ और यू॰एस॰ए॰**

190. यू॰एन॰ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है ? **–193**

191. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है ? **–15**

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

192. सरकार किसकी एजेंसी है ? **–राज्य की**

193. स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है ? **–विधि द्वारा**

194. कौन-सा देश एक दलीय नीति अपना रहा है ? **–चीन**

195. लोकपाल का विचार कहां से लिया गया है ? **–स्कैन्डिनेवियाई देशों से**

196. लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है ? **–आलोचना की शक्ति पर**

197. केन्द्रीय सरकार द्वारा श्रेण्य भाषा (क्लासिकल भाषा) का दर्जा दिया गया है ? **–तमिल**

198. केंद्रीयकरणवादी सरकार की विशिष्टता नहीं है ? **–न्यायिक समीक्षा**

199. डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है ? **–ग्रीक**

200. "राज्य" शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? **–मैकियावेली**

201. राजनीतिशास्त्र को 'अयथार्थ' किसने कहा था ? **–ब्राइस**

202. संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी ? **–श्रीलंका**

203. संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है ? **–अरबी**

204. भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है ? **–ग्राम पंचायत**

205. लोकसभा तथा राज्यसभा में लोकपाल बिल और सख्त संशोधनों के साथ कब पारित किया ? **–2013**

206. ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया ? **–चार्टर एक्ट 1813 ई॰**

207. ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया ?**–चार्टर एक्ट 1833 ई॰**

208. बजट पर अपने विचार प्रकट करने व सार्वजनिक हित में सवाल पूछने की अनुमति 6 दिन पूर्व सूचना देकर किस अधिनियम के तहत दी गयी ? **–भारत परिषद् अधिनियम, 1892**

209. साइमन कमीशन का प्रस्ताव कब भारत लाया गया ?**–1928 ई॰**

210. साइमन कमीशन भारत कब आया ? **–1929 ई॰**

211. संविधान सभा 1947 ई॰ से भारत के आजाद होने के बाद सन् 1952 ई॰ तक प्रथम चुनाव होने से पहले सरकार बनने तक इस अन्तराल में विधायिका (राज्यसभा सदस्य तथा लोकसभा सदस्य) न होने के कारण कानून बनाने का काम किसने किया ? **–संविधान सभा ने**

212. संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था ? **–कैबिनेट मिशन 1946 ई॰**

213. संविधान सभा किस तरह गठित की गयी ? **–निर्वाचित तथा मनोनित**

214. चुनाव के लिए कुल कितनी सीट आवंटित की गयी थी ? **–296 सीटें**

215. मनोनयन के लिए कुल कितनी सीट आवंटित की गयी थी ? **–93 सीटें**

216. स्वतन्त्र भारत की पहली संसद किसे कहा जाता है ? **–संविधान सभा को**

217. पाकिस्तान को कब स्वतन्त्र घोषित किया गया ? **–14 अगस्त, 1947 ई॰ को**

218. वोट देने का अधिकार निम्न में (राजनैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, मूल अधिकार) किस तरह का अधिकार है ? **–राजनैतिक अधिकार**

219. छूआ-छूत क्या है ?**–जन्म के आधार** पर हिन्दू वर्ग द्वारा निम्न वर्ग के लोगों से भेदभाव करना है।

220. 4 चीफ कमिश्नरियों कौन-कौन सी है ? **–आमेर, बलूचिस्तान, कुर्क-कर्नाटक, दिल्ली**

221. प्रस्तावना के अनुसार सही क्रम है ? – 1. प्रभुसत्ता संपन्न/संप्रभुता, 2. समाजवादी, 3 धर्मनिरपेक्ष/पंथनिरपेक्ष, 4. लोकतांत्रिक/प्रजातंत्र, 5. गणतंत्र/गणराज्य

222. व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार आश्रम (महाराष्ट्र) से प्रारमी किया। अक्टूबर, 1940 ई॰ 17 को विनोवा भावे पहले सतयाग्रही बने। दूसरे जवाहर लाल नेहरू थे। इसे ही दिल्ली चलो आंदोलन कहा जाता है।

223. भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था ? **–1952 ई॰**

224. भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन किसके रूप प्रदान किया जाता है ? **–राज्यसभा के सभापति**

225. भारत के उपराष्ट्रपति का पेंशन किसके रूप प्रदान किया जाता है ? **–भारत के उपराष्ट्रपति**

226. राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। परन्तु प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, राज्यसभा की शुरुआत के समय (1954, 1956 ई॰ में) 4 वर्षों में 2/3 सदस्यों को उनके 6 वर्ष के कार्यकाल से पहले ही सेवानिवृत किस विधि द्वारा किया था ? **–लॉटरी के द्वारा**

- बड़ी लोकसभा सीटें–

1.	3183083	मलकागिरी, तेलंगाना
2.	2401472	उत्तर बंगलुरु, कर्नाटक
3.	2357553	गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
4.	2177080	उन्नाव, उत्तर प्रदेश

- परिसीमन 2008 के बाद से उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? – लक्ष्यद्वीप (47,972 मतदाता) 2008 परिसीमन से दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा सीट पर 3.4 लाख मतदाता थे वहीं बाहरी दिल्ली में इसके 10 गुना करीब 33.7 लाख मतदाता थे।

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण से सम्बन्धित मण्डल कमीशन

- तत्कालीन **जनता पार्टी** की सरकार के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल (बिहारी कैडर के IAS) की अध्यक्षता में छह सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन सन 1979 ई॰ में घोषणा की, यही मंडल आयोग के नाम से चर्चित हुआ।
- दिसंबर, 1980 में मंडल आयोग ने गृहमंत्री ज्ञानी जैल सिंह की रिपोर्ट सौंपी। इसमें अन्य पिछड़े वगोद्ध को 27 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की गयी।
- 13 अगस्त, 1990 ई॰ को प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने हेतु अधिसूचना जारी कर दी ओर अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण को लागू किया गया था।
- दिल्ली के देशबंधु कॉलेज का छात्र राजीव गोस्वामी ने दिल्ली में अपने ऊपर पेट्रोल डालरक आग लगाकर आत्महत्या कर ली।
- 9 सदस्यों वाली बेंच ने 16 नवम्बर, 1992 को सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण 1 लाख रुपए की वार्षिक आय की आर्थिक सीमा (क्रीमीलेयर) के भीतर लागू किया जो 2015 में बढ़कर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष की आय सीमा हो गया है।
- इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने 2008 ई॰ से उच्च शिक्षा में भी पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए सीट आरक्षित की है।
- 21 मई 1991 चेन्नई, तमिलनाडु के कोयंम्बटूर में धनु (एक मानव बमबर) एक रैली के दौरान विस्फोट कर प्रधानमंत्री की हत्या कर दी।

महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी–

क्रम	अधि॰ का नाम	स्वीकृति	लागू	कुल धारा	विस्तार क्षेत्र
1.	IPC-1860	06 अक्टूबर 1860	01 जनवरी 1862	511	सम्पूर्ण भारत में
2.	CrPC-1974	25 जनवरी, 1974	01 अप्रैल, 1974	487	सम्पूर्ण भारत में
3.	दहेज प्रतिषेध अधि॰–1961	20 मई, 1961	01 जुलाई, 1961	10	सम्पूर्ण भारत में
4.	अनैतिकता व्यापार निवारण अधि॰–1956	30 दिसम्बर, 1956		26	सम्पूर्ण भारत में
5.	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधि॰–2005	13 सितम्बर, 2005	17 अक्टूबर, 2005	37	सम्पूर्ण भारत में
6.	लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधि॰–2012 (PCOSO)	19 जून, 2012	14 नवम्बर, 2012	46	सम्पूर्ण भारत में
7.	किशोर न्या (बच्चों की देख-रेख व संरक्षण) अधि॰–2015 (Juvenile Law)	31 दिसम्बर, 2015	01 जनवरी, 2016	110	सम्पूर्ण भारत में
8.	SC/ST अत्याचार निवारण अधि॰–1989	11 सितम्बर, 1989	30 जनवरी, 1990	23	सम्पूर्ण भारत में
9.	राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधि॰–1993	28 सितम्बर, 1993		43	सम्पूर्ण भारत में
10.	सूचना प्रौद्योगिकी अधि॰–2000	09 जून, 2000	17 अक्टूबर, 2000	94	सम्पूर्ण भारत में
11.	सूचना का अधिकार अधि॰–2005	15 जून, 2005	12 अक्टूबर, 2005	31	सम्पूर्ण भारत में
12.	भ्रष्टाचार निवारण अधि॰–1988	09 सितम्बर, 1988	12 सितम्बर, 1988	31	सम्पूर्ण भारत में
13.	मोटर व्हीकल अधि॰–1988	01 जुलाई, 1989		217	सम्पूर्ण भारत में
14.	पर्यावरण संरक्षण अधि॰–1986	23 मई, 1986	19 नवम्बर, 1986	26	सम्पूर्ण भारत में
15.	विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019(3 तलाक)	2019 जुलाई 30	2018 सितम्बर,	19	सम्पूर्ण भारत में

मूलविधि

IPC (Indian Penal Code):–

- भारतीय दण्ड संहिता-निर्मता लार्ड बैबिडयन मैंकाले
- स्वीकृति – 01 अक्टूबर, 1860
- लागू – 01 जनवरी, 1862
- IPC में कुल 22 भाग तथा 511 धाराएं हैं।

अध्याय 1

- धारा–1 संहिता का नाम व विस्तार (सम्पूर्ण भारत में लागू है।)
- धारा–2 भारत में किया गया कोई भी अपराधिक कृत
- धारा–4 भरत के बाहर किया गया अपराधिक कृत अपराध की श्रेणी में आता है। (विदेश, पोत, हवाई जहाज पर आदि)
- धारा–8 लिंग
- धारा–11 नागरिक की परिभाषा
- धारा–14 सरकार का सेवक
- धारा–18 भारत
- धारा–19 न्यायाधीश
- धारा–20 न्यायालय
- धारा–21 लोक सेवक
- धारा–24 बेईमानी
- धारा–34 सामान्य आश्रय
- धारा–41 विशेष विधि
- धारा–42 स्थानीय विधि
- धारा–44 क्षति
- धारा–46 मृत्यु
- धारा–50 धारा
- धारा–52 (क) सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य
- धारा–54 आजीवन कारावास (कम-से-कम 14 वर्ष का होगा।)
- धारा–55 आजीवन कारावास में लघुकरण
- धारा–76 तथ्य की भूल के कारण किया गया कोई कृत अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
- धारा–77 न्यायनुमत होते हुए, तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। (जल्लाद द्वारा फांसी लगाना आदि)
- धारा–81 बड़ी हानि को बचाने के लिए छोटी हानि का होना।
- धारा–82 07 साल के बच्चे द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
- धारा–83 07 साल से अधिक परन्तु 12 साल से कम के अपरिपक्क बच्चे द्वारा किया गया कार्य कोई अपराध नहीं होता है।
- धारा–84 विकृचित व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
- धारा–85 अनऐच्छिक ममता में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा।
- धारा–86 अनैच्छिक ममता में किया गया कार्य जब यह पता हो कि इस कार्य का परिणाम मृतयु कारित करने या घोर उपहति कारित करना हो सकता था।
- धारा–93 सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना से कोई उपहति या नुकसान अपाध की श्रेणी में नहीं आयेगा।
- धारा–93 सद्भावना पूर्वक दी गई सूचना से कोई उपहति या नुकसान अपराध की श्रेणी में नहीं आयेगा।
- धारा–94 धमकी बस हत्या तथा मृत्यु दण्ड के सजा वाले अपराध को छोड़कर किया गया कोई अपराध नहीं होगा।
- धारा–95 तुच्छ कार्य के सम्बन्ध में कोई अपराध नहीं होगा।
- धारा–98 विकृचित वाले व्यक्ति से प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार।
- धारा–99 कुछ दशाओं में प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा। (1. लोकसेवक के सम्बन्ध में कोई प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा।)
- धारा–100 शरीर के सम्बन्ध में प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु कराति करने तक का होगा।

1. जब लगे कि किसी के द्वारा आधात से मृत्यु या घोर उपहति हो सकती है।
2. बलात्कार के प्रतिरोध के संबंध में।
3. अप्रकृति मैथून के प्रतिरोध के संबंध में।
4. जब लोक सेवक की सहायता मिलना सम्भव न हो।
5. बहुत अधिक दिनों से सदोष परिरोध के संबंध में।
6. अम्ल से हमला के विरोध में।

- धारा–101 प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु कारित करने से भिन्न होगा।
- धारा–102 प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब आरम्भ होकर कब तक बना रहता है।
- धारा–103 सम्पत्ति के संबंध में प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु कारित करने तक का हो सकता है।
- धारा–104 सम्पत्ति के संबंध में प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब मृत्यु कारित करने तक का हो सकता है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- ☞ धारा–105 सम्पत्ति के संबंध में प्राईवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब आरम्भ होकर कब खत्म होता है।
- ☞ धारा–106 प्राईवेट प्रतिरक्षा के संबंध में हमलावर द्वारा हमला के बचाव के दौरान किसी निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुँचना। अपराध की श्रेणी में नहीं आता है।
- ☞ धारा–107 दुष्प्रेरण की परिभाषा।
- ☞ धारा–108 दुष्प्रेरक की परिभाषा।
- ☞ धारा–120 (क) षडयंत्र की परिभाशा।
- ☞ धारा–120 (ख) षडयंत्र के लिए दण्ड। (जिस श्रेणी के अपराध के लिए षडयंत्र किया गया है उसी श्रेणी की सजा दी जायेगी।)
- ☞ धारा–121 भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना (सजा–आजीवन या मृतयुदण्ड की दी जायेगी।)
- ☞ धारा–124 (क) राजद्रोह–लिखकर, बोलकर, या संकेतों द्वारा यदि कोई भारत के खिलाफ वैमनुष्यता फैलायेगा तो कहा जायेगा कि इस व्यक्ति द्वारा राजद्रोह का अपराध किया गया है। (सजा–उम्रकैद या 10 वर्ष और जुर्माना)
- ☞ धारा–141 विधि विरुद्ध जमाव की परिभाषा।
- ☞ धारा–142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होने के लिए दण्ड। (सजा–1 वर्ष और 1000/-)
- ☞ धारा–143 तितर–बितर का आदेश देने के बाद भी जमाव का सदस्य बना रहना।
- ☞ धारा–144 खतरनाक हथियारों द्वारा विधि विरुद्ध जमाव करना। (सजा–6 माह और जुर्माना भी लगाया जायेगा।)
- ☞ धारा–146 बलवा करना (जब 2 या 2 से अधिक सदस्य किसी लोकस्थान पर शांति भंग करेंगे तो कहा जायेगा कि दंगा हो रहा है। दंगा में बल तथा हिंसा का प्रयोग किया जाता है।)
- ☞ धारा–147 बलवा के लिए दण्ड (सजा–2 वर्ष की जैल तथा जुर्माने जो कि 1000/- रुपये का होगा से दण्डित किया जायेगा।)
- ☞ धारा–148 विस्फोटक तथा आयुधों से सुस्जित होकर बलवा करने के लिए दण्ड। (सजा–3 वर्ष की जैल तथा जुर्माने जो कि 1000/- रुपये का होगा से दण्डित किया जायेगा।)
- ☞ धारा–153 धर्म, जाति, लिंग, स्थान के नाम पर जब कोई 2 समुदायों में शत्रुता पैदा करेगा तथा पैदा करने का प्रयत्न करेगा तो सजा–3 साल जेल तथा जुर्माना से दण्डित किया जायेगा।

  नोटः लेकिन जब यह कृत किसी धार्मिक स्थान या पूजा पाठ की जगह पर किया जायेगा तो सजा–5 वर्ष तथा जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।
- ☞ धारा–153 (क) राष्ट्र की अखण्डता को अछुड़ बनाये रखने में बाधा उत्पन्न करेगा।
- ☞ धारा–159 दंगा की परिभाषा।
- ☞ धारा–160 दंगा के लिए दण्ड (सजा 1 माह और जुर्माना)
- ☞ धारा–166 लोक सेवक जो कि अपने फायदे के लिए अपने अधिकारों तथा विधि की अवज्ञा करेगा। (सजा 1 वर्ष तथा 500 रुपये जुर्माना)
- ☞ धारा–170 सम्मन तामीला से बचने के लिए फरार होना (सजा 1 माह और जुर्माना भी अदा करना होगा।)
- ☞ धारा–171 (ख) रिश्वत लेना व देना।
- ☞ धारा–171 (ङ) रिश्वत लेने के लिए दण्ड (सजा–1 साल की जेल और जुर्माना भी देना होगा।)
- ☞ धारा–172 लोकसेवक का प्रतिरूपण (सजा–1 वर्ष)
- ☞ धारा–177 झूठी सूचना देना (7 माह की जेल तथा 1000/- का जुर्माना)
- ☞ धारा–186 लोक सेवक के कर्तव्यों में बाधा उत्पन्न करना। (सजा–3 साल तथा जुम्राने से भी दण्डित किया जायेगा।)
- ☞ धारा–187 लोक सेवक को सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होते हुए भी सहायता प्रदान न करना। (सजा–1 माह तथा जुर्माना)
- ☞ धारा–193 झूठी गवाही देना। (सजा–7 साल और जुर्माना भी अदा करना होगा।)
- ☞ धारा–195 झूठी गवाही मृतयुदण्ड तथा आजीवन कारावास की सजा वाले अपराध में देना सजा–आजीवर कारावास।
- ☞ धारा–201 लक्ष्य मिटाना (सजा–7 साल और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा।)

❑❑❑